चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 3

बुधवार, 26 जुलाई, 2006
4 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Acc. No.....60.....
Dated.....3 Jan 2008

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 26 जुलाई, 2006/4 श्रावण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
बेलारूस गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 42		3–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 60		29–60
अतारांकित प्रश्न संख्या 232 से 399		60–357
सभा पटल पर रखे गए पत्र		357–362
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
इक्कीसवां प्रतिवेदन		363
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
कार्यवाही सारांश		363
समिति के लिए निर्वाचन		
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		363–364
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में चिकनगुनिया ज्वर फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम		364–379
	श्री किन्जरपु येरननायडु	364, 366–369
	डा. अंबुमणि रामदास	365–366, 375–380
	श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	370–372
	श्री विजय कुमार खंडेलवाल	372
	श्री शैलेन्द्र कुमार	373
	डा. एम. जगन्नाथ	373–374

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
लेबनान पर हाल के इजरायली हमले से उत्पन्न स्थिति	383–391
नियम 377 के अधीन मामले	392–398
(एक) देश में गो-वध को रोकने के लिए व्यापक विधान लाए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	392–393
(दो) रावी और व्यास नदियों से राजस्थान के हिस्से का शेष जल राज्य को दिए जाने की आवश्यकता	
श्री कैलाश मेघवाल	393
(तीन) केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को रद्द किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	394
(चार) पटना और उत्तर बिहार में आई.आई.टी. खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	394–395
(पांच) उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता	
मो. मुकीम	395
(छह) उड़ीसा के कटक के समाशोधन गृह को बंद न किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	395–396
(सात) देश में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''	396–397
(आठ) दक्षिण पूर्व रेलवे में झारखंड के चक्रधरपुर में रेलवे का जोनल कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सुनिल कुमार महतो	397
(नौ) कृषि ऋण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए ऋण सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. विट्टल राव	397–398
(दस) त्रिसूर और वालायार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एन. कृष्णदास	398
खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005	399–484
विचार करने के लिए प्रस्ताव	399
श्री सुबोध कांत सहाय	400–402, 458–463, 467–468
श्री अविनाश राय खन्ना	403–406

विषय कॉलम

श्री अधीर चौधरी 406–411

श्री खगेन दास 411–414

श्री शैलेन्द्र कुमार 414–416

श्री आलोक कुमार मेहता 416–419

श्री भर्तृहरि महताब 419–424

श्री प्रबोध पाण्डा 424–428

श्री दुष्यंत सिंह 428–432

श्री के.एस. राव 432–437

प्रो. एम. रामदास 437–441

श्री चन्द्रभान सिंह 441–442

श्री वरकला राधाकृष्णन 442–446

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 446–449

श्री गिरधारी लाल भार्गव 449–452

श्री रामदास आठवले 452–453

श्री बिक्रम केशरी देव 453–456

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 456–458

खंड 2 से 101 और 1 468–484

पारित करने के लिए प्रस्ताव 484

कार्य मंत्रणा समिति

27वां प्रतिवेदन 484

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 507–508

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 508–514

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 515–516

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 515–516

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्रीमती कृष्णा तीरथ
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 26 जुलाई, 2006/4 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

बेलारूस गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री गेन्नेडी वेस्सीलीविच नोवीत्सकी, चेयरमैन, रिपब्लिक आफ बेलारूस नेशनल असेम्बली काउंसिल आफ दि रिपब्लिक आफ दि थर्ड कन्वोकेशन और बेलारूस गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का, जो इस समय हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

यह शिष्टमंडल कल सुबह भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद व लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से बेलारूस गणराज्य के प्रेजीडेंट, नेशनल असेम्बली, वहां की सरकार और मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। विदर्भ के किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों विदर्भ के लिए जो पैकेज घोषित किया है, उसका कोई लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी पहले इस सवाल का जवाब दें। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* विदर्भ के किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम एक घंटे के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या आप एक घंटे प्रतीक्षा कर सकते हैं या नहीं?

[हिन्दी]

एक घंटे का टाइम आपके हाथ में है? मेहरबानी करके आप बैठे जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, हम भी महसूस करते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी माननीय मंत्री को आदेश नहीं दे सकता हूं। वे किस समय क्या करेंगे। यह बात उन पर निर्भर है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, वहां 62 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम देश को दिखा रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा अनुशासनहीन लोग हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन सेठी-प्रश्न संख्या 41

एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना

*41. श्री अर्जुन सेठी+
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए एम्स जैसे छः संस्थानों की स्थापना का कार्य देश के विभिन्न राज्यों में शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न अन्य राज्यों में सरकार ने ग्यारह वर्तमान मेडिकल कालेज संस्थानों का उन्नयन करके इनको एम्स के स्तर को बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है और यदि अब तक राज्य-वार कोई आबंटन किया गया है तो वह कितना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल राज्यों में प्रत्येक में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन राज्यों में चिकित्सा अवसंरचना सुविधाएं कम हैं, इनमें मृत्यु तथा रुग्णता की अत्यधिक घटनाएं होती हैं, इनमें अतिविशिष्ट सेवाओं इत्यादि की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। एम्स जैसी प्रत्येक संस्था की स्थापना करने की पूंजीगत लागत लगभग 332 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

2. इसके अलावा निम्नलिखित तेरह (13) मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेज संस्थाओं का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है:-

1. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
2. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
3. कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
5. इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
6. निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
7. श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)

   (उन्नयन की 50% लागत का वहन टीटीडी ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा)
8. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सलेम
9. पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, धनबाद (झारखंड)
10. बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद (गुजरात)
11. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर (कर्नाटक)
12. ग्रांट्स मेडिकल कालेज एंड सर जे.जे. ग्रुप आफ हास्पिटल्स, मुंबई (महाराष्ट्र)
13. मेडिकल कालेज, तिरूवनन्तपुरम (केरल)

3. मौजूदा 13 सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के उन्नयन में प्रति संस्था 120 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 20 करोड़ रुपए संबंधित राज्य सरकार/संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे।

4. एम्स जैसी छह संस्थाओं की स्थापना करने के लिए विभिन्न आरंभिक कार्यकलाप जैसे कि चारदिवारी का निर्माण, स्थानों पर निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण, व्यापक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना परामर्शदाता का चयन, एम्स जैसी सभी छह संस्थाओं के लिए वास्तुशिल्पीय संकल्पनाओं/डिजाइनों का चयन इत्यादि शुरू कर दिए गए हैं। मौजूदा संस्थाओं के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रत्येक अभिज्ञात संस्था के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तथा कमी संबंधी विश्लेषण का कार्य भी किया जा रहा है।

5. एम्स जैसी छह संस्थाओं की स्थापना से संबंधित विभिन्न आरंभिक कार्यकलाप के संबंध में अब तक 17.07 करोड़ रुपए (लगभग) का व्यय किया गया है। वर्तमान वर्ष (2006-07) के दौरान प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन प्रारंभिक

कार्यकलापों के लिए 75 करोड़ रुपए (बजट अनुमान स्तर) का प्रावधान है।

श्री अर्जुन सेठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के पिछले सत्र में माननीय सदस्य खारबेल स्वाईं द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि 'एम्स' जैसे छह संस्थान स्थापित करने का कार्य चालू वर्ष में शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे पता चला है कि पिछले वर्ष 17.07 करोड़ रुपये की अल्प राशि प्रदान की गई और इस वर्ष केवल 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह के संस्थान स्थापित करने के प्रति गंभीर है या नहीं। इन संस्थानों की बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है ताकि शिशु मृत्यु दर और बीमारियों की घटनाओं में कमी आ सके। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन सेठी: मैं सरकार से विशेषरूप से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने निकट भविष्य में ऐसे संस्थान स्थापित करने हेतु इस वर्ष और पिछले वर्ष कितनी राशि का बजट रखा है।

डा. अंबुमणि रामदास: पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इन संस्थानों की स्थापना के प्रति बहुत गंभीर है। ये संस्थान प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वाधिक अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों को स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। हमने पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया है। वस्तुत: सिद्धांत रूप से इन परियोजनाओं को वर्ष 2003 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 2004 में पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति (ई.एफ.सी.) मिल गई थी। काफी विचार-विमर्श के बाद सी.सी.ई.ए. ने इसे स्वीकृति दी थी। इससे पहले हमें काफी प्रक्रिया से गुजरना था और इस संबंध में इस वर्ष मार्च में ही स्वीकृति मिली। सी.सी.ई.ए. ने इस वर्ष जून में संस्थानों के उन्नयन की स्वीकृति दी है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के पश्चात् निश्चित रूप से इस वर्ष बाद में-अक्टूबर या नवम्बर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डी.पी.आर. आने के पश्चात् पांच या छह माह में निश्चित रूप से कार्य शुरू हो जाएगा। यह एक ऐसा विधि-विधान है जिसमें निविदा आमंत्रित करना आदि शामिल है।

मैं एक बार फिर आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्ष 2009 तक समग्र प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तथा समग्र ढांचा, भवन बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा। हमने परियोजना शुरू करने से लेकर समग्र प्रक्रिया पूरी करने हेतु लगभग दो या ढाई वर्षों की परिकल्पना की है। हम इस मुद्दे पर बिलकुल प्रतिबद्ध है क्योंकि यह देश में सर्वाधिक अल्प सुविधा प्राप्त राज्यों के लिए है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, आप जानबूझकर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। आप जानबूझकर इस सभा को परेशान कर रहे हैं।

कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, सरकार ने बजट प्राक्कलन में इस वर्ष केवल 75 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्रालय कौन से निर्माण कार्य शुरू करना चाहता है क्योंकि ये संस्थान विभिन्न राज्यों में स्थापित होंगे। क्या उन्होंने विभिन्न राज्यों के लिए धनराशि निर्धारित की है? यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

इसके साथ ही, मैं माननीय अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं कि सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यही उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन आश्वासन पूरे किए जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)* जब तक आश्वासन पूरे नहीं किए जाते, तो कैसे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आश्वासन को पूरा करने का यह समय नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी आश्वासनों संबंधी समिति है। मैं इस बारे में बहुत सजग रहूंगा बशर्ते प्रक्रिया का अनुसरण हो।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा सी.सी.ई.ए. ने इस वर्ष मार्च में अपनी स्वीकृति दी है। वस्तुत: इस वर्ष के अंत तक विस्तृत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परियोजना रिपोर्ट आ जाएगी। हम संस्थानों की चारदीवारी के निर्माण के लिए कुछ धनराशि निर्धारित कर चुके हैं।

जहां तक बिहार में भूमि का संबंध है, हमने हाल ही में उसका अधिग्रहण कर लिया है। जहां तक जोधपुर का संबंध है, हमें वहां समस्या को दूर करना है। इसके बाद ही हम वहां निर्माण कार्य शुरू करेंगे।

जहां तक भुवनेश्वर का संबंध है वहां भूमि स्थान में थोड़ा परिवर्तन किया गया है और हम अन्य ब्यौरे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले वर्ष के मध्य तक वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी कारण से हमने इस वर्ष के लिए 75 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ सदस्य इस तरह से व्यवधान डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य कदम है, किन्तु कई राज्यों में ऐसे दूरदराज के क्षेत्र हैं, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र इचलकरांजी में, जहां चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। वहां मृत्यु तथा रुग्णता की अत्यधिक घटनाएं होती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि सरकार राज्यों के दूर-दराज ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, एम्स जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं कोल्हापुर जिले से आती हूं, जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए मैं वहां एक एम्स जैसे संस्थान की मांग कर रही हूं। मुम्बई जैसे शहरों में तो वैसे ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन कोल्हापुर जैसे ग्रामीण इलाके में अगर ये सुविधाएं मिल जाएं तो उससे न केवल वहां के लोगों को, बल्कि गोवा और कर्नाटक राज्यों के लोगों को भी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: पहली बात यह है कि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम मुख्यत: स्वास्थ्य क्षेत्र में अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हम 'एम्स' जैसे छह नए संस्थान स्थापित करने तथा पूरे देश में अन्य मेडिकल कालेजों के उन्नयन की कोशिश कर रहे हैं; सरकार ने वास्तव में और लगभग प्रत्येक राज्य के लिए एक संस्थान बनाने के लिए आश्वासन दिया है।

ग्रामीण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे, श्रमशक्ति, योजना, दवाओं की आपूर्ति आदि जैसी सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूरे देश को शामिल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड में रिम्स को एम्स जैसे अस्पताल के समान दर्जा देना चाहती है? यदि दर्जा देना चाहती है, तो क्या रिम्स को एम्स जैसा अस्पताल बनाकर वहां मरीजों को एम्स जैसी सारी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: वस्तुत: मौजूदा मेडिकल कालेजों का विस्तार करने अथवा उनके उन्नयन के लिए प्रारंभ में 'रिम्स' को स्वीकृति दी गई थी। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कहा कि वे यह सुविधा पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज के लिए चाहते थे चूंकि राज्य सरकार स्वयं 'रिम्स' में सुधार करके उसे एक बड़ा संस्थान बना रही थी। इसलिए उनके प्रस्ताव पर हम झारखण्ड में पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज में काम शुरू कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मेरे पास 28 माननीय सदस्यों के नाम हैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया आप इस बात को समझें कि मैं प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं और आपको मेरा निर्णय स्वीकार करना होगा।

श्री रामचन्द्र डोम।

श्री रामचन्द्र डोम: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छह संस्थान बनाना और अन्य 13 राज्य अस्पतालों का उन्नयन करना सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह एक अच्छी मंशा है और इसमें कोई संदेह नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। लेकिन जहां तक इस कार्य की प्रगति का संबंध है, मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि बजटीय आबंटन के रूप में वह बहुत असंतोषजनक है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थात् सभी सातों और पश्चिम बंगाल जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के निकट है, में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा कोई संस्थान विकसित नहीं किया गया है; इस क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना नहीं है। केवल कोलकाता मेडिकल कालेज के उन्नयन का कार्य ही शुरू किया गया है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार देश के पूर्वी भाग, विशेषकर कोलकाता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा कोई संस्थान स्थापित करने पर विचार करेगी जिससे न केवल पश्चिम बंगाल, अपितु पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचे?

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। अब, मंत्री महोदय।

डा. रामचन्द्र डोमः महोदय, और....

अध्यक्ष महोदयः नहीं। मुझे खेद है; यहां 'और' का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक अनुपूरक प्रश्न का अर्थ है केवल एक अनुपूरक प्रश्न। मंत्री महोदय।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सरकार शिलोंग, मेघालय में एक बहुत बड़ा संस्थान स्थापित कर रही है। इसका नाम एन.ई.आई.जी.आर.आई.एम.एस. (नीग्रिम्स)। यह लगभग 422 करोड़ रुपये की परियोजना है जो पूरी होने वाली है। हम संभवतः इस वर्ष के अंत तक इसका उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में इसमें नर्सिंग कालेज होगा। यह पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

कोलकाता का पुनः जिक्र करते हुए। मैंने यह कहा है कि ये नए संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। कोलकाता की स्थिति कुछ बेहतर हैं। इसीलिए, अन्य राज्यों की भांति सरकार कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य में एक संस्थान का उन्नयन कर रही है।

डा. रामचन्द्र डोमः आप कोलकाता को वंचित कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः डा. डोम, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय आप उन्हें उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेघालय आमंत्रित कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है। मैं आपसे अनुशासन बनाए रखने की आशा करता हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडीः महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति छह संस्थान स्थापित करने की इस परियोजना को एन.डी.ए. सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी। मैंने वर्ष 2004 के शीत कालीन सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मामला उठाया था। अब वर्ष 2006 का शीतकालीन सत्र भी होने वाला है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि 31 मार्च, 2005 से पूर्व कुछ धनराशि आबंटित कर दी जाएगी और वर्ष 2005-06 के दौरान बहुत सा कार्य कर दिया जाएगा। अब मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के पैरा (4) में बताया गया है कि:

> "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति छह संस्थान स्थापित करने के लिए, चारदीवारी का निर्माण, स्थलों का निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण, परियोजना परामर्शदाताओं का चयन आदि जैसे विभिन्न कार्य शुरू कर दिए गए हैं।"

मैं माननीय मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय मैंने कहा था, मैं उसे दोहराता हूं कि उत्तरांचल, ऋषिकेश के मामले में निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। उन्होंने यह बताया है कि कुछ अन्य स्थानों पर भूमि अर्जन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं लेकिन यहां भूमि आबंटित की जा चुकी है और उसी के आधार पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन्हें विभिन्न कारणों के चलते कठिनाइयां हो सकती हैं जैसे कि सम्बद्ध विभागों से स्वीकृति प्राप्त करना या विभिन्न सी.सी.ई.ए. से स्वीकृति लेना लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ऋषिकेश में दो वर्षों से कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए लगभग एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिनका उपयोग किया जा चुका है और उसके बाद स्थिति यथावत है। आज उन्होंने पुनः कहा है कि यह परियोजना पूरी की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋषिकेश में यह संस्थान कब तक कार्यशील हो जाएगा और सरकार इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित कर रही है?

डा. अंबुमणि रामदासः गत वर्ष के बजट में इस परियोजना के लिए जो सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति के लिए लंबित हैं, लगभग 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। हमें बहुत सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। हमें कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारों से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परामर्श करना होता है। राज्य सरकार को 100 एकड़ भूमि, पानी, विद्युत और अवसंरचनागत सुविधाएं प्रदान करनी थी। सरकार पहले चरण में चारदीवारी का निर्माण करा रही है। भूमि का सीमांकन करने हेतु चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। हमें सी.सी.ई.ए. की प्रक्रिया से गुजरना होगा और मुझे नहीं लगता कि उससे पहले हम यह प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। अब हमें, सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति मिल गई है। मैं पूरे सदन की भावनाओं को समझता हूं। हम निश्चित रूप से इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे। मैंने अपने मंत्रालय में विशेष रूप से इस परियोजना के लिए ही एक अपर सचिव की नियुक्ति की है। वह इस मुद्दे पर चौबीसों घण्टे ध्यान दे रहा है। सरकार निश्चित रूप से इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेगी। मैं भी चाहता हूं कि इस राज्य में स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में यह परियोजना स्थापित हो।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्णः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे 6 संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चारदीवारी बनाना आदि काम किये जा रहे हैं, लेकिन बिहार में और खासकर पटना शहर में एम्स जैसा संस्थान बनाने में बहुत दिनों से टालमटोल हो रही है, जबकि जमीन भी उपलब्ध हो गयी है लेकिन चारदीवारी का काम अभी तक नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां यह संस्थान बनकर कब तक जनता को लोकार्पित कर दिया जाएगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः जहां तक पटना का संबंध है, हमें हाल ही में पूरी लगभग 100 एकड़ भूमि सड़क के दोनों ओर दो हिस्सों में मिल गई है। हमने चारदीवारी के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाएगा, यह पूरी डी.पी.आर. परियोजना कुछ ही महीनों में आरंभ हो जाएगी और केवल तभी पूरे भवन के निर्माण का कार्य शुरू होगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डीः महोदय, निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान (निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस), हैदराबाद को बहुत समय पहले एक विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तिरूपति स्थित श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट का 50 प्रतिशत व्यय देवस्थान वहन करता है। इस तरह आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि पुराने किंग जार्ज अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने इस प्रयोजनार्थ 200 एकड़ भूमि भी निर्धारित कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है?

अध्यक्ष महोदयः यह एक विशेष मामला है? यह मामला किसी दूसरे अस्पताल से संबंधित है।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक राज्य में निश्चित रूप से एक संस्थान का उन्नयन करेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हम दो संस्थानों का उन्नयन कर रहे हैं।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, देवस्थानम ने कहा है कि वे इसकी 50 प्रतिशत लागत वहन करेंगे, इसलिए हम वहां दो संस्थान ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूदः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की बात से इत्तिफाक रखता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवधान न डालें। मैंने आपके दल के एक सदस्य को बुलाया है। आप सभा में व्यवधान उत्पन्न करने की इस आदत को छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूदः ये इंस्टीट्यूशंस अंडर सर्वड एरियाज को दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा। आप मुझे जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूदः सदन में बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल अंडर-सर्वड स्टेट्स नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 17 करोड़ है, उसे सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए पैसा दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया सभा में व्यवधान उत्पन्न न करें। मेरी अनुमति के बिना बैठे-बैठे बोलते रहना पूर्णतया अनुचित है।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: जबकि आंध्र प्रदेश की आबादी 3 करोड़ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह एक माननीय सदस्य हैं। वह प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु आप उनकी बात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: उसे फुल-फ्लैज्ड एम्स दिया गया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आबादी की जरूरतों को देखते हुए क्या मंत्री जी अपने डिसिजन को रिवाइज करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बीच में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है और इधर चंडीगढ़ से सहारनपुर तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। सहारनपुर उत्तरांचल, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सेंट्रल प्लेस है। इसे देखते हुए क्या मंत्री जी अपने डिसिजन को रिवाइज करेंगे और एक इंस्टीट्यूशन हमारे क्षेत्र में देने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई ऐसा शहर है जिसे एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नहीं चाहिए?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। आरम्भ में, जब यह योजना बनाई गई थी तो केवल उत्तर प्रदेश में एक संस्थान का उन्नयन किया जाना था। उसके बाद मैंने इस पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य है। इसीलिए, हमने उत्तर प्रदेश राज्य में एक और संस्थान का 120 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन करने का निर्णय लिया।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, कालीकट मेडीकल कालेज, उत्तरी केरल के कासरगौड से पलक्कड तक छह जिलों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इन छह जिलों में से वयानाड और पलक्कड नामक दो जिलों को भारत सरकार द्वारा पिछड़े जिले घोषित किया गया है। कालीकट मेडीकल कालेज 250 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन छह जिलों के 30 प्रतिशत लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए त्रिवेंद्रम जाना पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत सरकार कालीकट मेडीकल कालेज का उन्नयन करके इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा देने पर विचार करेगी क्योंकि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है और मालाबार की हमेशा उपेक्षा हुई है?

डा. अंबुमणि रामदास: मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार देश के सभी मेडीकल कालेजों का उन्नयन करके उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा देने पर विचार करेगी क्योंकि हम केवल स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से पिछड़े राज्यों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। केरल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। उनके यहां स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानक स्थापित हैं। वस्तुत:, हम केरल के मुख्यालय में स्थित त्रिवेंद्रम मेडीकल कालेज का उन्नयन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इस समय माननीय सदस्य के अनुरोध पर विचार कर पायेंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं जो प्रश्न पूछना चाहती थी शायद आप उसकी अनुमति न दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग करें तो दोनों तरफ से कृपा हो सकती है। सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए, केवल एक तरफ से सहयोग नहीं होता है। आप मेरे और सभा के बीच में व्यवधान डालती रहे और मुझसे सहयोग चाहें।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, जब से मंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है तब से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा यह प्रश्न संसद में चार बार पूछा जा चुका है। हर बार उन्होंने कहा है*....

अध्यक्ष महोदय: आपने क्या कहा?

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैंने कहा था कि हर बार उन्होंने कहा है...*

अध्यक्ष महोदय: उसका शब्द प्रयोग मत कीजिये।

श्रीमती मेनका गांधी: उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर गौर किया जाएगा। इनमें से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इस बीच आशा (एएसएचए) के बारे में उनके द्वारा दिए गए एक अन्य आश्वासन पर भी विचार नहीं किया गया। वहां जो एकमात्र 'एम्स' (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) है उसमें भी अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही करने जा रहे हैं? ...*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के उस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने पहले ही उसे हटा दिया है। आपको उनके समर्थन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी को आपकी सहायता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं चाहिए। प्रश्न के उस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया गया है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैंने इन संस्थानों की प्रगति के बारे में सभा को पहले ही अवगत करा दिया है। इस प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर दसवीं योजना में विचार नहीं किया गया था। हमें दसवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ धन की व्यवस्था करनी पड़ी। इसीलिए इस परियोजना को अनुमोदित करने में थोड़ा समय लग गया। वस्तुत: इस परियोजना का इस वर्ष मार्च में ही अनुमोदन किया गया। मैंने पूरी सभा के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस परियोजना के बारे में किस प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, इस प्रश्न पर बहुत से अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न के बारे में बहुत सारे सदस्यों की रुचि है इसलिए मैं उन्हें अवसर दे रहा हूं। यह प्रश्न स्वास्थ्य मामलों से संबंधित है।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, यह प्रश्न देश में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करने के बारे में है। गुवाहाटी और शिलांग के अस्पतालों का दर्जा बढ़ाकर एम्स जैसा करने के बारे में भी यहां उल्लेख किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का गुवाहाटी और सिलचर मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाकर एम्स के बराबर करने के बारे में कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक गुवाहाटी मेडिकल कालेज का संबंध है, सरकार का विचार इस मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाने का है। हम शीघ्र ही इस परियोजना के लिए ईएफसी को मंजूर करायेंगे। वस्तुत: सरकार का विचार गुवाहाटी मेडिकल कालेज के लिए लगभग 80 से 100 करोड़ रुपये निवेश करने का है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बिहार में भी एक एम्स खुलने जा रहा है और उसके लिए रिसैंटली जमीन भी मिली है। शायद माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा कि इसके लिए तीन बरस पहले 50 एकड़ जमीन मिली थी, जिसका वर्तमान उप-राष्ट्रपति जी ने शिलान्यास भी कर दिया था। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक एम्स पर 332 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ऐसे सात एम्स संस्थानों पर खर्च करने के लिए इस बार के बजट में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन जिस रफ्तार से दिनोंदिन महंगाई बढ़ रही है, यदि वह इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले दस वर्षों में, चाहे आप एक हजार करोड़ का प्रावधान कर दें, वे नहीं बनेंगे। इसलिए कोई टाइम फ्रेम प्रोग्राम बनाइए ताकि निश्चित समय में इनका निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाए।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, बिहार के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रयोजनार्थ हाल ही में 100 एकड़ भूमि दी गई थी। पहले हमें पूरी 100 एकड़ भूमि नहीं मिली थी। पूरी 100 एकड़ भूमि देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। अब हमें यह भूमि मिल चुकी है और कार्य भी शुरू हो चुका है। मैंने पहले ही सम्माननीय सभा को इस परियोजना के बारे में बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय: बार-बार वही प्रश्न किया जा रहा है। मैं इस प्रश्न पर अंतिम अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती: सरकार ने देश के कुछ मेडिकल कालेजों को एम्स का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह एक अच्छा निर्णय है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है।

अध्यक्ष महोदय: यह फिर वही प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: सरकार का विचार इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अक्तूबर या नवम्बर से शुरू करने का है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें माननीय मंत्री जी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: इसमें आठ से नौ माह लगेंगे और इसके पश्चात इस परियोजना पूरी होने में कम से कम दो-ढाई वर्ष लगेंगे। मैंने इसके बारे में सभा को पहले ही आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्यगण इससे सहमत हों कि श्री राम कृपाल यादव द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए तो वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम कृपाल यादव: धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे केवल एक मिनट तक ही याद रखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत छोटा प्रश्न कर रहा हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने विशेष राशि आबंटित की है। यद्यपि पूर्ववर्ती सरकार ने इसे सैंक्शन जरूर किया था, लेकिन राशि की उपलब्धता नहीं हो पाई थी। आपने राशि उपलब्ध की है। इसके साथ ही आपका कमिटमैन्ट भी है, आपने देश में छः 'एम्स' बनाने की बात कही है, जिनमें से एक हमारे क्षेत्र पटना में बनेगा। लेकिन आपके कार्य की जो गति है, उससे हमें लगता है कि जैसा माननीय रघुनाथ झा ने ठीक कहा है कि जिस तरह से आप राशि आबंटित कर रहे हैं, उससे अगले 10-20 वर्षों तक ये बनने वाले नहीं हैं। इस संबंध में आप कब तक कार्रवाई करेंगे। आपने कहा है कि आप वर्ष 2009 तक इन्हें पूरा कर देंगे, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन इसी बीच में आपने खुद स्वीकारा है कि बिहार राज्य में मृत्यु रेट ज्यादा है, चिकित्सा का अभाव है और वहां अपग्रेडेड हास्पिटल नहीं हैं। आपने पूरे देश के पैमाने पर 13 हास्पिटल्स को अपग्रेड करने की बात कही है।

महोदय, बिहार की परिस्थिति विशेष है, वहां गरीबी और फटेहाली है और बड़े पैमाने पर वहां के लोग यहां आकर इलाज कराते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है, वे मजबूरीवश वहीं दम तोड़ देते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा हास्पिटल, जैसे पी.एम.सी.एच. है या दूसरे हास्पिटल्स हैं, उन्हें अपग्रेड करने के लिए क्या आप कोई विशेष राशि देंगे, ताकि बिहार की अवाम उससे लाभ उठा सके, वहां की मृत्यु दर भी घट सके तथा 'एम्स' को आप कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहीं मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इस परियोजना के लिए धन के बारे में माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस परियोजना हेतु धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस समय हमारी प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि पहले ही परिकल्पित है, यह परियोजना निर्माण स्तर पर है। हमारी केवल यही समस्या है। भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस परियोजना के लिए धन की समस्या पैदा नहीं होने दी जाएगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 42, श्री पी.सी. थामस की बात के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस प्रश्न के 12 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 12 अनुपूरक प्रश्न करने के बाद कुछ तो जिम्मेदारी दिखाइये। यह मत समझिए कि आप अपने लोगों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं।

अमरीका के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा समझौता

***42. श्री पी.सी. थामस:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमरीका की 'हाउस इंटरनेशनल रिलेशन्स कमेटी (एचआईआरसी)' से स्वीकृत मिलने के साथ ही अमरीका के साथ परमाणु समझौते की पहली बाधा को पार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या लाभ मिलने की संभावनाएं है;

(ग) क्या भारत और अमरीका के बीच परमाणु सहयोग के बारे में हाल ही में शासकीय स्तर पर तीन दिवसीय वार्ता हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) अमरीका के साथ द्विपक्षीय असैनिक परमाणु ऊर्जा समझौते इस समय किस चरण में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) से (ङ) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) "अमरीका और भारत नाभिकीय सहयोग संवर्धन अधिनियम, 2006" नामक एक विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया और इसे 27 जून, 2006 को सदन की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने पारित कर दिया। कानून का रूप लेने से पूर्व इस विधेयक को पूरे सदन द्वारा पारित करवाने और इसे सीनेट में इसके समकक्ष स्वरूप के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी।

(ख) इस विधेयक में भारत और अमरीका के बीच पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में अमरीकी राष्ट्रपति को अमरीकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 के

कतिपय प्रावधानों से भारत को छूट देने का प्राधिकार दिया गया है। ऐसे सहयोग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लाभ होगा, तथा हमारी विकास दर को तीव्र करने में और प्रौद्योगिकी प्रतिवाद व्यवस्थाओं को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर चर्चा करने के लिए आधिकारिक स्तर की वार्ता 12-14 जून, 2006 तक हुई जिसमें पर्याप्त प्रगति हुई।

(ङ) भारत ने अपनी पृथक्करण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। अमरीकी पक्ष को अमरीकी कानूनों एवं नीतियों के साथ सामंजस्य बैठाना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को अनुकूल बनाने के लिए मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करना है ताकि भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग किया जा सके।

श्री पी.सी. थामस: माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार-बार सभा में आश्वासन दिया है और देश को यह बताया है कि अमरीका के साथ समझौता और इसके परिणामस्वरूप आने वाले कानून से असैनिक नाभिकीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जाएगी और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के कारण सभी प्रतिबंधों को भी हटाया जाएगा तथा साथ ही भारत के सामरिक नाभिकीय कार्यक्रम को किसी भी मायने से सीमित नहीं किया जाएगा। प्रतिज्ञापित होने वाले वर्तमान अधिनियम अमरीकी कांग्रेस और सीनेट में आज पारित होने जा रहा है।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि उत्तर में बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें समझौते से पथभ्रष्ट होने के प्रावधान हैं जिससे भारतीय विदेश नीति का स्थायी तौर पर अमरीका की इच्छानुसार झुकाव हो जाएगा तथा हमारे वैज्ञानिक तथा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों आईएईए तथा अमरीकी निरीक्षकों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सटीक प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: मैं इस पर प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री आनंद शर्मा: जैसा कि हमने वक्तव्य में कहा है कि दो विधेयक हैं। एक विधेयक प्रतिनिधि सभा के समक्ष है। सभा की समिति ने 27 जून को विधेयक पारित कर दिया है। अब इसे प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया जाएगा और इसका सीनेट के समक्ष विधेयक से सामंजस्य। अत: ये दो अलग-अलग विधेयक हैं। एक प्रतिनिधि सभा के समक्ष है और दूसरा सीनेट के समक्ष है। सहमति के पश्चात अमरीका के राष्ट्रपति को 1954 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के कतिपय प्रावधानों से भारत को छूट देने का अधिकार होगा। भारत और अमरीका के मध्य द्विपक्षीय समझौते के पश्चात् ही ऐसा होगा।

आपके माध्यम से मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अमरीकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से कानूनों में परिवर्तन अब एक सतत प्रक्रिया है। यह अन्योन्यता का भाग है भारत और अमरीका के मध्य 18 जुलाई को संयुक्त वक्तव्य में की गयी आपसी अनिवार्यता थी। यह उनके अपने कानूनों में परिवर्तन की वचनबद्धता को पूरा करता है।

जहां तक हमारा संबंध है उस पर हमारा रूख स्पष्ट है जिस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे वह 18 जुलाई के वक्तव्य के प्रारूप के अनुसार ही होगा। भारत कोई भी नई शर्त अथवा कोई नई वचनबद्धता स्वीकार नहीं करेगा। सभा को आश्वास्त किया जाना चाहिए जो कुछ हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे विपरीत आक्षेप लगाए जाएं। पिछली जुलाई और 11 मार्च को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन से अमरीका पथभ्रष्ट नहीं हुआ है। हमारा दृष्टिकोण वही है।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि भारत को पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रदान किया जाएगा। तीन दशकों तक भारत को परमाणु ईंधन देने से इंकार करना जिसे हम परमाणु क्षेत्र में भारत को अलग-थलग करना कहते हैं ने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है जिसने भारत को नवीनतम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से वंचित किया है। इससे न केवल भारत का परमाणु कार्यक्रम बल्कि भारत की परमाणु सुरक्षा और आर्थिक विकास प्रभावित हुए है। यदि हमें ज्ञान आधारित सुपर पावर बनने की आकांक्षाओं को पूरा करना है उससे आवश्यक है कि भारत को पूरी तरह से नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग उपलब्ध कराया जाए। यह उसी दिशा में एक कदम है।

श्री पी.सी. थामस: हमारा माननीय मंत्री श्री आनंद शर्मा की कही गयी बातों पर पूरा विश्वास है। मेरे विचार से सभा को इस गम्भीर विषय पर माननीय प्रधानमंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

विद्वान मंत्री ने कतिपय प्रावधानों का उल्लेख किया था। परन्तु मैं विशेष रूप से धारा 6 का उल्लेख करना चाहूंगा। इस धारा में उपस्करों, सामग्री अथवा यूरेनियम के संवर्धन संबंधी निर्यात बेचे गये परमाणु ईंधन को पुन: संसाधित करना अथवा गुरू जल के उत्पादन की मनाही है। इस विधेयक के सीनेट रूपांतरण के अनुसार भारत को ऐसे उपस्कर और प्रौद्योगिकी पर और अंकुश लगाने की आवश्यकता को प्रतिज्ञापित करता है। इसका अर्थ यह है कि दोहरी उपयोग की समझे जाने वाली प्रौद्योगिकियों पर हाल

ही में लगाये गए प्रतिबन्ध अभी भी व्यापार प्रतिषेध के अधीन हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इसका उत्तर दें।

क्या माननीय प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री महोदय को ऐसे किसी खंड के बारे में जानकारी है? इसमें ऐसे कई खंड हैं, एक ही प्रश्न में जिनका संदर्भ नहीं दिया जा सकता। परन्तु मैं एक विशिष्ट खंड का संदर्भ दे रहा हूं जो कि अमेरिकी कानून के पारित होने का शायद यह आज ही पारित होने जा रहा है के उपरान्त भारत को वास्तव में खतरा हो सकता है।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव और सीनेट दोनों अपने कानून पर विचार कर रहे है। मैंने अपने पहले उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि समन्वय की एक प्रक्रिया अपनायी जाएगी जिसके अंतर्गत अमरीकी राष्ट्रपति की इन्हें हटाने की शक्ति दी जाएगी। *...(व्यवधान)* मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। ऐसा कोई विशिष्ट कानून अभी वहां नहीं है। अभी हमें उनके दोनों सदनों से पारित होकर आने वाले कानून की प्रतीक्षा करनी होगी। जहां तक हमारा संबंध है, मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हम अमरीका और अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के संबंध में 18 जुलाई को दिये गये वक्तव्य में परिभाषित मानदण्डों तथा 11 मार्च को इस सभा में दिये गये वक्तव्य तथा पृथक्करण योजना के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 'कोई और प्रतिबद्धता' तथा 'कोई और बाध्यता स्वीकार करने को भारत तैयार नहीं है' जब मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं तो इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* कोई समझौता नहीं किया गया और किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये गए। *...(व्यवधान)* अत: यह कहना जल्दबाजी होगी कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उनके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी शर्तें या प्रावधान हैं जो भारत को स्वीकार नहीं हैं। मूल समझौता असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए हुआ था, लेकिन इसमें कई प्रावधान जोड़ दिये गये। अमेरिका राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली का देश है। वह बिना अपनी सीनेट की मंजूरी के किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता लेकिन भारत संसदीय प्रणाली वाला देश होते हुए भी संसद को बिना विश्वास में लिये, संसद को बिना जानकारी दिये, सारे समझौते करना चाहता है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से जानना चाहता हूं कि उन शर्तों और प्रावधानों को क्या संसद में बताया जाएगा, जनता को विश्वास में लिया जाएगा, पूरे सदन को विश्वास में लिया जाएगा? क्योंकि इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अमेरिकी प्रशासन हर साल भारत के परमाणु कार्यक्रमों की एक समग्र रिपोर्ट अपनी संसद में रखेगा, जैसे भारत अमेरिका का कोई एक प्रदेश हो। मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत की स्वायत्तता पर भी हमला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न कीजिए, यह भाषण का समय नहीं है।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या वह सदन को विश्वास में लेंगे और उन शर्तों के बारे में सदन को जानकारी देंगे?

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात बोल रहे हैं। दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: मामला बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय: गंभीर मुद्दा बहस करने के लिए है, चिल्लाने के लिए नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है और जो संदेह प्रकट किया है वह उचित नहीं है और तथ्य उसे नकारते हैं। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में करार के लिए जो बात चल रही है, उस तरह का आज तक न तो पहले करार हुआ है, न समझौता हुआ है और इतना हमने स्पष्ट किया है कि जो 18 जुलाई का साझा वक्तव्य है, उसकी परिधि के अंदर ही समझौता होगा। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, भारत को अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी स्वतंत्र नीति पर बड़ा नाज है और उससे कोई समझौता नहीं हो सकता, मैं कहना चाहूंगा कि जो बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में चली है, वह केवल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी कोआपरेशन के लिए है। यह 1998 के उस आश्वासन से बहुत दूर है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उस समय के प्रधान मंत्री द्वारा यह आश्वासन दे दिया था कि यूनीलेट्रल मारिटोरियम को डीजूरे बना देंगे, तथा उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री ने जो आश्वासन सीटीबीटी पर दिया था। हम केवल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी कोआपरेशन की बात कर रहे हैं। हमारा स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम उससे पूरी तरह से बाहर है। उसमें किसी तरह का दखल नहीं है। भारत ने अपने अधिकार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 18 जुलाई, 2005 को साझा वक्तव्य देते समय क्या भारत सरकार और अमरीकी सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह वक्तव्य अमरीका की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है विशेषकर इसके ईरान से युद्ध के संबंध में। अन्यथा भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) में अपनी नीति बदलते हुए ईरान के विरुद्ध मतदान क्यों किया। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम अपनी निवेश नीति को अमरीकी हितों से जोड़ रहे है।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, 18 जुलाई, 2005 को दिया गया संयुक्त वक्तव्य केवल असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग तक ही सीमित है। इसमें शर्तों और पारस्परिक बाध्यताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें कतिपय कदम भारत को उठाने है तथा कतिपय कदम अमरीका को। अमरीका के मामले में उठाये जाने वाले कदमों में, असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की पूरी उपलब्धियों हेतु उसे अमरीकी कानूनों और नीतियों में सामंजस्य बिठाने के लिए अमरीकी कांग्रेस की सहमति प्राप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में सामंजस्य हेतु मित्र एवं सहयोगी देशों के साथ मिल कर कार्य करना, शामिल है। जहां तक हमारा संबंध है, हमारी प्रतिबद्धता केवल असैनिक और सैनिक परमाणु सुविधाओं को चिन्हित और पृथक करके असैनिक परमाणु सुविधाओं के संबंध में आई.ए.ई.ए. के समक्ष एक घोषणा करना तथा भारत की विशिष्ट सुरक्षोपाय संधि के बारे में विचार-विमर्श करना है। इसमें कोई संदर्भ अन्तर्निहित नहीं है, ना ही अब तक अपनायी जा रही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के संबंध में कोई बदलाव भी नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य ने ईरान के बारे में पूछा है। यद्यपि यह एक सर्वथा पृथक विषय है फिर भी माननीय सदस्य श्री सुरेश कुरूप की जानकारी के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत की स्थिति एकदम स्पष्ट है। भारत ने सदैव असैनिक परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति के संबंध में ईरान के अधिकार को मान्यता दी है। इसके साथ-साथ परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) पर हस्ताक्षर करने वाले देश के रूप में ईरान पर कतिपय बाध्यताएं हैं। इसने एडीशनल प्रोटोकाल और सुरक्षोपाय संधि पर भी हस्ताक्षर किये हैं। सितम्बर 2005 में भारत ने ईयू-3 और अन्य देशों से रचनात्मक विचार-विमर्श किया और भारत के प्रयासों के कारण ही आई.ए.ई.ए. के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मूल संकल्प में कई प्रमुख संशोधन किये गए और भारत ने उसके अनुरूप ही मतदान किया। फरवरी में भारत ने अकेले मतदान नहीं किया। आई.ए.ई.ए. में सुरक्षोपाय पूरे करने के संबंध में जब कतिपय प्रश्न उठाये गए और चिन्ता व्यक्त की गयी तो केवल भारत नहीं बल्कि सभी देशों द्वारा ऐसा किया गया। इसमें चीन, रूस और भारत ने एक मतदान किया था। परन्तु प्रधानमंत्री महोदय ने इस सभा और राज्य सभा में यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस मुद्दे को आई.ए.ई.ए. के दायरे में ही हल करने का समर्थक है, भारत बल प्रयोग के विरुद्ध है और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कूटनीति को भी एक अवसर दिया जाना चाहिये। भारत के प्रयास उसी दिशा में है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि अमेरिका के संविधान के मुताबिक कोई भी समझौता या संधि संसद की एप्रूवल के बिना लागू नहीं हो सकती। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न का जवाब हो चुका है। आपके बाद भी एक माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब हो चुका है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: लेकिन यह भी सच है है कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो संधि की गई, उसे अमेरिकन कांग्रेस ने ठुकरा दिया या संशोधित कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग आफ नेशंस की स्थापना जिस संधि के अंतर्गत हुई थी, उसे भी अमेरिकन कांग्रेस ने एप्रूव नहीं किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपका ज्वाइंट स्टेटमेंट था, जिसके अंतर्गत नाभिकीय समझौता अमेरिका से हुआ है, अगर अमेरिका की कांग्रेस उसमें संशोधन करती है, जिसकी पूरी आशंका है, वह भारत के हितों के खिलाफ भी हो सकता है, उन परिस्थितियों में क्या उसके ड्राफ्ट को स्वीकृत करने से पहले, भारत की संसद के सामने लाने की आप कृपा करेंगे?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने इससे पहले अपने उत्तर में एक बात बार-बार स्पष्ट की और माननीय सदन को यह आश्वासन भी दिया कि सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। सरकार 18 जुलाई के सांझा वक्तव्य में जो शर्तें उल्लेखित हैं, उसकी परिधि के अंदर ही समझौता करेगी, उससे बाहर, अलग हट कर भारत किसी भी नयी शर्त को या किसी ऐसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमने पहले 18 जुलाई और उसके बाद मार्च में दिए गए बयान में नहीं कही। माननीय सदस्य ने संसद का उल्लेख किया और उससे पहले विपक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि संसद को विश्वास में लेना आवश्यक है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपीए सरकार ने संसद का सम्मान करते हुए संसद को विश्वास में लिया है। जुलाई में भी इस पर दोनों सदनों में चर्चा एवं बहस हुई और मार्च में भी दोनों सदनों में चर्चा हुई। 11 मार्च को, शनिवार के दिन दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई। इससे पहले सदन को यह जानना जरूरी है कि इस विषय पर निरंतर एक साल तक बातचीत चलती रही। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उनके समय में संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। उस समय के विदेश मंत्री और स्ट्रा टालबोट जी के बीच जो बातचीत हुई, उसमें संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। उससे पहले सितम्बर, 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, माननीय वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह आश्वासन दिया कि हमारा जो यूनिलेटरल मोरिटोरियम है, उसे हम डी-जूरे बना देंगे। सीटीबीटी के प्रस्ताव पर जब विदेश मंत्री ने स्ट्रा टालबोट जी को आश्वासन दिया था, उस समय यह आरोप लगता था कि सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। अब सदन को बार-बार विश्वास में लिया गया है और भविष्य में भी लिया जाएगा। देश के हित से कोई समझौता नहीं होगा, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वरिष्ठ सदस्य ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह एक प्रश्न की तरह आया है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं बहस की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप बहस करना चाहते है तो इसकी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पहले इसकी सूचना दी जानी चाहिए तब मैं अनुमति दूंगा। मैं इस समय सूचना कैसे ले सकता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी अमूल्य राय का स्मरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम 18 जुलाई 2005 को दिये गये संयुक्त वक्तव्य के प्रावधानों से इतर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं इस सभा में एक से अधिक अवसरों पर आया और सभा के साथ अपने विचार बांटे समग्र उत्तरदायिता को प्रोत्साहन देने के लिए न पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये हमारे प्रयास थे। हमारी सरकार बहस के लिए तैयार है। यदि आप आदेश दें तो मैं स्वत: एक वक्तव्य देने को तैयार हूं और इस पर बहस हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री राजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि अमेरिका का नाम आते ही हम हिन्दुस्तान-वासियों के जिगर, हृदय एवं मानस पटल पर एक ऐसे दोस्त का नाम उभर कर आता है, जिसने हमें कदम-कदम पर धोखा देने का काम किया। वह कभी हमारे विश्वास पर खरा नहीं उतरा, इसका इतिहास गवाह है। आज विकल्पहीन स्थिति में, जबकि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक ऐसा समझौता है, जिस पर हमारे देश का विकास निर्भर है, ऐसी विकल्पहीन स्थिति में हम उससे समझौता करने जा रहे हैं। हिन्दुस्तान की प्रगति के लिए क्या हम अन्य किसी देश से भी ऐसी वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा कि भारत अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते की बात कर रहा है। अन्य देशों में फ्रांस और रूस के साथ तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

[अनुवाद]

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समग्र असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग का संबंध है, अमरीका ने भारत को विशिष्ट रूप से मुक्त करने के लिए इसके संविधान में संशोधन किया जाना एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

यदि परमाणु आपूर्ति समूह तथा आई.ए.ई.ए. के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय संधि हेतु इसकी आवश्यकता हो, मैं एक बार फिर सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि यह आशंका करना गलत होगा कि यह किसी मजबूरीवश किया जा रहा है या भारत को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध इस व्यवस्था को अपनाने को बाध्य किया जा रहा है। यदि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से वंचित रखा जाता है और देश में उपलब्ध ईंधन की किस्म के मद्देनजर 'यथास्थिति' जारी रखा जाना देश के हितों के विरुद्ध होगा।

जहां तक परमाणु ऊर्जा संस्थान और हमारे वैज्ञानिकों का संबंध है वे सुगम्य होंगे। भारत को भविष्य की ऊर्जा परियोजना आई.टी.ई.आर. में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है ऊर्जा सुरक्षा को केन्द्र में रखते हुए इससे भारत को मदद मिलेगी। आर्थिक विकास और पर्यावरण को केन्द्र में रखते हुए नाभिकीय वैज्ञानिकों और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह देश के समग्र हित में होगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, इस मुद्दे के दो पहलू हैं, एक राजनीतिक तथा दूसरा आर्थिक, जैसा कि अपने उत्तर के दूसरे भाग में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि यह सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के आशय से भी लाभकारी होगा।

मैं इस प्रश्न के राजनीतिक पहलू पर नहीं बल्कि आर्थिक पहलू पर बोलना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की लागत कोयला लिग्नाईट, तेल और अन्य वस्तुओं से विद्युत उत्पादन की लागत की तुलना में कहीं अधिक है। अत: तुलनात्मक दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का यह स्रोत काफी महंगा है।

अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब भारत में कोयले के पर्याप्त भंडार है और जल विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं तथा देश में लिग्नाईट के बड़े भंडार है तो देश अधिक लागत वाली परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए क्यों प्रयास कर रहा है। अमरीका से समझौता होने से इस पर क्या आर्थिक प्रतिक्रिया रही?

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न कह दिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, इस संबंध में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोयला, लिग्नाईट से देश में विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत तथा परमाणु ऊर्जा प्रति यूनिट लागत क्या होगी?

अध्यक्ष महोदय: अब उत्तर देने के लिये पर्याप्त समय नहीं बचा है।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, मैंने कहा था, नाभिकीय ऊर्जा तक पहुंच पूर्ण नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के माध्यम से ही उपयोगी होगी। ऊर्जा सुरक्षा देश की एक आवश्यकता है और जब हम ऊर्जा और उत्पादन की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: यही तो मेरा प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा करें और उन्हें उत्तर देने दें।

श्री आनन्द शर्मा: मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। जब हम ऊर्जा और उत्पादन की बात करते हैं, तो हमें ऊर्जा मिश्रण या ईंधन मिश्रण की बात करनी है। यह सत्य है कि हमारे पास कोयला भण्डार है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें पर्यावरण हितैषी और शुद्ध ऊर्जा का समर्थक नहीं होना चाहिए।

नाभिकीय ऊर्जा के मामले में, यह उपलब्ध है। सभी विकसित देश नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं और यदि हमें नाभिकीय ऊर्जा में हमारा निर्धारित उत्पादन प्राप्त करना है, हमें आगे उसके लिए पूरे प्रयत्न करने होंगे। अन्यथा, जैव ईंधनों पर निर्भरता होगी और हाइड्रो-कार्बन भण्डारों पर ही दबाव होगा। यही कारण है कि वे सभी जिन्हें ऊर्जा की और दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं की भी और ऊर्जा सुरक्षा जानकारी है एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की बात करेंगे तथा नाभिकीय ऊर्जा मिश्रित ईंधन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अवयव है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह उत्तर नहीं है। जितना उन्होंने बताया उससे ज्यादा वे छुपा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप संतुष्ट नहीं है तो अनेक तरीके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने अनुमति नहीं दी है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, फार्मर एटामिक एनर्जी के चैयरमेन, श्री अयंगर ने कहा है कि इस एग्रीमेंट में कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है? यदि सच है, तो वे कौन से क्लाजिज हैं? *...(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

एटामिक एनर्जी के फार्मर चेयरमैन, श्री पी.के. अयंगर ने कहा था कि इस एग्रीमेंट में कुछ सीक्रेट्स हैं, जो पब्लिक नहीं किये हैं, यह सच है क्या? अगर सच है, तो वे कौन से क्लाजेज हैं? अगर हम न्यूक्लियर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब, मंद सं. 2, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लिखकर आपको भेज देंगे।

[अनुवाद]

श्री शर्मा जी आप श्री मोहन रावले जी को लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

श्री आनन्द शर्मा: जी, महोदय।

[हिन्दी]

अवैध मोबाइल कनेक्शन

***43. श्री रशीद मसूद:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में बिना किसी सत्यापन के मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध मोबाइल कनेक्शनों पर रोक लगाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ङ) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, मोबाइल सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक ग्राहक को अपना उपभोक्ता बनाने से पूर्व उसके बारे में पर्याप्त जांच सुनिश्चित कर लें। सभी सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में समय-समय पर हिदायतें दी गई हैं। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं से पहचान एवं पता संबंधी प्रमाण प्राप्त करना शामिल है।

दूरसंचार विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि मोबाइल सेवा प्रदाता सामान्यत: उपभोक्ताओं के सत्यापन संबंधी अपेक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद शहरों तथा हरियाणा राज्य में तत्संबंधी जांच-पड़ताल के लिए विशेष मुहिम चलाई। यह पाया गया कि इन स्थानों के सभी सेवा प्रदाता उपभोक्ता-सत्यापन के बारे में दी गई हिदायतों का पूर्णत: अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंधित सेवा प्रदाताओं को, समुचित सत्यापन के बगैर प्रदत्त कनेक्शन काटने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही, इन सेवा प्रदाताओं से यह भी स्पष्ट करने के लिए नोटिस दिया गया है कि कनेक्शन देते समय लाइसेंस करार संबंधी शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

कोयला भंडार

***44. श्री सुनिल कुमार महतो:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कंपनी-वार और खान-वार कोयले का कितना भंडार है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में कोयले की संभावित मांग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने लिंकेज योजना के अंतर्गत कुछ कंपनियों को कोयला आवंटित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन): (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोयला इन्वेंटरी का मूल्यांकन वार्षिक रूप से विभिन्न कोलफील्डों के लिए किया जाता है न कि खान-वार। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नवीनतम अनुमान (1.1.2006 की स्थिति के अनुसार) के अनुसार 1200 मीटर की गहराई तक कुल 2,53,302 मिलियन टन कोयला संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। इन कोयला संसाधनों का कंपनी कमाण्ड क्षेत्र-वार वितरण नीचे दिया गया है:-

कंपनी	संसाधन (मिलियन टन)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	44527
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	19430
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	37916
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	12005
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	46444
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	12890
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	61999
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	945
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	17146

(ख) योजना आयोग देश में कोयले की मांग का मूल्यांकन करता है। 10वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कोयला तथा लिग्नाइट से संबंधित कार्य-दल द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 2011-12 तक कोयले की मांग का मूल्यांकन 620 मिलियन टन लगाया था। 11वीं योजना के लिए योजना के कार्यदल के अधीन गठित एक उप-समूह विभिन्न मंत्रालयों तथा उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से परामर्श से मांग के अनुमान का मूल्यांकन करने और उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

(ग) 11वीं योजना के दौरान कोयले की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

(1) कोल इंडिया लिमिटेड को मौजूदा खानों से उत्पादन बढ़ाने तथा नयी परियोजनाओं से शीघ्र उत्पादन करने के लिए कहा गया है।

(2) कोल इंडिया लि. ने 10वीं योजना के दौरान 97 परियोजनाओं और 11वीं योजना के दौरान 115 परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिनकी कुल वृद्धिक क्षमता क्रमश: 231.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष (मि.ट. प्रतिवर्ष) तथा 260.79 मि.ट. प्रतिवर्ष है।

(3) आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के अंतर्गत 2012-13 तक 71.3 मिलियन टन का योगदान देने के लिए सी.आई.एल. में 16 परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

(4) परियोजना के अनुमोदनों की क्रियाविधि को कारगर बनाया गया है।

(5) 97 कोयला ब्लाक विभिन्न उपभोक्ताओं को आवंटित कर दिए गए हैं/आबंटन का निर्णय ले लिया गया है एवं अन्यों के संबंध में कार्रवाई चल रही है।

(6) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की कंपनियों को केप्टिव खनन के प्रतिबंध के बिना कोयला खनन ब्लाकों का आबंटन किया जा रहा है।

(7) नए कोयला ब्लाकों के लिए अन्वेषण को तेज किया गया है।

(घ) और (ङ) दीर्घावधि लिंकेज योजना के अंतर्गत स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि), जो एक अन्तर-मंत्रालयी समिति है, ने उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कोयला आबंटित किया है:-

वर्ष	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्हें दीर्घावधि कोयला लिंकेज मंजूर किया गया	मात्रा (मिलियन टन)
2003-04	55	29.18
2004-05	75	12.96
2005-06	55	13.57

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण की जांच संबंधी समिति

*45. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अपनी स्वायत्तता में कथित हस्तक्षेप के कारण विश्वसनीयता खोता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एम्स के कार्यकरण की जांच करने और इसमें सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी संस्था है। इस संस्थान की संस्थापना स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में अध्यापन के मानदंडों का विकास करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि देश में अन्य सभी संस्थाओं के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानदंड निरूपित किए जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी परिचर्या सेवाओं में कार्यरत है।

इस संस्थान को पूर्णतया शैक्षिक स्वायत्तता मिली हुई है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के काम-काज में हस्तक्षेप नहीं होता है। तथापि, संस्थान के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन में संस्थान द्वारा समुचित परिश्रमिता का प्रयोग करना अपेक्षित है क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को भारत की समेकित निधि से 500 करोड़ रुपए (2006-07) की धनराशि की बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रयोजनार्थ सांस्थानिक निकाय/शासी निकाय और संस्थान के अध्यक्ष से यह अपेक्षित था कि वह संविधि के माध्यम से इसे यथा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे। ऐसी कार्रवाई से किसी भी तरह से संस्थान की स्वायत्तता का अतिक्रमण नहीं होगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कामकाज की और ज्यादा जांच करने हेतु सरकार ने हाल ही में डा. एम.एस. वालियाथन, श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान (श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज एंड रिसर्च), तिरूवनंतपुरम के पूर्व निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अन्य सदस्य सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), डा. एम.के. भान, सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा डा. आर.के. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:-

1. यह जांच करना कि जिस प्रयोजन और उद्देश्य से एम्स की संस्थापना की गई है उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था से पूरे देश के लिए जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केन्द्र और अग्रणी संस्था के रूप में विकसित करने के लिए सिफारिशें देना।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को उभरते हुए वैश्विक अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए सशक्त एवं प्रतिष्ठित बनाने के संबंध में सिफारिशें देना।
4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्वायत्तता में वृद्धि और इसे सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें देना ताकि इसे अपने नियत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समर्थ बनाया जा सके।
5. सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकृष्ट करने, संकाय को बनाए रखने, उपलब्ध प्रतिभा के इस्तेमाल के लिए बेहतर अवसरों के प्रावधान तथा वैज्ञानिक/तकनीकी/गैर तकनीकी कार्मिक शक्ति के इष्टतम उपयोग के संबंध में कार्मिक शक्ति संसाधनों के प्रभावी उपयोग संबंधी सिफारिशें करना।
6. महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों संबंधी मुद्दों की जांच करना और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उपायों का सुझाव देना।
7. संस्थान में मौजूदा अनुसंधान आधार को गहन बनाने और विस्तार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
8. अधिनियम, नियमावली और विनियमों में किसी भी तरह के ऐसे ढांचागत परिवर्तन तथा संशोधनों का सुझाव देना और जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनिवार्य हों।

समिति तीन माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कामकाज संबंधी अध्ययन का एकमात्र लक्ष्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का विस्तार करना और उसका सुदृढ़ीकरण करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने नियत उद्देश्यों को पूरा कर सके।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करना

*46. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को गत तीन वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामले सौंपे गए तथा कितनों में जांच की गई;

(ख) प्रक्रियाधीन मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन मामलों की प्रगति धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों सहित सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
2003	680
2004	784
2005	866
2006 (30.06.2006 तक)	341

(ख) 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार के 1052 मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एक केन्द्रीय जांच एजेंसी होने के नाते राज्य-वार आंकड़े अलग से नहीं रखता।

(ग) और (घ) सरकार ने जांच-पड़ताल के शीघ्र ही पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक के दुष्प्रभाव

*47. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों और विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर कार्बोनेटैड साफ्ट ड्रिंक के उपभोग से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे मामले की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे पेय पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने और बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य पर साफ्ट ड्रिंक्स के उपभोग के दुष्प्रभावों के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

शर्करा, जो साफ्ट ड्रिंक्स का एक घटक है, में पेस्टिसाइड अवशिष्टों की मौजूदगी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जनवरी, 2005 में महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। अब तक समिति की तीन बैठकें हुई हैं।

सरकार द्वारा लोगों को पोषक और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्यों के बारे में जानकारी देने और जंक फूड के हानिकारक प्रभावों से बचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण सामग्री भी तैयार की है जिसमें जंक फूड से बचने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं यह सुझाव दिया है कि फ्री शूगर का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में परिवर्तन

***48. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इससे होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए हाल ही में विभिन्न सुधार किए गए हैं। शुरू की गई एक प्रमुख पहल वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिल्ली में के.स.स्वा.यो. औषधालयों की और बाद में शेष के.स.स्वा.यो. शहरों में कम्प्यूटरीकरण की योजना है।

के.स.स्वा.यो. औषधालय, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में कम्प्यूटरीकरण की प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू के औषधालयों और संसद भवन स्थित मेडिकर सेन्टर का ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्वी जोन, केन्द्रीय जोन और दक्षिणी जोन के इंडेक्स कार्डों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। 8.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शेष औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी एडमिनस्ट्रेटर (टीपीए) को के.स.स्वा.यो. दिल्ली के अंतर्गत दो औषधालयों के संबंध में सभी अस्पताल बिलों और स्थानीय केमिस्टों के बिलों की कम्प्यूटरीकृत प्रोसेसिंग प्रायोगिक आधार पर आउटसोर्स की गई है। के.स.स्वा.यो. पूर्वी जोन, दिल्ली के अधीन दो औषधालयों के लिए प्रायोगिक परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। टीपीए को निम्नलिखित कार्य करने हैं:-

(क) के.स.स्वा.यो. दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्रों का कम्प्यूटरीकरण, सभी दावों की प्रोसेसिंग और स्वीकृति ताकि पांच कार्य दिवसों के भीतर दावों/बिलों का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(ख) संपूर्ण प्रोसेसिंग कार्यवाही को वेबसाइट पर डालना।

(ग) बिलों/दावों के बारे में सभी प्रश्नों का जवाब देना।

(घ) वेब पर दावेदारों को दावों की प्रगति के बारे में दर्शाना।

(ङ) दावेदारों को उनके दावों के बारे में परामर्श देना और यदि दावा स्वीकृत हो चुका है तो उनके द्वारा अदायगी की प्राप्ति की पुष्टि करना।

(च) दावों से रोग स्थिति, उपचार अवधि, नुस्खा लिखी गई औषधों आदि के बारे में डाटा प्राप्त करना।

(छ) भावी योजनाओं के लिए उपयुक्त प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार करना।

कम्प्यूटरीकरण से औषधालयों में रोगी प्रतीक्षा समय कम करने, लाभार्थियों को इंडेंट की गई दवाइयों की शीघ्र प्रदानगी, प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी रिकार्डों पर कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी, इंडेंट रिपोर्टों पर दक्षतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और भावी योजनाओं के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार की जा सकेगी।

लाभार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए औषधालयों में स्थानीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जिसमें सीएमओपी प्रभारी अध्यक्ष के रूप में वेल्फेयर एसोसिएशनों, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों से सदस्य और एरिया वेल्फेयर अधिकारी सदस्य होते हैं।

निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को सूचीबद्ध करना अब एक सतत प्रक्रिया हो गई है। इसलिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए के.स.स्वा.यो. मानकों को पूरा करते हैं, अब किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे के.स.स्वा.यो. द्वारा अनुमोदित दरों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हों। इससे सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। पात्र निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्र अपने आवेदन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भी भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

'फ्लुरोसिस' पर नियंत्रण

***49. श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में 'फ्लुरोसिस' के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) इस रोग के फैलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) देश में पीने के पानी में फ्लोरीन की मिलावट पर वर्ष 1999 की यूनीसेफ रिपोर्ट के आधार पर फ्लूरोसिस की समस्या 19 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ में है। यह अनुमान है कि फ्लूरोसिस से वास्तविक रूप से 25 मिलियन जनसंख्या प्रभावित हुई है और पीने के पानी में फ्लोराइड की मिलावट के कारण 66 मिलियन जनसंख्या को फ्लोरोसिस से प्रभावित होने का खतरा है। फ्लोरोसिस के मामलों की राज्य-वार संख्या के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार मार्च, 2005 में राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से 29070 बस्तियां प्रभावित हुई हैं। इनमें से 2748 और 6992 बस्तियां क्रमश: महाराष्ट्र और राजस्थान की हैं।

स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने से फ्लोरोसिस से बचाव होता है। साफ पीने के पानी की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। तथापि भारत सरकार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं और स्थायित्व संबंधी मुद्दों को निपटाने के लिए ग्रामीण पेय जल के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत वित्त प्रदान करके, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहयोग देती है। पेय जल आपूर्ति विभाग, राज्यों में फ्लोरोसिस प्रभावित जल संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है। पेय जल आपूर्ति विभाग सहित यूनीसेफ ने पीने के पानी में फ्लोराइड का पता लगाने के लिए विभिन्न राज्यों को इयोन-मीटरों की आपूर्ति की है। देश में फ्लूरोसिस के फैलाव को रोकने और फ्लूरोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जन स्वास्थ्य इंजीनियरों और चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

[अनुवाद]

पत्तनों से अनाज का निर्यात

***50. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री काशीराम राणा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पत्तनों से कुछ कितनी मात्रा में अनाज का निर्यात किया गया;

(ख) क्या पत्तनों से अनाज के निर्यात में कोई विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो पत्तनों को अनाज की संभलाई में कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, महापत्तनों के जरिए निर्यातित खाद्यान्न का विवरण, निम्नानुसार है:-

(हजार टन में)

पत्तन का नाम	वर्ष, 2003-2004	वर्ष, 2004-2005	वर्ष, 2005-2006
1	2	3	4
कोलकाता	73	61	4
पारादीप	–	–	–

1	2	3	4
विशाखापट्टनम	1384	685	484
इन्नौर	–	–	–
चेन्नई	124	85	58
तूतीकोरिन	340	221	77
कोचीन	–	–	–
नवमंगलूर	15	10	–
मुरगांव	–	–	–
जवाहर लाल नेहरू	46	149	48
मुंबई	209	309	124
कांडला	4908	2691	1477
कुल	7099	4211	2272

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एशियाई तथा ओलम्पिक खेलों के लिए कार्य योजना

***51. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आगामी ओलम्पिक तथा एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों को कोचिंग/प्रशिक्षण देने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने कतिपय विशिष्ट खेलों पर ध्यान केन्द्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ओलम्पिक तथा एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और ओलम्पिक खेलों सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की तैयारी/प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए एथलीटों और टीमों का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम तैयार करके एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि चार वर्ष से विभिन्न मुख्य प्रतियोगिताओं के संदर्भ में चल रही उस योजना को कार्यरूप दिया जा सके। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) अवस्थापना और स्टाफ में रखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण का लक्ष्य लम्बी अवधि के विकास कार्यक्रम हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण चुनी हुई खेल विधाओं/खेलों में संभावित पदक विजेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है और अपनी अवस्थापना को प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताओं के लिए उपलब्ध कराता है।

(ङ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारतीय तथा विदेशी कोचों के अधीन खिलाड़ियों/टीमों को प्रशिक्षण, विदेश में भारतीय टीम का प्रशिक्षण तथा भागीदारी, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और

अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीय चैम्पियन और ओलम्पिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल/एफ्रो-एशियाई खेलों और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं को खेल उपस्कर की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण और भारत तथा विदेशों में खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए 5.00 लाख रु. तक की सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय राष्ट्रीय खेल विकास निधि से भी प्रमुख खिलाड़ियों और ओलम्पिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को विदेश में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद हेतु भारत का उम्मीदवार

*52. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद हेतु किसी उम्मीदवार को नामांकित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त नामांकन के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ अन्य देशों से समर्थन जुटाने के लिए प्रयास कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के हमारे प्रयास इस समय किस स्तर पर हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) भारत ने 15 जून, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए संयुक्त राष्ट्र में संचार एवं जन संपर्क हेतु अवर महासचिव श्री शशि थरूर की उम्मीदवारी की घोषणा की है।

(ख) और (ग) भारत बारी-बारी से हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का कड़ा समर्थक है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव एशिया से होना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के भावी महासचिव का निष्कलंक रिकार्ड होना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के बीच होनी चाहिए और उसकी संपूर्ण प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र के सुधारों और विकासशील देशों के हितों के प्रति होनी चाहिए। इसी स्वरूप के भीतर भारत ने श्री थरूर की उम्मीदवारी की घोषणा करने का निर्णय लिया है। श्री थरूर भारतीय राष्ट्रिक हैं और एक जाने-माने लेखक भी और वे 1978 से विभिन्न क्षमताओं में संयुक्त राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपनी लम्बी पारी के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

(घ) और (ङ) सरकार सक्रियता से अन्य सदस्य राज्यों से श्री थरूर की उम्मीदवारी हेतु समर्थन जुटा रही है। विदेश स्थित हमारे मिशनों के अध्यक्षों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अलावा प्रधानमंत्री ने अनेक राष्ट्राध्यक्षों/राज्याध्यक्षों को लिखा है। सरकार कुछ देशों में श्री थरूर की यात्रा की व्यवस्था कर रही है। समर्थन हासिल करने के लिए कुछ अन्य देशों में विशेष दूत भी भेजे जा रहे हैं। 29 जून से 1 जुलाई, 2006 के बीच बांजुल (गाम्बिया) में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में श्री थरूर की उपस्थिति को बहुत सकारात्मक तरीके से लिया गया और उन्हें अनेक अफ्रीकी देशों के चोटी के राजनेताओं के साथ संपर्क स्थापित करने का मौका मिला। न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के भारतीय स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ श्री थरूर के लिए अनौपचारिक बैठकों का आयोजन किया ताकि वे संयुक्त राष्ट्र के अपने दृष्टांत का प्रतिपादन कर सकें और अपनी उम्मीदवारों के लिए समर्थन हासिल कर सकें।

(च) स्थायी तथा अस्थायी, दोनों ही वर्गों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार और विस्तार संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया के केंद्र बिंदु हैं। सदस्य राज्यों के बीच यह भावना व्यापक रूप से घर करती जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन में जनमत के उपेक्षा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के माध्यम से बदलाव लाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है और इस संदर्भ में भारत संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु अपनी उम्मीदवारी के लिए कार्रवाई कर रहा है। 1994 में भारत की उम्मीदवारी की घोषणा किए जाने के बाद से इसके प्रति समर्थन में लगातार वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन हेतु वित्तीय सहायता

*53. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पोलियो उन्मूलन के लिए जापान भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि उपलब्ध कराए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त सहायता से कितने राज्य लाभान्वित होंगे;

(घ) उपरोक्त सहायता कब तक प्राप्त होगी तथा कार्यक्रम कब क्रियान्वित किए जाएंगे;

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा आबंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष के दौरान कितने उन्मूलन अभियान शुरू किए जाएंगे;

(च) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस संबंध में सहायता प्रदान की है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जापान सरकार वर्ष 1996 में भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष जापान सरकार, भारत से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए तीव्रीकृत पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण (आई.पी.पी.आई.) अधिनियम के लिए 19 करोड़ रुपए (456 मिलियन येन) का सहायतानुदान प्रदान करने हेतु सहमत हो गई है। इस अनुदान का पश्चिम बंगाल राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के पल्स पोलियो दौरो के दौरान प्रयोग करने के लिए यूनिसेफ के माध्यम से वैक्सीन दौरों के दौरान प्रयोग करने के लिए यूनिसेफ के माध्यम से वैक्सीन के अधिप्रापण (प्रोक्यूरमेंट) हेतु उपयोग किया जाएगा। जापान सरकार द्वारा चालू वर्ष सहित प्रदान की गई संचयी अनुदान धनराशि 300 करोड़ रुपए (7.4 बिलियन येन) है। इस अनुदान का पीने वाली (ओरल) पोलियो वैक्सीन के अधिप्रापण हेतु सीधे युनिसेफ कोपेनहेगन, के यूनिसेफ लेखा में भुगतान किया जाता है।

(ङ) भारत सरकार ने देश में वर्ष 2006-07 में चार राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों और चार उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों को पोलियो अभियान चलाने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान पोलियो के उन्मूलन के वास्ते 1049 करोड़ रुपए (योजना) आबंटित किए हैं।

(च) और (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकार को देश से पोलियो के उन्मूलन के राष्ट्रीय पोलियो निगरानी, परियोजना के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता

*54. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश के अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों और धात्रियों की उपलब्धता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों में 2001 की जनगणना के आधार पर चिकित्सकों/धात्रियों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य फोरम द्वारा 11.7.2006 को जारी बुलेटिन के खण्ड सं. 10 में 'भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन-आयाम एवं चुनौतियां' नामक लेख प्रकाशित किया गया है। इस लेख में यह उल्लेख किया गया है कि लगभग 700 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इस समय डाक्टर नहीं हैं। मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी विशेषज्ञ कर्मचारी अर्थात् प्रसूति विज्ञानी एवं स्त्री रोग विज्ञानी (56%), बाल रोग विज्ञानी (67%), सर्जन (56%) और चिकित्सा विशेषज्ञ (59%) की काफी कमी है और एनेस्थेटिस्टों की कोई स्वीकृत व्यवस्था नहीं है। जहां तक उपकेन्द्रों में सहायक नर्स धात्रियों का संबंध है, 11,190 एएनएम (7 प्रतिशत उपकेन्द्रों को कवर करते हुए) की कमी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त एक और चिकित्सा अधिकारी (एक पुरुष, एक महिला) और एक आयुष डाक्टर की चौबीसों घंटे तैनाती/नियुक्ति करके बाह्यरोगी सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 2 और नर्स

धात्रियों की भी व्यवस्था की जाएगी। एनेस्थेटिस्ट, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक और नेत्र रोग विज्ञानी (पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक) को शामिल करके इस समय चार के बदले तीन अतिरिक्त विशेषज्ञों की व्यवस्था करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रत्येक उपकेन्द्र में एक अतिरिक्त एएनएम की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 1991 के जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार एएनएम के रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए एनआरएचएम के अंतर्गत 142655 अतिरिक्त एएनएम की व्यवस्था के अलावा, वर्ष 2001 के जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार लगभग 21983 नए उपकेन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उप केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी लगभग 2 लाख एएनएम की आवश्यकता होगी।

कई राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जो इस प्रकार हैं:-

* स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले और पदोन्नति, विदेश में नौकरी या प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तैनाती;
* स्थानों के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित अवधि के पूरा होने के बाद डाक्टरों की अनिवार्य क्रमवार (रोटेशन) आधार पर तैनाती;
* डाक्टरों की ठेके पर नियुक्ति;
* नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता नहीं लेने और सेवा नियमों के अनुसार सौंपी गई ड्यूटी को करते हुए प्रैक्टिस करने का विकल्प; भत्ते आदि के रूप में प्रोत्साहन।
* चिकित्सा कालेजों की सहभागिता।

[अनुवाद]

स्थानीय निकायों को धनराशि

***55. श्री पी. मोहन:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय निकायों को मिलने वाला केन्द्रीय अनुदान समय पर पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थानीय निकायों को समय पर पूरा अनुदान प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पंचायती राज संस्थाओं को निधियां संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत आबंटित की जाती हैं। एसजीआरवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के सृजन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाना है। एसजीआरवाई जिला, ब्लाक और ग्रामीण स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के जरिए 20:30:50 के अनुपात में कार्यान्वित की जाती है।

एसजीआरवाई योजना के अंतर्गत संसाधनों के आबंटन तथा समुचित अनुवीक्षण एवं उनके उपयोग के मूल्यांकन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी तैयार कर लिए गए हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों को केन्द्रीय सहायता सीधे ही प्रति वर्ष कतिपय शर्तों को पूरा करने पर दो किस्तों में जारी की जाती हैं जिनमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों से प्राप्त निधियों के प्रमाण-पत्र, राज्यों के अंशदान की रिलीज तथा पूर्व वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण शामिल है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों से ग्राम पंचायतों को संसाधनों का वितरण हेतु और राज्य सरकारों जैसा भी मामला हो से उनके द्वारा निधियों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कर देने की अपेक्षा की गई है। राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/ जिला परिषदों को अपने सदृश अंशदान को केन्द्रीय सहायता की रिलीज के 15 दिनों के भीतर रिलीज कर देना चाहिए। एक जिले से दूसरे जिले को संसाधनों के विचलन की अनुमति नहीं दी जाती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों द्वारा सभी संदर्भों में दूसरी किस्त की रिलीज का प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों अथवा एजी अथवा सीएजी के पैनलों में सूचीबद्ध स्थानीय निधि लेखा-परीक्षकों अथवा चार्टर लेखाकारों द्वारा योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय, दोनों लेखा-परीक्षाएं अनिवार्य है।

राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से आवश्यक दिशा-निर्देश देने की अपेक्षा की गई है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2000-2005 की अवधि के लिए 8000 करोड़ रु. की अनुदान राशि की सिफारिश की है। बारहवें वित्त आयोग ने

2005-10 की अवधि के लिए पंचायतों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

बारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों को अनुदानों का समयबद्ध आवंटन और रिलीज राज्यों को उनकी रिलीज के 15 दिनों में करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनका अनुपालन नहीं किए जाने पर राज्य, पंचायतों को भारतीय रिजर्व बैंक की दर से ब्याज चुकायेंगे। अनुदान प्रत्येक वर्ष के जुलाई और जनवरी में दो समान किस्तों में राज्य सरकार के प्रत्येक राज्य वित्त सचिव से प्रति वर्ष पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल आपूर्ति और स्वच्छता की योजनाओं पर खर्च किए गए अनुदानों की प्रतिशतता का एक प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की जाती है। भारत सरकार दूसरी किस्त की रिलीज से पहले जल आपूर्ति और स्वच्छता की योजनाओं पर कम खर्च की गई किसी राशि को देने से इनकार कर देगी और रोकी गई राशि की उत्तरवर्ती अदायगी यह पुष्टि करने पर की जायेगी कि उत्तरवर्ती अवधि में कम खर्च की गई राशि को ठीक कर लिया गया है।

प्रत्येक राज्य से निधियों का समुचित उपयोग 12वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की अपेक्षा की गई है। अनुदानों की रिलीज का अनुवीक्षण करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के लिए भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय में एक समिति सचिव (पंचायती राज) को इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल करते हुए गठित की गई है। पंचायत के लेखाओं की सी एण्ड एजी द्वारा लेखा-परीक्षा भी की जायेगी।

राज्यों को किस्तों की रिलीज को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। भारत सरकार की जानकारी में बारहवें वित्त आयोग के अनुदानों के स्थानीय निकायों तक पूरे रूप में और समय पर नहीं पहुंचने के दृष्टान्त भी आये हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों द्वारा किस्तें प्राप्त नहीं की जा सकी है क्योंकि वित्त मंत्रालय को पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों के आबंटन के बारे में अपेक्षित ब्यौरे मुहैया नहीं कराए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में इन राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों से पंचायती राज मंत्रालय की एनआईसी यूनिट द्वारा विकसित फण्ड ट्रांसफर साफ्टवेयर को संचालित करने का दबाव बनाया जा रहा है जिसके उपयोग द्वारा पंचायतों को निधियों का हस्तांतरण बैंकिंग और ट्रेजरी चैनलों के माध्यम से बिना विलंब और विचलन के इलेक्ट्रानिक रूप से किया जा सकता है।

विवरण

20.07.2006 को 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों की रिलीज को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	कुल आबंटन	एक किस्त की (छः माह) राशि	2005-06 जारी की गई राशि		2006-07 जारी की गई राशि
				पहली किस्त	दूसरी किस्त	पहली किस्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	158700	15870	15870	15870	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	6800	680	680	0	0
3.	असम	52600	5260	5260	0	0
4.	बिहार	16240	16240	16240	16240	0
5.	छत्तीसगढ़	61500	6150	6150	6150	0
6.	गोवा	1800	180	180	0	0
7.	गुजरात	93100	9310	9310	9310	0

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	38800	3880	3880	3880	0
9.	हिमाचल प्रदेश	14700	1470	1470	1470	1470
10.	जम्मू-कश्मीर	28100	2810	1762**	0	0
11.	झारखंड	48200	4820	0	0	0
12.	कर्नाटक	88800	8880	8880	8880	0
13.	केरल	98500	9850	9850	9850	0
14.	मध्य प्रदेश	166300	16630	16630	16630	0
15.	महाराष्ट्र	198300	19830	19830	19830	0
16.	मणिपुर	4600	450	212*	0	0
17.	मेघालय	5000	500	500	0	0
18.	मिजोरम	2000	200	200	200	0
19.	नागालैंड	4000	400	400	400	0
20.	उड़ीसा	80300	8030	8030	8030	0
21.	पंजाब	32400	3240	3240	0	0
22.	राजस्थान	123000	12300	12300	12300	0
23.	सिक्किम	1300	130	130	0	0
24.	तमिलनाडु	87000	8700	8700	8700	0
25.	त्रिपुरा	5700	570	570	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	292800	29280	29280	29280	0
27.	उत्तरांचल	16200	1620	1620	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	127100	12710	12710	12710	0
	कुल	2000000	200000	193884	179730	1470
	कुल योग					375084

*पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित 248.40 लाख रु. की राशि के पीआरआई अनुदान की हिस्सेदारी को छोड़कर।

**जहां चुनाव नहीं हुए हैं वहां के पीआरआई के लिए 1048.03 लाख रु. की हिस्सेदारी को घटाकर।

[हिन्दी]

'फैब' नीति

***56. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रानिक विनिर्माण, सेमीकण्डक्टर और एलसीडी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए फैब (फैब्रीकेशन) नीति हेतु एक रूपरेखा तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में किसी सरकारी दल ने सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की यात्रा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोरिया की कतिपय कम्पनियों ने भारत में अपनी स्वयं की सेमीकण्डक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अपनी फैब (फैब्रीकेशन) नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल ने जून, 2006 के दौरान दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया था। कुछ कम्पनियों ने भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की रुचि व्यक्त की है।

सरकार ऐसी नीति की घोषणा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किंतु, संविरचन नीति की घोषणा करने का सही समय बता पाना अभी संभव नहीं है।

फिल्मों और धारावाहिकों में धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध

***57. श्री अवतार सिंह भड़ाना:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तम्बाकू मुक्ति दिवस के अवसर पर दिल्ली में जून, 2006 में कोई वक्तव्य जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संगठन ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सिगरेट विनिर्माण कंपनियां पूरे विश्व में धूम्रपान करने वाले लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही हैं कि उनके विभिन्न ब्रांडों की सिगरेट हानिकारक नहीं है;

(घ) क्या फिल्मों और धारावाहिकों में धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) 31 मई, 2006 को 'विश्व तम्बाकू मुक्ति दिवस' के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'तम्बाकू: किसी भी रूप में घातक' नामक शीर्षक से दस्तावेज जारी किया। यह दस्तावेज इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि तम्बाकू के सभी उत्पाद हानिकारक और नशीले होते हैं और ये सभी उत्पाद रोग उत्पन्न कर सकते हैं और इनके कारण मृत्यु हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि तम्बाकू उत्पाद के निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री के लिए धोखा-धड़ी और छल-कपट के लुभावने व हलके सभी हथकन्डे जैसे स्वास्थ्य में सुधार लाएं, दांतों को चमकाएं, नई उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद इत्यादि अपना रहे हैं जिससे ऐसे उत्पादों का तुलनात्मक दृष्टि से अधिक उपयोग करने का भ्रम उत्पन्न होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस चिन्ता का पहले ही 'सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण) अधिनियम, 2003 में सभी तम्बाकू उत्पादों/पैकों पर विशिष्टीकृत चेतावनी की व्यवस्था कर निराकरण किया जा चुका है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि तम्बाकू उत्पाद और लेबल पर कोई ऐसी सूचना नहीं होगी जो झूठी, भ्रामक अथवा धोखा देने वाली हो जिससे तम्बाकू के उत्पादों की विशेषताओं अथवा इसके उत्सर्जन से स्वास्थ्य प्रभावों अथवा स्वास्थ्य अथवा अन्य जोखिमों के बारे में गलत प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा ऐसी मंशा का पता लगता हो। सरकार ने हाल ही में इस संबंध में नियम अधिसूचित किए हैं।

फिल्मों और दूरदर्शन के धारावाहिकों में कुछ रियायतों के अधीन धूम्रपान के दृश्यों को प्रतिबंधित करने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियम भी बनाए गए हैं और उनको अधिसूचित भी किया गया है। इन नियमों के कार्यान्वयन की तारीख महेश भट्ट बनाम भारत संघ के मुकदमे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है/पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र

*58. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दृष्टिकोण विभिन्न हितार्थियों अर्थात् राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों/विशेषज्ञों के परामर्श हेतु तैयार कर लिया गया है। व्यापक रूप से जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे योजना आयोग के वेब-साइट में भी डाल दिया गया है। उक्त परामर्शों के अनुसरण में संशोधित दृष्टिकोण पत्र को उचित अनुमोदनों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

नेपाली प्रधानमंत्री का दौरा

*59. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था और हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) दोनों देशों द्वारा विभिन्न मुद्दों यथा माओवादी विद्रोह, शस्त्रों की आपूर्ति आदि के समाधान के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) नेपाल के प्रधान मंत्री महामहिम श्री जी.पी. कोइराला ने 6-9 जून, 2006 तक भारत का राजकीय दौरा किया और हमारे प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की। दोनों प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों की स्थिति के संबंध में अपने विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक संवर्धन करने का ऐतिहासिक अवसर सामने आया है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि हिंसा ओर जोर-जबर्दस्ती से मुक्त और विधिसम्मत शासन के सम्मान का वातावरण बनाने में ही लोकतंत्र की सफलता निहित है।

प्रधान मंत्री ने एक स्थायी, शांतिपूर्म, लोकतांत्रिक और समृद्ध नेपाल का निर्माण करने के प्रयास में नेपाल के प्रधान मंत्री महामहिम श्री जी.पी. कोइराला के नेतृत्व वाले सात दलों के गठबंधन की सरकार, और नेपाल के लोगों के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

प्रधान मंत्री ने आर्थिक पुनर्वास और विकास की गति को तेज करने के लिए नेपाल को सभी प्रकार की संभव सहायता देने की भारत की इच्छा जतायी। यात्रा की समाप्ति कर जारी संयुक्त वक्तव्य, जिसमें यात्रा के परिणामों का उल्लेख संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

भारत और नेपाल अपने सभी द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं।

विवरण

6-9 जून, 2006 तक नेपाल के परम मान्य प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की सरकारी भारत यात्रा, संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

भारत के प्रधान मंत्री माननीय डा. मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधान मंत्री परम मान्य श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 6-9 जून, 2006 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। माननीय श्री गोपाल मान श्रेष्ठा, फिजिकल प्लानिंग एवं वर्क्स मंत्री, माननीय श्री महंत ठाकुर, कृषि एवं सहकारिता मंत्री, माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद पांडे, स्थानीय विकास मंत्री, माननीय सुश्री उर्मिला अर्याल, महिला बाल एवं सामाजिक कल्याण मंत्री, और विदेश मामलों पर प्रधान मंत्री के सलाहकार डा. सुरेश चंद्र चलिसे भी नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ भारत यात्रा पर आए थे। इस प्रतिनिधिमंडल में नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार शिष्टमंडल एवं मीडिया प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल भी शामिल था।

2. नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान राजघाट गए और उन्होंने महात्मा गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधान मंत्री ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा. ए पी जे अब्दुल कलाम से भेंट की तथा वे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति

श्री भैरोसिंह शेखावत, जिन्होंने उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया था से भी मिलने गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की जिसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल तथा लोक सभा में विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर से भी मुलाकात की।

3. बातचीत अत्यंत सौहार्द पूर्ण एवं गर्मजोशी के वातावरण में संपन्न हुई। दोनों प्रधान मंत्रियों ने विचारों का आदान-प्रदान किया और दोनों देशों की स्थितियों का मूल्यांकन किया। दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि नेपाल में लोकतंत्र के बहाल होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गुणवत्ता के संवर्धन का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है जो चिरकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध, लोकतंत्र में साझा विश्वास, स्वतंत्रता एवं विधिसम्मत शासन, शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लक्ष्य पर आधारित है। उन्होंने शांतिपूर्ण सहआस्तित्व, संप्रभु समानता, प्रादेशिक अखंडता, परस्पर सम्मान एवं एवं समझबूझ के सिद्धांतों पर आधारित अपने संबंधों में नए आयाम एवं गत्यात्मकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।

4. प्रधान मंत्री ने नेपाल के प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का लोकतांत्रिक शक्तियों के नेता के रूप में हार्दिक स्वागत किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा अनवरत दीर्घकालीन नेतृत्व के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी क्योंकि वे नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधिकाल में नेपाल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा के रूप में वर्णित किया। बहुदलीय लोकतंत्र को बहाल करने और इसे संस्थागत रूप देने की दिशा में उनके सफल संघर्ष में नेपाल के लोगों के अदम्य साहस और असाधारण उपलब्धियों की सराहना की। भारत के प्रधान मंत्री ने शांति, स्थिरित एवं आर्थिक समुत्थान के मार्ग पर पुन: अग्रसर होने के लिए नेपाल भारत की सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों की प्रशंसा की।

5. भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात दोहरायी कि एक निकट मित्र और पड़ोसी होने के नाते भारत नेपाल को एक स्थिर, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध देश के रूप में देखना चाहता है। उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री परम माननीय जी पी कोइराला के नेतृत्व में सात दलों की गठबंधन वाली सरकार और नेपाल की जनता को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की पेशकश की, और उनके समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने की उनकी योग्यता पर विश्वास जाहिर किया।

6. नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत सरकार और उसकी जनता द्वारा लोकतंत्र की बहाली हेतु उनके शांतिपूर्ण संघर्ष में समर्थन देने के लिए नेपाल की जनता की सराहना व्यक्त की।

7. भारत के प्रधान मंत्री ने सशस्त्र संघर्ष का शांतिपूर्ण हल निकाल कर राजनीतिक स्थिरता बहाल करने और नेपाल की जनता के कल्याण के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण की ओर ले जाने के लिए जनता के आंदोलन की उपलब्धियों को संघटित करने के नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। दोनों प्रधान मंत्री इस बात पर सहमत थे कि लोकतंत्र की सफलता एक हिंसा रहित एवं बल प्रयोग मुक्त वातावरण बनाने तथा विधि सम्मत शासन में निहित है।

8. दोनों प्रधानमंत्रियों ने नेपाल में आर्थिक पुनर्वास तथा विकास को गति प्रदान करने की महत्ता को स्वीकार किया। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप नेपाल को सभी संभव सहायता प्रदान करने की भारत की इच्छा से नेपाल को अवगत कराया। नेपाल के सामाजिक-आर्थिक विकास में उदारतापूर्ण सहयोग के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की सराहना की।

9. इस संदर्भ में नेपाल में ग्रामीण तथा आर्थिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं को विकसित करने और मानव संसाधनों को सृजित करने के लिए दोनों प्रधानंमत्री भारत-नेपाल विकास भागीदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सामाजिक-आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रहे द्विपक्षीय पहलों तथा तंत्रों को बहाल करने पर सहमति हुई।

10. भारत सरकार ने निम्नलिखित के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित की:

(क) सड़क, रेल संपर्क सीमा के आधारभूत ढांचे, जल संसाधन के क्षेत्रों में तथा तेल पाइपलाईन का निर्माण करने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानपत्तन का स्तरोन्नयन तथा दोनों सरकारों द्वारा परस्पर सहमत अन्य क्षेत्रों में दीर्घकालिक बड़ी आधारभूत परियोजनाओं की गति तेज करना।

(ख) नेपाल सरकार के बजट में 100 करोड़ भारतीय रुपये का एक-मुश्त अनुदान तत्काल देना।

(ग) नेपाल सरकार की प्राथमिकता वाली आधारभूत विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर के आसान शर्तों पर ऋण की पेशकश करना।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए नेपाल को अपने 65 करोड़ रु. सहायता बजट बढ़ाकर 150 करोड़ वार्षिक करना।

(ङ) रक्षा संबंधी खरीदों के कारण नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार के आज की तिथि तक के बकाए ऋण को माफ करना।

(च) नेपाल की सबसिडीकृत मूल्यों पर 25,000 मीट्रिक टन उर्वरक आपूर्ति करने की तत्काल व्यवस्था करना।

(छ) नेपाल में निर्मित सभी सामानों के निर्यात पर भारत में लगने वाले 4% अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना।

(ज) शुल्क वापसी प्रक्रिया स्कीम के अंतर्गत नेपाल को सभी राशि शीघ्र जारी करना।

(झ) बालिकाओं सहित नेपाली छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षावृत्तियों की संख्या को दुगुना करना।

(ञ) इंडियन आयल कारपोरेशन तेल आपूर्ति के परिणामस्वरूप नेपाल आयल कारपोरेशन के पास बकाया राशि की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण करेगा।

11. उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई करने पर दोनों प्रधानमंत्री सहमत हुए ताकि नेपाल के लोगों तक इसके फायदे पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके और परस्पर लाभ के लिए भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ किया जा सके।

12. नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को शासकीय दौरे पर जल्दी ही नेपाल आने का निमंत्रण दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यात्रा की तिथि परस्पर सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।

नई दिल्ली, 9 जून, 2006

जीएसएलवी की उड़ान का असफल होना

*60. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनसेट-4 सी को ले जा रहा जीएसएलवी-एफ-02 अपने मिशन में नाकामयाब रहा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) जीएसएलवी-एफ-02 के प्रक्षेपण में कुल कितनी लागत आई;

(ङ) भावी कार्यक्रमों में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है; और

(च) अगले उपग्रह को कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए इसरो, एकेडमिया और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को शामिल करके एक विफलता विश्लेषण समिति गठित की गई है। इस समिति से एक माह के अंदर निष्कर्ष प्राप्त होने की संभावना है।

(घ) इन्सैट-4सी उपग्रह की लागत 96 करोड़ रुपये तथा इसकी प्रमोचन लागत 150 करोड़ रुपये है, जो कुल मिलाकर 246 करोड़ रुपये होता है।

(ङ) विफलता विश्लेषण समिति से निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा तैयार की जाएगा।

(च) प्रतिस्थापन उपग्रह इन्सैट-4सीआर को ले जाने वाली जीएसएलवी की अगली उड़ान एक वर्ष के अंदर आयोजित की जाएगी।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों की खेती

232. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खेती के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) औषधीय पादपों की कृषि के लिए संविदात्मक कृषि स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान छत्तीसगढ़ से 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर विचार किया गया और इनमें से 10 को कुल 20.62 लाख रु. की वित्तीय सहायता देने के लिए अनुमोदित कर दिया गया। 10.31 लाख रु. के कुल व्यय की पहली किस्त संबंधी सहायता पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है। मौजूदा वर्ष के दौरान अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. को अन्वेषण हेतु मंजूरी की प्रतीक्षा

233. श्री रनेन बर्मन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने और अभियोजन हेतु कई राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें सी.बी.आई. सक्षम प्राधिकारियों से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है; और

(ग) संबंधित मामलों में अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार, 91 मामलों में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित थी।

15.07.2006 की स्थिति के अनुसार, 8 मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6क के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जांच/अन्वेषण के लिए मंजूरी प्रतीक्षित थी।

(ख) अभियोजन और जांच की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I और II संलग्न हैं।

(ग) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच की जाती है और उस पर गुणावगुण के आधार पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाता है।

विवरण I

(30.06.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग का नाम और राज्य सरकारों का नाम	कुल मामले
1	2	3
1.	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	1
2.	कोयला मंत्रालय	1
3.	वाणिज्य मंत्रालय	1
4.	संचार मंत्रालय	6
5.	संचार मंत्रालय (डाक विभाग)	1
6.	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	1
7.	रक्षा मंत्रालय	3
8.	विदेश मंत्रालय	2
9.	वित्त (बैंकिंग) मंत्रालय	12

1	2	3
10.	वित्त मंत्रालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	1
11.	वित्त मंत्रालय (आयकर)	6
12.	वित्त मंत्रालय (बीमा)	4
13.	खाद्य मंत्रालय	1
14.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	5
15.	गृह मंत्रालय	7
16.	मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय	1
17.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3
18.	श्रम मंत्रालय	3
19.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	3
20.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1
21.	रेल मंत्रालय	9
22.	अरुणाचल प्रदेश सरकार	1
23.	आंध्र प्रदेश सरकार	1
24.	बिहार सरकार	2
25.	दिल्ली सरकार	3
26.	दिल्ली नगर निगम	7
27.	जम्मू और कश्मीर सरकार	1
28.	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	1
29.	कर्नाटक सरकार	1
30.	केरल सरकार	1
31.	पंजाब सरकार	1
32.	राजस्थान सरकार	1
33.	तमिलनाडु सरकार	2
34.	उत्तर प्रदेश सरकार	2
35.	संघ राज्य क्षेत्र	1
	कुल	97*

*अभियोजन की मंजूरी के लिए कुल 91 मामले लंबित हैं क्योंकि 6 मामलों का सरोकार एक से अधिक मंत्रालय/राज्य सरकार से है।

विवरण II

(15.07.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	केन्द्र सरकार के मंत्रालय/ विभाग का नाम	कुल मामले
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1
2.	इस्पात मंत्रालय	1
3.	रक्षा मंत्रालय	1
4.	रेल मंत्रालय	2
5.	गृह मंत्रालय	1
6.	वित्त मंत्रालय	1
7.	संचार मंत्रालय	1
	कुल	8

निजी कम्पनियों को कोयला खानें

234. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी कम्पनियों को कुछ कोयला खानें आबंटित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों का नाम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) निजी कम्पनियों को राज्य-वार आबंटित कोयला ब्लाकों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	कोयला ब्लाक का नाम	आबंटिती कम्पनी का नाम
1	2	3	4
1.	उड़ीसा	तालाबिरा-1	मैसर्स इन्डालको
2.		उत्कल-सी	मैसर्स उत्कल कोल लि.
3.		उत्कल-बी 2	मैसर्स मोनेट इस्पात लि.
4.		उत्कल-बी 1	मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.
5.		जमखानी	मैसर्स भूषण लि.
6.		बिजान	मैसर्स भूषण लि. एण्ड मैसर्स महावीर फेरो लि.
7.		पतरापारा	मैसर्स भूषण लि., आधुनिक मैटलिक्स लि., मैसर्स दीपक स्टील एण्ड पावर लि., मैसर्स आधुनिक कार्पो., मैसर्स उड़ीसा स्पांज आयरन लि., मैसर्स श्री मैटलिक्स लि., और मैसर्स वीसा स्टील लि.
8.		राधिकारपुर (ईस्ट)	मैसर्स टाटा स्पांज आयरन लि., मैसर्स स्काव इन्डस. लि., मैसर्स एसपीएस स्पांज आयरन लि.
9.		राधिकारपुर (वेस्ट)	मैसर्स रूंगटा माइन लि., मैसर्स ओसीएल इंडिया लि., मैसर्स ओसन इस्पात लि.
10.	झारखंड	डुमरी	मैसर्स नीलांचल आयरन एण्ड पावर और मैसर्स बजरंग इस्पात प्रा.लि.
11.		बून्दू	मैसर्स रूंगटा माइन्स लि.
12.		तोकिसू (नार्थ)	मैसर्स जीवीके पावर लि.

1	2	3	4
13.		लालगढ़ (नार्थ)	मैसर्स डोमको प्रा.लि.
14.		चित्रापुर	मैसर्स कारपोरेट इस्पात एलोयज लि.
15.		खतोतिया	मैसर्स ऊषा मार्टिन लि.
16.		मोतिरा	मैसर्स जयसवाल नेक्को लि.
17.		ब्रन्दा	मैसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
18.		सिसाई	मैसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
19.		मेराल	मैसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
20.		लोहरी	मैसर्स ऊषा मार्टिन लि.
21.		कोटरे बसंतपुर	मैसर्स टिस्को
22.		पचमो	मैसर्स टिस्को
23.		प्रभातपुर ए	मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग
24.		प्रभातपुर बी	मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग
25.		प्रभातपुर सी	मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग
26.		नार्थ दादु	मैसर्स आधुनिक एलोयज, मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि., मैसर्स झारखण्ड इस्पात प्रा.लि., मैसर्स पवनजय स्टील एण्ड पावर लि.
27.	मध्य प्रदेश	गोतिरितोरिया (ईस्ट)	मैसर्स बीएलए इन्डस्ट्रीज
28.		गोतिरितोरिया (वेस्ट)	मैसर्स बीएलए इन्डस्ट्रीज
29.	महाराष्ट्र	बन्दक (वेस्ट)	मैसर्स श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा.लि.
30.		चिनौरा	मैसर्स फील्ड माइनिंग एण्ड इस्पात लि.
31.		वारोरा (वेस्ट)	मैसर्स फील्ड माइनिंग एण्ड इस्पात लि.
32.		मजरा	मैसर्स गोंदवाना इस्पात लि.
33.		बेलगांव	मैसर्स सनफ्लेग आयरन एण्ड इस्पात लि.
34.		मर्की मंगली-I	मैसर्स बी.एस. इस्पात लि.
35.		मर्की मंगली-II	मैसर्स वीरांगाना इस्पात लि.
36.		मर्की मंगली-III	मैसर्स वीरांगाना इस्पात लि.
37.		मर्की मंगली-IV	मैसर्स वीरांगाना इस्पात लि.
38.		नेराद मेलगांव	मैसर्स गुप्ता मेटलिक्स एण्ड पावर लि. एण्ड मैसर्स गुप्ता कोलफील्ड्स एण्ड वाशरीज लि.

1	2	3	4
39.	छत्तीसगढ़	गारे पालेमा IV/1	मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.
40.		गारे पालेमा IV/2	मैसर्स जिन्दल पावर लि.
41.		गारे पालेमा IV/3	मैसर्स जिन्दल पावर लि.
42.		गारे पालेमा IV/5	मैसर्स मोनेट इस्पात लि.
43.		गारे पालेमा IV/7	मैसर्स रायपुर एलोएज एण्ड स्टील लि.
44.		वेस्ट आफ उमरिया	मैसर्स गरूड़ क्लेजे
45.		चोटिया	मैसर्स प्रकाश इण्ड. लि.
46.		पंचभानी	मैसर्स श्री राधे इन्ड.
47.		मदनपुर साउथ	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., मैसर्स अक्षय इन्वेस्टमेंट प्रा.लि., मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लि., मैसर्स एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि., (पांच कंपनियों का कंजोर्टियम)
48.		नकाई-I	मैसर्स इस्पात गोदावरी लि., मैसर्स इन्ड एग्रो सिनेरी, मैसर्स श्री नादोदा इस्पात,
49.		नकाई-II	मैसर्स वन्दना ग्लोबल लि., मैसर्स श्री बजरंग पावर लि. (पांच कंपनियों का कंजोर्टियम)
50.		गारे पालेमा IV/6	मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि., मैसर्स नालवा स्पांज आयरन लि.
51.		गारे पालेमा IV/8	मैसस जयसवाल निक्को लि.
52.		मदनपुर (नार्थ)	मैसर्स अल्ट्राटेक लि., मैसर्स सेनफ्लेग आयरन एण्ड स्टील लि., मैसर्स नवभारत कोलफील्ड्स लि., मैसर्स अन्जनी स्टील लि., मैसर्स प्रकाश इन्डस्ट्रीज, मैसर्स सिंघल इन्टरप्राइजेज लि., मैससं वन्दना एनर्जी लि. (पांच कंपनियों का कंजोर्टियम)
53.	पश्चिम बंगाल	सरीस्तोली	मैसर्स आरपीजी इन्ड./सीईएससी लि.

नई औषधियों के अनुप्रयोग हेतु मंजूरी

235. श्री मोहन रावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रि-कम्बीनेंट प्रौद्योगिकी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली नई औषधियों के अनुप्रयोग को मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की पद्धति का सृजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की संभावना है और इस प्रकार की मंजूरी के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के तत्वावधान में रिकाम्बीनेंट आधारित चिकित्सीय उत्पादों पर वर्तमान विनियामक ढांचे को सरल और कारगर बनाने के लिए डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, सीएसआईआर, नई दिल्ली की अध्यक्षता में रिकाम्बीनेंट फार्मा पर

एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें इन औषधों की क्लीयरेंस के लिए विभिन्न एजेंसियां शामिल थीं। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, इस प्रकार ऐसे उत्पाद जिनके अंतिम उत्पादों (देश में निर्मित और आयातित भी) में लीविंग मेडिफाइड आर्गनिज्म (एलएमओ) नहीं होते, को अब 1.4.2006 से भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय से ही क्लीयरेंस प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

ढाका हेतु सीधी बस सेवा

236. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने ढाका होकर अगरतला-कोलकाता के बीच सीधी बस सेवा आरंभ करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित बस सेवा की बारम्बारता कितनी होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश सरकार के समक्ष अगरतला और कोलकाता के बीच ढाका से होकर गुजरने वाली सीधी बस सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना के ब्यौरे और इस बस सेवा की आवृत्ति का निर्धारण बंगलादेश सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत दोनों देशों के बस आपरेटरों द्वारा किया जाएगा।

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नेट पर सूचना डालना

237. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय विधि के अंतर्गत सृजित स्वायत्त निकायों ने आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं को अभी तक अपनी वेबसाइटों पर नहीं डाला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं को केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग और अन्य स्वायत्त निकाय कब तक अपनी वेबसाइटों पर डाल देंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इन्टरनेट सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए नियमित अन्तराल पर जन साधारण को स्वत: ही सूचना मुहैया करवाने के क्रम में कदम उठाने के सतत प्रयास करेगा जिससे जन साधारण सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोग का कम से कम सहारा लें। जब कभी, केन्द्र सूचना आयोग की जानकारी में कोई चूक आती है तो इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/संबंधित लोक प्राधिकरणों के अपीलीय प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेश दिए जाते हैं।

पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना

238. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के लिए अपने सेंसरशिप आफ फिल्म रूल्स में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कदम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में कितना कारगर होगा;

(घ) क्या भरात का विचार पाकिस्तानी कवियों, संगीतज्ञों और अभिनेताओं को वीजा प्रतिबंधों में ढिलाई देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) पाकिस्तान मीडिया समाचारों के अनुसार पाकिस्तान के संस्कृति मंत्रालय ने 1980 फिल्म नियम अधिनियम में संशोधन किया है जिससे तथाकथित रूप से पाकिस्तानी फिल्मकार अपनी फिल्मों में भारतीय अभिनेताओं को ले सकेंगे।

(घ) और (ङ) संयुक्त वार्ता के स्वरूप में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि सांस्कृतिक और साहित्यिक विभूतियों के लिए उदार वीसा व्यवस्था स्थापित की जाए।

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के संवर्द्धन के लिए भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा भारतीय फिल्मों, टी.वी. चैनलों और मीडिया उत्पादों पर मौजूदा प्रतिबंध हटाने, नई दिल्ली और मुम्बई में पाकिस्तानी फिल्मों का उत्सव आयोजित करने, पाकिस्तान में विश्व पंजाबी उत्सव आयोजित करने और पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और संगीत की तस्करी की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त कार्य दल के गठन का प्रस्ताव किया है।

चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता जांच

239. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निर्मित होने वाले चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता जांच के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत के औषधि नियंत्रक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता जांच के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। देश में विनिर्मित चिकित्सीय युक्तियों की गुणवत्ता संबंधी जांच सुनिश्चित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत 'औषधों' के रूप में अनेक युक्तियों को अधिसूचित किया गया है। देश में विनिर्मित युक्तियों के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों, भारतीय मानक ब्यूरो अथवा आईएसओ के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप विनिर्मित किया जाना अपेक्षित है। दस और रोगाणुहीन (स्टेराइल) चिकित्सीय युक्तियों को हाल ही में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत 'औषध' के रूप में घोषित किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि इन युक्तियों को बिक्री हेतु विनिर्माण के लिए अथवा वितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी अर्थात औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मातृ मृत्यु दर में कमी लाना

240. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ ने हाल ही में आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर वैश्विक मातृ मृत्यु दर से 20 प्रतिशत अधिक है और एक लाख बच्चों के जन्म पर 540 माताओं की मृत्यु दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या है;

(घ) इस सर्वेक्षण के अनुसार मातृ मृत्यु दर (गर्भावस्था और शिशु जन्म के दौरान) का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) देश में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां, यूनिसेफ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वर्ष 2000 में आंकड़े प्रकाशित किए हैं। उनके द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व में होने वाली कुल मौतों में से 20 प्रतिशत से अधिक मातृ मौतें भारत में होती हैं।

(ख) से (घ) जी, हां, भारत सरकार इस संबंध में दो सर्वेक्षण किए गए हैं।

भारत के महापंजीयक द्वारा किए गए नमूना पंजीयन पद्धति (1998) के अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रत्येक 100,000 जीवित जन्मों पर 407 है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99 (एनएफएचएस-II) ने मातृ मृत्यु दर का प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 540 होने का अनुमान लगाया।

(ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 100 से कम रखा गया है। भारत सरकार रोग प्रतिरक्षण और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं सहित गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन के अधीन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सक्रियता से प्रयास कर रही है। इस मिशन में देश भर में ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिसमें कमजोर सार्वजनिक संकेतकों और/अथवा कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। ये राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश। यह मिशन 2005 से 2012 तक सात वर्षों की अवधि तक कार्य करेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं को निम्नलिखित के जरिए सुदृढ़ किया जाएगा:

* जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन एवं सेवाएं दी जाती हैं। संस्थागत प्रसव की स्थिति में निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों में योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे न आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभ उपलब्ध है। इन राज्यों में उम्र संबंधी रूकावट एवं बच्चों के जन्म की संख्या संबंधी मानदण्ड को भी हटा दिया गया है।

* 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम के लिए मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) की नियुक्ति। आशा समाज तक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच को सुकर बनाएगी तथा उस पर प्रसवपूर्व परिचर्या संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर जांचों के लिए गर्भवती महिलाओं को संघटित करने तथा बच्चों को रोग प्रतिरक्षित करने की विशेष जिम्मेवारी होगी।

* आपातकालीन प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में प्रचालित करना।

* अगले पांच वर्षों के दौरान चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्राप्त करने के लिए 50% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्यात्मक बनाना।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का कार्यान्वयन करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

* समाज तथा संस्थाओं, दोनों में प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय दक्ष परिचर सुनिश्चित करना।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आरपीओ खोलना

241. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनेक आवेदकों की समस्याओं के समाधान के लिए नागरकोयल में उप-क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कोई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) खोलने का भी है अथवा जिला मुख्यालय में मौजूदा पासपोर्ट प्रकोष्ठ का प्रोन्नयन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तिरूचिरापल्ली स्थित आरपीओ द्वारा पासपोर्ट जारी करने में विलंब के किए जाने की सूचना मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग है। इस समय, चेन्नई और तिरूचिरापल्ली में पासपोर्ट कार्यालय हैं। सरकार तमिलनाडु में एक और पासपोर्ट कार्यालय खोलने के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। तथापि वर्तमान जिला पासपोर्ट सैल को अपग्रेड करके पासपोर्ट कार्यालय नहीं बनाया जा सकता।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, तिरूचिरापल्ली द्वारा इस समय पासपोर्टों को जारी करने में कुछ देर हो रही है, जो प्रमुखत: पासपोर्ट प्रिन्टरों की तकनीकी समस्या से सम्बद्ध है। इस समस्या को शीघ्र दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण केन्द्र

242. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और ट्रस्ट आफ बिल क्लिंटन के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत देश में एड्स नियंत्रण केन्द्र आरंभ किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार ऐसे केन्द्रों की सूची कितनी है;

(ग) क्या उक्त ट्रस्ट एड्स नियंत्रण के लिए भारत को धनराशि और प्रशिक्षण प्रदान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत सरकार और विलियम जे. क्लिंटन फाउंडेशन ने एचआईवी/एड्स की रोकथाम तथा भारत में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों की परिचर्या, सहायता और उपचार में वृद्धि करने हेतु व्यापक योजना के लिए विकास और कार्यान्वयन में सहयोग के लिए सहमति प्रदान की है। इस समझौते के अंतर्गत क्लिंटन फाउंडेशन ने प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए हैं और प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया है, निजी क्षेत्र में 1.5 लाख सामान्य प्रैक्टिशनरों के लिए प्रशिक्षण चलाया है, सीडी 4 मशीनों से युक्त 13 ए आर टी केन्द्रों की व्यवस्था की है और एड्स से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए औषधियां प्रदान करने की सहमति दी है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए सहायता संबंधी कुल परिव्यय 44 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

बीएसएनएल का कार्य-निष्पादन

243. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) बीएसएनएल के लाभ में वृद्धि और इसके कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं।

लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार, वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के दौरान बीएसएनएल द्वारा अर्जित निवल लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1)	वित्तीय वर्ष 2002-03	1444.44 करोड़ रु.
(2)	वित्तीय वर्ष 2003-04	5976.52 करोड़ रु.
(3)	वित्तीय वर्ष 2004-05	10183.29 करोड़ रु.

(ग) बीएसएनएल व्यापार के विविध क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, जैसे ब्राडबैंड, आईएलडी व्यवसाय, सीधी अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग और टर्नकी संविदा, ताकि विभिन्न उद्यमियों को कनैक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसने अपने पण्यावर्त और लाभकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता अनुकूल प्रशुल्क और सेवाएं प्रदान करने के लिए, विभिन्न उपाय किए हैं।

प्रति व्यक्ति आय

244. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या विद्यमान प्रति व्यक्ति आय देश के विकास की दृष्टि से कम है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) 31 मई, 2006 को जारी किए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार 2005-06 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 25,825 रु. अनुमानित की गई है।

(ख) विकास के दृष्टिकोण से यह दर्शाने के लिए कोई मानदण्ड नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय कम है या अधिक है। तथापि, विश्व विकास संकेतकों, 2005 के अनुसार वर्ष 2003 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 540 यूएस डालर प्रति वर्ष थी और 208 देशों की सूची में भारत का स्थान 159वां था। क्रय शक्ति समानता के अनुसार, 2003 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2800 यूएस डालर प्रतिवर्ष थी और 208 देशों में इसका स्थान 146वां था।

(ग) अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए बहु आयामी नीतियां हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में नीतियों और मापदण्डों का विवरण सूचीबद्ध है, जो संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

दक्षेस प्रेक्षक

245. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने दक्षेस प्रेक्षक के तौर पर अमरीका का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय अन्य देशों ने भी दक्षेस प्रेक्षक बनने में रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सार्क नियम प्रक्रिया के अनुसार अमरीका को सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा देने के अनुरोध को अनुमोदित करने का निर्णय सर्वसम्मति से हो गया है।

(ख) से (ङ) नवम्बर, 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में चीन लोक गणराज्य और जापान को पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ने की इच्छा का स्वागत किया गया और सिद्धान्त रूप में इसे स्वीकार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सार्क मंत्रिपरिषद अपनी 27वीं बैठक, जो अगस्त, 2006 में आयोजित की जानी है, में इस संबंध में कार्यपद्धतियों का निर्णय करेगी। इसके पश्चात कोरिया गणराज्य और अमरीका ने भी सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने के लिए औपचारिक अनुरोध किया। सार्क की स्थायी समिति का पांचवां विशेष सत्र, जिसकी बैठक पर्यवेक्षकों के लिए कार्यपद्धतियां बनाने के लिए 11 अप्रैल, 2006 को हुई थी, ने भी कोरिया गणराज्य और अमरीका के अनुरोधों पर विचार किया और यह सिफारिश की कि अनुरोधों को अनुमोदित किया जाए। सार्क मंत्रिपरिषद इस मसले पर अगस्त, 2006 में पुन: विचार करेगी।

[हिन्दी]

डाक विभाग का पुनर्गठन

246. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डाक विभाग का पुनर्गठन करने की कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सेवाएं लेने की योजना भी बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 117 को चार लेन का बनाना

247. श्री समिक लाहिरी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एन एच 117 को चार लेन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कोलकाता पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से जोड़ने के भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 117 की लगभग 10 कि.मी. विद्यमान घटिया चार लेन की लंबाई को चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर का बनाए जाने का प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम पहले ही प्रारंभ कर दिया है और इसे दिसंबर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा यह कार्य कब प्रारंभ/पूरा होगा।

एचसीसीए 1973 में बीएचएमएस की डिग्री को शामिल करना

248. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई बीएचएमएस डिग्री को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या छात्र इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों के मध्य समन्वय की कमी के कारण कष्ट झेल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जोरहाट, नौगांव और गुवाहाटी में तीन होम्यो कालेजों की जहां तक अवसंरचना, शिक्षक वर्ग और डिग्री की मान्यता का संबंध है, उनकी वर्तमान कमियों और भविष्य की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई बीएचएमएस डिग्री को शामिल करने से संबंधित अधिसूचना भारत सरकार के मुद्रणालय को प्रकाशनार्थ भेज दी गई है।

(ग) संबद्ध प्राधिकारियों के बीच समन्वयन की कोई कमी प्रतीत नहीं होती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसे कोई भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) जोरहाट, नौगांव और गुवाहाटी के तीनों होम्योपैथिक कालेजों में शिक्षक वर्ग से संबंधित गंभीर कमियां हैं। असम सरकार इन तीनों चिकित्सा कालेजों में पदों के सर्जन पर विचार कर रही है। स्थानापन्न उपाय के रूप में, असम सरकार संबद्ध विषयों में अध्यापन के प्रयोजनार्थ इन तीनों होम्योपैथिक कालेजों में पड़ौस के चिकित्सा कालेजों से अध्यापकों को प्रतिनियुक्त कर रही है।

इन तीनों होम्योपैथी कालेजों में से किसी के पास भी कोई क्रियाशील अस्पताल नहीं है। असम सरकार ने छात्रों को अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ इन होम्योपैथिक कालेजों के साथ अस्पतालों को संबद्ध किया है।

डा. जे.के. सैकिया, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज, जोरहाट, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएचएमएस डिग्री को शामिल करने से संबंधित अधिसूचना प्रकाशन हेतु भारत सरकार के मुद्रणालय को भेज दी गई है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, जिससे असम राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, नौगांव और स्वाहित जादव नाथ राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज, गुवाहाटी संबद्ध हैं, द्वारा प्रदत्त बीएचएमएस चिकित्सा अर्हता को होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निरन्तर मान्यता दी जा रही है।

[हिन्दी]

मलेशिया में हिन्दू मंदिर ध्वस्त करना

249. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मलेशिया में एक 60 वर्ष पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, जैसा कि दिनांक 12 जून, 2006 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर मलेशिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। 8 जून, 2006 को कुआलालम्पुर के नगर निगम ने एक 60 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। मंदिर के प्राधिकारियों को मंदिर दूसरी जगह पर स्थापित करने का नोटिस दिया गया था किन्तु मंदिर के प्राधिकारियों ने मंदिर के लिए दी गई वैकल्पिक भूखंड को स्वीकार करने से मना कर दिया था। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर वहां मलय आरक्षित भूमि पर बना था और क्षेत्र के विकास के लिए उस भूमि की उन्हें आवश्यकता थी। मलेशिया का भारतीय समुदाय मंदिर को ध्वस्त करने के मसले पर मलेशिया की सरकार के साथ सक्रियतापूर्वक बात कर रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार का यह मत है कि मलेशिया की सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों सहित अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे।

[अनुवाद]

भू-विस्थापितों का पुनर्वास

250. श्री अनन्त नायक: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी मामलों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) में, एम.सी.एल. और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) की पहचान की जाती है। उन्होंने पुनर्स्थापन के लिए 5947 परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान की है। इनमें से 3097 को पुनर्स्थापन लाभ दिए गए हैं। शेष 2850 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) एम.सी.एल. में भूमि अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है और भूवंचितों को तब तक विस्थापित नहीं किया जाता है जब तक कि कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार उनके समुचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर दी जाती।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

251. श्री राकेश सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिबंधित भारतीय दवाएं इंटरनेट के माध्यम से बेची जा रही हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्ष 2005 में एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नार्कोटिक औषध एवं साइकोट्रापिक पदार्थों वाले फार्मास्युटिकल्स के अनधिकृत वितरण में इंटरनेट के दुरूपयोग के एक मामले का पता लगाया गया। अपराधी इंटरनेट पर पीड़ानाशक औषधों (पेनकिलर) तथा प्रशान्तकों (ट्रांक्विलाइजर) की सप्लाई के लिए आर्डर एवं भुगतान प्राप्त कर रहे थे तथा औषधों को भारत से मंगाया जाता था। इस मामले में, 8 देशों में 24 गिरफ्तारियां की गईं। भारत में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) इंटरनेट के किसी दुरूपयोग से बचने के लिए तथा इसका पता लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:-

(1) निषेधादेश को अधिक संशक्ति देने के लिए विभिन्न औषध विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।

(2) प्रचालनात्मक आसूचना का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रचार-प्रसार बेहतर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुदृढ़ करना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय शाखाओं वाले मामलों में सूचना तथा अन्वेषणात्मक सहायता के आदान-प्रदान के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

(4) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय औषध विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्यप्रणाली के ब्यौरे का परिचालन।

(5) औषध के अवैध व्यापार से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन अधिकारियों की दक्षताओं का उन्नयन करने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

[अनुवाद]

लोकपाल की नियुक्ति

252. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उपभोक्ताओं की शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोकपाल का संभावित अधिकार क्षेत्र और दर्जा क्या है; और

(ग) इसके कब तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकार का दूरसंचार उपभोक्ताओं और विवादों का निपटान करने हेतु लोकपाल की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस उद्योग ने घोषणा की है कि उसकी, उपभोक्ता शिकायत और विवाद समाधान हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में लोकपाल की नियुक्ति करने की मंशा है। सरकार द्वारा इस उद्योग की पहल-कार्रवाई के संबंध में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

योजना आयोग दल का केरल दौरा

253. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग से एक दल ने राज्य के कृषि संकट जिसके कारण हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, का अध्ययन करने के लिए केरल का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष और इसके द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना आयोग ने केरल के सारे राज्य में कृषि संकट का अध्ययन करने के लिए वहां कोई दल नहीं भेजा है। तथापि, माननीय प्रधानमंत्री को वायनाड कर्षक सामरा समिति वायनाड द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें केरल के वायनाड जिले में कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों का उल्लेख किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशों के अनुसरण में योजना आयोग के एक दल ने केरल सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ वायनाड जिले की समस्या का अध्ययन करने के लिए और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए 7 जून से 11 जून, 2006 तक वायनाड जिले का दौरा किया था। उक्त दल ने इस जिले की स्थिति का अध्ययन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रेडियोथेरेपी मशीनों की स्थिति

254. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर पीड़ितों को डा. राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में रेडियोथेरेपी उपचार प्राप्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेडियोथेरेपी मशीनें खराब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये रेडियोथेरेपी मशीनें अप्रचलित हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन मशीनों की मरम्मत या नई मशीनों की खरीद में सामने आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में दो रेडियोथिरेपी कोबाल्ट मशीनें (एक थेराट्रान 780 सी तथा एक थेराट्रान एलिट 80) है जो कार्य कर रही हैं। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोई रेडियो थिरेपी विभाग नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति

255. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति" को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में अंपजीकृत एनजीओ/वीओ को शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, नहीं। स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी प्रारूप राष्ट्रीय नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के विदेश दौरे

256. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो महीनों के दौरान आज तक भारत का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन मुद्दों पर उनके साथ विचार-विमर्श किए गए;

(ग) क्या उनके साथ कोई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है;

(च) इनमें की गयी चर्चाओं और उनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन देशों के साथ संबंधों को और सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) से (घ) पिछले दो माह से अब तक भारत की यात्रा पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों, उनके साथ विचार-विमर्श के मसले, सम्पन्न किए गए द्विपक्षीय करार और उनका ब्यौरा और उन देशों के साथ संबंधों को और अधिक सुधारने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. नेपाल

नेपाल के प्रधान मंत्री महामान्य श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने हमारे प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर मंत्रियों, मीडिया और व्यापार शिष्टमण्डल के पांच सदस्यों के साथ भारत की यात्रा की। दोनों प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों की परिस्थिति का आकलन और विचारों का आदान-प्रदान किया। वे इस बात पर सहमत थे कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक वृद्धि का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है। इस यात्रा के दौरान, भारत-नेपाल विकास भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय प्रयासों तथा तंत्रों की समीक्षा करने पर सहमति हुई। भारत सरकार ने नेपाल की सरकार को बजट के लिए 100 करोड़ भारतीय रुपए का एक मुश्त अनुदान तत्काल देने की तत्परता जताई अब आधार संरचना विकास परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का एक सुलभ ऋण करार देने और "नेपाल को सहायता" बजट को बढ़ाने की पेशकश की।

2. श्रीलंका

श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री मंगल समरवीर ने श्रीलंका की परिस्थितियों से सम्बद्ध ताजा घटनाओं से भारत के नेताओं को परिचित कराने के लिए 6-9 मई, 2006 तथा पुन: 20-22 जून, 2006 को भारत की यात्रा की। श्रीलंका की एकता, सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के प्रति भारत की प्रतिबद्ध वचनबद्धता को दुहराते हुए, भारतीय पक्ष ने युद्ध विराम को सुदृढ़ करने के सभी सम्भव प्रयास करने और सुपुर्दगी पैकेज के कार्य जो श्रीलंका में जातीय सौहार्द को पुन: बहाल करने की दृष्टि से सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य करेगा, की आवश्यकता पर बल दिया।

श्रीलंका के साथ कार्य करने की भारत की भूमिका व्यापक और बहुआयामी बनी रही। सरकार इस देश के साथ परस्पर समझबूझ के प्रयासों को सुदृढ़ करने और विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने का प्रयास करती रही।

3. अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री डा. रान्गीन ददफार स्पान्ता ने 29 जून से 1 जुलाई, 2006 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा से और साथ ही साथ विदेश सचिव से विचार-विमर्श किया। भारत-अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों और परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई। डा. स्पान्ता ने अफगानिस्तान में हाल ही में भारतीयों पर हुए हमले पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सार्क में अफगानिस्तान के प्रवेश के लिए भारत द्वारा निभाई जा रही समर्थक भूमिका के लिए भी प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया। डा. स्पान्ता ने भारत के नेताओं को शंघाई कार्पोरेशन संगठन और सीआईसीए शिखर सम्मेलन की राष्ट्रपति करजई के साथ की गई यात्रा और साथ ही साथ बीजिंग और द्विपक्षीय यात्रा एवं डा. कोंडिलीजा राईस की काबुल की यात्रा के विषय में भी बताया। इस बात पर सहमति हुई कि भारत और अफगानिस्तान के बीच नियमित विदेश कार्यालय विचार-विमर्श होंगे।

4. कुवैत

महामहिम शेख साहब-अल-अहमद अल-जबेर-अल-सबाह कुवैत राज्य के अमीर ने 14-19 जून, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, महामहिम अमीर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ व्यापक और अत्यधिक सार्थक वार्ता की। दोनों पक्षों ने वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया, और 21वीं सदी के लिए सुदृढ़ भागीदारी का निर्माण करने के लिए इन संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों पक्षों ने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी चर्चा की। इस बात पर भी सहमति हुई कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के लिए भारत-कुवैत संयुक्त आयोग वर्ष 2006 की अन्तिम तिमाही में अपना अगला सत्र आयोजित करेगा।

दोहरे कराधान से परिहार, स्वापक-औषधों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने में सहयोग, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2006-08) करार सम्पन्न किए गए।

5. मारीशस

मारीशस के उप राष्ट्रपति, श्री अब्दुल रौफ बुन्धन ने 7-16 मई, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, श्री बुन्धन ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) ने भी उनसे मुलाकात की।

6. इथोपिया

इथोपिया के उप प्रधान मंत्री श्री अदिसू लेगेसे (जो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी है) ने 15-20 मई, 2006 तक भारत (मुम्बई और पुणे) की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, श्री लेगेस ने 20 मई को मुम्बई में कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा की।

7. मलावी

विदेश मंत्री, श्री डेविस काटासोंगा ने 9 से 12 मई, 2006 तक एक बहु-मंत्रिस्तरीय शिष्टमण्डल की अध्यक्षता करते हुए भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, विदेश राज्य मंत्री आनन्द शर्मा के साथ शिष्टमण्डल स्तर की वार्ताएं हुईं। विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) ने मलावी के साथ खनन संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण और उपयोग; सिंचाई प्रौद्योगिकियों, बीज प्रौद्योगिकी सहित कृषि में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन; भारतीय मानक ब्यूरो और मलावी ब्यूरो आफ स्टैन्डर्ड के बीच समझौता ज्ञापन; जन सेवा में दक्षता और क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन; स्वास्थ्य एवं दवाई से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन और पैन-अफ्रीकी प्रोजेक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों इत्यादि से सम्बद्ध टीसीआईएल के संबंध में समझौता ज्ञापनों का प्रस्ताव किया। व्यापार और निवेश से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दलों, थर्मल तथा हाईड्रोपावर परियोजनाओं के विकास के लिए सामूहिक कार्यक्रमों, ग्रामीण इलाकों में बिजलीकरण में सहायता, सौर एवं वायु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संसाधन आकलन, वन प्रबंधन संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें आनुवंशिक और जर्म प्लाज्मा संरक्षण तथा पर्यावरण अध्ययनों के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान भी शामिल हैं, वाणिज्यिक मत्स्य पालन फार्मों की स्थापना, परिवहन एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर सामूहिक कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव किया।

यह शिष्टमण्डल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री से भी मिला। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं, खाद्यान्नों के भंडारण के लिए खत्तियों के निर्माण और मलावी में तम्बाकू संसाधन विकास के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया।

8. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री रमजानी बाया की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल ने 2-7 मई, 2006 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित के विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई।

भारत-कांगो के समग्र द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयासों में अगस्त, 2006 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हमारा राजदूतावास खोलने की तैयारियां चल रही हैं।

9. गैबोन

गैबोन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री अल हज ओमार बोंगे ओदिम्बा ने 80 सदस्यों के शिष्टमण्डल के साथ 3-7 मई, 2006 तक भारत की यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) ने यात्रा पर आए राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ आए अर्थव्यवस्था वित्त, बजट और निजीकरण मंत्रियों, खनन, ऊर्जा, तेल एवं जल संसाधन मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग विकास मंत्री अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिले। द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित के विविध मुद्दों पर चर्चा हुई।

10. अंगोला

अंगोला गणराज्य के विदेश मंत्री श्री जोआओ मिरान्डा की अध्यक्षता में शिष्टमंडल ने 10-13 मई, 2006 तक भारत की यात्रा

की और विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) के साथ बैठक की। यात्रा पर आए मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ भी बैठक की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित के विविध मसलों पर चर्चा हुई।

11. नाइजीरिया

नाइजीरिया के विदेश मंत्री श्री ओल्यूमी अदेनीजी ने एक शिष्टमण्डल की अध्यक्षता करते हुए 19-20 मई, 2006 तक भारत की भारत यात्रा की। यात्रा पर आए मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) के साथ बैठक की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय के विधि मसलों पर विचार-विमर्श किया।

12. घाना

घाना के विदेश मंत्री श्री नाना आकूफो-आदो ने 9 जून, 2006 तक भारत की यात्रा की और विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) के साथ एक बैठक की तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित के विविध मसलों पर चर्चा की।

13. बेनिन

बेनिन की विदेश मंत्री मदाम मरियम अलादजी बोनी डायलो और उनके शिष्टमण्डल ने 26-27 जून, 2006 तक भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) से मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित के विविध मसलों पर चर्चा हुई।

14. मोरक्को

मोरक्को के विदेश मामलों से सम्बद्ध मंत्री श्री मोहम्मद बेनायसा ने 25-27 जून, 2006 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। यात्रा पर आए मंत्री ने प्रधान मंत्री, कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री शरद पवार, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी और विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद से मुलाकात की।

विदेश मंत्री के साथ हुई चर्चाएं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव के लिए हमारी दावेदारी हेतु मोरक्को का समर्थन पाने सहित द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के तरीकों पर केन्द्रित थीं। कृषि मंत्री के साथ चर्चाएं कृषि के विविध आयामों में भारत की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान में सहयोग को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित थीं। कृषि संबंधी मशीनरी तथा संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भावनाओं का भी पता लगाया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के साथ हुए विचार-विमर्शों में मोरक्को की सरकार द्वारा भारतीय होटल उद्यमियों को होटलों की स्थापना करने के अवसर प्रदान करने, भारतीय प्रतिष्ठित पुस्तकों के अरबी इत्यादि अनुवाद द्वारा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को विस्तारित करने की इच्छा शामिल थी।

15. स्पेन

स्पेन के प्रधान मंत्री श्री लुईज जापातेरो ने 2-4 जुलाई, 2006 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ स्पेन के विदेश एवं सहयोग मंत्री श्री मिगुएल एन्जेल मोरातिनोस और वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पेट्रो मेजा थे। चर्चा में द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्र सहित आतंकवाद का मुकाबला करने में आर्थिक भागीदारी और सहयोग को बढ़ाना शामिल था। सभ्यताओं के संबंध में विषय में बहुपक्षीय मसलों पर भी चर्चा हुई।

इस यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन और संधियां संपन्न हुई। इनमें राजनीतिक वार्त्ता को संस्थागत बनाने से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन; आपराधिक मामलों पर परस्पर विधिक सहायता संधि तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकी के लिए विकास केन्द्र के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है।

भारत सरकार संबंधों को और सुधारने के लिए कई कदम लगातार उठा रही है, जिसमें निकटतम राजनीतिक वार्त्ता, व्यापार और निवेश सम्पर्कों का विस्तार, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संपर्कों और परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग का संवर्द्धन करना शामिल है।

16. अर्जेन्टीना

अर्जेन्टीना के विदेश मंत्री श्री जार्ज ई. तायआना ने 4-6 जुलाई, 2006 तक भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए विशिष्ट व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और समान हित के बहुपक्षीय मसलों में सहयोग पर चर्चा हुई। अर्जेन्टीना के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए:

(1) भारत के कृषि मंत्रालय और अर्जन्टीना गणराज्य के कृषि पशु, मत्स्य एवं खाद्य सेक्रेटेरिएट के बीच कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन;

(2) भारत सरकार और अर्जन्टीना गणराज्य के बीच अन्टार्टिक सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन; और

(3) भारत के लोक प्रशासन संस्थान और अर्जन्टीना गणराज्य के अन्डर सेक्रेटेरियेट आफ पब्लिक अफेयर्स आफ द चीफ आफ कैबिनेट आफिस के बीच समझौता ज्ञापन।

अर्जन्टीना के साथ संबंधों में सुधार लाने के सरकार के प्रयत्नों में, इस वर्ष दिसम्बर में भारत की यात्रा करने के लिए अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति को निमंत्रण देना और निजी क्षेत्र तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार का संवर्द्धन करना और सुविधाजनक बनाना शामिल है।

17. इक्वाडोर

इक्वाडोर के विदेश मंत्री, श्री फ्रांसिस्को कैरियन मैन ने 17-19 जुलाई, 2006 तक भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए विशिष्ट व्यक्तियों के साथ समान हित के बहुपक्षीय मसलों पर सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। इक्वाडोर के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए:

(1) दोनों देशों की राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन;

(2) शिक्षा में सहयोग के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम;

(3) सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध करार;

(4) राजनयिक/कोंसुली मिशनों में कार्यरत कार्मिकों के पति/पत्नियों के लाभप्रद रोजगार के लिए दोनों देशों के बीच प्रबंध;

(5) हाइड्रोकार्बन सहयोग से संबंद्ध ओएनजीवी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तथा पेट्रो इक्वाडोर के बीच समझौता ज्ञापन।

इक्वाडोर के संबंध में सरकार अधिक वार्त्ता और कार्यकलाप के माध्यम से संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। सरकार ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को इक्वाडोर में तेल के कुओं को अधिग्रहण करने हेतु अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इक्वाडोर की सरकार से इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) से (छ) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा; की गई चर्चाओं का ब्यौरा और उनके निष्कर्ष; और इन देशों के साथ संबंधों को और सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रूस

प्रधान मंत्री ने 16-18 जून, 2006 तक सेन्ट पीटर्सबर्ग की यात्रा की। उन्होंने सेन्ट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले जी-8 और उसके बाहर के देशों के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा संक्रामक रोगों के बचाव के लिए, जो सेन्ट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन की मुख्य विषय-वस्तु थे, पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक सुरक्षा को अन्य चुनौतियां, विश्व व्यापार और क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

सेन्ट पीटर्सबर्ग शिखर-सम्मेलन में भाग लेने वाले जी-8 और उससे बाहर के देशों, और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने 11 जुलाई, 2006 को भारत में हुए आतंकवादी कृत्य पर एक वक्तव्य पारित किया। इस वक्तव्य में, अन्य बातों के साथ-साथ इस तथा अन्य आतंकवादी कृत्यों को करने वालों तथा उन व्यक्तियों को जो इन आतंकवादी कृत्यों को करने वालों को उकसाते हैं सभी संगठनों, प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की इच्छा व्यक्त की।

डेफिब्रिलेटर का प्रतिष्ठापन

257. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हृदय रोग जनित अधिकांश मौतें एरिथीमिया के कारण होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी अपमृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के पास पूरे देश में विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वचालित एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर प्रतिष्ठापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कार्डियक मौतों का अंतिम चरण असामान्य हार्ट रिदम (एरिथीमिया) है। ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट हृदय की तीव्र और/अथवा कायोटिक एक्टिविटी के कारण होते हैं (वेंट्रीकूल टेकीकार्डिया या फाइब्रीलेशन); कुछ हृदय की अत्यधिक धीमी गति (ब्राडीकार्डिया) के कारण होते हैं। एरिथीमिया की प्रमुख स्थित अथीरोस्क्लेरोटिक वास्कूलर रोग/ब्लाकेज, उच्चदबाव और इनफ्लेमेटरी अथवा डिजेनेरेटिव परिस्थितियां होती हैं। व्यसनी पदार्थ विशेषकर अल्कोहल, सिगरेट और मनोरंजनात्मक औषधें एरिथीमिया को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न कार्डियक औषधियां भी एरिथीमिया को बढ़ा सकती हैं। एरिथीमिया की प्रवृत्ति वाली परिस्थितियों के प्राथमिक

निवारण के लिए प्रयास जोखिम कारकों जैसे एनर्जी डेन्स डाइट, तम्बाकू उपभोग, भौतिक कार्यकलाप आदि का नियंत्रण हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

केन्द्रीय योजना/एमपीलैड के क्रियान्वयन के संबंध में जिला समाहर्त्ताओं द्वारा समीक्षा

258. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी एमपीलैड योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उपायुक्तों/जिला क्लैक्टरों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के बारे में संसद सदस्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी नहीं। सभी एमपीलैड योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बारे में संसद सदस्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

259. श्री रघुनाथ झा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दृष्टिहीनता और क्षयरोग के संबंध में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को सीमित सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दृष्टिहीनता और क्षयरोग के फैलने की दर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1976 में एक शत प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य दृष्टिहीनता की व्याप्तता को 1.4% से कम करके 2020 तक 0.3% करना था। वर्ष 2001-02 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता की व्याप्तता 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। दसवीं योजना का लक्ष्य निम्नलिखित उपाय करके वर्ष 2007 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को कम करके 0.8% पर लाना है:

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों की स्थापना करना।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, चिकित्सा कालेजों और क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर जरूरतमंद लोगों को नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान करना।

(3) सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्रों में नेत्र बैंकों का सुदृढ़ीकरण।

(4) गैर-सरकारी संगठनों को नेत्र परिचर्या के लिए उनकी मौजूदा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियों इत्यादि के तीव्रीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

देश में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) जिसे व्यापक तौर पर डाट्स (प्रत्यक्ष निगरानी उपचार अल्पावधिक कोर्स) के रूप में जाना जाता है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति है, को नए स्मूटम पाजिटिव रोगियों में 85% रोग मुक्ति दर हासिल करने तथा ऐसे रोगियों में से कम-से-कम 70% की पहचान करने के उद्देश्य से देश में चरणबद्ध ढंग से 1997 से 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया। मार्च, 2006 तक, देश के सभी जिले संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिससे देश के सभी क्षयरोगियों की पहुंच डाट्स तक हो रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित निदान एवं उपचार सुविधाएं सभी क्षयरोगियों को नि:शुल्क दी जाती हैं। उच्च स्तरीय निदान के लिए सामान्य क्षेत्र में प्रत्येक एक लाख जनसंख्या के लिए तथा जनजातीय, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक 50,000 जनसंख्या के लिए नामोद्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्रों की स्थापना की गई है। संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत 85% से अधिक की उपचार सफलता दर की सूचना दी गई है जिसका अर्थ है कि संशोधित कार्यनीति के तहत उपचार पा रहे प्रत्येक 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के अंतर्गत महानगर

260. श्री पंकज चौधरी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी महानगरों को स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अंतर-राज्यीय बुनियादी फोन कालों की स्थानीय दरों पर लागू करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंतर-राज्यीय लैंडलाइन कालें लम्बी दूरी की कालें हैं तथा इनके प्रशुल्क के संबंध में फिलहाल तटस्थता बरती जा रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में ताप विद्युत संयंत्र

261. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) और महानदी कोलफील्ड्स लि. के संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उड़ीसा के आई.बी. वैली में 2000 मेगावाट के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के क्रियान्वयन में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 27.5.2006 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ, उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, की बैठक में परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने का निर्णय लिया गया क्योंकि हिरमा गांव के नजदीक पूर्व में पहचान किए गए स्थल को निजी फर्मों को आवंटित कर दिया गया। वैकल्पिक स्थल के रूप में रेंगाल गांव, जिला सम्बलपुर की पहचान की गई है और भूमि का ब्यौरा जुटाने का कार्य चल रहा है। परियोजना स्थल तैयार करने के बाद, उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ किया जाएगा। परियोजना के लिए लगभग 11-12 मिलियन टन कोयले की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और इस प्रयोजन के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) तथा हिन्डालको द्वारा संयुक्त रूप से खनन हेतु तालाबीरा-2 और 3 कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना से पश्चिमी क्षेत्र और उड़ीसा राज्य को अनंतिम विद्युत आवंटन किया है। परियोजना की अनंतिम लागत 9000 करोड़ रु. होने का अनुमान है और परियोजना से 11वीं योजना अवधि में विद्युत उत्पादन होने की संभावना है। व्यवहार्यता रिपोर्ट, सर्वेक्षण कार्य आदि तैयार करने के लिए अग्रिम कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन

262. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के कितने गांवों में भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक टेलीफोन सेट मुहैया कराए गए हैं;

(ख) इस संबंध में कुल कितना खर्च किया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत भविष्य में कितने टेलीफोन सेट मुहैया कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत, देश के शेष सभी 66822 सुविधारहित गांवों में नवम्बर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराए जाने हैं। इन गांवों में 100 से कम आबादी वाले एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, इत्यादि

के गांव शामिल नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में अब तक 8293 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत कुल 11.79 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है।

(ग) मध्य प्रदेश के शेष 3601 सुविधारहित पात्र गांवों में नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

गुजरात में मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना

263. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) भारत सरकार को गुजरात-राज्य-सरकार सहित कुछ राज्यों की सरकारों से अपने यहां समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के अनुरोध मिले। समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने से जुड़े विभिन्न संघटकों पर विचार करने के बाद, केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने वर्ष 2006-2007 के बजट भाषण में की गई उद्घोषणा के अनुसार, कोलकाता, मुम्बई और विशाखापट्टनम में समुद्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर स्थापित किए जाने सहित चेन्नई में समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल परीक्षण

264. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी कोरिया ने हाल ही में मिसाइल परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षण के परिणामस्वरूप संभावित राजनीतिक और सुरक्षा प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) और (ख) कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य (डीपीआर के) ने 5 जुलाई, 2006 को मिसाइल परीक्षणें की थीं। कई देशों ने इस परीक्षणों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से 15 जुलाई, 2006 को एक संकल्प पारित किया जिसमें कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य द्वारा किये गए बहु-परीक्षणों की निन्दा की गई। संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की गई है कि-कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यकलापों को स्थगित करे और मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाने की अपनी पूर्व वचनबद्धता को बहाल करें; सभी सदस्य राज्यों से सतर्कता बरतने और कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के मिसाइल अथवा डब्ल्यू एम डी कार्यक्रमों के लिए मोबाइल अथवा मिसाइल से संबंधित वस्तुओं, सामग्री तथा सामानों एवं प्रौद्योगिकी के अन्तरण अथवा कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य से इन सामानों की खरीद पर रोक लगाए; छह-पक्षीय वार्ताएं शीघ्र आयोजित की जाए और कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य से इन वार्ताओं में बिना किसी पूर्व-शर्त के भाग लेने की पुरजोर मांग की गई है।

(ग) कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य द्वारा 5 जुलाई, 2006 को किये गए मिसाइल परीक्षणों के बारे में सरकार को चिंता है। इन मिसाइलों के अन्तरण और पाकिस्तान मिसाइल कार्यक्रम, जिसने कि इस क्षेत्र में परिदृश्य को प्रभावित किया है, को कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य सहित अन्य देशों द्वारा की गई सहायता की पेशकश पर सरकार पहले ही चिन्ता व्यक्त कर चुकी है। भारत ने कोरिया प्रायद्वीप में वार्ता के जरिए शांति, स्थिरता, सामंजस्य तथा पुनएर्कीकरण करने के सभी प्रयासों का समर्थन किया है। सरकार आशा करती है कि कोरिया प्रायद्वीप में नाभिकीय मुद्दों का समाधान छह-पक्षीय वार्ताओं के तत्वावधान में जिसे कि शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए, के साथ-साथ बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

वर्धमान चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

265. श्री रामदास आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार वर्धमान चिकित्सा महाविद्यालय सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या विद्यार्थियों की संख्या आरक्षण मानदंडों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में सीटों को आरक्षण नीति के मानदंडों के अनुरूप भरने हेतु कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु सरकार की आरक्षण नीति वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज में लागू है और कालेज की 100 सीटों में से 15 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 7 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इस समय कालेज में पढ़ रहे छात्रों की संख्या (लड़कों एवं लड़कियों की अलग-अलग) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की बैचवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिए दिया जाता है जिसके बाद जी.जी.एस. द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया संचालित की जाती है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा कालेज प्रशासन की दाखिले की चयन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है।

विवरण

वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा पाने वाले छात्रों/छात्राओं की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की संख्या

वर्ष	कुल		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या			
	छात्र	छात्राएं	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
			छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
2001-2002	48	41	09	03	02	05
2003-2004	54	28	04	02	03	02
2004-2005	70	28	02	04	01	0
2005-2006	66	33	11	05	06	0
कुल	238	130	26	14	12	07

[अनुवाद]

भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति

266. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आज तक हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निधियों को जारी करने में विलम्ब के कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत हुई घटकवार वास्तविक प्रगति एवं किया गया वित्तीय आबंटन और जारी की गई राशियां तथा कुछ घटकों के लिए वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान की गई प्रगति को क्रमश: विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(ग) राज्यों को निधियां विविध स्कीमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित समरूप राज्य की हिस्सेदारी (मैचिंग स्टेट शेयर) और पिछली जारी निधियों के संबंध में राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान के आधार पर जारी की जाती है।

विवरण I

भारत निर्माण - ग्रामीण विद्युतीकरण घटक - वित्तीय एवं वास्तविक ब्यौरा 2005-06
कार्यक्रम: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
बजट आबंटन 2005-06: 1100 करोड़ रुपये
वास्तविक लक्ष्य: 10,366 गांवों को शामिल किया जाना
आबंटन मापदण्ड: मांग आधारित
निधीकरण प्रक्रिया 90:10 (केन्द्रीय अनुदान : आरईसी ऋण)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	मार्च 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि करोड़ रुपये	वर्ष 2005-06 में शामिल किए गए गांवों की संख्या	दिसम्बर, 2005 तक शामिल किए गए गांवों की संख्या	चौथी तिमाही मार्च, 2006 में शामिल किए गए गांवों की संख्या	वर्ष 2005-06 में (मार्च, 06 तक) शामिल किए गए कुल गांव	(मार्च, 06 तक) शामिल किए गए कुल ग्रामीण परिवार	(मार्च, 06 तक) शामिल किए गए कुल बीपीएल परिवार
1.	बिहार	381.976	1600	723	877	1600	10176	487
2.	चंडीगढ़*	6.5						
3.	झारखंड*	3.5						
4.	कर्नाटक	55.704		0	47	47	17131	12268
5.	उड़ीसा*	3.5						
6.	राजस्थान	56.531	124	0	230	230	505	—
7.	उत्तर प्रदेश	812.609	7756	1027	6476	7503	4060	4060
8.	उत्तरांचल	59.441	230	0	87	87	—	—
9.	पश्चिम बंगाल	115.421	656	30	322	352	1307	—
	जोड़	1495.182						
	अन्य							
	बीपीएल दावे	55.47						
	कार्यकलापों के लिए @ 1%	10.4						
	जोड़	1561.052	10366	1780	8039	9819	33179	16815

*जारी की गई निधि डीपीआर, जिसे तैयार किया जा रहा है, के लिए अग्रिम के रूप में है
@वर्ष 2005-06 में जारी की गई निधियां 1100 करोड़ रुपये था और शेष 461.05 करोड़ रुपये वह निधि है जो वर्ष 2004-05 के बजट आबंटन के आरईसी से पहले उपलब्ध थी
बजट आबंटन के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय निधि 100% है।

भारत निर्माण-सिंचाई घटक वित्तीय ब्यौरा 2005-06
कार्यक्रम : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
बजट आबंटन 4500 करोड़ रुपये है जिसमें से 1400 करोड़ रुपये अनुदान है।
वास्तविक लक्ष्य : 1.90 एमएचए सिंचाई संभावना सृजित करना
उपलब्धि अगले वित्त वर्ष 2006-07 में ज्ञात होंगी
अधिकतम सीमा निर्धारण : पिछले तीन वर्षों में राज्यों के निष्पादन और चालू वर्ष में उनकी आवश्यकताओं के आधार पर
निधीकरण की प्रक्रिया : विशेष श्रेणी राज्य 90:10 (अनुदान : ऋण)

अन्य राज्य 30 : 70 (अनुदान : ऋण) (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित अधिकतम सीमा	अनुदान	ऋण	दिसम्बर, 2005 तक जारी अनुदान	जनवरी-मार्च 2006 तक जारी अनुदान	2005-06 में जारी कुल अनुदान	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1100	330	770	17.8890	293.4925	311.3815	94
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	18	2	0.000	18.0000	18.000	100
3.	असम	35	31.5	3.5	14.9532	19.9800	34.9332	111
4.	बिहार	175	52.5	122.5	10.7640	5.4740	16.2380	31
5.	छत्तीसगढ़	100	30	70		7.6645	7.6645	26
6.	गोवा	5	1.5	3.5		0.0000	0.000	0
7.	गुजरात	1000	300	700	162.000	177.6000	339.600	113
8.	हरियाणा	25	7.5	17.5	3.3405	2.6595	6.0000	80
9.	हिमाचल प्रदेश	37.69	33.921	3.769	7.0110	23.0675	30.0785	89
10.	जम्मू-कश्मीर	40	36	4	16.6492	20.0386	36.6878	102
11.	झारखंड	31	9.3	21.7		5.0370	5.037	54
12.	कर्नाटक	400	120	280	100.6845	40.0914	140.7759	117
13.	केरल	50	15	35		9.3591	9.3591	62
14.	मध्य प्रदेश	750	225	525	13.4457	154.6513	168.0970	75
15.	महाराष्ट्र	1350	405	945	11.3317	156.0503	167.3820	41
16.	मणिपुर	86.78	78.102	8.678	3.1500	72.5535	75.7035	97
17.	मेघालय	4	3.6	0.4		1.5750	1.575	44
18.	मिजोरम	10	9	1	4.5000	4.8150	9.3150	104
19.	नागालैंड	8	7.2	0.8	2.7000	5.2987	7.9987	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	उड़ीसा	330	99	231	71.1984	80.1756	151.3740	153
21.	पंजाब	84.37	25.311	59.059	4.6965	21.6201	26.3166	104
22.	राजस्थान	400	120	280	33.2475	57.0477	90.2952	75
23.	सिक्किम	1.5	1.35	0.15	0.3375	0.5738	0.9113	68
24.	तमिलनाडु	5	1.5	3.5		0.0000	0.000	0
25.	त्रिपुरा	35.55	31.995	3.555	6.4935	25.5015	31.9950	100
26.	उत्तर प्रदेश	429	128.7	300.3	59.8665	73.2615	133.1280	103
27.	उत्तरांचल	123	110.7	12.3	20.9520	59.4867	80.4387	73
28.	पश्चिम बंगाल	40	12	28		0.0287	0.02870	0.2
	जोड़	6675.8900	2243.6790	4432.2110	565.2107	1335.1035	1900.3142	136

नोट: एआईबीपी के तहत कुल अनुदान घटक लगभग 1400 करोड़ रुपये है और जारी की गई राशि का प्रतिशत इस आधार पर तैयार किया गया है।

भारत निर्माण पेयजल घटक ब्यौरे 2005-06
कार्यक्रम: त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)
वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय निष्पादन
वर्ष 2005-06 का बजट आबंटन 4060 करोड़ रुपये

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय (करोड़ रुपये)				
		एआरडब्ल्यूएसपी सामान्य		आवंटन के प्रतिशत के रूप में सामान्य जारी	स्वजलधारा अंतर्गत जारी	कुल जारी
		आबंटन	जारी			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	210.32	250.80	119	38.32	289.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	90.60	106.75	118	0.00	106.75
3.	असम	152.80	148.01	97	16.40	164.41
4.	बिहार	153.24	153.24	100	20.09	173.33
5.	छत्तीसगढ़	51.54	50.20	97	0.00	50.20
6.	गोवा	1.93	1.82	94	0.00	1.82
7.	गुजरात	123.39	127.69	103	20.81	148.50
8.	हरियाणा	35.90	41.94	117	5.88	47.82

1	2	3	4	5	6	7
9.	हिमाचल प्रदेश	106.05	118.95	112	19.96	138.91
10.	जम्मू-कश्मीर	200.73	236.72	118	26.11	262.83
11.	झारखंड	55.29	63.07	114	9.26	72.33
12.	कर्नाटक	175.55	212.09	121	30.45	242.54
13.	केरल	53.86	61.71	115	13.13	74.84
14.	मध्य प्रदेश	151.01	150.40	100	27.18	177.58
15.	महाराष्ट्र	275.91	332.36	120	68.28	400.64
16.	मणिपुर	31.10	27.14	87	2.87	30.01
17.	मेघालय	35.83	31.90	89	3.30	35.20
18.	मिजोरम	25.69	25.99	101	2.36	28.35
19.	नागालैंड	26.37	26.48	100	3.83	30.31
20.	उड़ीसा	124.05	138.81	112	26.44	165.25
21.	पंजाब	36.42	41.35	114	5.15	46.50
22.	राजस्थान	440.34	491.35	112	55.85	547.20
23.	सिक्किम	10.83	12.84	119	0.00	12.84
24.	तमिलनाडु	118.75	120.54	102	22.69	143.23
25.	त्रिपुरा	31.78	32.00	101	3.30	35.30
26.	उत्तर प्रदेश	247.64	283.72	115	34.89	318.61
27.	उत्तरांचल	57.25	65.59	115	10.42	76.01
28.	पश्चिम बंगाल	133.08	150.78	113	23.46	174.24
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.09	17.48	19422	0.00	17.48
30.	दादरा व नगर हवेली	0.06	0.00	0	0.00	0.00
31.	दिल्ली	0.05	0.00	0	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00		0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	0.05	0.00	0	0.00	0.00
	जोड़	3157.50	3521.72	112	490.43	4012.15
	पानी व मूल्यांकन, एम एण्ड आई सब-मिशन, एचआरडी/प्रशिक्षण, आईईसी, एमआईएस आदि		75.85			75.85
	कुल जोड़	3157.50	3597.57	114	490.43	4088.00

भारत निर्माण पेयजल घटक ब्यौरे 2005-06

कार्यक्रम : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)

वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तविक निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य								उपलब्धि (14 जून, 2006 तक)							
		कैप 99			स्तरीय कैप अवशेष स्रोत			खपूर	कुल	कैप 99			स्तरीय कैप अवशेष स्रोत			खपूर	कुल
		एससी	पीसी	कुल	एससी	पीसी	कुल	आवास	जोड़	एससी	पीसी	कुल	एससी	पीसी	कुल	आवास	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1528	743	2271	703	2974	–	–	–	347	2423	2770	524	3294
2.	अरुणाचल प्रदेश	158	239	397	0	0	0	0	397	72	80	152	0	0	0	0	152
3.	असम	140	1217	1357	0	0	0	514	1871	94	2334	2428	0	0	0	0	2428
4.	बिहार	0	0	0	702	406	1108	515	1623	–	–	–	1217	405	1622	3	1625
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	1792	1635	3427	573	4000	–	–	–	1893	1746	3639	1	3640
6.	गोवा	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
7.	गुजरात	0	36	36	44	603	647	376	1059	–	36	36	34	550	584	414	1034
8.	हरियाणा	0	0	0	0	673	673	118	791	–	–	–	0	365	365	50	415
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1336	1336	0	0	0	0	1336	–	1950	1950	0	0	0	–	1950
10.	जम्मू-कश्मीर	158	216	374	0	0	0	105	479	54	341	395	22	46	68	0	463
11.	झारखंड	0	0	0	751	2088	2839	49	2888	–	–	–	663	1388	2051	0	2051
12.	कर्नाटक	0	3601	3601	48	321	369	820	4790	–	1383	1383	48	1502	1550	950	3883
13.	केरल	0	650	650	0	0	0	181	831	–	1887	1887	0	0	0	26	1913
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	1349	1495	2844	508	3352	–	–	–	3168	6624	9792	132	9924
15.	महाराष्ट्र	327	640	967	0	0	0	927	1894	20	440	460	0	0	0	127	587
16.	मणिपुर	0	0	0	100	3	103	30	133	–	–	–	39	41	80	0	80
17.	मेघालय	12	178	190	59	39	98	60	348	5	112	117	154	174	328	27	472
18.	मिजोरम	0	86	86	18	0	18	26	130	–	86	86	18	0	18	26	130
19.	नागालैंड	0	4	4	0	0	0	60	64	6	39	45	0	0	0	0	45
20.	उड़ीसा	0	0	0	1359	0	1359	817	2176	–	–	–	9763	1490	11253	256	11509
21.	पंजाब	678	0	678	0	0	0	122	800	706	535	1241	90	325	415	45	1701
22.	राजस्थान	2033	0	2033	4599	2263	6862	1057	9952	352	–	352	38	11592	11630	96	12078
23.	सिक्किम	0	71	71	0	0	0	0	17	–	74	74	0	46	46	0	120
24.	तमिलनाडु	0	0	0	791	6209	7000	500	7500	–	–	–	2021	5612	7633	705	8338
25.	त्रिपुरा	0	0	0	279	106	385	40	425	–	–	–	0	204	204	0	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	757	552	1309	900	2209	–	–	–	4416	9538	13954	412	14366
27.	उत्तरांचल	4	61	65	385	0	385	0	450	4	34	38	150	246	396	–	434
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1907	769	2676	993	3669	–	–	–	200	2100	2300	645	2945
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	10	10	0	0	0	4	14	1	0	1	0	0	0	–	1
30.	दादरा व नगर हवेली	12	6	18	0	0	0	0	18	–	–	–	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	--	–	–	–	–	–	–	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	--	–	–	–	–	–	–	0
33	लक्षद्वीप	0	10	10	0	0	0	0	10	–	–	–	0	0	0	–	0
34.	पांडिचेरी	0	13	13	0	0	0	2	15	–	51	51	0	7	7	0	58
35.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	–	–	–	0
	जोड़	3522	8375	11897	16468	17905	34373	10000	56270	1314	9383	10697	24281	46424	70705	4439	85841

एनसी – शामिल नहीं पीसी – आंशिक रूप में शामिल क्यूएहैब्स – गुणता प्रभावित आवास स्थल

भारत निर्माण – ग्रामीण सड़क घटक वित्तीय उपलब्धि 2005-06
कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
बजट आबंटन : 4235 करोड़ रुपये
वास्तविक लक्ष्य : आवास स्थानों की सं. 7034, नई संपर्कता : 15,492.4 कि.मी. उन्नयन – 11394.4 कि.मी.
आबंटन मापदण्ड : (क) हाई स्पीड डीजल पर उपकर (1 रुपये/लीटर)
(1) 75% की आवश्यकता है (देश में कुल सम्पर्करहित आवास स्थलों का हिस्सा)
(2) शामिल 25% (देश में सम्पर्क रहित आवास स्थलों में संपर्क स्थापित आवास स्थलों का हिस्सा)
(ख) हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उपकर (50 पैसे/लिटर)
(1) भारत निर्माण के तहत बनाई जाने वाली सड़क की लम्बाई
निधीकरण प्रक्रिया : 100/केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय (करोड़ रुपये)		
		वर्ष 2005-06 में केन्द्रीय आबंटन*	मार्च, 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि**	आबंटन के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	187.69	188
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	53.82	104
3.	असम	176.00	156.82	89
4.	बिहार	332.00	234.29	71

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	330.00	307.57	93
6.	गोवा	5.00	0.00	0
7.	गुजरात	60.00	70.56	118
8.	हरियाणा	25.00	20.56	82
9.	हिमाचल प्रदेश	132.00	171.27	130
10.	जम्मू और कश्मीर	60.00	70.35	117
11.	झारखंड	195.00	152.70	78
12.	कर्नाटक	105.00	143.02	136
13.	केरल	25.00	42.41	170
14.	मध्य प्रदेश	535.00	376.29	70
15.	महाराष्ट्र	140.00	141.92	101
16.	मणिपुर	28.00	6.33	23
17.	मेघालय	40.00	7.50	19
18.	मिजोरम	27.00	60.99	226
19.	नागालैंड	25.00	56.03	224
20.	उड़ीसा	268.00	305.29	114
21.	पंजाब	30.00	48.90	163
22.	राजस्थान	286.00	434.82	152
23.	सिक्किम	25.00	41.20	165
24.	तमिलनाडु	85.00	58.95	69
25.	त्रिपुरा	35.00	21.76	62
26.	उत्तर प्रदेश	445.00	644.69	145
27.	उत्तरांचल	95.00	14.29	15
28.	पश्चिम बंगाल	221.00	355.58	161
	जोड़	3882.00	4185.60	108

*केवल सेस (उपकर) निधि के लिए

**इसमें विश्व बैंक और एडीएस निधियां शामिल हैं

भारत निर्माण - ग्रामीण सड़क घटक वास्तविक उपलब्धियां 2005-06

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

क्र.सं.	राज्य	सत्र 2005-06			सितम्बर, 2006 तक उपलब्धियां			जनवरी-मार्च, 2006 तक उपलब्धियां			2005-06 तक उपलब्धियां		
		आवास स्थलों की संख्या	नए संपर्क (कि.मी.)	उन्नयन कि.मी.)	आवास स्थलों की संख्या	नए संपर्क (कि.मी.)	उन्नयन कि.मी.)	आवास स्थलों की संख्या	नए संपर्क (कि.मी.)	उन्नयन कि.मी.)	आवास स्थलों की संख्या	नए संपर्क (कि.मी.)	उन्नयन कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.000	1821.494	9	433.95	890.69	1	16.00	26.81	10	449.95	917.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	162.500	0.000	0	45.47	0	0	14.00	0.00	0	59.47	0.00
3.	असम	421	605.852	0.000	9	283.886	0	0	155.41	0.00	9	439.30	0.00
4.	बिहार	896	1665.831	0.000	0	348.33	53.27	0	245.37	141.65	0	593.70	194.92
5.	छत्तीसगढ़	478	1501.365	0.000	266	1141.12	18.74	104	646.88	0.00	370	1788.00	18.74
6.	गोवा	0	0.000	190.114	0	1.87	0	2	0.00	0.00	2	1.87	0.00
7.	गुजरात	230	402.955	0.000	107	289.53	32.47	105	193.68	0.60	212	483.21	33.07
8.	हरियाणा	0	0.000	229.358	0	0	243.26	0	0.00	35.65	0	0.00	278.91
9.	हिमाचल प्रदेश	127	464.583	0.000	53	114.9	0	134	1101.00	0.00	187	1216.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	57	169.972	0.000	0	26.36	0	3	0.00	4.44	3	26.36	4.44
11.	झारखंड	526	1051.779	0.000	86	181.187	16.41	15	223.17	11.42	101	404.36	27.83
12.	कर्नाटक	0	0.000	2573.529	1	9.76	380.82	0	20.04	361.67	1	29.80	742.49
13.	केरल	0	0.000	524.109	6	10.6	0.02	0	0.00	0.00	6	10.60	0.02
14.	मध्य प्रदेश	768	2602.139	0.000	203	1616.33	0	779	1118.05	0.00	982	2734.38	0.00
15.	महाराष्ट्र	0	0.000	4334.365	14	101.82	56.54	32	47.20	50.32	46	149.02	106.86
16.	मणिपुर	11	100.000	0.000	0	103.25	103.6	47	0.69	68.02	47	103.94	171.62
17.	मेघालय	35	123.609	0.000	13	73.066	0	0	0.00	0.00	13	73.07	0.00
18.	मिजोरम	12	82.746	0.000	1	129.32	0	6	26.94	0.00	7	156.26	0.00
19.	नागालैंड	9	93.318	0.000	7	291.25	37.25	0	18.51	1.25	7	309.76	38.50
20.	उड़ीसा	493	1055.950	0.000	123	793.733	32.728	192	254.00	12.44	315	1047.73	45.17
21.	पंजाब	0	0.000	423.729	4	70.53	0	3	20.27	0.00	7	90.80	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	राजस्थान	743	2153.615	0.000	305	2505.82	0	351	1225.88	0.00	656	3731.30	0.00
23.	सिक्किम	22	75.031	0.000	35	9.8	12.23	0	4.00	13.96	35	13.80	26.19
24.	तमिलनाडु	0	0.000	1297.710	41	436.955	0	5	107.60	0.00	46	544.56	0.00
25.	त्रिपुरा	66	94.774	0.000	6	15.8	0	0	0.00	0.00	6	15.80	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1236	1966.416	0.000	907	2028.89	246.58	497	124.58	3.50	1404	2153.47	250.08
27.	उत्तरांचल	95	380.609	0.000	13	66.57	0	3	20.79	5.25	16	87.36	5.25
28.	पश्चिम बंगाल	787	739.378	0.000	814	725.24	0	156	360.79	0.00	970	1086.03	0.00
	जोड़	7034	15492.422	11394.408	3023	11855.337	2124.608	2435	5944.55	736.98	5458	17799.887	2861.588

कृपया ध्यान दें - राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वास्तविक प्रगति की अवधि दिसम्बर, 2005 और मार्च 2006 तक भिन्न-भिन्न होती है।

भारत निर्माण - आवास घटक वित्तीय एवं वास्तविक विवरण 2005-06
कार्यक्रम : इंदिरा आवास योजना
बजट आबंटन : 2750.00 करोड़ रुपये, वास्तविक लक्ष्य, 14.41 लाख आवास
आबंटन मापदण्ड : आवास अभाव के लिए 75 प्रतिशत वेटेज और योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित गरीबी अनुपात के लिए 25 प्रतिशत वेटेज
निधिकरण प्रक्रिया : 75:25 (केंद्र: राज्य)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय (करोड़ रुपये)			वास्तविक			
		वर्ष 2005-06 में केन्द्रीय आबंटन	मार्च 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि	आबंटन के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय राशि	वर्ष 2005-06 में बनाए जाने के लिए आवासों की कुल संख्या	दिसम्बर, 06 तक बनाए गए आवासों की कुल संख्या	चौथी तिमाही जून-मार्च, 2006 में बनाए गए आवासों की कुल संख्या	वर्ष 2005-06 में बनाए गए आवासों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	243.99	246.10	101	130130	84504	48017	132521
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.49	7.12	75	4603	2192	3135	5327
3.	असम	209.94	214.66	102	101790	80027	24326	104353
4.	बिहार	720.21	624.37	87	384111	206423	125228	331651
5.	छत्तीसगढ़	37.73	44.74	119	20124	4022	22556	26578
6.	गोवा	1.50	1.37	91	801	408	207	615
7.	गुजरात	119.66	119.59	100	63819	29497	36105	65602

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हरियाणा	16.80	20.08	120	8960	5100	4643	9743
9.	हिमाचल प्रदेश	5.93	7.56	127	2873	983	2048	3031
10.	जम्मू-कश्मीर	18.41	20.01	109	8924	1525	6706	8231
11.	झारखंड	64.24	88.23	137	34261	52904	22499	75403
12.	कर्नाटक	94.00	96.39	103	50136	33774	23170	56944
13.	केरल	52.28	51.69	99	27880	20696	15717	36413
14.	मध्य प्रदेश	75.04	95.92	128	40022	26750	32670	59420
15.	महाराष्ट्र	147.15	149.61	102	78478	38211	55843	94054
16.	मणिपुर	8.24	8.76	106	3996	3665	1297	4962
17.	मेघालय	14.35	9.19	64	6959	3159	3519	6678
18.	मिजोरम	3.06	3.31	108	1483	1338	844	2182
19.	नागालैंड	9.50	9.28	98	4605	7308	641	7949
20.	उड़ीसा	141.50	150.47	106	75465	37479	49591	87070
21.	पंजाब	20.78	15.24	73	11081	5967	1901	7868
22.	राजस्थान	60.13	64.94	108	32070	20002	18469	38471
23.	सिक्किम	1.82	1.97	108	881	790	506	1296
24.	तमिलनाडु	97.69	99.99	102	52101	28124	38310	66434
25.	त्रिपुरा	18.49	20.71	112	8967	1176	10726	11902
26.	उत्तर प्रदेश	323.49	354.70	110	172527	92306	93235	185541
27.	उत्तरांचल	16.22	18.06	111	7863	12488	9234	21722
28.	पश्चिम बंगाल	195.18	193.56	99	104098	66588	32671	99259
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.09	0.00	0	1238	55	35	90
30.	दादरा व नगर हवेली	0.52	0.26	50	206	83	0	83
31.	दमन और दीव	0.23	0.00	0	92	6	0	6
32.	लक्षद्वीप	0.20	0.33	165	80	19	29	48
33.	पांडिचेरी	1.54	0.00	0	617	125	113	238
	जोड़	2732.40	2738.21	100	1441241	867694	683991	1551685

कृपया ध्यान दें : राज्यों द्वारा वास्तविक अवधि सूचित करने की अवधि 2005-06 दिसम्बर, 2005 से मार्च, 2006 तक भिन्न-भिन्न होती है।

भारत निर्माण - ग्रामीण टेलीफोनी घटक वित्तीय एवं वास्तविक विवरण 2005-06

कार्यक्रम : सैटेलाइट आधारित और अन्य तकनीक के माध्यम से ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सम्पर्क प्रदान करना

(सार्वजनीन सेवा दायित्व निधि के माध्यम से पात्र कुल 66822 गावों को शामिल करने के लिए कुल लागत 451 करोड़ रुपये)

वर्ष 2005-06 के लिए आबंटन 47.35 करोड़ रुपये

आबंटन मापदण्ड : मांग आधारित

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/सेवा क्षेत्र*	वित्तीय			चीलेपबंस		
		मार्च, 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि	टेलीफोन मुहैया कराए जाने के लिए कुल गांव	वर्ष 2005-06 में शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या	दिसम्बर, 2005 तक शामिल किए गए गांव	चौथी तिमाही में शामिल किए गए गांव	वर्ष 2005-06 (मार्च 2006 तक) में शामिल कुल गांव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.613	1074	179	29	198	227
2.	असम	0.323	8931	1725	390	2489	2879
3.	बिहार	0.000	–	0	0	0	0
4.	झारखंड	0.000	1694	326	0	-22	-22
5.	गुजरात (दमन और दीव व दादरा व नगर हवेली शामिल)	3.080	4144	603	308	771	1079
6.	हरियाणा	0.000	–	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0.628	1002	200	0	234	234
8.	जम्मू-कश्मीर	0.264	1755	317	16	54	70
9.	कर्नाटक	0.000	–	0	0	0	0
10.	केरल (लक्षद्वीप शामिल)	0.000	–	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	11.790	11894	1869	948	3980	4928
12.	छत्तीसगढ़	1.658	5043	975	217	1327	1544
13.	महाराष्ट्र (गोवा शामिल)	4.230	6441	1001	345	1048	1393
14.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	0.069	2128	409	1	-38	-37
15.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड)	0.000	1550	304	0	9	9
16.	उड़ीसा	0.000	4899	980	0	0	0
17.	पंजाब	0.000	–	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	राजस्थान	11.549	12386	2263	1839	3001	4840
19.	तमिलनाडु (पांडिचेरी शामिल)	0.000	–	0	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.000	–	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.000	–	0	0	0	0
22.	उत्तरांचल	0.000	3881	754	11	237	248
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम शामिल)	0.000	–	0	0	0	0
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	–	0	0	0	0
	जोड़	34.204	66822	11905	4104	13288	17392

बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय राशि 72 प्रतिशत है

*नेट अतिरिक्त गांव जिन्हें वीपीटी मुहैया कराई गई मात्र 17392 गांव हैं क्योंकि वर्ष 2005-06 में झारखण्ड के 22 गांवों और पूर्वोत्तर के 37 गांवों को शामिल नहीं किया गया था।

**वर्ष 2004-05 में 7295 वीपीटी पहले ही मुहैया करा दिया गया था।

विवरण II

भारत निर्माण - ग्रामीण विद्युतीकरण घटक - वित्तीय एवं वास्तविक ब्यौरा 2006-07 (26.6.2006 तक)
कार्यक्रम : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
बजट आबंटन 2006-07 : 3000 करोड़ रुपये
वास्तविक लक्ष्य : 40000 गांवों को शामिल किया जाना
आबंटन मापदण्ड : मांग आधारित
निधिकरण प्रक्रिया 90:10 (केन्द्रीय अनुदान : आरईसी ऋण)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	जून, 2006 तक जारी आकलित केन्द्रीय राशि करोड़ रुपये	वर्ष 2006-07 में शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या	जून, 2006 तक शामिल किए गए गांवों की आकलित संख्या	जून, 2006 तक शामिल किए गए कुल आकलित ग्रामीण परिवार	जून, 2006 तक शामिल कुल आकलित बीपीएल परिवार
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार	407.59	–	2076	11000	487
2.	चंडीगढ़*	6.50	–	–	–	–
3.	गुजरात	3.99	–	–	–	–
4.	झारखंड*	3.50	–	–	–	–
5.	कर्नाटक	84.18	–	397	40000	12268
6.	उड़ीसा*	3.50	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
7.	राजस्थान	87.05	–	230	505	0
8.	उत्तर प्रदेश	1127.19	–	9862	17969	13874
9.	उत्तरांचल	74.50	–	100	1450	997
10.	पश्चिम बंगाल	156.11	–	457	3799	2941
	जोड़					
	अन्य					
	बीपीएल दावे					
	कार्यकलापों के लिए @1%	75.224				
	जोड़	2029.33	40000	13122	74723	30567

*जारी की गई निधि डीपीआर, जिसे तैयार किया जा रहा है, के लिए अग्रिम के रूप में है
नोट: सूचित की गई वित्तीय और वास्तविक प्रगति वर्ष 2005-06 से आकलित है।

भारत निर्माण - सिंचाई घटक वित्तीय ब्यौरा 2006-07

कार्यक्रम : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

बजट आबंटन 7121 करोड़ रुपये है जिसमें से 2350 करोड़ रुपये अनुदान है।

वास्तविक लक्ष्य : 2.40 एमएचए सिंचाई संभावना सृजित करना

उपलब्धि अगले वित्तीय वर्ष 2007-08 में ज्ञात होंगी।

अधिकतम सीमा निर्धारण : पिछले तीन वर्षों में राज्यों के निष्पादन और चालू वर्ष में उनकी आवश्यकताओं के आधार पर

निधिकरण की प्रक्रिया : विशेष श्रेणी राज्य 90:10 (अनुदान : ऋण)

अन्य राज्य 30 : 70 (अनुदान : ऋण)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित अधिकतम सीमा	अनुदान	ऋण	जून, 2006 तक जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1500.00	450.00	1050.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	27.00	3.00	
3.	असम	50.00	45.00	5.00	
4.	बिहार	250.00	75.00	175.00	
5.	छत्तीसगढ़	150.00	45.00	105.00	

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	60.00	18.00	42.00	
7.	गुजरात	1100.49	330.15	770.34	
8.	हरियाणा	40.00	12.00	28.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	40.00	36.00	4.00	
10.	जम्मू-कश्मीर	60.00	54.00	6.00	
11.	झारखंड	45.00	13.50	31.50	
12.	कर्नाटक	500.00	150.00	350.00	
13.	केरल	60.00	18.00	42.00	
14.	मध्य प्रदेश	1000.00	300.00	700.00	
15.	महाराष्ट्र	1200.00	360.00	840.00	
16.	मणिपुर	1500.00	135.00	15.00	जून, 2006 तक कोई अनुदान राशि जारी नहीं
17.	मेघालय	5.00	4.50	0.50	
18.	मिजोरम	25.00	22.50	2.50	
19.	नागालैंड	20.00	18.00	2.00	
20.	उड़ीसा	500.00	150.00	350.00	
21.	पंजाब	100.00	30.00	70.00	
22.	राजस्थान	400.00	120.00	280.00	
23.	सिक्किम	5.00	4.50	0.50	
24.	तमिलनाडु	10.00	3.00	7.00	
25.	त्रिपुरा	30.00	27.00	3.00	
26.	उत्तर प्रदेश	500.00	150.00	350.00	
27.	उत्तरांचल*	60.00	54.00	6.00	
28.	पश्चिम बंगाल	50.00	15.00	35.00	
	जोड़	7940.49	2667.15	5273.34	0.00

नोट: अनुमोदित अधिकतम सीमा को बजट आबंटन की तुलना में उच्च रखा गया।

भारत निर्माण पेयजल घटक ब्यौरे 2006-07

कार्यक्रम : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)

वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2006-07 का बजट आबंटन 5200 करोड़ रुपये

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय (करोड़ रुपये)				
		एआरडब्ल्यूएसपी सामान्य		आवंटन के प्रतिशत के रूप में सामान्य जारी	स्वजलधारा अंतर्गत जारी	कुल जारी
		आबंटन	6/2006 तक जारी			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	195.48	97.74	50		
2.	अरुणाचल प्रदेश	98.43				
3.	असम	166.01				
4.	बिहार	165.57	20.89	13		
5.	छत्तीसगढ़	58.39	29.20	50		
6.	गोवा	2.26	1.13	50		
7.	गुजरात	125.03	62.52	50		
8.	हरियाणा	40.53	20.27	50		
9.	हिमाचल प्रदेश	96.63	48.32	50		
10.	जम्मू-कश्मीर	233.26	116.63	50		
11.	झारखंड	64.74	32.37	50		
12.	केरल	174.67	87.34	50		
13.	कर्नाटक	62.16				
14.	मध्य प्रदेश	167.59	83.80	50		
15.	महाराष्ट्र	322.32	161.16	50		
16.	मणिपुर	33.79	16.90	50		
17.	मेघालय	38.93	19.47	50		

1	2	3	4	5	6	7
18.	मिजोरम	27.91	13.96	50		
19.	नागालैंड	28.65				
20.	उड़ीसा	92.12				
21.	पंजाब	36.54	18.27	50		
22.	राजस्थान	264.25	132.13	50		
23.	सिक्किम	11.75	5.88	50		
24.	तमिलनाडु	120.57	60.29	50		
25.	त्रिपुरा	34.53	17.27	50		
26.	उत्तर प्रदेश	279.90	139.95	50		
27.	उत्तरांचल	67.07				
28.	पश्चिम बंगाल	140.92	70.46	50		
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.33				
30.	दादरा व नगर हवेली	0.06				
31.	दमन और दीव	0.14				
32.	दिल्ली	0.00				
33.	लक्षद्वीप	0.04				
34.	पांडिचेरी	0.39				
35.	चंडीगढ़	0.05				
	जोड़	3151.00	1255.95	40	0.00	1255.95
	मानी व मूल्यांकन, एम एण्ड आई सब-मिशन, एचआरडी/प्रशिक्षण, आईईसी, एमआईएस आपदा आदि	2049.00	4.19			4.19
	कुल जोड़	5200.00	1260.14	24	0.00	1260.14

भारत निर्माण पेयजल घटक ब्यौरे 2006-07
कार्यक्रम : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)
वर्ष 2006-07 के दौरान वास्तविक निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य								उपलब्धि (14 जून, 2006 तक)							
		कैप 99			स्टीपड बैक आक्सस स्वल			न्यूए	कुल	कैप 99			स्टीपड बैक आक्सस स्वल			न्यूए	कुल
		एनसी	पीसी	कुल	एनसी	पीसी	कुल	आक्सस	जोड़	एनसी	पीसी	कुल	एनसी	पीसी	कुल	आक्सस	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	457	3000	3457	500	3957	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	26	150	176	684	323	1007	88	1271	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	103	2500	2603	500	1544	2044	375	5022	0	0	0	0	0	0	0	52
4.	बिहार	0	0	0	2000	1000	3000	2116	5116	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	2000	1500	3500	400	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	36	36	43	1500	1543	750	2329	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	150	186	336	50	386	0	0	0	0	16	16	0	16
9.	हिमाचल प्रदेश	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	60	60	0	0	0	0	60
10.	जम्मू-कश्मीर	198	800	998	0	0	0	10	1008	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	3000	402	3402	400	3802	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	2694	2694	0	0	0	2639	5333	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	804	804	0	0	0	261	1065	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	2600	3000	5600	1363	6963	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	137	6000	6137	600	686	1286	250	7673	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	100	3	103	20	123	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	60	65	500	105	605	30	700	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	24	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	25	102	127	97	0	97	50	274	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	2500	0	2500	1726	4226	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	83	599	682	0	0	0	200	882	2	0	2	0	2	2	0	4
22.	राजस्थान	527	0	527	326	1000	1326	1000	2853	7	0	7	6	362	368	8	383
23.	सिक्किम	0	66	66	0	72	72	246	164	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	2000	2000	350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	28	44	72	246	318	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	2800	3000	5800	922	6722	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	10	65	75	0	0	0	0	75	1	1	2	25	69	94	0	96
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2250	2250	1200	3450	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दादरा व नगर हवेली	6	10	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0	36	36	0	0	0	28	64	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	जोड़	1120	17000	18120	18385	21615	40000	15000	73120	10	61	71	31	449	480	8	611

एनसी - शामिल नहीं पीसी - आंशिक रूप में शामिल क्यूएईबस - गुणता प्रभावित आवास स्थल

भारत निर्माण - ग्रामीण सड़क घटक वित्तीय उपलब्धि 2006-07

कार्यक्रम : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

बजट आबंटन 2006-07 5225.62 करोड़ रुपये तथा नाबार्ड विण्डो से संभावित 4000 करोड़ रुपये

वास्तविक लक्ष्य : राज्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् निर्धारित किया जाएगा

आबंटन मापदण्ड : (क) हाई स्पीड डीजल पर उपकर (1 रुपये/लिटर)

(1) 75% की आवश्यकता है (देश में सम्पर्क रहित आवास स्थलों का हिस्सा)

(2) शामिल 25% (देश में संपर्क रहित आवास स्थलों में संपर्क स्थापित आवास स्थलों का हिस्सा)

(ख) हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उपकर (50 पैसे/लिटर)

(1) भारत निर्माण के तहत बनाए जाने वाली सड़क की लम्बाई

निधिकरण प्रक्रिया : 100/केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय (करोड़ रुपये)		
		वर्ष 2006-07 में केन्द्रीय आबंटन	जून, 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि	आबंटन के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	0.00	0

1	2	3	4	5
3.	असम	276.00	0.00	0
4.	बिहार	332.00	134.52	41
5.	छत्तीसगढ़	435.00	428.52	99
6.	गोवा	5.00	0.00	0
7.	गुजरात	60.00	0.00	0
8.	हरियाणा	25.00	45.11	180
9.	हिमाचल प्रदेश	232.00	0.00	0
10.	जम्मू-कश्मीर	60.00	0.00	0
11.	झारखंड	245.00	0.00	0
12.	कर्नाटक	105.00	0.00	0
13.	केरल	25.00	0.00	0
14.	मध्य प्रदेश	685.00	393.98	58
15.	महाराष्ट्र	140.00	0.00	0
16.	मणिपुर	28.00	0.00	0
17.	मेघालय	40.00	0.00	0
18.	मिजोरम	27.00	0.00	0
19.	नागालैण्ड	25.00	0.00	0
20.	उड़ीसा	368.00	365.48	99
21.	पंजाब	30.00	0.00	0
22.	राजस्थान	604.00	594.33	98
23.	सिक्किम	25.00	0.00	0
24.	तमिलनाडु	85.00	0.00	0
25.	त्रिपुरा	35.00	0.00	0
26.	उत्तर प्रदेश	520.00	2.00	0
27.	उत्तरांचल	95.00	0.00	0
28.	पश्चिम बंगाल	321.00	50.00	16
	जोड़	4980.00	2013.94	40

भारत निर्माण - ग्रामीण सड़क घटक वास्तविक उपलब्धियां 2006-07

कार्यक्रम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य 2006-07			जून, 2006 तक उपलब्धियां		
		आवास स्थलों की संख्या	नए संपर्क (कि.मी.)	उन्नयन (कि.मी.)	आवास स्थलों की संख्या	नए संपर्क (कि.मी.)	उन्नयन (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2258.652			
2.	अरुणाचल प्रदेश	85	637.5	0.000			
3.	असम	1988	2864.063	2005.710			
4.	बिहार	2062	3928.75	2393.617			
5.	छत्तीसगढ़	1310	4367.606	1986.063			
6.	गोवा	0	0	190.114			
7.	गुजरात	246	429.723	1557.114			
8.	हरियाणा	0	0	1146.789			
9.	हिमाचल प्रदेश	209	795.833	1515.923			
10.	जम्मू-कश्मीर	352	1059.49	1007.584			
11.	झारखंड	1295	2594.390	2108.433			
12.	कर्नाटक	0	0.000	2573.529			
13.	केरल	0	0.000	628.931			
14.	मध्य प्रदेश	1760	6162.451	5189.543			
15.	महाराष्ट्र	0	0.000	4334.365			
16.	मणिपुर	48	460.714	0.000			
17.	मेघालय	39	135.971	587.583			
18.	मिजोरम	39	274.819	257.998			
19.	नागालैंड	10	104.529	246.914			
20.	उड़ीसा	874	1985.609	4438.574			
21.	पंजाब	0	0.000	1483.051			
22.	राजस्थान	1252	3629.519	4764.543			
23.	सिक्किम	30	104.042	196.850			

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	0	0.000	2824.427			
25.	त्रिपुरा	183	261.740	373.737			
26.	उत्तर प्रदेश	1504	2390.632	7158.962			
27.	उत्तरांचल	106	422.008	889.454			
28.	पश्चिम बंगाल	2738	2572.767	2549.942			
	जोड़	16130	35182.156	54669.259	0	0.000	0.000

भारत निर्माण - आवास घटक वित्तीय एवं वास्तविक विवरण 2006-07

कार्यक्रम : इंदिरा आवास योजना

बजट आबंटन : 2950.00 करोड़ रुपये, वास्तविक लक्ष्य : 15.33 लाख आवास

आबंटन मापदण्ड : आवास अभाव के लिए 75 प्रतिशत वेटेज और योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित गरीबी अनुपात के लिए 25 प्रतिशत वेटेज

निधिकरण प्रक्रिया: 72:25 (केन्द्र : राज्य)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय (करोड़ रुपये)			वास्तविक	
		वर्ष 2006-07 में केन्द्रीय आबंटन	जून, 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि	आबंटन के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय राशि	वर्ष 2006-07 में बनाए जाने के लिए आवासों की कुल संख्या	जून, 2006 तक बनाए गए आवासों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	259.39	-	-	138342	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.19	-	-	4939	-
3.	असम	225.25	-	-	109214	-
4.	बिहार	765.66	-	-	408350	-
5.	छत्तीसगढ़	40.11	-	-	21393	-
6.	गोवा	1.60	-	-	852	18
7.	गुजरात	127.21	-	-	67846	-
8.	हरियाणा	17.86	-	-	9526	-
9.	हिमाचल प्रदेश	6.30	-	-	3054	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू-कश्मीर	19.57	–	–	9487	–
11.	झारखंड	68.29	–	–	36423	–
12.	कर्नाटक	99.94	1.13	1.1	53299	–
13.	केरल	55.57	–	–	29639	–
14.	मध्य प्रदेश	79.78	–	–	42548	–
15.	महाराष्ट्र	156.43	–	–	83430	–
16.	मणिपुर	8.84	–	–	4287	–
17.	मेघालय	15.40	–	–	7467	–
18.	मिजोरम	3.28	–	–	1591	–
19.	नागालैंड	10.19	–	–	4941	–
20.	उड़ीसा	150.43	0.09	0.1	80228	–
21.	पंजाब	22.09	–	–	11780	27
22.	राजस्थान	63.93	–	–	34094	–
23.	सिक्किम	1.95	–	–	945	–
24.	तमिलनाडु	103.85	–	–	55389	–
25.	त्रिपुरा	19.84	–	–	9621	–
26.	उत्तर प्रदेश	343.90	–	–	183414	–
27.	उत्तरांचल	17.24	–	–	8359	106
28.	पश्चिम बंगाल	207.50	–	–	110667	–
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.29	–	–	1316	–
30.	दादरा व नगर हवेली	0.55	–	–	219	–
31.	दमन और दीव	0.25	–	–	98	–
32.	लक्षद्वीप	0.21	–	–	85	–
33.	पांडिचेरी	1.64	–	–	655	–
	जोड़	2907.53	1.22	1.19	1533498	151

भारत निर्माण - ग्रामीण टेलीफोनी घटक वित्तीय एवं वास्तविक विवरण 2006-07

कार्यक्रम : सैटेलाइट आधारित और अन्य तकनीक के माध्यम से ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सम्पर्कता प्रदान करना

(सार्वजनीन सेवा दायित्व निधि के माध्यम से पात्र 66822 गांवों को कवर करने हेतु कुल लागत 451 करोड़ रुपये)

वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन 117.11 करोड़ रुपये

आबंटन मापदण्ड : मांग आधारित

क्र.सं.	राज्य/सेवा क्षेत्र*	वित्तीय (करोड़ रुपये)	वास्तविक		
		जून, 2006 तक जारी केन्द्रीय राशि	टेलीफोन सुविधा कराए जाने के लिए कुल गांव**	वर्ष 2006-07 में शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या	जून, 2006 तक शामिल किए गए गांव
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	1074	375	9
2.	असम	–	8931	2675	597
3.	बिहार	–	–	0	0
4.	झारखंड	0.310	1694	500	4
5.	गुजरात (दमन और दीव व दादरा व नगर हवेली शामिल)	–	4144	1250	218
6.	हरियाणा	–	–	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0.480	1002	300	396
8.	जम्मू-कश्मीर	–	1755	525	41
9.	कर्नाटक	–	–	0	0
10.	केरल (लक्षद्वीप शामिल)	–	–	0	0
11.	मध्य प्रदेश	–	11894	3550	816
12.	छत्तीसगढ़	2.750	5043	1500	208
13.	महाराष्ट्र (गोवा शामिल)	–	6441	1950	187
14.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	1.470	2128	600	0
15.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	–	1550	450	45
16.	उड़ीसा	–	4899	1450	0
17.	पंजाब	–	–	0	0

1	2	3	4	5	6
18.	राजस्थान	–	12386	3700	229
19.	तमिलनाडु (पांडिचेरी शामिल)	–	–	0	0
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	–	–	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	–	–	0	0
22.	उत्तरांचल	–	3881	1175	44
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम शामिल)				
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह				
	जोड़	5.010	66822	20000	2794

बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में जारी केन्द्रीय राशि 0.8 प्रतिशत है

**66822 वीपीटीजी में से वर्ष 2005-06 तक 24687 वीपीटीजी पहले ही दिए जा चुके हैं

मुख्य चिकित्सा पद्धति के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति का समेकन

267. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति का मुख्य चिकित्सा पद्धति के साथ समेकन करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानित कितना खर्च आएगा;

(घ) इस समेकन से ग्रामीणों को किस प्रकार से मदद मिलेगी; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) आयुष को मुख्य धारा में लाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक मुख्य कार्यनीति है। आयुष का प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदानगी पद्धति के साथ एकीकरण स्थानीय तौर पर अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के राज्य विशिष्ट प्रस्तावों के जरिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित पहलों में ये शामिल हैं:-

1. सह-अवस्थिति अथवा संविदात्मक नियुक्तियों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष चिकित्सकों की व्यवस्था जो कार्मिकशक्ति और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष स्कंधों की स्थापना की जा रही जहां पर्याप्त उपकरण और औषधें उपलब्ध की जा रही हैं।

एलोपैथिक पद्धति के साथ आयुष के कार्यात्मक एकीकरण के लिए वित्त पोषण को मिशन के विभिन्न वर्षों के राज्य विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में जोड़ लिया जाएगा। कुल व्यय अलग-अलग राज्यों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, आयुष पद्धति के अधीन उपलब्ध परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति और संबंधित राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों पर निर्भर करेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति में आयुष पद्धति का एकीकरण करने से प्राकृतिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा को पुनर्जीवित करके मौजूदा प्रदानगी पद्धति पुनः लागू होगी जो समय के अनुरूप जांची गई, सुलभ और वहनीय है। इससे दक्ष स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानकर्त्ताओं का इष्टतम उपयोग भी होगा और सहभागिता से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी जहां पर एलोपैथिक चिकित्सा के डाक्टरों की उपलब्धता में कमी अथवा अभाव हो सकता है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 2012 तक की अवधि के लिए है और आयुष को मुख्य धारा में जोड़ने की कार्यनीतियां पहले ही विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

कुर्दिस्तान से भारतीयों को वापस लाना

268. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि आंध्र प्रदेश के लगभग 100 लोग कुर्दिस्तान में फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जी, हां। 78 भारतीय नागरिक, जिनमें से अधिकांश आंध्र प्रदेश के हैं, कुर्दिस्तान के इरबिल में फंसे हुए थे, जहां उन्हें 10 जून, 2006 को भिन्न-भिन्न एजेंटों द्वारा इराकी कंस्ट्रक्शन कंपनी (आईसीसी) नामक एक इराकी कंपनी के लिए कार्य करने हेतु दुबई से भेजा गया था। वहां ठहरने और कार्य करने की कठिन परिस्थितियों के कारण इन कामगारों ने वापस आने की इच्छा व्यक्त की। संबंधित इराकी प्राधिकारियों की मदद से इराक स्थित भारतीय मिशन उनके ठहरने के हालातों में सुधार लाने और उनकी वापसी की व्यवस्था करने में सक्षम था। 22 लोगों का पहला जत्था कुर्दिस्तान से दुबई होते हुए भारत के लिए 24 जून को चला। शेष 56 लोग दुबई होते हुए भारत के लिए 1 जुलाई, 2006 को चले।

(घ) उनकी भर्ती में शामिल एजेंटों के ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है और आप्रवासन अधिनियम, 1983 तथा उसके तहत प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की बिक्री

269. डा. के. धनराजू:
श्री निखिल कुमार:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमरीका और पाकिस्तान के बीच एफ-16 विमानों की बिक्री के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत की सुरक्षा को खतरे के मद्देनजर अमरीका से विरोध दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भारत के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) अमरीकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने 36 एफ-16 सी/डी ब्लाक 50-52 विमान की संभावित बिक्री के बारे में अमरीकी कांग्रेस को 28 जून, 2006 को अधिसूचित किया है। डीएससीए ने 60 एफ-16 ए/बी मिड-लाइफ अपडेट मोडिफिकेशन किट और फैल्कन स्टार स्ट्रक्चर्ड सर्विस लाइफ इनहांसमेंट किटों की उससे संबंधित उपकरणों और सेवाओं के साथ संभावित आपूर्ति के अपने अभिप्राय के बारे में भी अधिसूचित कर दिया है।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की आपूर्ति की अमरीकी योजना का मुद्दा कुछ समय से अमरीकी सरकार के साथ चर्चा का विषय रहा है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की आपूर्ति के अमरीकी दृष्टिकोण पर अमरीका के राष्ट्रपति को अपनी चिन्ता से भी पूर्व में अवगत करा चुके हैं। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने 3 जुलाई, 2006 को यह वक्तव्य देते हुए भारत की चिन्ता को दुहरायी है कि यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधार लाने के प्रतिकूल है।

(च) सरकार, पाकिस्तान को उच्च सैन्य प्रौद्योगिकी, जिसका प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जा सकता है, की बिक्री को सीमित करने के लिए अमरीकी सरकार के साथ निरन्तर बात करती रहेगी। साथ ही सरकार भारतीय सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी खतरों से मुकाबला करने के लिए आधुनिकतम बनाना और सुसज्जित करना जारी रखेगी।

सीजीएचएस लाभार्थियों हेतु सरकारी अस्पतालों में पृथक स्कंध

270. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/नयी दिल्ली में उन सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जहां सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए पृथक स्कंध कार्यरत हैं;

(ख) क्या सीजीएचएस लाभार्थी इन इकाइयों में चिकित्सार्थ सीधे जा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन इकाइयों में तैनात चिकित्सक/कर्मचारी सीजीएचएस लाभार्थियों की चिकित्सा करने से मना करते हैं यदि उनका मामला संबंधित सीजीएचएस औषधालय से रेफर नहीं किया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अलग से सीजीएचएस स्कंध कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) 12,000/- रुपए के मूल वेतन+महंगाई भत्ता अर्थात् 18,000/- रुपये और उससे ऊपर वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी उपर्युक्त दो अस्पतालों में मिलने का समय लेने के बाद चिकित्सक से सीधे परामर्श ले सकते हैं। अन्य रोगियों को संबंधित औषधालयों द्वारा रेफर किया जाता है लेकिन किसी भी रोगी को चिकित्सक द्वारा अस्पतालों में रेफर किए बगैर आने पर भी देखने से इनकार नहीं किया जाता है।

(घ) ऊपर (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नौकरशाहों के लिए प्रशासनिक उपाय

271. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र में नौकरशाहों के लिए नए प्रशासनिक उपाय शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित प्रशासनिक सुधारों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने लोक प्रशासन प्रणाली को पुनर्संज्जित करने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 31.8.2005 को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर नये प्रशासनिक उपायों को लागू किया जायेगा। इस दौरान, प्रारंभिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए भारत सरकार ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों एवं अनिवार्य मध्य-व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्थान पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। ये कदम अधिकारियों के उत्तरदायित्वता को बढ़ाने एवं उनकी कुशलता को उन्नत करने में मदद करेंगे।

[हिन्दी]

गरीबी पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा सर्वेक्षण

272. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में गरीबों की संख्या 28 करोड़ 56 लाख को पार कर गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की देश में गरीबी कम करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के प्रसार का अनुमान, विशेषज्ञ दल द्वारा दी गई पद्धतियों (गरीबों के अनुपात और संख्या के आंकलन संबंधी लाकड़ावाला समिति) के अनुसार लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण, से लगाता है। इस तरह के सर्वेक्षण से उपलब्ध नवीनतम आंकड़े एनएसएस के 55वें दौर से प्राप्त किए गए हैं, जो वर्ष 1999-2000 में कराया गया था। उपर्युक्त सर्वेक्षण पर आधारित अनुमानों के अनुसार, देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान 26.02 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उपर्युक्त पंचवार्षिक दौर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) दसवीं योजना अवधि और उससे आगे के लिए मानीटर किए जाने वाले लक्ष्यों के अंतर्गत, सरकार ने वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत बिन्दु और वर्ष 2012 तक 15 प्रतिशत बिन्दु तक गरीबी कम करने का अनुमान लगाया था। सरकार ने गरीबी कम करने के लिए त्रि-आयामी कार्यनीति अपनाई है: (1) रोजगार गहन क्षेत्रकों पर सकेन्द्रण सहित आर्थिक विकास को तेज करना; (2) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव और समाज विकास; और (3) लक्षित गरीबी रोधी कार्यक्रम।

ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम हैं: (1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), (2) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (3) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और (4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)। इस कार्यक्रम का आशय शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को माइक्रो उद्यम स्थापित करके तथा उनके श्रम को उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपयोग करके दिहाड़ी रोजगार प्रावधान के माध्यम से उन्हें लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) चुनिंदा 63 मिशन शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एकीकृत आवास व स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) 63 मिशन शहरों को छोड़कर सभी शहरों और नगरों में लागू है। आईएचएसडीपी का मूल लक्ष्य स्लम निवासियों को पर्याप्त आश्रय और मूल अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करा कर स्वस्थ और सशक्त शहरी वातावरण सहित समग्र स्लम विकास हेतु प्रयास करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए लक्षित है। "अन्त्योदय अन्न योजना" निर्धनतम परिवारों को उच्चतम सब्सिडीकृत दर पर 35 कि. ग्राम खाद्यान्न, 2 रु. किलो गेहूं और 3 रु. किलो चावल उपलब्ध कराती है। हाल ही में अन्त्योदय अन्न योजना को 2.0 करोड़ (बीपीएल) परिवारों से बढ़ाकर वर्ष 2005 में 2.5 करोड़ परिवार तक किया गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे लाभभोगियों की पहचान करते समय निर्धनतम और पिछड़े ब्लाकों और/अथवा पौषणिक कमी वाले परिवारों को प्राथमिकता दें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1999-2000 में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या और उसकी प्रतिशतता

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैण्ड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादर और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन और दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारत	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणी:

1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात करने में प्रयोग किया गया है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण को जम्मू और कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा और नागर हवेली के व्यय वितरण का दादरा और नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।
7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राप्त शिकायतें

273. **श्री राजेश पाठक:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को गत एक वर्ष के दौरान आज तक विशेषत: जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों विशेषत: जन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतों की जांच करायी गयी है या करायी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि उसे विगत एक वर्ष के दौरान, आज की तारीख तक जन प्रतिनिधियों से 142 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ) जन प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर आयोग की नीति अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसके अनुसार केवल सतर्कता स्वरूप वाली शिकायतों की ही जांच-पड़ताल की जाती है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों द्वारा हड़ताल

274. **श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री नवीन जिन्दल:
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई में चिकित्सकों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस हड़ताल के परिणामत: स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावित हुई;

(घ) क्या हड़ताली चिकित्सकों को हड़ताल समाप्त करने के लिए कोई आश्वासन दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हड़ताली व धरना देने वाले एम्स के चिकित्सकों का उक्त अवधि का वेतन नहीं काटा जाना चाहिए;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या उक्त निर्देश का पूर्णत: पालन किया गया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ञ) सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थानों में रेजीडेंट डाक्टर और इंटर्न मई, 2006 में हड़ताल पर चले गए थे। वे सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे थे। आपातकालीन और अंतरंग चिकित्सा सेवाएं और बहिरंग रोगी सेवाएं उपलब्ध रही क्योंकि संकाय/वरिष्ठ डाक्टर हड़ताल पर नहीं थे। बहिरंग रोगी विभाग में सीजीएचएस, ईएसआई एवं रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों को केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में तैनात किया गया था। हड़ताल करने वाले डाक्टरों के साथ सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समझौते के लिए बातचीत की लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों पर रेजीडेंट डाक्टरों/इंटर्नों ने हड़ताल वापिस ले ली और 3 जून, 2006 के आस-पास कार्यभार ग्रहण किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2006 के आदेश में निर्देश दिया है कि 30 मई 2006 तक की अवधि तक हड़ताल पर रहने वाले चिकित्सकों का वेतन नहीं रोका जाना चाहिए। "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" संबंधी सरकारी अनुदेश में छूट देने के लिए अनुमोदन लेने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

275. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जैसा कि दिनांक 10 जून, 2006 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "सूचना का अधिकार-सुशासन की मास्टर कुंजी" नामक अपनी पहली रिपोर्ट दिनांक 09.06.2006 को प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम

276. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस संबंध में कोई आदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना देने से मना करने के विरुद्ध शिकायतें केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त की जानी होती हैं। इन शिकायतों की आयोग द्वारा जांच की जाती है तथा इसके द्वारा उपयुक्त आदेश पारित किए जाते हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से, कई कदम उठाए गए हैं। इनमें अधिनियम के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना, सरकारी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना, अधिनियम के परिचालन हेतु पर्याप्त बुनियादी ढांचा स्थापित करना, लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामोद्दिष्ट करना और कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उनके नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम का तीव्र और पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।

निजी क्षेत्र द्वारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

277. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र ने देश में असैनिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्रों को अनुमति देने हेतु नीति में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 'रिलायंस एनर्जी लिमिटेड' तथा 'टाटा पावर' ने परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि जाहिर की है। बहुत सी विदेशी फर्में भी, देश में परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कंपनी स्तर पर बातचीत कर रही हैं। तथापि, यह बातचीत केवल अन्वेषी स्वरूप की है।

(ग) से (ङ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत, परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की अनुमति केवल सरकारी कंपनियों को ही है। वर्तमान में, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) तथा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) नामक दो सरकारी कंपनियां परमाणु विद्युत रिएक्टरों की स्थापना और उनके परिचालन के काम में लगी हुई हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सफदरजंग अस्पताल में राष्ट्रीय हृदय संस्थान

278. श्री रामकृपाल यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सफदरजंग अस्पताल में एक नया राष्ट्रीय हृदय संस्थान खोलना है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कितना निवेश किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

रोग नियंत्रण

279. श्री सुव्रत बोस:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषत: पश्चिम बंगाल में वर्ष 2005-06 के दौरान यक्ष्मा, मलेरिया, कालाजार इत्यादि के कई मामले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेषत: पश्चिम बंगाल और दिल्ली के रोग वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में डीडीटी छिड़काव हेतु कदम उठाया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त रोगों के प्रभावी नियंत्रण हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन क्षयरोग के 13.05 लाख रोगी सूचित किए गए थे जिनमें पश्चिम बंगाल के 1.07 लाख रोगी शामिल हैं। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन पता लगाए गए और उपचार शुरू किए गए क्षयरोग के रोगियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में क्षय रोगियों की सूचना में वृद्धि का कारण संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की पहुंच में वृद्धि होना तथा कार्यक्रम प्रबंधन में सुधार होना और कार्यक्रम के अधिक लोकप्रिय होने के कारण रोगियों की बेहतर पहचान दर का होना है।

वर्ष 2005 और 2006 के दौरान देश में मलेरिया और कालाजार के रोगियों की सूचित की गई संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	मलेरिया के रोगी	कालाजार के रोगी
2005	1.81 मिलियन	31217
2006	0.24 मिलियन (जून तक)	12245 (अप्रैल तक)

* 1997 से मलेरिया रोगियों की वार्षिक सूचित की गई घटना लगातार कम होकर 2.66 मिलियन से हटकर 2005 में 1.81 मिलियन हो गई है। 2006 में जून तक 0.24 मिलियन रोगी सूचित किए गए हैं।

* कालाजार की घटना 1992 (कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू करने का वर्ष) में 77,099 रोगियों से घटकर 2005 में 31217 रोगी हो गई है। तथापि, 2006 के दौरान दर्ज किए गए रोगी 12245 हैं (अप्रैल तक रिपोर्ट)।

पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार स्थिति विवरण-II में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) स्थानिकमारी वाले क्षेत्र में मलेरिया की वार्षिक परजीवी घटना के आधार पर डीडीटी छिड़काव किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है जबकि दिल्ली मलेरिया का निम्न स्थानिकमारी वाला क्षेत्र है और शहरी क्षेत्रों में कम स्वीकार्यता के कारण डीडीटी छिड़काव की सिफारिश नहीं की जाती है।

(ङ) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसे व्यापक रूप से डाट्स (प्रत्यक्ष निगरानी उपचार लघु कोर्स) जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक संस्तुत कार्यनीति है, के रूप में जाना जाता है, को नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों की 85 प्रतिशत की रोगमुक्ति दर हासिल करने और ऐसे रोगियों में से कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाने के उद्देश्य से देश में चरणबद्ध ढंग से 1997 से एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। 23 मार्च, 2006 तक देश के सभी जिले संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जिसमें देश में सभी क्षय रोगियों को डाट्स सुलभ कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अधीन सभी रोगियों को क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित नैदानिक और उपचार सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। गुणवत्तायुक्त निदान हेतु सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक एक लाख जनसंख्या और जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक 50,000 जनसंख्या के लिए नामोद्दिष्ट सूक्ष्मदर्शी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक्सरे की बजाए स्पूटम माइक्रोस्कोपी से अत्यधिक निदान से बचा जा सकता है।

निम्नलिखित तीन स्तरीय कार्यनीतियां प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए मलेरिया और कालाजार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं:-

1. रोग प्रबंधन
    * शुरू में रोगी का पता लगाना और पूरा उपचार करना।
    * रेफरल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
    * जानपदिक रोग विज्ञानी तैयारी और द्रुत अनुक्रिया।
2. एकीकृत वेक्टर प्रबंधन (संचरण जोखिम में कमी करने हेतु)
    * चुनिंदा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में घरों के अन्दर अवशिष्ट छिड़काव।
    * कीटनाशक और औषधों से संसाधित मच्छरदानियों का इस्तेमाल।
    * लार्वाभक्षी मछलियों का इस्तेमाल।
    * शहरी क्षेत्रों में जैव लार्वानाशकों सहित लार्वा रोधी उपाय।
    * लघु पर्यावरणिक इंजीनियरिंग।
3. सहयोगी कार्यकलाप:
    * व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण।
    * सार्वजनिक निजी सहभागिता और अन्तरक्षेत्रीय कन्वरजेंस।
    * क्षमता निर्माण के जरिए मानव संसाधन विकास।
    * औषध प्रतिरोध क्षमता और कीटनाशक अतिसंवेदनशीलता पर अध्ययनों सहित प्रचालनात्मक अनुसंधान।
    * आवधिक समीक्षाओं/फील्ड दौरों तथा वेब आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली के जरिए मानीटरिंग और मूल्यांकन।

विवरण I

2004-05 और 2005-06 वर्षों के दौरान क्षय रोग कार्यक्रम के अधीन पता लगाए गए और उपचार शुरू किए गए रोगियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	595	733
2.	आंध्र प्रदेश	109365	108679
3.	अरुणाचल प्रदेश	2057	2346
4.	असम	28551	29494
5.	बिहार	24422	30828
6.	चंडीगढ़	2208	2478
7.	छत्तीसगढ़	23822	23515
8.	दादरा और नगर हवेली	0	141
9.	दमन और दीव	0	158
10.	दिल्ली	43809	45717
11.	गोवा	509	1731
12.	गुजरात	80625	77087
13.	हरियाणा	33606	34516
14.	हिमाचल प्रदेश	13458	13697
15.	जम्मू-कश्मीर	6089	5922
16.	झारखंड	20031	26160
17.	कर्नाटक	65403	68728
18.	केरल	25439	25074

1	2	3	4
19.	लक्षद्वीप	–	4
20.	मध्य प्रदेश	68260	72296
21.	महाराष्ट्र	143766	144564
22.	मणिपुर	5042	4639
23.	मेघालय	3800	3889
24.	मिजोरम	2035	1942
25.	नागालैण्ड	2707	2770
26.	उड़ीसा	43238	44501
27.	पांडिचेरी	1203	1462
28.	पंजाब	23304	30764
29.	राजस्थान	105596	104315
30.	सिक्किम	1724	1572
31.	तमिलनाडु	96639	92540
32.	त्रिपुरा	924	1730
33.	उत्तर प्रदेश	164406	182723
34.	उत्तरांचल	10872	10825
35.	पश्चिम बंगाल	104026	107737
	कुल	1257532	1305277

विवरण II

देश में सूचित किए गए मलेरिया और कालाजार के रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मलेरिया के रोगी		कालाजार के रोगी	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	37720	7984		
अरुणाचल प्रदेश	31215	2445		
असम	67885	76029	1	0
बिहार	2733	272	21797	9163
छत्तीसगढ़	187950	0		
गोवा	3747	790		
गुजरात	179023	9471		
हरियाणा	33262	1831		
हिमाचल प्रदेश	129	9		
जम्मू-कश्मीर	268	15		
झारखंड	192334	25543	6578	2282
कर्नाटक	83181	14759		

1	2	3	4	5
केरल	2121	365		
मध्य प्रदेश	104317	11044		
महाराष्ट्र	47632	7125		
मणिपुर	1844	0		
मेघालय	16816	1883		
मिजोरम	10526	1435		
नागालैंड	2987	359		
उड़ीसा	391261	40204		
पंजाब	1883	20		
राजस्थान	52286	2754		
सिक्किम	69	19		
तमिलनाडु	39678	0		
त्रिपुरा	18008	3734		
उत्तरांचल	1242	119		
उत्तर प्रदेश	105303	11520	73	0
पश्चिम बंगाल	185964	10752	2706	789
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3954	771		
चंडीगढ़	432	28		
दादरा और नगर हवेली	1166	209		
दमन और दीव	104	17		
दिल्ली	1133	47	62*	11*
लक्षद्वीप	0	0		
पांडिचेरी	44	10		
अखिल भारतीय कुल	1808217	231563	31217	12245

*दिल्ली सभी कालाजार के रोगी बाहर से आए हुए रोगी हैं।

कोयले का आयात

280. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया और उसकी कीमत कितनी थी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में कोयले का भंडार और संभावित उत्पादन अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बावजूद कोयला आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन/मिलियन रुपए)

वर्ष	आयतित कोयला	मूल्य
2003-04	21.683	50087
2004-05	28.950	102660
2005-06 (अनुमानित)	36.869	143262

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 2006-07 के अनुसार मौजूदा वर्ष के दौरान अनुमानित कच्चे कोयले की मांग 474.18 मिलियन टन होगी। इसे 432.39 मिलियन टन की घरेलू आपूर्ति से पूरा करने की योजना है तथा 41.79 मिलियन टन के अंतर को इस्पात क्षेत्र के लिए 24.19 मि.ट. के कोकिंग कोयले और विद्युत, सीमेंट एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 17.60 मि.ट. के नान-कोकिंग कोयले का आयात करके पूरा किया जाएगा।

(घ) और (ङ) सरकार कोयले का आयात नहीं करती है। चूंकि कोयला खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत है इसलिए उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। कम राख की मात्रा वाले कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयले की सीमित स्वदेशी उपलब्धता, आयातित कोयले के उपयोग की आवश्यकता वाले पर्यावरणीय महत्व तथा अवस्थिति विशिष्ट अवतरित लागत के कारण कोयले का आयात किया जाता है।

(च) कोल इंडिया लि. ने स्वदेशी उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए निम्नलिखित उपाय किए है:-

(1) 10वीं योजना के दौरान 100 खनन परियोजनाएं शुरू करने का विचार किया गया है।

(2) उपकरणों के उपयोग में सुधार।

(3) परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन।

(4) मौजूदा खानों का यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण।

(5) सभी नयी खानों की यंत्रीकरण के साथ आयोजना की जा रही है।

(6) भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों दोनों में उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करना।

(7) मौजूदा खानों/परियोजनाओं में उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन कोयला उत्पादन की आयोजना की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने केप्टिव उपयोग के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं को 97 कोयला ब्लाकों का आबंटन किया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सहायता का अप्रयुक्त रह जाना

281. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषत: उत्तर प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय सहायता गत वित्त वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रह गयी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि को राज्यों को पुन: आबंटित किया जाना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग वार्षिक योजना का अनुमोदन करते समय उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को परियोजना-वार केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं करता है। राज्यों के वार्षिक योजना आकार, जिसमें मूलत: राज्यों के अपने संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता शामिल होती है, के संबंध में निर्णय योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा एवं संसाधन उपलब्धता का आकलन करने के बाद लिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक योजना परिव्यय का क्षेत्रीय वितरण विभिन्न विषय प्रभागों के साथ कार्यदल के विचार-विमर्श के बाद किया जाता है। सामान्यत: राज्यों के पिछले वर्ष के क्षेत्र-वार व्यय योजना आयोग को आगामी वर्ष नवम्बर-दिसम्बर महीने में राज्यों द्वारा इसके प्रारूप वार्षिक योजना दस्तावेज में उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विशेष महत्व की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वार्षिक योजना 2006-07 को अंतिम रूप देते समय एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

282. श्री उदय सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित नीति का अभिप्राय एक व्यापक नीति से है जिसमें अभिगम, स्पैक्ट्रम आबंटन, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, अनियमन/ज्यादा सरलीकरण, मूल्यवर्द्धित सेवाएं तथा सेवा-गुणवत्ता आदि के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न पहलू शामिल हैं। मसौदा नीति को तैयार करने के लिए विभिन्न अंशधारियों ने अपनी टिप्पणियां पहले ही दे दी थी।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार करने में विभिन्न अंशधारियों के साथ विस्तृत परामर्श शामिल है। इसलिए, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को अंतिम रूप देने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अल्ट्रासाउंड हेतु अनिवार्य आनलाइन सूचना

283. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्ट्रासाउंड चिकित्सालयों के लिए गर्भवती महिलाओं का कोई अल्ट्रासाउंड परीक्षण करने से पहले कतिपय फार्म भरने को अनिवार्य करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे संबंधित उपबंध कब से लागू होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 और नियमावली, 1996 के प्रावधानों के अनुसार प्रसवपूर्व नैदानिक जांच कराने वाली प्रत्येक महिला अथवा पुरुष के संबंध में 'घ' से 'च' फार्मों में से एक फार्म में पंजीकृत क्लीनिक/केन्द्र द्वारा डाटा भरना अनिवार्य है। अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों को फार्म 'च' भरना अपेक्षित है। भरे हुए फार्मों की एक प्रति क्लीनिक पर रखनी अपेक्षित होती है और पूरी मासिक रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख तक समुचित प्राधिकारी को भेजनी अपेक्षित है।

फार्म 'च' के लिए एक डाटा एंट्री और रिपोर्ट जेनेरेशन साफ्टवेयर विकसित किया गया है और उसे पूरे देश में शुरू करने से पहले पूर्व-परीक्षण हेतु चुनिंदा राज्यों को भेजा गया है।

मेडिकल कालेजों को एम्स का दर्जा

284. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों में चुनिंदा मेडिकल कालेजों को एम्स का दर्जा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन मेडिकल कालेजों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने सहायता की मात्रा को घटाकर एकमुश्त वित्तीय अनुदान देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा करने तथा मेडिकल कालेजों का एम्स का दर्जा के अपने पहले के निर्णय को क्रियान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अल्प सेवित राज्यों में एम्स जैसे छह संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न अन्य राज्यों में तेरह (13) मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेज संस्थानों का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। इन मेडिकल कालेज संस्थानों में प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधाएं, कमियों का विश्लेषण करने और संस्थान और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं पर निर्भर करेंगी। पहले से उपलब्ध मौजूदा विशिष्टता/अति-विशिष्टता वाले विषयों सहित मौजूदा विभागों का सुदृढ़ीकरण अवश्य ही प्रस्तावित है। नए विशिष्टता/अति-विशिष्टता वाले विषयों की स्थापना पर भी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ग) से (ङ) प्रत्येक मेडिकल संस्थान के प्रस्तावित उन्नयन के लिए परिव्यय 120 करोड़ रुपये (लगभग) ही है। तथापि, इस 120 करोड़ रुपये में से केन्द्रीय सरकार की सहायता 100 करोड़ रुपये तक सीमित होगी और शेष 20 करोड़ रुपये संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनी संस्थाओं के कार्यकरण के सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में वहन किए जायेंगे।

एमपीलैड्स के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु समिति

285. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में जिला कलैक्टरों/मजिस्ट्रेटों तथा संसद सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष में कम से कम एक बार एमपीलैड्स क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमपीलैड्स धनराशि की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च, 2006 तक उपयोग न की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपयोग न किए गए अधिशेष को पूरे देश में समान रूप से संसदीय क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए, मुख्य सचिव/विकासायुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जिला प्राधिकारियों और सांसदों के साथ वर्ष में कम से कम एक बार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी।

(ग) और (घ) कुछ संसद सदस्यों ने एमपीलैड्स निधि की समीक्षा और योजना के अंतर्गत वार्षिक अनुदान बढ़ाने की मांग की है। तथापि, 2006-07 के बजट में इस समय निधियों का आबंटन प्रति संसद सदस्य 2 करोड़ रुपए की दर से है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 31.3.2004, 31.03.2005 और 31.3.2006 को उपयोग न की गई संचयी बकाया धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) एमपीलैड योजना में निधियां अव्यपगत होती हैं। जिले में बची हुई निधियों का उपयोग के लिए अनुवर्ती वर्षों में आगे ले जाया जा सकता है। एमपीलैड्स निधियों की बकाया राशि एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार आगे दे दी और वितरित कर दी जाती हैं। ये प्रावधान विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

अव्ययित शेष

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	31.03.2004 तक	31.03.2005 तक	31.03.2006 तक
1	2	3	4	5
	नामित	39.33	46.57	34.95
1.	आंध्र प्रदेश	181.06	136.73	129.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.8	4.57	2.67
3.	असम	52.99	44.64	45.51
4.	बिहार	181.68	152.62	183.56
5.	गोवा	13.22	7.46	7.66
6.	गुजरात	137.86	88.47	86.83
7.	हरियाणा	27.84	35.62	42.58
8.	हिमाचल	15.98	16.94	19.52
9.	जम्मू-कश्मीर	43.7	30.3	36.38
10.	कर्नाटक	81.13	60.97	78.91
11.	केरल	141.93	96.06	96.31
12.	मध्य प्रदेश	94.37	84.45	81.74
13.	महाराष्ट्र	247.69	182.27	184.17
14.	मणिपुर	4.06	6.6	8.49
15.	मेघालय	5.89	3.22	6.09
16.	मिजोरम	0.6	3.11	1.46
17.	नागालैंड	2.52	3.08	3.07
18.	उड़ीसा	147.57	93.87	102.01
19.	पंजाब	77.66	55.22	60.00
20.	राजस्थान	71.43	72.73	71.69
21.	सिक्किम	4.67	4.26	6.12
22.	तमिलनाडु	68.37	68.25	63.67
23.	त्रिपुरा	7.8	6.44	5.67

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	290.81	228.07	269.12
25.	पश्चिम बंगाल	267.13	170.71	147.34
26.	अंडमान निकोबार	1.1	2.1	2.08
27.	चंडीगढ़	0.73	1.58	1.94
28.	दादरा और नगर हवेली	1.53	1.85	1.03
29.	दमन व दीव	1.18	1.62	1.67
30.	दिल्ली	35.11	27.94	39.55
31.	लक्षद्वीप	5.79	5.25	4.72
32.	पांडिचेरी	9.24	8.14	6.48
33.	छत्तीसगढ़	44.5	27.04	29.4
34.	उत्तरांचल	24.09	19.14	16.08
35.	झारखंड	70.93	49.64	55.58
	कुल	2404.29	1847.53	1933.07

विवरण II

4.4 **निधियां अव्ययगत:** भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकारियों को जारी की गई निधियां अव्ययगत होती हैं जिलों के पास बची हुई निधियों को अनुवर्ती वर्षों में उपयोग हेतु अग्रेनीत किया जा सकता है। आगे, वे निधियां, जो भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में जारी न की गई हों, को अनुवर्ती वर्षों में जारी किए जाने के लिए अग्रेनीत किया जाएगा, बशर्ते पैरा 4.3 में निर्धारित मापदंड का अनुपालन हो।

4.7 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ववर्ती संसद सदस्य द्वारा छोड़ा गया सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों का शेष (वे निधियां जो अनुशंसित कार्यों के लिए न हों) उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती संसद सदस्य को दे दिया जाएगा।

4.8 राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, एक विशेष राज्य में, पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा एक केन्द्रक जिले में छोड़ा गया निधियों का शेष (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं), उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा।

तथापि, 1993-94 से 2004-05 तक राज्य सभा के पूर्व संसद सदस्यों के अव्ययित शेष यदि वह पहले वितरित न किया गया हो, को संबंधित राज्यों के वर्तमान राज्य सभा सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा।

4.9 केन्द्रक जिलों में राज्य सभा के नामित सदस्यों द्वारा छोड़ा गया निधियों का शेष (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं), भारत सरकार द्वारा राज्य सभा के नामित उत्तरवर्ती सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा।

तथापि, 1993-94 से 2004-05 तक राज्य सभा के पूर्व नामित सदस्यों द्वारा अव्ययित शेष यदि वह पहले वितरित न किया गया हो, को राज्य सभा के वर्तमान उत्तरवर्ती नामित सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा।

4.10 लोक सभा के नामित एंग्लो-इंडियन सदस्यों द्वारा छोड़ा गया अव्ययित शेष, भारत सरकार द्वारा लोक सभा के उत्तरवर्ती नामित एंग्लो-इंडियन सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा।

तथापि, 1993-94 से 2004-05 तक लोक सभा के पूर्ववर्ती नामित एंग्लो-इंडियन सदस्यों द्वारा अव्ययित शेष, यदि वह पहले वितरित न किया गया हो, को लोक सभा के वर्तमान नामित सदस्यों में बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मानव दुर्व्यापार के आरोपी अधिकारी

286. श्री रशीद मसूद: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के कतिपय अधिकारी अवैध आव्रजन के आरोपों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इन्सपेक्टर श्री सत्येन्द्र पाण्डे की शिकायत पर श्री राकेश कुमार, भा.वि.से., पूर्व महानिदेशक, आई.सी.सी.आर. और 13 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध यू./एस. 120-बी.आर./डब्ल्यू. 420, 403, 467, 468, 471 आई.पी.सी. और पी.सी. एक्ट 1988 की धारा 13(1)(डी) और उससे संबंधित यथेष्ट अपराध 27.3.2006 को आर.सी. 1 (एस.)/2006-एस.सी.यू. 1, एस.सी.आर. शाखा, सी.बी.आई. में दर्ज किया। श्री सत्येन्द्र पाण्डे, इन्सपैक्टर ने इन आरोपों पर प्राथमिक जांच की थी कि श्री राकेश कुमार, भा.वि.से.; सुश्री केहकेशन त्यागी, प्रोग्राम आफिसर (ओ.सी.डी.) आई.सी.सी.आर. ने लुधियाना के निवाली हरगुलाब सिंह और शिव कुमार शर्मा और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र किया और इसके चलते अन्यत्र आधार पर अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 9 व्यक्तियों को अवैध रूप से बर्लिन पहुंचा दिया। ये नौ व्यक्ति जर्मनी पहुंचने पर गायब हो गए।

(ग) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो कि जांच कर रहे हैं, उन्होंने 333 दस्तावेज जब्त किए हैं, अनेक गवाहों की जांच की है और श्री शिव कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की है। जांच जारी है।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की वर्तमान स्थिति

287. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) वर्ष 2004 में संशोधित लक्ष्य के अनुसार कुल कितने किलोमीटर मार्ग का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है तथा सरकार द्वारा अब तक कुल कितने किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जा चुका है;

(ङ) इसके प्रत्येक सेक्टर का कार्य पूरा करने की लक्षित तारीखें क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक सेक्टर में कितना विलंब हो रहा है;

(च) विलंब के परिणामस्वरूप लागत कितनी बढ़ी है; और

(छ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज का 92.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, ठेके संबंधी समस्याओं, मुकदमेबाजी और कुछ राज्यों में अत्यधिक वर्षा के कारण शेष कार्य प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ) स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 कि.मी. है जिसमें से 5409 कि.मी. लंबाई जून, 2006 तक पूरी हो चुकी है।

(ङ) क्षेत्रवार कोई अलग लक्ष्य तारीख निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, 96 प्रतिशत स्वर्णिम चतुर्भुज को दिसंबर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है। शेष 4 प्रतिशत खंड ठेकेदारों के कार्य न करने, रद्द ठेकों को पुन: सौंपने तथा 2007 में पूरा करने की तारीख के साथ 2004 में सौंपे गए इलाहाबाद बाइपास के कारण प्रभावित हुआ है। 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार परियोजना की क्षेत्रवार स्थिति इस प्रकार है:-

क्षेत्र	पूरा हो चुका	शेष
दिल्ली-मुम्बई	100 प्रतिशत	–
मुम्बई-चेन्नई	94 प्रतिशत	6 प्रतिशत
चेन्नै-कोलकाता	92 प्रतिशत	8 प्रतिशत
दिल्ली-कोलकाता	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत

(च) 30 जून, 2006 तक स्वर्णिम चतुर्भुज का व्यय मूल वृद्धि को छोड़कर कुल अनुमोदित लागत के अंदर है। लागत में वृद्धि, यदि कोई हो, की जानकारी परियोजना के पूरी होने के बाद ही मिलेगी।

(छ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परियोजना शीघ्र पूरी करने के लिए किए गए उपाय

परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर प्रगति की समीक्षा भी की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए अवधारण राशि जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आईपीसी) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

एम्स का पुनर्गठन

288. श्री ए. साई प्रताप: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पुनर्गठन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स ने उन उद्देश्यों को पूरा किया है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एम्स को और प्रभावी तथा सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में अध्यापन के पैटर्न को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे कि भारत में सभी अन्य मेडिकल कालेज संस्थाओं के समक्ष उच्च चिकित्सा शिक्षा मानदण्ड प्रदर्शित किए जा सकें। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं नैदानिक परिचर्या के कार्य में लगा हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकरण की और बेहतर करने तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अखिल

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा संस्थान के और विकास के लिए सिफारिशें देने हेतु डा. एम.एस. वलियाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति के अन्य सदस्य हैं: (1) सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), (2) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, एवं (3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक। समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मरीजों की प्रोफाइल पर उपभोक्ता शुल्क का प्रभाव

289. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता शुल्क लगाने के बाद से एम्स की ओपीडी में आने वाले मरीजों की प्रोफाइल, आर्थिक मानदंडों जैसे पक्षों का अध्ययन कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) बहिरंग रोगी विभागों में आने वाले रोगियों की रोगी प्रोफाइल, आर्थिक मानदंड आदि का अध्ययन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रयोक्ता प्रभार लगाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा. जी.के. रथ, प्रोफेसर, रेडियोथिरेपी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस बीच बढ़े हुए प्रयोक्ता प्रभारों को वापिस लेने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

प्रवासियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

290. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री बची सिंह रावत "बचदा":

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी देशों में इस समय लगभग कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितनों को श्रम कानूनों का संरक्षण नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या सरकार की योजना प्रवासियों के लिए मल्टीमीडिया जागरूकता तथा प्रचार अभियान शुरू करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना में किसी निजी भागीदारी की भी संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी विश्वास में लिया गया है;

(ज) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(झ) खाड़ी देशों में इस समय कितने भारतीय जेलों में बंद हैं; और

(ञ) उन्हें शीघ्र रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) खाड़ी में भारतीय श्रमिकों की संख्या अनुमानत: लगभग 4 मिलियन है। जबकि सही संख्या उपलब्ध नहीं है, इन श्रमिकों की एक बड़ी संख्या (सऊदी अरब में लगभग 43 प्रतिशत और कुवैत में लगभग 48 प्रतिशत) में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं और वे खाड़ी में श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ग) से (ज) उत्प्रवास महासंरक्षी समय-समय पर उत्प्रवास संबंधी सूचना पुस्तिका, पम्फलेट्स और विज्ञापनों के प्रकाशन की मार्फत सम्भावित उत्प्रवासियों में, उनके अधिकारियों और कर्त्तव्यों के बारे में जागरूकता सृजन के प्रयास कर रहा है।

(झ) खाड़ी में भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार जेलों में बन्द भारतीयों की संख्या निम्नलिखित है:-

सऊदी अरब	1116
संयुक्त अरब अमीरात	825
कुवैत	111
बहरीन	86
कतर	32

(च) खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों के अधिकारी वाणिज्यिक दूतों की जेलों में बंद भारतीयों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अथवा जब कभी आवश्यक होता है, जेलों का दौरा करते हैं ताकि उनकी यथाशीघ्र रिहाई की सम्भावना को सुनिश्चित किया जा सके। मिशन इस संबंध में उनके मामलों को स्थानीय सरकार के अधिकारियों के साथ भी उठाते हैं। इसके अतिरिक्त, रमजान के पाक महीने के दौरान भारतीय कैदियों को मानवता के आधार पर छोड़ने के लिए भारतीय मिशन शाही माफी के लिए अनुरोध करते हैं।

[अनुवाद]

के.बी.के. विशेष योजना

291. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अनन्त नायक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में के.बी.के. विशेष योजना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य के और जिलों को शामिल किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके लिए अब तक वास्तव में कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केबीके जिलों में किन-किन विकास परियोजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्यों के विकास प्रयासों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से अनुपूरित किया जाना है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) दसवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अंतर्गत केबीके जिलों की विशेष योजना हेतु आबंटन 1200 करोड़ रुपए है। आरएसवीवाई को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में शामिल किया जा रहा है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंसों की तैनाती

292. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक पूरे 50 किलोमीटर पर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एम्बुलेंसों को तैनात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए चिकित्सा बीमा शुरू करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वर्तमान नीति, प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों/निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण समझौतों के अंतर्गत उसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों पर औसतन 50 कि.मी. की दूरी पर एक एंबुलेंस तैनात करने की है। यह मंत्रालय भी राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एंबुलेंस प्रदान करता रहा है।

(ग) और (घ) सड़क दुर्घटना पीड़ित, मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत पहले से ही अन्य पक्षकार बीमा (थर्ड पार्टी) में कवर होते हैं।

आईटीआई को नई परियोजनाओं का आबंटन

293. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई) की पलाक्कड़ इकाई को नई परियोजनाएं आबंटित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। मै. आईटीआई की पलाक्कड़ इकाई को हाल ही के वर्षों में (2001 से) आबंटित नई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

1. सिम (सब्सक्राईबर आइडेन्टीफिकेशन माड्यूल/स्मार्ट काड्र्स।
2. एमएलएलएन (मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क)।
3. नैक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क (एनजीएन) अनुप्रयोग के लिए आईपी टीएएक्स (इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज) (साफ्टस्विच)।
4. एसएसटीपी (स्टैन्ड-एलान सिग्नल ट्रांसफर प्वाइंट)।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों में पर्यावरण अनुकूल बैग

294. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में पर्यावरण-अनुकूल बैगों को अपनाए जाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्यों में स्थित अस्पतालों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन विभिन्न नियमों और विनियमों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल थैलियों का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, वे "दिल्ली प्लास्टिक बैग (विनिर्माण, बिक्री और इस्तेमाल) और नान-बायोडिग्रेडेकल मार्बेज) नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 2)" के अनुरूप अपशिष्टों का निपटान करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के मामले

295. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या में साल दर-साल वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई समानता नहीं होती जिसके परिणामस्वरूप अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही में शीघ्र निष्कर्ष निकालने में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संघ लोक सेवा आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वतंत्र संवैधानिक/सांविधिक निकाय हैं और अनुशासनिक मामलों में उनकी सलाह, सभी मामलों में एक समान नहीं हो सकती। तथापि, अनुशासनिक कार्यवाहियों के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करने के आशय से, सरकार ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 के अंतर्गत पहले से विहित प्रावधानों के अलावा समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

पोलियो से प्रभावित बच्चों का पुनर्वास

296. श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो से प्रभावित बच्चों की कुल संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में ऐसे राज्यों में पोलियो टीकाकरण के लिए अधिक धनराशि खर्च करने का है जहां पर पोलियो की बीमारी का अधिक जोखिम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पोलियो से प्रभावित सभी बच्चों को नकद और आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(च) यदि हां, तो क्या पोलियो से प्रभावित ऐसे बच्चों का पुनर्वास किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और इस कार्यक्रम के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मंत्रालय के पास प्रभावी निगरानी प्रणाली के माध्यम से 1998 से सभी पोलियो रोगियों की सूची है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा पोलियो वायरस संचरण के उच्च-महामारी वाले क्षेत्रों में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (पीपीआई) के अतिरिक्त राउंड शुरू करना प्रस्तावित है। पीपीआई राउंड भारत एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार चलाए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। सरकार ने देश में 3-8 वर्ष की आयु समूह के बीच पोलियो प्रभावित बच्चों के चिकित्सा पुनर्वास के लिए दोषनिवारक शल्य चिकित्सा हेतु एक स्कीम बनाई है। इस उद्देश्य के लिए स्कीम तैयार करने और स्कीम के लिए सिफारिश करने हेतु अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। स्कीम के स्वीकार कर लिए जाने पर सरकार दो से तीन वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित करेगी।

[अनुवाद]

नए डेन्टल कालेजों को खोलना

297. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने सरकारी और निजी स्वामित्व वाले डेन्टल कालेज हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक नए डेन्टल कालेज खोलने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या डेन्टल काउंसिल आफ इंडिया द्वारा नए डेन्टल कालेज खोलने संबंधी आवेदनों को बड़ी संख्या में निरस्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में डेन्टल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न सूची में दी गई है। (विवरण-I)

(ख) से (घ) आज तक 88 आवेदन प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार ने 19 मामलों में वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय दन्त-चिकित्सा परिषद की सिफारिश पर अनुमति दी है। ऐसे कालेजों के नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है। (विवरण-II)

शेष मामलों में भारतीय दन्त-चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार को भारतीय दन्त-चिकित्सा परिषद के मानदंडों को पूरा न करने के कारण नए दन्त चिकित्सा कालेजों को खोलने की अनुमति न देने की सिफारिश की है। ऐसे 69 आवेदनों की एक सूची संलग्न है। (विवरण-III) उनको नामंजूर करने के कारण की सूचना भी अनुपालन करने हेतु भेज दी गई है।

इन प्रस्तावों की स्वीकृति इसके संबंध में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के निर्धारित मानदंडों और सिफारिशों के अनुसार बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ङ) प्रत्येक संस्थान द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दंत चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करते हुए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं। यह परिषद उनकी जांच/सत्यापन के लिए समय-समय पर निरीक्षण करती है और देश में दंत-चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उनको संबंधित दंत चिकित्सा कालेजों के ध्यान में लाया जाता है।

विवरण I

देश में इस समय सरकारी और निजी क्षेत्रों में डेंटल कालेजों की राज्यवार संख्या

राज्य	राजकीय	निजी	कुल
आंध्र प्रदेश	2	18	20
असम	1	0	1
बिहार	1	6	7
चंडीगढ़	1	0	1
छत्तीसगढ़	1	3	4
दिल्ली	1	0	1
गोवा	1	0	1
गुजरात	2	6	8
हरियाणा	1	8	9
हिमाचल प्रदेश	1	4	5
जम्मू-कश्मीर	1	0	1
कर्नाटक	1	42	43
केरल	3	14	17
मध्य प्रदेश	1	9	10
महाराष्ट्र	4	21	25
उड़ीसा	1	2	3
पांडिचेरी	1	1	2
पंजाब	2	9	11
राजस्थान	1	8	9
तमिलनाडु	1	15	16
उत्तर प्रदेश	2	23	25
उत्तरांचल	0	2	2
पश्चिम बंगाल	2	1	3
कुल योग	32	192	224

विवरण II

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित/अनुमत्य 19 डेंटल कालेजों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. जी. पुल्ला रेड्डी डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, कुरनूल, ए.पी.
2. एमएनआर डेंटल कालेज, हैदराबाद
3. मेघना इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, जिला निजामाबाद, ए.पी.

गुजरात

1. कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मनीपुर, अहमदाबाद, गुजरात

कर्नाटक

1. नवोदय डेंटल कालेज, रायूचर

केरल

1. श्री शंकरन डेंटल कालेज, अखतुमुरी, वेरकाला, त्रिवेन्द्रम
2. केएमसीटी डेंटल कालेज, कालीकट, केरल
3. नूरूल इसलाम कालेज आफ डेंटल साइंसेज, त्रिवेन्द्रम
4. पुष्पागिरी कालेज आफ डेंटल साइंसेज, तिरूवाल्ला
5. कन्नूर डेंटल कालेज, कन्नूर

मध्य प्रदेश

1. श्री अरबिन्दों कालेज आफ डेंटिस्ट्री, भानवारसला, सांवर रोड, इंदौर
2. गुरू गोविन्द सिंह कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, बरहानपुर, एम.पी.

महाराष्ट्र

1. स्वर्गीय दादासाहेब, कालमेघ स्मृति प्रतिष्ठान डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, नागपुर

उड़ीसा

1. "हाई-टेक डेंटल कालेज एट पांडरा, जिला भुवनेश्वर"

पांडिचेरी

1. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइसेंज, पांडिचेरी

पंजाब

1. डा. हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइसेंज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

उत्तर प्रदेश

1. आई.टी.एस. डेंटल कालेज, हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ग्रेटर नोएडा
2. कालका डेंटल कालेज, मरेठ

उत्तरांचल

1. उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मजरी गांट, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तरांचल

विवरण III

नए डेंटल कालेजों की स्थापना हेतु आवेदनों का ब्यौरा/सूचना

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा भारत सरकार को नामंजूर करके वापिस किए गए आवेदन/योजना

1. सेंट अंड्रूज डेंटल कालेज, तिरूवनंतपुरम (केरल)
2. श्री गुरू अर्जुन देव डेंटल कालेज, तंगोरी, पंजाब
3. ईस्ट वेस्ट कालेज आफ डेंटल साइंसेज, बंगलौर
4. आदर्श विजेन्द्र डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
5. पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटिल डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, खण्डवा रोड, इंदौर, एम.पी.
6. ऋषिराज कीर कालेज आफ डेंटल साईंसेज सेंटर, भोपाल
7. यूनिवर्सिटी कालेज आफ डेंटल साइंसेज, यूनिवर्सिटी कैम्पस, कल्याणपुर, कानपुर
8. बंगाल डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुगली, (वेस्ट बंगाल)
9. न्यू होरिजन डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिलासपुर
10. गवर्नमेंट डेंटल कालेज, जम्मू
11. एनपीसी डेंटल कालेज, कोलकाता
12. आर्या डेंटल कालेज एण्ड आर्या जनरल हास्पिटल, कुकास, जयपुर, राजस्थान
13. अल्वर डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलवर, राजस्थान
14. इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, भुवनेश्वर
15. संजीवन डेंटल कालेज, दौसा, राजस्थान
16. सोफिया डेंटल कालेज, त्रिचीरापल्ली, तमिलनाडु
17. कालिंगा इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, भुवनेश्वर
18. कैम्ब्रीज इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, तेतिसिलवाल, रांची
19. इंस्टीट्यूट आफ डेंटल एण्ड मेडिकल रिसर्च, गौतम बुद्ध नगर
20. बालासोर डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, बालासोर, उड़ीसा
21. एन आई एम टी डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.
22. आर.के. कालेज आफ डेंटल साइंसेज, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात
23. एमईएस डेंटल कालेज, पेरिंथालमन्ना, माल्पुरम, डिस्ट्रिक-केरल
24. पीएसएम कालेज आफ डेंटल साइंसेज एण्ड रिसर्च, पलिक्कात्तिल बिल्डिंग, अक्कीकावू, त्रिचूर डिस्ट्रिक, केरल
25. विवेकानन्दा डेंटल कालेज फार वूमेन इलायमपलायम, तिकूचेंगोड टी.के. नामक्कल डिस्ट्रिक, तमिलनाडु
26. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, कोठमंगलम, एर्नाकुलम
27. अल-अजहर डेंटल कालेज, इदुक्की, केरल
28. सिगमा इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइसेंज, वडोदरा, गुजरात
29. मैरी माता कालेज आफ डेंटल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेंटर, नेय्यात्तीनकारा, डिस्ट्रिक तिरूवनंतपुरम
30. ईस्ट पाइंट कालेज आफ डेंटल साइंसेज, बंगलौर
31. आर्याव्रत इंस्टीट्यूट आफ डेंटल एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ

32. गिन्नी मोदी डेंटल कालेज, मोदी नगर

33. इंद्रप्रस्थ डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद

34. नारायण स्वाणी हास्पिटल एण्ड डेंटल कालेज, देहरादून, उत्तरांचल

35. मालाबार डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, मालाप्पुरम, केरल

36. अवध डेंटल कालेज, जमशेदपुर (झारखण्ड)

37. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, गोरखपुर

38. मेरठ डेंटल कालेज, मेरठ

39. गुडगांव इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज एण्ड रिसर्च, गुडगांव

40. तेजस्वी डेंटल कालेज, कोल्लिगुडा, रायगढ़

41. डी.वाई. पाटिल डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, कोल्हापुर

42. डा. दौलतराव अहर डेंटल कालेज, कराड, महाराष्ट्र

43. सिंघड़ डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, वडगांव (बीके), पुणे, महाराष्ट्र

44. एडूकेदार इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज, किलिया मनिलकेम्पस, मल्लापुरम, केरल

45. मानसरोवर डेंटल कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश

46. स्वर्गीय श्री यशवन्त राव चल्हाण स्मारक चिकित्सी एवं ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान का दन्त जिकित्सा कालेज, अहमदनगर

47. सिद्धि विनायक डेंटल कालेज, नोयडा

48. आदित्य डेंटल कालेज, बीड, महाराष्ट्र

49. स्कूल आफ डेंटल साइंसिज, कराड

50. श्री महाकाल भैरव डेंटल कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र ग्वालियर, मध्य प्रदेश

51. नूतन डेंटल कालेज एवं अस्पताल, विसनगर (उत्तरी गुजरात)

52. इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज, सेहोरा, जम्मू

53. एम.जी.एम. डेंटल कालेज, नान्देड़

54. एन आई एम एस डेंटल कालेज, जयपुर

55. देवकी नंदन डेंटल कालेज एवं अस्पताल, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

56. सी टी डेंटल कालेज एवं अस्पताल, जालंधर, पंजाब

57. व्यास डेंटल कालेज एवं अस्पताल, जोधपुर

58. डा. हेडगेवर स्मृति रूग्ण सेवा मंडल का डेंटल कालेज, हिंगोली

59. महाराष्ट्र दन्त चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डेंटल कालेज), लातूरा

60. कल्पना चावला आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, करनाल

61. पी डी एम डेंटल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, बहादुरगढ़

62. स्वर्गीय नारायणदा भवनदास छावडा डेंटल कालेज, सतारा (महाराष्ट्र)

63. मानव रचना डेंटल कालेज, फरीदाबाद

64. स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं अनुसंधान केन्द्र दाहौड़

65. इन्दस इन्टरनेशनल इन्द इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज रिसर्च सेंटर, पेरूवलायल कोजीकोड

66. करूणा डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, पालावकाड (केरल)

67. दी बम्बई पटेल वेलफेयर सोसाइटीज वेल्फेयर इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल एवं अलायड साइंसिज भरूच

68. हिन्दुस्तान दन्त चिकित्सा विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा (उत्तर प्रदेश)

69. दी बम्बई पटेल वेलफेयर सोसाइटीज वेल्फेयर इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल एवं अलायड साइंसिज, भरूच

एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत पत्तनों का विकास

298. **डा. के.एस. मनोज:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) के अंतर्गत देश में कुछ और पत्तनों का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पत्तनों के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पत्तनों के कब तक विकसित होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत-सरकार के अधीन 12 महापत्तनों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से कुल 276 परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने हेतु चुनी गई हैं। इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप, उपर्युक्त पत्तन अपना-अपना कार्य-निष्पादन, वैश्विक मानकों के अनुरूप अपेक्षित स्तर पर ला सकेंगे। इन परियोजनाओं में, घाटों के निर्माण/उन्नयन, जलमार्गों को पहले से और अधिक गहरा किए जाने, उपर्युक्त पत्तनों को रेल/सड़क से जोड़े जाने की परियोजनाओं, उपस्करों के उन्नयन/आधुनिकीकरण और अन्य सहायक सुविधाओं सहित, उपर्युक्त पत्तनों के कार्य-कलापों का समूचा दायरा शामिल है और ये परियोजनाएं, वर्ष 2011-2012 तक की अवधि में, दो चरणों में कार्यान्वित की जाएंगी। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, उपर्युक्त 12 महापत्तनों के संबंध में परिकल्पित कुल निवेश, 55,804 करोड़ रु. का है। उपर्युक्त क्रम में राज्य-वार ब्यौरा, निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य सहित महापत्तन का नाम	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित निवेश (करोड़ रु. में)
1.	कोलकाता-पत्तन-न्यास (पश्चिम बंगाल)	40	6494.45
2.	पारादीप-पत्तन-न्यास (उड़ीसा)	28	2402.83
3.	विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास (आंध्र प्रदेश)	38	2621.00
4.	चेन्नई-पत्तन-न्यास, तूतीकोरिन-पत्तन-न्यास और इन्नौर-पत्तन लिमिटेड (तमिलनाडु)	52	13284.39
5.	कोचीन-पत्तन-न्यास (केरल)	14	7920.00
6.	नवमंगलूर-पत्तन-न्यास (कर्नाटक)	20	7148.00
7.	मुरगांव-पत्तन-न्यास (गोवा)	12	808.00
8.	मुंबई-पत्तन-न्यास और जवाहर लाल नेहरू-पत्तन-न्यास (महाराष्ट्र)	46	10044.06
9.	कांडला-पत्तन-न्यास (गुजरात)	26	5081.00
	कुल	276	55803.73 अर्थात् 55804.00

तेतुलिया कोरीडोर को खोलना

299. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय प्रधान मंत्री की हाल की बांग्लादेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश के साथ तेतुलिया कोरीडोर को खोलने का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) मार्च, 2006 में बंगलादेश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधी के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। "तेतुलिया गलियारा" खोलने के मुद्दे को भी भारत

सरकार ने बंगलादेश सरकार के साथ उठाया। बंगलादेश सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

विदेश में दूतावासों/वाणिज्यिक दूतावासों को खोलना

300. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेश में और अधिक दूतावासों/वाणिज्यिक दूतावासों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को खोलने में अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक देश में इनके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) और (ख) सरकार ने किंशासा (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) का जुबजाना (स्लोवेनिया) में भारतीय दूतावास और सोंग्खला (थाइलैंड), मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) और जुबा (सूडान) में भारत का प्रधान कौंसलावास खोलने का निर्णय लिया है।

(ग) उपर्युक्त पर अनुमानित वार्षिक व्यय 7.22 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 2.06 करोड़ रु. का एक बार होने वाला अनावर्ती व्यय होगा।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान ये दूतावास/प्रधान कौंसलावास कार्य करना शुरू कर देंगे।

डाक्टरों द्वारा अनैतिक वृत्ति

301. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 23 नवंबर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञों (कार्डियोलोजिस्ट) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की अभी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

काउंटर सेवा कार्यक्रम का आधुनिकीकरण

302. श्री गिरिधारी यादव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग के काउंटर सेवा कार्यक्रम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में आज की तारीख तक पूरे हो चुके कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें उपलब्ध करवाकर देश भर में सभी बड़े डाकघरों की काउंटर सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बड़े डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अभी तक 6184 डाकघरों की काउंटर सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। ऐसे डाकघरों की राज्यवार संख्या भी विवरण में दी गई है।

विवरण

डाकघरों में काउंटर सेवाओं के आधुनिकीकरण का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	बड़े डाकघरों की संख्या	आधुनिकीकृत डाकघरों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	481	452
असम	140	110
बिहार	350	127
छत्तीसगढ़	87	84
दिल्ली	157	150

1	2	3
गुजरात	507	321
हरियाणा	157	156
हिमाचल प्रदेश	120	120
जम्मू-कश्मीर	70	68
झारखंड	110	104
कर्नाटक	471	397
केरल	557	545
मध्य प्रदेश	252	246
महाराष्ट्र एवं गोवा	956	864
पूर्वोत्तर राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम	65	65
उड़ीसा	344	179
पंजाब	252	239
राजस्थान	283	259
तमिलनाडु	848	848
उत्तर प्रदेश	565	188
उत्तरांचल	132	124
पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम	607	540

तलवार समिति की सिफारिशें

303. श्री वी.के. ढुम्मर:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तलवार समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले पोस्टमैन (डाक सेवक) के संबंध में सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा वित्त सिफारिशों को अस्वीकृत किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(1) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का स्तर एवं नाम पद्धति (नोमेनक्लेचर)

(2) वित्तीय लाभ:-
वेतनमान एवं वेतन वृद्धि प्रदान करना,
पेंशन प्रदान करना
पुट आफ ड्यूटी भत्ता, और
सेवानिवृत्ति लाभ आदि।

(3) रोजगार संबंधी शर्तें:-
शैक्षिक अर्हता की बढ़ोत्तरी,
प्रवेश की आयु,
कार्य घंटे,
स्थानांतरण का दायित्व, और
अवकाश सुविधा आदि।

(4) पुनर्गठन:-
अतिरिक्त विभागीय पदों का और सृजन नहीं,
अगले दस वर्षों तक कोई अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर/शाखा डाकघर नहीं खोले जाएंगे,
खाली अतिरिक्त विभागीय पदों के भरने पर पूर्णतया रोक, और
खाली पदों को समाप्त करना।

(5) जन सुविधा:-
बचत बैंक आहरण सीमा को बढ़ाया जाएगा।

(ग) और (घ) ग्रामीण डाक सेवकों को दिये जाने वाले लाभ पैकेज के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

न्यायमूर्ति तलवार समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है:

(1) ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में 1.1.1996 से 28.2.1998 तक की अवधि के लिए 3.5 गुणक की वृद्धि।

(2) 01.03.1998 से कार्य भार से संबंध मासिक भत्ते के बदले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए संबद्ध निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) की अवधारणा को लागू करना।

(3) ग्रामीण डाक सेवकों को देय अनुग्रह उपदान राशि को 6000/- रुपये से बढ़ाकर 18,000/- रुपये करना।

(4) ग्रामीण डाक सेवकों को प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 10 दिन की दर से सवैतनिक अवकाश की अवधारणा के अग्रेषण या नकदीकरण की अवधारणा के बिना लागू करना।

(5) ग्रामीण डाक सेवकों, उप डाकपालों और शाखा डाकपालों को देय कार्यालय रख-रखाव भत्ते को 25/- रुपये से बढ़ाकर 50/- रुपये प्रतिमाह करना।

(6) न्यायमूर्ति तलवार समिति की रिपोर्ट में बिना कोई सिफारिश किये जाने पर भी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में, ग्रामीण डाक सेवक द्वारा की गई निरंतर सेवा की अवधि के 20 वर्ष होने पर 30,000/- रुपये की विच्छेद राशि का प्रावधान किया गया है और निरंतर सेवा की अवधि 15-20 वर्ष होने पर 20,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है। विभागीय नियमित पद पर समाहित किये जाने पर 20,000/- रुपये की विच्छेद राशि 15 वर्ष की निरंतर सेवा किये जाने पर देय होगी।

न्यायमूर्ति तलवार समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि ये सिफारिशें अतिरिक्त विभागीय प्रणाली में तर्क संगत नहीं पाई गईं।

1. तीन वर्ष से कम सेवा वाले ग्रामीण डाक सेवकों को निर्धारित एकमुश्त राशि देकर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए जो प्रतिवर्ष सेवा के अनुशंसित ग्रेड में छह माह के वेतन एवं भत्तों से कम न हो।

2. न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा अनुशंसित सभी पेंशनगत लाभों के भुगतान के मद्दे नजर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले ग्रामीण डाक सेवकों को सेवानिवृत्ति किया जाए।

3. ग्रामीण डाक सेवा उप डाकपाल/ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर 10+2 तथा ग्रामीण डाक सेवक (मेल वितरक) और ग्रामीण डाक सेवक (डाक-टिकट विक्रेता) के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को मैट्रिकुलेशन तक किया जाए तथा उच्चतर शिक्षा को कोई महत्व न दिया जाए।

4. सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया जाए।

5. सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 35 वर्ष किया जाए।

6. पद भरने पर पूर्णतया रोक होनी चाहिए।

7. सभी रिक्त पदों को समाप्त किया जाए। कार्य के प्रबंधन में कर्त्तव्यों को भी शामिल किया जाए। सेवा की तात्कालिक आवश्यकता होने पर पुनःतैनाती करके पदों को भरा जाए।

8. ग्रामीण डाक सेवकों को लेखा कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अन्दर या अधिक से अधिक उप डिवीजन के भीतर ही स्थानांतरित करने का प्रावधान किया जाए।

9. ग्रामीण डाक सेवकों के और पद सृजित नहीं किये जाएं।

10. अगले 10 वर्षों तक कोई ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकघर नहीं खोला जाए।

[अनुवाद]

डाकघरों के माध्यम से टेलीफोन बिलों का भुगतान

304. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सुदूरवर्ती, दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न उप-डाकघरों के माध्यम से टेलीफोन बिल जमा कराने संबंधी सुविधा की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बीएसएनएल ने टेलीफोन बिलों का भुगतान प्राप्त करने के लिए उप-डाकघरों एवं शाखा डाकघरों को प्राधिकृत किया है। इनमें दूरदराज, अगम्य तथा सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित डाकघर भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन के बिलों के भुगतान की सुविधाएं 16 प्रधान डाक घरों, 497 उप डाकघरों, एवं 301 शाखा डाक घरों में उपलब्ध हैं, जिनके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्र कवर हो जाते हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

टेलीफोन बिलों का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किये गये डाकघरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	टेलीफोन बिलों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार	45
2.	आंध्र प्रदेश	3064
3.	असम	733
4.	बिहार	1088
5.	छत्तीसगढ़	244
6.	गुजरात	6260
7.	हरियाणा	1832
8.	हिमाचल प्रदेश	814
9.	जम्मू-कश्मीर	179
10.	झारखंड	511
11.	कर्नाटक	3145
12.	केरल	2345
13.	मध्य प्रदेश	1627
14.	महाराष्ट्र एवं गोवा	7760
15.	मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय	261
16.	नागालैंड	42
17.	मणिपुर	54
18.	अरुणाचल प्रदेश	56
19.	उड़ीसा	1193
20.	पंजाब	3959
21.	राजस्थान	3264
22.	पांडिचेरी सहित तमिलनाडु	3317
23.	चेन्नई टेलीफोन्स	401
24.	उ.प्र. (पूर्व) एवं उ.प्र. (पश्चिम)	2915
25.	उत्तरांचल	853
26.	पश्चिम बंगाल	1551
27.	कोलकाता टेलीफोन्स	151
28.	सिक्किम	47
	जोड़	47711

हृदय रोगी

305. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हृदय रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) क्या मंत्रालय ने हृदय रोगियों की कुल संख्या का पता लगाने तथा देश में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हृदय रोगों पर अंकुश लगाने के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) हृदय संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए वैकल्पिक औषधियों, योग तथा अन्य देशी/यूनानी पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय अस्पतालों में और हृदय रोगियों की सूचना दी जा रही है। यद्यपि, हृदय रोगों के बारे में महामारी संबंधी कोई दीर्घ अवधि अध्ययन नहीं किया गया है तथापि, कई आरपार क्षेत्रीय (सेक्शनल) सर्वेक्षणों से पता चला है कि कोरोनरी हृदय रोगों की व्यापता में

बढ़ोत्तरी हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दिल्ली और वेल्लौर में कराए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनता में हृदय रोग की व्यापतता और जोखिम कारक (कारकों) में वृद्धि देखी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार का एक राष्ट्रीय हृदय वाहिका रोग और मधुमेह निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने और कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि हृदय रोगों, आघात और मधुमेह के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों का कम किया जा सके।

(च) आयुष विभाग के एक स्वायत्त निकाय अर्थात् केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दिनांक 18.11.2004 से डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में हृदय रोगियों के लिए एक विशिष्ट ओपीडी (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) शुरू की है। इसमें अच्छी खासी संख्या में रोगी आ रहे हैं और उपचार के परिणाम भी उत्साहजनक हैं। आयुष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चल रह एक योग संस्थान अर्थात् मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान 'विशेष स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम' के तहत उच्च रक्तदाब/सीएडी से पीड़ित रोगियों को हृदय संबंधी समस्याओं से आराम देने के लिए योग विधि द्वारा उपचार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, निकट भविष्य में हृदय वाहिका रोगों में योग की प्रभावकारिता के संबंध में अनुसंधान परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में विकास परियोजनाएं

306. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र के लिए कुछ विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना आयोग राज्य योजनाओं के संपूर्ण योजना आकार एवं विस्तृत क्षेत्रकीय आबंटन को अनुमोदित करता है। यह राज्य विशेष की क्षेत्रक परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं करता है। महाराष्ट्र को पिछली तीन वार्षिक योजनाओं के संबंध में अनुमोदित परिव्यय निम्नानुसार है:-

वार्षिक योजना	अनुमोदित परिव्यय (रु. करोड़)
2004-05	9684.99
2005-06	11000.00
2006-07	14829.00

[अनुवाद]

पाकिस्तान में भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा

307. **प्रो. चन्द्र कुमार:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के कितने मामले सामने आए हैं तथा इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कर्मचारियों की प्रताड़ना से सुरक्षा के लिए कोई ठोस कूटनीतिक कार्य योजना बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या लगभग 100 है।

(ख) इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और कर्मचारी पाकिस्तान के गुप्तचरों और रक्षा कार्मिकों द्वारा लगातार की जाने वाली निगरानी का शिकार हो रहे हैं। कई बार मिशन के अधिकारियों और उनके पति/पत्नियों का नजदीकी से प्रत्यक्ष रूप से कुछ अवसरों पर और आक्रामक रूप से भी पीछा किया जाता है। इस मामले को अनेक स्तरों पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष विभिन्न अवसरों पर उठाया गया है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के साथ व्यवहार का मामला दोनों देशों द्वारा 1992 में हस्ताक्षरित 1961 के विएना अभिसमय और "भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार हेतु आचरण संहिता" में शामिल है।

[अनुवाद]

निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा बुनियादी संरचना का उपयोग

308. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत संचार निगम लिमिटेड की बुनियादी संरचना, इमारतों तथा आवासों का निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा उपयोग करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) अवसंरचना की साझेदारी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का वाणिज्यिक निर्णय है। सरकार इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ख) और (ग) बीएसएनएल निजी दूरसंचार प्रचालकों के साथ, जहां-कहीं संभव है, अंतर्संयोजन (इंटरकनेक्शन) प्रदान करने के लिए अवसंरचना की साझेदारी करता रहा है।

सुन्दरवन जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

309. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में प्रयोग में आ रहे राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय जलामार्गों का दायरा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सुन्दरवन जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) मौजूदा तीन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लम्बाई 2716 किलोमीटर है।

(ख) केन्द्र-सरकार, निम्नलिखित अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार कर रही है:-

(1) 1095 किलोमीटर क्षेत्र में फैली गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ पांडिचेरी नहर;

(2) 623 किलोमीटर क्षेत्र में फैली ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के साथ-साथ पूर्वी तट-नहर; और

(3) 152 किलोमीटर क्षेत्र में फैली बराक नदी।

(ग) और (घ) वर्ष 1989 में सुन्दरबन के अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया था और सरकार द्वारा उसी जांच-पड़ताल करके उसके संबंध में यथोचित कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया निबाही गई थी। बाद में, पर्यावरण और वन-मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन से संबंधित अध्ययन संचालित किया गया और वर्ष, 1986 में उपर्युक्त अध्ययन की रिपोर्ट, पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई। उपर्युक्त जलमार्ग के दौरों सहित, उपर्युक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में पर्यावरण की दृष्टि से अपनी अनापत्ति नहीं दी और यह सुझाव दिया कि सुन्दरबन-बाघ-संरक्षण क्षेत्र की परिधि से बाहर किसी वैकल्पिक जलमार्ग का पता लगाया जाए। उपर्युक्त वैकल्पिक जलमार्ग के विस्तृत सर्वेक्षण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। फिर भी, सुन्दरबन में आने वाले भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल-जलमार्ग में भारत और बांग्लादेश के जलयान पहले से ही चल रहे हैं और उपर्युक्त जलमार्ग में भारत अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण द्वारा विकासात्मक कार्य भी करवाए जा रहे हैं।

मशीन द्वारा पहचान किये जा सकने वाले पासपोर्ट

310. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मशीन द्वारा पहचान किये जा सकने वाले पासपोर्ट जारी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विकसित यात्री सूचना प्रणाली का उचित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सभी श्रेणियों के लिए मशीन

द्वारा पहचान किये जा सकने वाले पासपोर्ट कब तक जारी कर दिये जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार मशीनों द्वारा मुद्रित और मशीनों द्वारा पहचान किये जा सकने वाले पासपोर्ट जारी कर रहे हैं।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्च, 2007 तक विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों द्वारा जारी सभी पासपोर्ट, मशीन द्वारा पहचान किये जा सकने वाले रूप में होंगे, एक प्रोजेक्ट पहले ही शुरू कर चुकी है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. की तार सेवा में घाटा

311. श्री कैलाश मेघवाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड की तार सेवा को निरन्तर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार तथा मोबाइल फोन, इन्टरनेट, ई-मेल तथा फैक्स के बढ़ते हुए उपयोग के कारण तार सेवा का महत्व घट गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तार सेवा के अधिशेष कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल इंटरनेट तथा एसएमएस सुविधायुक्त मोबाइल फोन के माध्यम से अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर संचार सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि होने की वजह से, तार सुविधा का उपयोग निरंतर कम होता जा रहा है जबकि इसकी प्रचालनात्मक लागत अधिक है। अत: तार सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर हानि हो रही है। तत्संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) तार सेवा के कार्मिकों की तैनाती अन्य विभागों में नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी तैनाती भारत संचार निगम लिमिटेड के अन्य अनुभागों में की जा रही है ताकि बीएसएनएल को होने वाली हानि को कम किया जा सके।

विवरण I

1992-93 से परियात (टैरिफ) - रूझान

वर्ष	तार "क" बुकिंग (लाख में)	पिछले वर्ष के संदर्भ में प्रतिशत वार्षिक कमी
1991-1992	651	-
1992-1993	646	0.76
1993-1994	606	6.19
1994-1995	576	4.95
1995-1996	566	1.73
1996-1997	539	4.77
1997-1998	512	5.00
1998-1999	442	13.67
1999-2000	404	8.59
2000-2001	344	14.85
2001-2002	283	17.73
2002-2003	237	16.25
2003-2004	210	11.39
2004-2005	151	28.00

विवरण II

प्रति तार हानि एवं औसत राजस्व तथा व्यय का परिकलन

क्र.सं.		2001-2002	2002-2003	2003-2004
1.	बुक किए गए तार की संख्या	2.83 करोड़	2.37 करोड़	2.10 करोड़
2.	राजस्व	44.56 करोड़	40.58 करोड़	35.17 करोड़
3.	व्यय	327.79 करोड़	383.17 करोड़	294.17 करोड़
4.	प्रतिशत हानि	635.62%	844.23%	736.42%
5.	प्रति तार औसत राजस्व	15.74 रु.	17.12 रु.	16.75 रु.
6.	प्रति तार औसत व्यय	115/- रु.	161/- रु.	140/- रु.

नोट : (1) 1983 से गैर-प्रेस तार के प्रशुल्क को संशोधित नहीं किया गया है।
(2) 1965 से प्रेस तार के प्रशुल्क में संशोधन नहीं किया गया है।
(3) तार सेवाओं को दुतरफा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

दम्माम में वाणिज्य दूतावास खोलना

312. श्री ए.बी. बेल्लारमिन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश विशेषकर सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए रियाद तथा जेद्दाह में स्थित मिशनों/पोस्टों में कर्मचारियों की विद्यमान संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो मृत भारतीय नागरिकों के वारिसों के विधिक तथा अन्य बकायों के निपटान में असामान्य विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार दम्माम में एक वाणिज्य दूतावास खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं। विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में स्टाफ की मौजूदा संस्था विदेश में रहने वाले भारतीय निवासियों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार सऊदी अरब में विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशन/केन्द्र, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में मृतक भारतीयों के उत्तराधिकारियों को विधिक बकाया राशि और मृत्यु प्रतिपूर्ति के भुगतान के मामलों में सक्रियता से कार्रवाई करते हैं ताकि उनका शीघ्र समाधान हो सके। हालांकि मृतक के उत्तराधिकारियों से अपेक्षित विधिक दस्तावेजों (विधिक उत्तराधिकार, मुख्तारनामा) के विलम्ब से प्राप्त होने और मृत्यु प्रतिपूर्ति मामलों पर अंतिम निर्णय प्रदान करने में स्थानीय न्यायालयों में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण मुख्यत: कुछ मामलों में विलम्ब होता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सऊदी अरब सरकार की मौजूदा नीति दम्माम में भारती कौंसलावास खोलने की अनुमति नहीं प्रदान करती।

प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना

313. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईसीएमआर के पास बीमारियों के फैलने को प्रभावी रूप से निपटने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार उन्हें कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 स्थायी संस्थानों का नेटवर्क है। उनमें से बहुत से संस्थान विशेषकर प्रकोप पैदा कर सकने वाले संक्रामक रोगों के बारे में कार्रवाई करते हैं। इनमें से कई संस्थानों में जैव सुरक्षा स्तर 3+सुविधाओं, कायरो-इलेक्शन माइक्रोस्कोप, एनिमल हाऊस सुविधाओं (निदान की पुष्टि करने और अभिकर्मक बनाने के लिए पशु पर प्रयोग करने के लिए), प्रकोप की जांच करने में प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, प्रकोप पैदा करने वाले एजेंटों (वी कोलरे, शिगेल, रोटावायरस, हेपेटाइटिस वायरस, पोलियोमाइलिटिस, इन्फ्लुएंजा, खसरा, जापानी इन्सेफेलाइटिस, डेंगू, वेस्टनिले, मलेरिया, लेशमेनियासिस आदि) के लिए भंडारों सहित प्रकोपों से निपटने और यह जानने के लिए कि क्या नया जीव या एजेंट/मोडिफायड जीव देश में प्रवेश कर गया है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये संस्थान प्रतिरोध मैपिंग करते हैं और भारत् और विदेश में संक्रमण के विस्तार का पता लगाने का काम करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 11वीं योजना में कुछ मौजूदा संस्थाओं में कौशल एवं आधारभूत सुविधा को और सुदृढ़ एवं समुन्नत करने की भी योजना बनाई है।

कोयला धोवनशालाओं का अल्प उपयोग

314. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला धोवनशालाओं का अल्प उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कितनी मात्रा का धोवन किया गया;

(घ) देश में निजी कोयला धोनशालाएं कितनी है;

(ङ) क्या धोनवशालाओं से कोयला चुराया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो धोवनशालाओं से कोयले की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। वाशरियों की क्षमता के निम्न उपयोग के कारण निम्नानुसार है:-

(1) ऊपरी सीम के कोकिंग कोयले की अच्छी गुणवत्ता का कम होना।

(2) लिंक्ड खानों से कच्चे नान-कोकिंग कोयले की कम उपलब्धता।

(3) निधि की कमी के कारण कुछ कोकिंग कोयले वाशरियों को नान-कोकिंग कोयला वाशरियों में परिवर्तित करने में कुल प्रौद्योगिकीय सुधार नहीं किया जा सका।

(4) जिन पुरानी वाशरियों का जीवनकाल समाप्त हो गया है, निधि की कमी के कारण उनके आधुनिकीकरण/ प्रौद्योगिकीय विकास का कार्य पहले शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य अब चरणों में शुरू किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एल. की वाशरियों में धुले कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है-

	2005-06	2004-05	2003-04
कोकिंग कोयला (मिलियन टन)	9.32	9.22	8.90
नान-कोकिंग कोयला (मिलियन टन)	12.70	11.57	9.85

(घ) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में निजी कोयला वाशरियों की संख्या निम्नानुसार है:-

कोकिंग कोयला वाशरी - 4

नान-कोकिंग कोयला वाशरी - 33

(ङ) सी.आई.एल. की वाशरियों से कोयला चुराए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कोयले का अन्वेषण

315. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक दशक के दौरान देश में नए कोयले के भण्डारों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान अन्वेषित किए गए कोयला भंडारों की मात्रा कितनी है; और

(ग) इस अन्वेषण के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में कोयला के नए संसाधनों का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर कोयला (अन्य खनिजों के अलावा) का क्षेत्रीय अन्वेषण करता है। इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय भी जीएसआई के प्रयासों को सम्पूरित और संवर्धित करने के लिए योजना-दर-योजना स्कीम के माध्यम से कोयले का प्रोन्नत (क्षेत्रीय) अन्वेषण करता है।

(ख) भारतीय कोयला के भूगर्भीय संसाधनों की इन्वेन्ट्री 51.35 बिलियन टन नया कोयला संसाधनों की वृद्धि के साथ 1.1.1996 को 201.95 बिलियन टन से बढ़कर 1.1.2006 (पिछले दस वर्ष) को 253.30 बिलियन टन हो गई है।

(ग) जीएसआई के अनुसार, पिछले दशक के दौरान अतिरिक्त भंडार के क्षेत्रीय अन्वेषण पर हुआ कुल व्यय 213.38 करोड़ रु. है। इसके अलावा, कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोयला और लिग्नाइट के लिए प्रोन्नत अन्वेषण की योजना के तहत, पिछले दस वर्षों में कोयला के लिए संवर्धन अन्वेषण की पूर्ण और चालू परियोजनाओं पर लगभग 204.00 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

316. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा उनकी लेनों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में झारखंड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों को चौड़ा करने के संबंध में, राज्य सड़क निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग पक्ष), झारखंड से 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) और (घ) इनमें से 4 प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं और शेष दो प्रस्ताव चालू वर्ष की वार्षिक योजना 2006-07 में शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

समुद्री क्षेत्र का विकास

317. श्री नवीन जिंदल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए कोई नयी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी समुद्र तटीय राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पोत-परिवहन-विभाग ने यह तथ्य ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम तैयार किया है कि भारत आधुनिक अर्थव्यवस्था से युक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर, वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 तक के दशक तक, अविच्छिन्न और सुस्थिर रूप से 07 से 08 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर कायम है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, निश्चित अवधि में, चरणों में, सरकारी-गैर सरकारी प्रतिभागिता के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने हेतु कुल 387 परियोजनाएं विशेष चुनी गई हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,00,339 करोड़ रु. का निवेश किया जाना है। उपर्युक्त कार्यक्रम का उद्देश्य, भारत में समुद्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन करना और उन्हें आधुनिकीकृत करना है, जिससे ये सुविधाएं, वैश्विक मानकों के अनुरूप अपेक्षित स्तर पर लाई जा सकेंगी। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम तैयार करते समय, समुद्रीय राज्यों से संबंधित उपर्युक्त कार्यक्रम के कुछ पहलूओं पर उनसे परामर्श किया गया।

कैलास मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था

318. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने धार्मिक स्थल के दर्शन किए;

(ग) तीर्थयात्रियों की निर्विघ्न यात्रा के लिए इस वर्ष कितने जत्थे बनाए गए; और

(घ) उक्त तीर्थयात्रा के लिए किन-किन संगठनों ने मंत्रालय को सहयोग दिया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 21 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार पांच जत्थों में 182 तीर्थयात्रियों ने इस वर्ष 1 जून, 2006 से शुरू हुई यात्रा को पूरी कर ली है जबकि चार अतिरिक्त जत्थों में 160 तीर्थयात्री यात्रा के भिन्न-भिन्न चरणों में हैं। तीर्थयात्रियों का कुल 16 जत्था इस वर्ष यात्रा में भाग लेगा।

(घ) कैलाश मानसरोवर की यात्रा विभिन्न राज्यों तथा केंद्र सरकार के अभिकरणों जिसमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), उत्तरांचल सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम (के एम वी एन) शामिल है, के समन्वय से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

पिछड़े जिलों के लिए योजना

319. श्री अर्जुन सेठी:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय सम विकास योजना की तर्ज पर देश के पिछड़े जिलों को सहायता/अनुदान प्रदान करने के लिए नई योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और राज्यों को धनराशि आवंटित करने के मापदंड क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की योजना राज्यों में पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो देश में चुने गए जिलों और निर्धारित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए अधिक जिलों को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) देश में पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय सम विकास योजना के स्थान पर एक नई स्कीम अर्थात् पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को, जिसे चालू वित्तीय वर्ष से प्रचालित किया जाएगा, अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, हां।

(च) इस स्कीम को अंतिम रूप देते समय राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखा जाएगा।

(छ) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को, जिसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों का तीव्र गति से विकास करना है, अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

यूरेनियम अन्वेषण के लिए नीति

320. श्री रशीद मसूद: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरेनियम भंडारों के अन्वेषण के लिए कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु भी कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग में यूरेनियम के अन्वेषण का काम बाहरी स्रोतों से कराने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में परमाणु विद्युत का विकास, कोयले की खानों से दूर स्थलों पर विद्युत उत्पादन के उद्देश्यों को अल्पावधि तथा मध्यमावधि में पूरा करने, और दीर्घावधि में विद्युत उत्पादन के लिए थोरियम के विशाल स्रोतों का उपयोग करने पर आधारित है। ऐसा, देश में, यूरेनियम के सीमित भंडारों और थोरियन के विशाल भंडारों की, नाभिकीय संसाधन रूपरेखा की वजह से है।

अल्पावधि में अधिक तेजी से नाभिकीय विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए आयात पर आधारित साधारण जल रिएक्टरों को भी अतिरिक्त रिएक्टरों के तौर पर लगाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में अनियमितताएं

321. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में अनियमितताओं के संबंध में कितने इंजीनियरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ख) कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में अनियमितताएं बरती गई हैं और उक्त अनियमितताएं किस प्रकार की हैं; और

(ग) इन इंजीनियरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

खरीद प्रणाली में सुधार लाना

322. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समूह के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया को केन्द्रीकृत करके मंत्रालय की खरीद प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य औषधों तथा उपस्करों के संभार तंत्र के उन्नयन करने की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत के दौरान शासन एवं दायित्व संबंधी कार्य योजना पर सहमति हुई है। इसमें हमारी खरीद प्रणाली में कमियों को दूर किया गया है। शासन एवं दायित्व संबंधी कार्य योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय खरीद यूनिट की स्थापना करना है। तदनुसार, खरीद (प्रोक्यूरमेंट) कार्य को समेकित करने, सुचारू बनाने और सुदृढ़ करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की सामग्री की खरीद को व्यावसायिक बनाने के लिए इस विभाग में अधिकार प्राप्त खरीद विंग स्थापित किया गया।

(ग) और (घ) अधिकार प्राप्त खरीद (प्रोक्यूरमेंट) स्कंध के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली हैं। परामर्शदाता संगठन का एक विचारार्थ विषय औषधों का समुचित भंडारण एवं वास्तविक उपभोक्ताओं को इनकी समय पर आपूर्ति करने हेतु संभारतंत्र एवं आपूर्ति चेन प्रबंधन संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ करने में अधिकार प्राप्त खरीद स्कंध की सहायता करना है। भंडारण, संभारतंत्र, आपूर्ति प्रबंधन और परिवहन की मौजूदा प्रणाली में कमियों का पता लगाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए चुनिंदा राज्यों में इनका अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल और एमटीएनएल परियोजनाओं की प्रगति

323. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) इनके निर्धारित समय-सीमा से पीछे चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। बीएसएनएल और एमटीएनएल की कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल की परियोजनाओं में विलम्ब के कारण और उन्हें पूरा करने की संभावित तारीख आदि का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विलम्बित परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

बीएसएनएलः बीएसएनएल ने प्रत्येक सर्किल में परियोजना समन्वय दल गठित किया है, जो प्रतिदिन परियोजनाओं के कार्य की निगरानी करता है। इसके अलावा, बीएसएनएल मुख्यालय साप्ताहित रिपोर्टों और मासिक जोनल बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से परियोजना की निगरानी कर रहा है। बीएसएनएल स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए बेतार योजना और समन्वय स्कन्ध (डब्ल्यूपीसी) के साथ और समय पर पावर कनेक्शन, भूमि उपलब्ध कराने तथा टावर संस्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ कार्यवाही भी कर रहा है।

एमटीएनएलः ये परियोजनाएं "टर्नकी" परियोजनाएं हैं, तथा नई प्रौद्योगिकी का उपस्कर होने के कारण इनकी आयोजना, आपूर्ति, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण विक्रेता द्वारा ही किया जाना है। विलम्ब कम करने के लिए, एमटीएनएल लगातार इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा पुनरीक्षण कर रहा है। सरकार भी इनके निष्पादन का तिमाही आधार पर पुनरीक्षण करती है।

विवरण I

बीएसएनएल-निर्धारित समय-सूची से पीछे चल रही परियोजनाएं

क्र.सं.	चालू परियोजनाएं	लक्ष्य तिथि	पूरा होने की संभावित तिथि	समय से पीछे चलने के कारण
1	2	3	4	5
	आईएमपीसीएस चरण IV परियोजना			
	पूर्वी जोन			
1.	अण्डमान और निकोबार	जुलाई-05	दिसम्बर-06	(1) डब्ल्यूपीसी से फ्रिक्वेंसी स्पैक्ट्रम के उपलब्ध होने और एसएसीएफए स्वीकृत मिलने में विलंब।
2.	बिहार	जुलाई-05	दिसम्बर-06	(2) कुछेक राज्यों में छत पर टावर स्थापित करने के लिए स्थानीय निकायों से अनुमति मिलने में विलंब।
3.	झारखंड	जुलाई-05	दिसम्बर-06	(3) कुछेक राज्यों में राज्य विद्युत कंपनियों से बिजली कनेक्शन मिलने में विलंब।
4.	उड़ीसा	जून-05	दिसम्बर-06	(4) संविदा में उल्लिखित ठोस सुपूर्दगी-कार्यक्रम के बावजूद विक्रेताओं से उपस्कर की आपूर्ति में विलंब।

1	2	3	4	5
5.	पश्चिम बंगाल	जून-05	दिसम्बर-06	(5) बाजार में आपूर्ति स्रोतों की कमी के कारण उपस्कर विक्रेताओं द्वारा अवसंरचना मदों (उदाहरणार्थ टावर) की आपूर्ति में विलंब
6.	कोलकाता टेलीफोन	जून-05	दिसम्बर-06	(6) संविदा में उल्लिखित ठोस परियोजना रालआउट कार्यक्रम के बावजूद, उपस्कर विक्रेताओं के पास स्रोतों की कमी की वजह से उनके द्वारा नेटवर्क रालआउट में विलंब
7.	उत्तर पूर्व-I	जुलाई-05	दिसम्बर-06	
8.	उत्तर पूर्व-II	जुलाई-05	दिसम्बर-06	
9.	असम	जुलाई-05	दिसम्बर-06	
	पश्चिमी जोन			
10.	गुजरात	अप्रैल-06	मार्च-07	
11.	मध्य प्रदेश	अप्रैल-06	मार्च-07	
12.	छत्तीसगढ़	अप्रैल-06	मार्च-07	
13.	महाराष्ट्र	अप्रैल-06	मार्च-07	
	उत्तरी जोन			
14.	हरियाणा	जून-05	दिसम्बर-06	
15.	हिमाचल प्रदेश	जून-05	दिसम्बर-06	
16.	पंजाब	जून-05	दिसम्बर-06	
17.	राजस्थान	जून-05	दिसम्बर-06	
18.	उत्तर प्रदेश (प.)	जून-05	दिसम्बर-06	
19.	उत्तरांचल	जून-05	दिसम्बर-06	
20.	जम्मू-कश्मीर	जून-05	दिसम्बर-06	
	दक्षिणी जोन			
21.	आंध्र प्रदेश	जून-05	दिसम्बर-06	
22.	कर्नाटक	जून-05	दिसम्बर-06	
23.	केरल	जून-05	दिसम्बर-06	

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	जून-05	दिसम्बर-06	
25.	चेन्नई टी.डी.	जून-05	दिसम्बर-06	
	आईएमपीसीएस चरण IV++ परियोजना			
	उत्तरी जोन			
26.	हरियाणा	मई-06	दिसम्बर-06	
27.	हिमाचल प्रदेश	अप्रैल-06	दिसम्बर-06	
28.	राजस्थान	मई-06	दिसम्बर-06	
29.	उत्तर प्रदेश (पू.)	अप्रैल-06	दिसम्बर-06	
30.	उत्तर प्रदेश (प.)	मई-06	दिसम्बर-06	
31.	उत्तरांचल	मई-06	दिसम्बर-06	
32.	जम्मू-कश्मीर	मई-06	दिसम्बर-06	
33.	ओएसएस/ बीएसएस मैसेजिंग, बिलिंग आदि से संबंधित परियोजना सं.-3	दिसम्बर-05	दिसम्बर-06	प्रणाली संघटक (सिस्टम इंटीग्रेटर) द्वारा प्रमुख व महत्वपूर्ण मदों जैसे सन सर्वर हार्डवेयर की आपूर्ति में विलंब

विवरण II

एमटीएनएल - निर्धारित समय-सूची से पीछे चल रही परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम तथा क्षमता	पूरी होने की संभावित तिथि
1	2	3
1.	जीएसएम 800के + विस्तार 400के + विस्तार 400के	दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 800 हजार की पूरी क्षमता को चालू कर दिया गया है। लगभग 21.6 लाख कनैक्शन दिए गए हैं। तीन चरण (800के + 400के + 400के) में क्षमता बढ़ायी गई है। सितम्बर, 2006 तक नए बीटीएस आदि की वृद्धि सहित परियोजना के पूरी तरह चालू हो जाने की संभावना है। बीटीएस स्थलों की अधिप्राप्ति और विभिन्न तकनीकी उपस्करों के निर्गमन में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई है। मै. मोटोरोला द्वारा परियोजना के लिए उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई है और उसे चालू किया जा चुका है।

1	2	3
2.	सीडीएमए 2000 1× टाइप 800के (दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 400के)	90% उपस्कर चालू कर दिए गए हैं। क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और नए नेटवर्क से फिक्स्ड तथा मोबाइल दोनों के कनैक्शन दिए जा रहे हैं। भिन्न-भिन्न विक्रेताओं के उपस्कर तथा बीटीएस स्थल अधिग्रहण के बीच संगतता संबंधी समस्या के कारण परियोजना में देरी हुई है। दिसम्बर, 2006 तक शेष बीटीएस आदि चालू करने सहित संपूर्ण परियोजना पूरी होने की संभावना है।
3.	फिक्स्ड इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क	विक्रेता द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में देरी की गई। विक्रेता, आपूरित किए जाने वाले उपस्कर को, प्रोटोकोल स्तर पर आईओटी (अन्तः प्रचालकता परीक्षण) संबंधी मुद्दों (तकनीकी) का समाधान न होने के कारण, एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के मौजूदा उपस्कर के अनुरूप बनाने में असमर्थ रहा है।
4.	स्विचन परियोजनाएं 80के (मुम्बई के लिए)	विक्रेता द्वारा आपूर्ति में देरी की गई। चालू वर्ष 2006-07 में शुरू होने की आशा है।
5.	कोर नेटवर्क के लिए एमपीएलएस परियोजना	आईपी/एमपीएलएस एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, तथा इसे हाल ही में पूरे विश्व में शुरू किया गया है। इसमें बहुत सारे अन्तः प्रचालकता संबंधी मुद्दे शामिल हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग वायस, डाटा तथा वीडियो परियात के अभिकरण संबंधी प्रमुख नेटवर्क में किया जाना है।
6.	ब्राडबैंड परियोजना	एडीएसएल 2+टाईप के 510 हजार लाइनों वाले उपस्कर का आर्डर दिया गया है। चरण-1 में लगभग 340 हजार लाइनों के उपस्कर चालू किए गए हैं। लगभग 260 हजार ब्राडबैंड कनैक्शन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। चरण-2 में 172 हजार में से 140 हजार का विस्तार कार्य शुरू किया गया है। तकनीकी मामलों के कारण कुछ विलंब हुआ था क्योंकि एडीएसएल 2+तकनीक पूरे विश्व में बिल्कुल नया था।
7.	दिल्ली/मुम्बई के लिए अभिसारण (कन्वर्जेंट) बिलिंग समाधान	इस प्रणाली में सभी प्रकार की सेवाओं तथा अन्य निगमित आवश्यकताओं के लिए एकल बिल की व्यवस्था है। नवीनतम सीआरएम प्रणाली भी शुरू की जा रही है। क्रय आदेश दे दिए गए हैं तथा चालू करने की संभावित तिथि मार्च, 2007 है।

[अनुवाद]

सीडीएमए नेटवर्क के लिए नए पैकेज

324. डा. एम. जगन्नाथः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मोबाइल सेवाओं के लिए सीडीएमए नेटवर्क के संबंध में नए पैकेजों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने गरूड़ कनेक्शन के उपभोक्ताओं को भी नई विकसित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) मोबाइल सेवाओं के लिए प्रशुल्क पैकेजों की घोषणा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा की जाती है न कि सरकार द्वारा। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की जरूरतों और आशाओं को करने के लिए विभिन्न पैकेज शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) जिन उपभोक्ताओं के पास पुराने गरूड़ कनेक्शन हैं उन्हें अपने कनेक्शनों को दिल्ली और मुम्बई में एमटीएनएल के नए सीडीएमए नेटवर्क में परिवर्तित करवाने की अनुमति है। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशुल्क योजनाएं विद्यमान हैं और वे अपनी सुविधानुसार किसी भी योजना का चयन कर सकते हैं।

निजी प्रचालकों को डाकघर चलाने के लिए अनुमति

325. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी प्रचालकों को ग्रामीण क्षेत्रों और अत्यधिक अल्प संख्या में डाकघर वाले क्षेत्रों में डाकघर चलाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लाहौर में हिन्दू मंदिर को ध्वस्त करना

326. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री सुग्रीव सिंह:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा':
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाहौर में भगवान कृष्ण के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि विदेशों में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आयी हैं कि लाहौर स्थित एक हिन्दू मंदिर, कृष्ण मंदिर को गिराने की अनुमति दी गयी।

(ख) और (ग) नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के साथ इस मामले को उठाया गया।

(घ) 15 जून, 2006 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि "लाहौर स्थित कृष्ण मदिर को गिराये जाने से संबंधित मीडिया की रिपोर्टें आधारहीन हैं। लाहौर स्थित एकमात्र कृष्ण मंदिर सुरक्षित है और प्रेस के कुछ वर्गों में संदर्भित मंदिर वह कृष्ण मंदिर" नहीं है जो लाहौर में रावी सड़क, पर है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के अनुसरण में भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि विदेश स्थित धार्मिक स्थानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।

[अनुवाद]

रुग्ण हिन्दुस्तान शिपयार्ड कार्पोरेशन लि. का पुनरुद्धार

327. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुग्ण हिन्दुस्तान शिपयार्ड कार्पोरेशन लि. के पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लोक-उद्यम पुनर्संरचना-बोर्ड ने अपनी दिनांक 12.01.2006 को हुई बैठक में वित्तीय पुनर्संरचना और प्रमुख ग्राहक (ग्राहकों) से वाणिज्यिक प्रबंधों के माध्यम से जुटाए जाने वाले 400 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना करते हुए, व्यवसाय-योजना हेतु निवेश के आधार पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पुनरुत्थान के एक पैकेज की सिफारिश की है।

चूंकि निवेश से सम्बद्ध वाणिज्यिक प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाना कठिन सिद्ध हो रहा है, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इस विभाग से यह अनुरोध किया है कि उसके पुनरुत्थान का

पैकेज इस शर्त पर नहीं हो। इस क्रम में एक विकल्प के रूप में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने सरकारी सहायता, आन्तरिक रूप से उपार्जित आय और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लिए जाने के माध्यम से 400 करोड़ रुपए की यह आवश्यकता पूरी किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो कि इस विभाग के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

झारखण्ड को धनराशि का आवंटन

328. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को झारखंड के आदिवासी, पिछड़े, ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि के आवंटन के संबंध में झारखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) झारखण्ड राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, वैज्ञानिक रूप से लाख की खेती में क्षमता निर्माण और इसके मूल्य में संवर्धन के माध्यम से गरीब जनजातीय परिवारों के जीविकोपार्जन में वृद्धि के लिए वर्ष 2003-04 में 8.09 करोड़ रुपए की राशि की एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया गया था।

[अनुवाद]

आईटीआई इकाईयों के आरक्षित कोटे को समाप्त किया जाना

329. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए उपकरण निर्मित करने वाली भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड की इकाईयों के आरक्षित कोटे को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 12.07.2006 को हुई अपनी प्रबंधन समिति की बैठक में मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए आरक्षण कोटा जारी रखने का निर्णय लिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम्स में आग

330. श्री तूफानी सरोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियों थोरेसिक सेन्टर के एक हिस्से में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आग के कारण हुए नुकसान का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दिनांक 23.6.2006 को विद्युत शार्ट सर्किट के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय-वक्षीय केन्द्र (कार्डियो-थोरेसिक सेंटर) के एक भाग में आग लग गई थी। आग के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि कार्य बल में कमी

331. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि कार्य बल में दस मिलियन की कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि कार्य बल में इस कमी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि कार्य बल में कमी के फलस्वरूप होने वाले बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में इसका उल्लेख है। तथापि, दृष्टिकोण-पत्र को अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

332. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री निखिल कुमार:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की विद्यमान जटिल प्रक्रिया की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुलिस जांच के बिना पासपोर्ट जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों ने इस कदम का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) पासपोर्टों को समय पर जारी करने के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) सरकार पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया की समय-सीमा पर समीक्षा करती रही है ताकि इसे तीव्र और आवेदक के अनुकूल बनाया जा सके। इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में प्रक्रिया का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत कुछ क्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है और कुछ क्रियाओं को प्रक्रिया समय घटाने के लिए दूसरी क्रियाओं के साथ मिला दया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों द्वारा फाइलें प्रदान करने की प्रक्रिया (अर्थात् पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन) काऊन्टर पर ही हो जाता है।

(2) तत्काल स्कीम के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि 1-10 दिन है। हालांकि 11-35 दिनों की समयावधि कटकर 11-20 दिन रह गई है। तत्काल स्कीम के तहत सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पूरे 10 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

(3) इसी प्रकार पासपोर्ट को पुन: जारी करने की विनिर्दिष्ट समयावधि 1-10 दिनों से घटाकर 1-3 दिन कर दी गई है।

(4) लंबित आवेदनों की स्थिति से निपटने के लिए गाजियाबाद, चण्डीगढ़, हैदराबाद, और पटना में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में हाल ही में विशेष अभियान चलाए गए जिससे जारी करने के समय में भारी कटौती हुई।

(5) सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित आवेदनों की प्रति सप्ताह निगरानी की जाती है।

(6) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे दो सप्ताह के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करें।

(7) पासपोर्ट तैयार करने के लिए मशीन प्रिंटरों को लागू करने और पासपोर्ट आवेदनों के संसाधन के लिए पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के प्रयोग द्वारा पासपोर्ट जारी करने की संख्या में वृद्धि।

(8) आवेदकों की सुविधा और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। इस योजना के तहत जिलाधीश के कार्यालय अथवा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय (जैसा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

किया गया हो) में स्थित जिला पासपोर्ट सेलों में जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राज्यों में स्थित नामोद्दिष्ट स्पीड पोस्ट और पासपोर्ट आवेदन कलेक्शन केंद्रों में भी प्राप्त किया जाता है।

(9) शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए केंद्रीय जल शिकायत अनुवीक्षण सेल का गठन किया गया है।

(ग) जी नहीं। इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

(च) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और सरलीकृत करने के लिए निम्नलिखित अनेक कदम उठाए गए हैं:

(1) अगस्त, 2006 तक मौजूदा 218 केंद्रों को 1000 केंद्रों में तब्दील करने के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रात करने हेतु स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क को व्यापक बनाना;

(2) अगस्त, 2006 तक नई दिल्ली में पासपोर्ट आवेदकों के लिए आन-लाइन पंजीकरण आरंभ करना;

(3) लंबित आवेदनों को खत्म करने और कम करने के लिए कर्मचारियों में वृद्धि करना; और

(4) पासपोर्ट आवेदन की पहचान/राष्ट्रीयता स्थापित करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना।

[अनुवाद]

विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट में भाग लेना

333. श्री पी. मोहन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में जर्मनी में हुए विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट में भारतीय टीम के भाग न लेने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति/कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) फुटबाल, हाकी, ट्रेक इवेन्ट्स तथा ओलम्पिक खेलों में पुरानी शोहरत हासिल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) वर्तमान में विश्व में फुटबाल खेलने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान/रैंकिंग है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट में केवल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए भाग लिया जाता है। चूंकि भारतीय फुटबाल टीम क्वालिफाइंग दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, अत: यह जर्मनी में विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सका। विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट में भाग लेने की नीति को अंतिम रूप फीफा देता है जो कि फुटबाल के खेल का विश्व निकाय है। इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) विभिन्न खेल विधाओं में खेलों का विकास, प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका पोषण करना, मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार निम्न प्रकार से राष्ट्रीय खेल परिसंघों और राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है:-

(1) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा खेल वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना और उनका कार्यान्वयन।

(2) खिलाड़ियों/टीमों को उपस्कर एवं वैज्ञानिक समर्थन का प्रावधान।

(3) प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों/टीमों का गहन प्रशिक्षण।

(4) खिलाड़ियों/टीमों तथा भारतीय प्रशिक्षकों को विदेशों में गहन प्रशिक्षण।

(5) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता।

(6) "प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना" और "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के अंतर्गत उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन तथा देश और विदेश में प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(7) जहां तक विश्व कप फुटबाल 2010-2014 का संबंध है, अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ ने विश्व कप 2010-2014 क्वालिफाई करने के लिए पहले ही परियोजना आरंभ कर दी है।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा छोटी आयु में प्रतिभा का पता लगाने के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, सेना बाल खेल कम्पनी योजना, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना तथा उत्कृष्टता केन्द्र के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है।

(च) जुलाई, 2006 में जारी की गई फीस रैंकिंग के अनुसार, फीफा से संबद्ध 207 यूनिटों में से भारत 130वें स्थान पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों का विकास

334. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2005 की आर्थिक गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में देश के 61.3 प्रतिशत उद्यम शहरी क्षेत्रों के उद्यमों से अधिक तेज विकास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रवार तथा शहरी क्षेत्रवार तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रवार तथा ग्रामीण क्षेत्रवार संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) 12 जून, 2006 को जारी हुए आर्थिक गणना 2005 के अनंतिम परिणामों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उद्यमों का प्रतिशत भाग क्रमश: 61.3 प्रतिशत तथा 38.7 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में 1998-2005 की अवधि के दौरान उद्यमों में औसत वार्षिक विकास दर 5.53 प्रतिशत थी और शहरी क्षेत्रों में तदनुरूपी विकास दर 3.71 प्रतिशत थी।

(ग) आर्थिक गणना 2005 में पिछले दो वर्षों के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या संग्रहीत नहीं की गई थी। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के दो नवीनतम पंचवार्षिक दौरों (1993-94 तथा 1999-2000) जिनके परिणाम उपलब्ध हैं, के अनुसार तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इम्पलायमेंट मार्केट इनफारमेशन प्रोग्राम के अंतर्गत संग्रहीत आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भी 1999-2000 के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की अनुमानित संख्या क्रमश: 27.96 मिलियन तथा 308.78 मिलियन थी। देश स्तर पर 1993-94 के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की तदनुरूपी संख्या क्रमश: 27.38 मिलियन तथा 288.46 मिलियन थी।

[हिन्दी]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

335. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक पंजीकरण हेतु मध्य प्रदेश के डाकघरों में स्थानवार कितने कम्प्यूटर लगाए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य के किन-किन स्थानों पर कम्प्यूटर लगाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के डाकघरों में डाक के पंजीकरण हेतु लगाए गए कम्प्यूटरों की स्थानवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्य में चालू वर्ष (2006-07) के दौरान कम्प्यूटर लगाने के लिए प्रस्तावित जगहों के स्थानवार नाम विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघरों के नाम तथा उनमें डाक के पंजीकरण के लिए स्थापित कम्प्यूटरों की संख्या

क्र.सं.	डाकघरों का नाम	स्थापित किए गए कम्प्यूटर
1	2	3
1.	एसबीबी बीएचईएल भोपाल प्रधान डाकघर	2
2.	शिक्षा मंडल भोपाल	1
3.	रवि शंकर नगर	1
4.	3 ई एम ई केंद्र भोपाल	1

1	2	3
5.	बैरागढ़, भोपाल	1
6.	गोविन्दपुरा, भोपाल	1
7.	जहांगीराबाद	1
8.	पिपलानी, भोपाल	1
9.	हमदिया रोड, भोपाल	1
10.	मोती लाल नेहरू नगर	1
11.	सिकंदरी सराय	1
12.	मंडीदीप	1
13.	वल्लभ भवन	1
14.	डाक भवन	1
15.	एच ई होस्पिटल	1
16.	विद्याविहार, भोपाल	1
17.	सतपुरा	1
18.	होशंगाबाद, प्रधान डाकघर	1
19.	नरसिंहपुर, प्रधान डाकघर	1
20.	बबाई	1
21.	बन्नापुरा	1
22.	बांसेडी	1
23.	होशंगाबाद सिटी	1
24.	ओ एफ ई इटारसी	1
25.	पंचमढ़ी	1
26.	पंचमढ़ी कैंट	1
27.	सियोनी मालवा एलएसजी	1
28.	शोअगपुर रेलवे स्टेशन	1
29.	तिमारनी एलएसजी	1
30.	करेली एलएसजी	1
31.	गोतेगांव एलएसजी	1
32.	गदरवारा एलएसजी	1

1	2	3
33.	पिपारिया	1
34.	हरदा	1
35.	दमोह प्रधान डाकघर	1
36.	खुरई	1
37.	सागर सिटी	1
38.	एस. विश्वविद्यालय	1
39.	हट्टा	1
40.	रायसेन प्रधान डाकघर	1
41.	गंज बसोदा	1
42.	सिरोंज	1
43.	बरेली	1
44.	कुरवाई	1
45.	बाडी	1
46.	बेगमगंज	1
47.	छतरपुर प्रधान डाकघर	1
48.	टीकमगढ़ प्रधान डाकघर	1
49.	खजुराहो	1
50.	पन्ना	1
51.	महाराजपुर	1
52.	हरपलपुर	1
53.	नौगांव	1
54.	बालाघाट प्रधान डाकघर	1
55.	सियोनी प्रधान डाकघर	1
56.	मंडला प्रधान डाकघर	1
57.	वरासिवोनी	1
58.	डिंडोरी	1
59.	बैहर	1
60.	कटंगी	1

1	2	3
61.	लखनादोन	1
62.	नैनपुर	1
63.	छिंदवाड़ा प्रधान डाकघर	1
64.	बेतुल प्रधान डाकघर	1
65.	मुलताई	1
66.	अमला	1
67.	चितानविसगंज	1
68.	सौसार	1
69.	अमला डिपो	1
70.	भैंसदेही	1
71.	चौराई	1
72.	जुन्नारदेव	1
73.	पंधुरना	1
74.	परासिया	1
75.	पथाखेडा	1
76.	सरनी	1
77.	रीवा प्रधान डाकघर	2
78.	सतना प्रधान डाकघर	1
79.	मऊगंज	1
80.	नागोड	1
81.	मैहर	1
82.	सतना बिरला विकास	1
83.	सेमारिया	1
84.	रीवा वि. भवन	1
85.	चक	1
86.	अमर पटन	1
87.	बीरसिंहपुर/रीवा सिटी	1
88.	रामपुर बघेलन	1
89.	जैतवाड़ा	1
90.	शहडोल प्रधान डाकघर	1
91.	सीधी प्रधान डाकघर	1
92.	अनूपपुर	1
93.	सिंघरोली	1
94.	उमारिया	1
95.	बरहार	1
96.	छचाई	1
97.	कोतमा	1
98.	चरहात	1
99.	जयंत कोल्लोरीस	1
100.	विंधिया नगर	1
101.	वैधान	1
102.	अमलाई पैपर मिल	1
103.	बेओहारी	1
104.	सिहोर प्रधान डाकघर	1
105.	राजगढ़ (बयो)	1
106.	बियोरा	1
107.	नरसिंहगढ़	1
108.	पचोरे	1
109.	सारंगपुर	1
110.	अशता	1
111.	नसरुल्लागंज	1
112.	इच्छावार	1
113.	बुधनी	1
114.	बरहांपुर	1
115.	अंजद	1
116.	बरवाहा	1

1	2	3
117.	बरखानी	1
118.	हरसूद	1
119.	सनावद	1
120.	सेंधवा	1
121.	कसरावद	1
122.	नेपानगर	1
123.	राजपुर	1
124.	महेश्वर	1
125.	खांडवा प्रधान डाकघर	2
126.	कुकशी	1
127.	मनावर	1
128.	कन्नोड	1
129.	खातेगांव	1
130.	पीथमपुर उप डाकघर	1
131.	पीथमपुर सै. III	1
132.	बदनावार	1
133.	धमनोड	1
134.	सोनकाच	1
135.	हट पिपलिया	1
136.	एम एच ओ डब्ल्यू	1
137.	कटनी प्रधान डाकघर	2
138.	सिहोरा	1
139.	गरहा	1
140.	जबलपुर सिटी	1
141.	अधरताल	1
142.	बाई का बगीचा	1
143.	जबलपुर कैंट	1
144.	जबलपुर फैक्टरी	1
145.	गोकुलपुर	1
146.	जबलपुर उच्च न्यायालय	1
147.	जबलपुर जोनेशगंज	2
148.	खमरिया	1
149.	कस्तूरबा नगर	1
150.	जबलपुर, कचहरी	1
151.	जबलपुर, एलएसी लाइंस	1
152.	जबलपुर, लाइसगंज	1
153.	जबलपुर, नेपियर लाइंस	1
154.	जबलपुर, विद्युत नगर	1
155.	जबलपुर, वेहिकिल फैक्टरी	1
156.	कटनी आर्डिनेंस फैक्टरी	1
157.	कटनी सिमेंट फैक्टरी	1
158.	कैमोर	1
159.	मुरैना प्रधान डाकघर	1
160.	भिंड प्रधान डाकघर	1
161.	शिवपुर कलां	1
162.	सबलगढ़	1
163.	मेहगांव	1
164.	गुना प्रधान डाकघर	1
165.	अशोक नगर	1
166.	शिवपुरी प्रधान डाकघर	1
167.	उज्जैन सिटी	1
168.	उज्जैन एमएल नगर	1
169.	उज्जैन माधोनगर	1
170.	बिरलाग्राम	1
171.	बरनगर	1
172.	खचरोड	1

1	2	3
173.	नगदा	1
174.	तराना	1
175.	शाजापुर प्रधान डाकघर	1
176.	अगर मालवा	1
177.	शुजालपुर मंडी	1
178.	जओरा	1
179.	अलोते	1
180.	रतलाम स्टेशन रोड उप डाकघर	1
181.	सईलाना	1
182.	अलीराजपुर	1
183.	जोबात	1
184.	मेघनगर	1
185.	पेटलावाड	1
186.	थांदला	1
187.	झबुआ प्रधान डाकघर	1
188.	इंदौर शहर 2 उप डाकघर	1
189.	तिलक नगर	1
190.	क्लाथ मार्केट	1
191.	सियागंज उप डाकघर	1
192.	वल्लभ नगर उप डाकघर	1
193.	इंदर नंद नगर उप डाकघर	1
194.	बिजासन रोड उप डाकघर	1
195.	एएचक्यू उप डाकघर	1
196.	इंदौर औद्योगिक रोड उप डाकघर	1
197.	इंदौर कनाडिया रोड उप डाकघर	1
198.	खटीवाला टैंक उप डाकघर	1
199.	इंदौर आरएसएस नगर उप डाकघर	1
200.	सुदामा नगर उप डाकघर	1
201.	जीएन चौक उप डाकघर	1
202.	ग्वालियर सिटी	1
203.	ग्वालियर रेलवे स्टेशन	1
204.	मोती महल	1
205.	लश्कर सिटी	1
206.	डबरा	1
207.	दतिया	1
208.	बिरलानगर उप डाकघर	1
209.	सियोधा उप डाकघर	1
210.	तेकनपुर	1
211.	मोरार प्रधान डाकघर	1
212.	नीमच प्रधान डाकघर	1
213.	भानपुरा उप डाकघर	1
214.	गरोथ उप डाकघर	1
215.	जवाद उप डाकघर	1
216.	मनासा उप डाकघर	1
217.	मंदसौर शहर उप डाकघर	1
218.	पिपलिया उप डाकघर	1
219.	रामपुरा उप डाकघर	1
220.	शामगढ़ उप डाकघर	1
221.	सीतामऊ उप डाकघर	1
222.	एबी रोड गुना	1
223.	एरोन	1
224.	पिचोरे	1
225.	मुंगावली	1
226.	गोहाट	1
227.	केलारास	1
228.	मकसी	1

1	2	3
229.	नालखेड़ा	1
230.	सीटीटी नगर प्रधान डाकघर	2
231.	भोपाल जीपीओ	2
232.	उज्जैन प्रधान डाकघर	2
233.	इंदौर जीपीओ	2
234.	इंदौर नगर प्रधान डाकघर	1
235.	जबलपुर प्रधान डाकघर	2
236.	लश्कर प्रधान डाकघर	1
237.	मंदसौर प्रधान डाकघर	1
238.	देवास प्रधान डाकघर	1
239.	धार प्रधान डाकघर	1
240.	खारगोन प्रधान डाकघर	1
241.	सागर कैंट प्रधान डाकघर	1
242.	रतलाम प्रधान डाकघर	1
243.	विदिशा प्रधान डाकघर	1

विवरण II

वर्ष 2006-07 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए चुने गए डाकघर

क्र.सं.	डाकघरों के नाम (स्थान)
1	2
1.	बेरासिया
2.	बारखेड़ा एचई
3.	तुलसी नगर
4.	एमएसीटी
5.	विश्वविद्यालय
6.	शिवाजी नगर
7.	कोलार रोड
8.	महावीर नगर
9.	त्रिलंगा
10.	होशंगाबाद सिटी
11.	बीना
12.	सागर विश्वविद्यालय
13.	सागर कैवेल्लरी हिल्स
14.	हट्टा
15.	देवरी
16.	दमोह रेलवे स्टेशन
17.	बिजुरी
18.	गुर्ह
19.	रीवा छठहट्टा
20.	रीवा वेंकट भवन
21.	इंदौर तुको गंज
22.	तेकानपुर
23.	ग्वालियर-महाराजपुर
24.	चंदेरी
25.	एनएफएल विजयपुर
26.	सेंधवा
27.	जठरा
28.	पोरसा
29.	मुरैना सिटी
30.	लहर
31.	भानपुरा
32.	खचरोड
33.	महिदपुर
34.	कुंदम

[अनुवाद]

बच्चों में बीमारियों का फैलना

336. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों में हृदय रोग, कैंसर तथा किडनी के रोगों के मामले बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों में इन रोगों की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत में जन्म के समय जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) की घटना-दर का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर वर्ष सीएचडी से ग्रस्त लगभग 1,30,000 से 2,70,000 बच्चों का जन्म होता है। हृदय रोग के अन्य रूपों जिनसे 5-15 वर्ष की आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं, में रूमेटिक हृदय रोग शामिल है। यह समस्या देश के उन भागों में घटती हुई प्रतीत होती है जिन भागों में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में सुधार दिखाई दिया है।

जहां तक कैंसर का संबंध है, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों से बालक और बालिकाओं दोनों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित होती है। समय के रूझानों अथवा बच्चों में गुर्दे से संबंधित रोगों में वृद्धि के बारे में कोई राष्ट्रीय अथवा राज्यवार व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों सहित सभी आयु वर्गों में कैंसर के निवारण और इसका शुरू में ही पता लगाने पर बल दिया जाता है। सरकार का हृदय रोगों, दौरा और मधुमेह के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हृदय वाहिका के रोगों (सीवीडी) और मधुमेह के निवारण और नियंत्रण के वास्ते राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने और उसको कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर भारी घुसपैठ

337. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तानी सरकार के साथ नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने के बाद हाल के कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर में सीमा-पार से भारी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मुद्दे को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत ने शीर्षस्थल स्तर पर पाकिस्तान को सूचित कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है, जिसमें प्रशिक्षण शिविर, लांच-पैड और भारत की ओर आतंकवादी गुटों तथा पाकिस्तान की ओर उन्हें नियंत्रित करने वालों के बीच संचार-संबंध शामिल है, तब तक दोनों देशों के बीच वार्ता प्रक्रिया निरर्थक होगी। पाकिस्तान को 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में व्यक्त की गई उन प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में इन कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है जिसमें उसने कहा था कि वह अपने नियंत्रण वाले किसी भूभाग को किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन देने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

(ग) पाकिस्तान हमेशा सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देने में अपनी भूमिका होने से इंकार करता रहा है।

(घ) और (ङ) आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के भाग के रूप में सरकार इस संबंध में हुई प्रगति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नियमित आधार पर अवगत कराती रही है।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स के रोगी

338. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्रीमती अर्चना नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दक्षिण अफ्रीका के 5.5 मिलियन एच.आई.वी./एड्स रोगियों की तुलना में लगभग 5.7 मिलियन एच.आई.वी./एड्स रोगी हैं, जैसाकि यूएनआईडीएस द्वारा बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएसीओ ने यूएनएआईडीएस द्वारा अपनाई गई प्रणाली की वैधता की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछेक एच.आई.वी./एड्स रोगियों को ही एन्टि-रेट्रोवाइरल थेरेपी दी गई है तथा मां से बच्चे को एचआईवी फैलने की रोकथाम हेतु केवल 1.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को आवश्यक उपचार मिल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में एचआईवी रोगियों की दवा तथा उपचार तक पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या उपचार किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) देश में निर्धारित 750 स्थलों पर की गई वार्षिक प्रहरी निगरानी के अनुसार 15-49 वर्ष आयु समूह के लगभग 5.2 मिलियन व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हैं। इस अनुमान को विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू एन एड्स ने भी वैध करार दिया है। तथापि, यू एन एड्स ने विभिन्न अन्य मान्यताओं, जिन्हें अभी वैधता दी जानी है, का प्रयोग करते हुए पहली बार 5.2 मिलियन ने इस अनुमान को सभी आयु समूह के बारे में बढ़ा कर 5.7 मिलियन आंका है। महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यू एन एड्स समेत शैक्षिक संस्थाओं के सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जो यू एन एड्स द्वारा प्रयुक्त मृत्यु-दर अनुमानों की समीक्षा करेगी और इसके साथ-साथ समूची जनसंख्या में संक्रमण स्तरों के अनुमान हेतु प्रयुक्त मान्यताओं और क्रिया-विधियों की वैधता की जांच भी करेगी। यह समिति इस वर्ष के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ङ) से (छ) भारत सरकार ने वर्ष 2004 में एंटीरिट्रो-वायरल उपचार कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तक 54 सार्वजनिक अस्पतालों में लगभग 35000 रोगी एंटीरिट्रोवायरल औषधें मुफ्त पा रहे हैं और मां से बच्चे में एचआईवी के संचार को रोकने के लिए 2155 एकीकृत परामर्शदाता एवं परीक्षण केन्द्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि 90 प्रतिशत एचआईवी संक्रमित व्यक्ति अपनी दशा से वाकिफ नहीं होते, काफी संख्या में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का पता नहीं लगा पाता, इसलिए उनका उपचार नहीं हो पाता। तथापि, कार्यक्रम के विस्तार से एण्टीरिट्रोवायरल उपचार की आवश्यकता वाले काफी संख्या में माताओं और रोगियों को कवर किया जाएगा। 46 अतिरिक्त केन्द्रों, जो इस माह के अन्त तक काम करना शुरू कर देंगे, में लगभग 85,000 रोगियों के उपचार हेतु औषधों की पहले ही खरीद की जा चुकी है।

न्यूक्लियर कोआपरेशन प्रोमोशन एक्ट, 2006

339. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एस एण्ड इंडिया न्यूक्लियर कोआपरेशन प्रोमोशन एक्ट, 2006 के एक खंड के अनुसार ईरान की परमाणु हथियार क्षमता पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इसे अलग करने के लिए यू एस प्रशासन को भारत का सहयोग लेना होगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या मूल दस्तावेज में बाधाएं तथा प्रतिकूल परिवर्तन पाए गए हैं/किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) अमरीका और भारत नाभिकीय सहोग संवर्द्धन अधिनियम-2006 नामक एक अधिनियम अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया है। इस विधेयक के "नीति वक्तव्य" से संबंधित खण्ड में धारा 3(ख)(4) में "नाभिकीय शस्त्र क्षमता (नाभिकीय सामग्री को संवर्द्धित और संसाधित करने की क्षमता सहित) और सामूहिक विनाश के हथियारों की डिलिवरी का साधन प्राप्त करने सहित सामूहिक निवाश के हथियार प्राप्त करने के प्रयासों से हटाने के लिए ईरान को मनाने, अलग-थलग करने और आवश्यक हुआ तो प्रतिबंध लगाने और नियंत्रण रखने के अमरीकी प्रयासों में भारत की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने" की बात कही गयी है।

(ख) प्रस्तावित अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अमरीकी राष्ट्रपति को 1954 के अमरीकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, जिसके अंतर्गत अभी भारत के साथ नाभिकीय सहयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, के कतिपय प्रावधानों के प्रवर्तन से छूट देने का अधिकार दिया गया है। अधिनियमित हो जाने के पश्चात् छूट देने का यह प्राधिकार भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग करने के लिए अमरीकी कानूनों और नीतियों को समायोजित करने की अमरीकी वचनबद्धता को पूरा किये जाने का प्रतिनिधित्व करेगा।

(ग) से (च) विधेयक में ऐसे खण्ड हैं जिसमें 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य और भारत की पृथक्करण योजना से विषयेतर मुद्दों का उल्लेख किया गया है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के लिए दिशानिर्देशी सिद्धांत 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य और भारत की पृथक्करण योजना ही रहनी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री द्वारा और अन्य माध्यमों से अमरीकी प्रशासन को हमारे इस दृष्टिकोण से अवगत करा दिया गया है। प्रस्तावित अधिनियम की भाषा पर अमरीकी कांग्रेस में अभी भी चर्चा चल रही है और सरकार इस मसले पर अमरीकी प्रशासन के साथ बातचीत करती रहेगी।

वन इंडिया स्कीम

340. श्री एल. राजगोपाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्लान-95 के अंतर्गत पूरे देश में घरेलू तथा वैयक्तिक कनेक्शन देने के लिए ''वन इंडिया स्कीम'' उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना क्वाइन्स क्लेक्टिंग बाक्स (सीसीबी) कनेक्शनों के लिए भी दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या क्वाइन्स क्लेक्टिंग बाक्स कनेक्शन प्राप्त शारीरिक रूप से विकलांग तथा विधवाओं को जमा आदि पर कोई रियायत अथवा छूट दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) प्लान 95 के अंतर्गत ''वन इंडिया प्लान स्कीम'' उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों ने अन्य चालू योजनाओं के अतिरिक्त एक वैकल्पिक योजना के रूप में 1.3.2006 से ''वन इंडिया प्लान'' को शुरू किया है। वन इंडिया प्लान की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं:

(1) इस योजना के अंतर्गत बीएसएनएल और एमटीएनएल के लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल ग्राहक इसी नेटवर्क पर देश में कहीं भी इंटर सर्किल काल के लिए 1 रु. प्रति मिनट की दर से तथा 50 कि.मी. तक स्थानीय और इन्ट्रा सर्किल कालों के लिए 1 रु. प्रति 3 मिनट की दर से काल कर सकते हैं। अन्य नेटवर्कों पर किए गए काल का शुल्क प्रति मिनट 1 रु. की एकसमान दर से वसूल किया जाएगा।

(2) इसी प्रकार वन इंडिया स्कीम के तहत पोस्ट पेड और प्री-पेड दोनों प्रकार के सेल्युलर ग्राहकों के लिए वैकल्पिक प्रशुल्क योजना शुरू की गई है।

(3) एमटीएनएल के लैंडलाइन और स्थिर डब्ल्यूएलएल सेवा के उपभोक्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से बीएसएनएल के स्थिर लाइन फोन पर 1 रु. प्रति 3 मिनट की दर से काल कर सकते है। हाल ही में दिल्ली से मुम्बई के बीच लैंडलाइन से लैंडलाइन 1.20 रु. प्रति 3 मिनट की प्रशुल्क दर पर काल करने के लिए एमटीएनएल द्वारा ''95'' लेवल डायलिंग शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) वन इंडिया स्कीम क्वाइन्स क्लेक्टिंग बाक्सों (सीसीबी) के संबंध में लागू नहीं की गई है। इस स्कीम में किराये के रूप में एक निश्चित शुल्क वसूल किया जाता है। चूंकि पीसीओ के संबंध में कोई किराया वसूल करना संभव नहीं है, अत: सीसीबी पीसीओ के संबंध में यह स्कीम लागू नहीं की गई है।

(च) और (छ) जी, हां। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सीसीबी कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने से छूट दी गई है। विधवाओं के लिए ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात परिचर्या वाहन

341. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध एम्बुलेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध चिकित्सा सहायता पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दुर्घटना के मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात परिचर्या वाहन उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत, दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलेंस प्रदान करता रहा है। 2000-01 से 2004-05 की अवधि में इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 266 एंबुलेंस दी गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों/निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण समझौतों के अंतर्गत उसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों पर औसतन 50 कि.मी. के अंतराल पर एक एंबुलेंस प्रदान करता है। दिनांक 16.6.2006 की स्थिति के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 81 एंबुलेंस तैनात की गई।

(ख) से (घ) सड़क दुर्घटना के मामले में सहायता प्रबंधन व्यवस्था करना मूल रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्रालय की ट्रामा केयर केंद्रों/सुविधाओं की स्थापना में सहायता करने की अपनी कोई स्कीम नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट स्थित अस्पतालों सहित अस्पतालों में आपात सेवाओं/ट्रामा केयर सुविधाओं के उन्नयन के लिए 'एसिसटेंस फार कैपसिटी बिल्डिंग' स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

दिल्ली-गुड़गांव राजमार्ग की प्रगति

342. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव राजमार्ग का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली और गुड़गांव के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवरों की संख्या कितनी है;

(घ) इनमें से प्रत्येक फ्लाईओवर को पूरा किए जाने की समय-सीमा क्या थी;

(ङ) जून, 2006 तक प्रत्येक फ्लाईओवर के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) संपूर्ण एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण को पूरा करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। कार्य प्रगति पर है। कार्य में विलंब की वजह से मुख्य कारणों में कार्य स्वरूप में परिवर्तन, सरकारी भूमि के हस्तांतरण में विलंब और परियोजना के वित्तीय समापन में विलंब है।

(ग) से (ङ) दिल्ली और गुड़गांव के बीच तीन भूमिगत मार्गों सहित 9 फ्लाईओवर हैं। मूल कार्यक्रम के अनुसार उनको दिनांक 12.7.2005 तक पूरा किया जाना था। दिनांक 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक फ्लाईओवर के निर्माण की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	फ्लाईओवर	पूर्ण हुआ कार्य
1.	राव तुलाराम मार्ग-पालम फ्लाईओवर	40%
2.	महिपालपुर-आईजीआई फ्लाईओवर	92%
3.	राजोकरी फ्लाईओवर	पूर्ण
4.	उद्योग विहार फ्लाईओवर (गुड़गांव)	80%
5.	इफको चौक फ्लाईओवर (गुड़गांव)	84%
6.	साउथ सिटी फ्लाईओवर (गुड़गांव)	85%
7.	सैक्टर 31 फ्लाईओवर (गुड़गांव)	88%
8.	झाड़सा फ्लाईओवर (गुड़गांव)	90%
9.	राजीव चौक फ्लाईओवर (गुड़गांव)	पूर्ण

(च) परियोजना की मूल वाणिज्यिक प्रचालन तारीख 12.7.2005 थी। इस संपूर्ण परियोजना के लिए दिसंबर, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पारंपरिक ज्ञान संपदा की चोरी

343. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं योग के पारंपरिक ज्ञान-संपदा की चोरी की रोकथाम करने हेतु अप्रकटीकरण समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते से इसकी चोरी की कितनी रोकथाम हो सकेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। सरकार परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टीकेडीएल) डाटा संचय तक मंत्रिमंडल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार टीकेडीएल पहुंच तथा अप्रकटीकरण करार के तहत अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों की पहुंच कराएगी।

(ख) टीकेडीएल पहुंच करार के प्रधान सिद्धांत हैं:

(1) किसी अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालय के परीक्षकों द्वारा टीकेडीएल तक पहुंचने की सुविधा का उपयोग पेटेन्ट खोज एवं परीक्षण के लिए ही किया जाएगा; और

(2) अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालय और उनके परीक्षक किसी तृतीय को पेटेन्ट अनुसंधान व परीक्षण के प्रयोजन में आवश्यक और अनिवार्य प्रकटन से इतर प्रकटन नहीं करेंगे।

(ग) एक बार टीकेडीएल पहुंच करार के प्रवृत्त हो जाने पर पेटेन्ट परीक्षणकगण मौलिक अनुसंधान में टीकेडीएल का उपयोग कर लेंगे। अतएव, टीकेडीएल डाटा संचय द्वारा मौलिकता प्रमाणित किए जाने पर पेटेन्टों को मंजूर नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

समेकित रोग निगरानी परियोजना

344. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा समेकित रोग निगरानी परियोजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत निगरानी रखे जाने हेतु रोगों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक की सहायता से यह योजना लागू की जा रही है;

(च) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(छ) इस परियोजना को किन राज्यों में लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में रोग निगरानी संबंधी कार्यकलापों को समेकित करने के उद्देश्य से नवम्बर, 2004 में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.) को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। रोग निगरानी परियोजना शुरू में ही आसन्न प्रकोपों और महामारियों के पूर्व लक्षणों का पता लगाने के लिए अनिवार्य आंकड़े प्रदान करेगी। यह परियोजना रोगों को फैलने से रोकने के लिए समय पर कारगर उपाय करने में सहायता देगी। यह परियोजना देश में चल रहे विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रगति को मानीटर करने, रोग पैटर्नों का अध्ययन करने तथा हो रहे नए रोगों का पता लगाने में भी सहायता देगी।

(ग) और (घ) आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए रोगों में मलेरिया, तीव्र अतिसारीय रोग (हैजा), टायफायड, खसरा,

पोलियो, प्लेग, मेनिनगोऐन्सेफेलाइटिस/श्वसनात्मक तकलीफें, रक्तस्रावी ज्वर, अन्य जिन दशाओं का रोग निदान न किया गया हो, एच.आई.वी./एच.बी.वी., एच.सी.वी. हैं। इन प्रमुख रोगों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार राज्य की प्राथमिकता के अनुसार निगरानी हेतु पांच अतिरिक्त स्थितियों/दशाओं तक पता लगा सकती है।

(ङ) और (च) यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत परियोजना अवधि 2004-2009 के लिए 408.36 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से उदार ऋण के माध्यम से लगभग 75% परियोजना लागत के लिए पैसा देने के लिए सहमत हो गया है।

(छ) यह परियोजना चरण-वार ढंग से इस प्रकार कार्यान्वित की जाएगी:

चरण-I (2004-05: 9 राज्य अर्थात तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मिजोरम और प्रायोगिक परियोजना, राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए सभी 101 जिले।

चरण-II (2005-2006): 13 राज्यों/संघ क्षेत्र अर्थात् गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ढड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा।

चरण-III (2006-07): शेष राज्य/संघ क्षेत्र।

[अनुवाद]

कर्नाटक के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन पर प्रतिबंध

345. श्री एम. शिवन्ना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने कर्नाटक के कुछ नए चिकित्सा महाविद्यालयों से शैक्षणिक वर्ष 2006-2007 हेतु नामांकन नहीं करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये महाविद्यालय कौन से हैं; और

(ग) इन महाविद्यालयों का कार्यकरण तत्काल आरंभ किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में कर्नाटक में सात नए मेडिकल कालेज अर्थात् एक प्राइवेट मेडिकल कालेज और छह सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से विचार किया गया। केन्द्रीय सरकार ने इन 7 प्रस्तावों में से वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित मेडिकल कालेज शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है:

1. बेलगाम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाली सरकारी मेडिकल कालेज
2. मांडया में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाली सरकारी मेडिकल कालेज
3. 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाला एस.एस. आयुर्विज्ञान संस्थान, देवनगिरी (प्राइवेट मेडिकल कालेज)

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान शेष चार सरकारी मेडिकल कालेज अर्थात् बिदर, रायचूर, शिमोगा और हासन में एक-एक मेडिकल कालेज नहीं खोलने के अपने निर्णय के बारे में केन्द्रीय सरकार को बता दिया है।

कोल इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

346. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कोल इंडिया लि. में अपने शेयरों का विनिवेश करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितनी धनराशि के सृजन की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। सरकार की इक्विटी को कोल इंडिया लि. में विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों को कोयला भंडारों का आबंटन

347. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को उनकी कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयला भंडारों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों को कितने कोयला भंडारों का आबंटन किया गया है;

(घ) कोयला भंडारों का आबंटन किस आधार पर किया गया है;

(ङ) राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कितनी मांग की गई थी;

(च) क्या उक्त आबंटन के कारण कोल इंडिया लि. पर कोयले के लिए मांग का दबाव कम होगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार की कम्पनियों को आबंटित कोयला ब्लाकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	आबंटिता ब्लाक	राज्य
1	2	3	4
1.	मैसर्स वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी)	तारा (ईस्ट)	पश्चिम बंगाल
2.	मैसर्स वेस्ट बंगाल पावर डेव. कार्पो. लि.	तारा (वेस्ट)	पश्चिम बंगाल
3.	मैसर्स वेस्ट बंगाल पावर डेव. कार्पो. लि.	पचावारा नार्थ	पश्चिम बंगाल
4.	वेस्टबंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	ट्रान्स दामोदर	पश्चिम बंगाल
5.	मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	गिद्धमुरी	छत्तीसगढ़
6.	मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	पतोरिया	छत्तीसगढ़
7.	मैसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कार्पो.	तारा	छत्तीसगढ़
8.	मैसर्स उडीसा माइनिंग कारपोरेशन	उत्कल-डी	उड़ीसा
9.	मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन	टाडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश
10.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमपीएसएमसी)	अमेलिया और अमेलिया नार्थ	मध्य प्रदेश
11.	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	सुगिया (बंद खान)	झारखण्ड
12.	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	राउता (बंद खान)	झारखण्ड
13.	झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	बुराखप स्माल पैच	झारखण्ड

1	2	3	4
14.	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	पंचवारा सेन्ट्रल	झारखण्ड
15.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	गोंडुलपारा	झारखण्ड
16.	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी और महाराष्ट्र पावर जनरेशन कारपोरेशन (जीएसईसीएल) तथा (महाजेनको)	महानदी माछाकाटा	महाराष्ट्र
17.	मैसर्स कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	किलोनी, मनोरादीप और बजरंग I से IV	महाराष्ट्र
18.	अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपेंट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन	नामचिक/नामपुक	अरुणाचल प्रदेश

कोयला भंडार, सरकार की उन कम्पनियों को उनकी कोयला आवश्यकता को पूरा करने के लिए आबंटित किए गए हैं जहां वे स्वयं विद्युत/अथवा लोहा तथा इस्पात का उत्पादन करती हैं अथवा क्षेत्र के अन्य उपभोक्ता उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराती हैं।

(घ) सरकारी कम्पनियों को उनके निजी उपयोग के लिए उनकी कोयले की आवश्यकता की मात्रा और गुणवत्ता, क्षेत्र के लघु उपभोक्ता उद्योगों की मांग, ब्लाक में भंडार की गुणवत्ता और मात्रा, सरकारी कम्पनियों के अन्त्य उपयोग संयंत्रों को ब्लाक की निकटता आदि ऐसे कारक हैं जो कोयला ब्लाक के आबंटन का आधार है।

(ङ) मांगें प्रायः राज्य सरकारों द्वारा, अपने अन्त्य उपयोग संयंत्रों के लिए कोयले की आवश्यकता अथवा क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की संभावित मांग को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

(च) और (छ) कोयला ब्लाकों के विकास में, उत्पादन स्तर पर पहुंचने के लिए लगभग 3 से 5 वर्ष की जेस्टेशन अवधि और ईष्टतम उत्पादन क्षमता तक पहुंचने के लिए लगभग अन्य 2 वर्ष की अवधि शामिल है। इसलिए, आबंटित कोयला ब्लाकों से एक बार उत्पादन शुरू हो जाने से कोल इंडिया लि. पर कोयले की मांग का दबाव काफी सीमा तक कम हो जाएगा।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश हेतु विशेष आर्थिक पैकेज

348. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने राज्य में विकास की गति में तेजी लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है जैसाकि दिनांक 30 जून, 2006 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विशेष आर्थिक पैकेज को कब तक संस्वीकृत किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) नवभारत टाइम्स ने अपने संस्करण दिनांक 30 जून, 2006 में रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री 3 जुलाई, 2006 को होने वाली उपाध्यक्ष, योजना आयोग के साथ अपनी प्रस्तावित बैठक के दौरान विकास दर में तेजी लाने हेतु आर्थिक पैकेज की मांग करना चाहेंगे। योजना आयोग ने नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2006 को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र के संबंध में उत्तरी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस परामर्श बैठक के दौरान विशेष आर्थिक पैकेज की मांग नहीं की।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मोबाइल टावर

349. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कितने मोबाइल टावरों को लगाने की मंजूरी दी गई है;

(ख) अब तब कितने टावर लगाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त टावरों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष टावरों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक भारत संचार निगम लिमिटेड ने उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 47 टावर लगाने की मंजूरी दी है।

(ख) अभी तक 13 बीटीएस टावर लगा दिए गए हैं।

(ग) सभी उपर्युक्त बीटीएस टावर तभी से कार्य कर रहे हैं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) शेष बीटीएस टावरों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चालू किए जाने की संभावना है बशर्ते कि बिजली का कनेक्शन समय पर उपलब्ध हो जाए।

विवरण

उस्मानाबाद में बीटीएस टावरों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष 2004-05 के दौरान चालू किए गए बीटीएस		वर्ष 2005 के दौरान आज की तारीख तक चालू किए गए बीटीएस		अभ्युक्तियां
	बीटीएस स्थलों के नाम	एसडीसीए स्थल	बीटीएस स्थलों के नाम	एसडीसीए स्थल	
1.	लोहारा	ओमर्गा	1. मुरूम	ओमर्गा	
2.	वाशी	भूमि	2. तेर	उस्मानाबाद	
3.	परांडा	परांडा	3. येदशी	उस्मानाबाद	
4.	यर्माला	कालंब			
5.	भूम	भूम			
6.	तर्नानगर	उस्मानाबाद			
7.	जलकोट	तुल्जापुर			
8.	कालंब	कालंब			
9.	ओमर्गा	ओमर्गा			
10.	मौलीचौक	उस्मानाबाद			

[अनुवाद]

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का कार्यकाल

350. श्री भर्तृहरि महताब: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना वादियों को त्वरित और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराने के लिए की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना किए जाने के बाद से आज की तिथि तक कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(ग) निपटाने हेतु लम्बित पड़े मामलों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से अब तक 4,51,751 मामले निपटाए जा चुके हैं तथा 30.06.2006 तक की स्थिति के अनुसार 24,585 मामले लम्बित हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों में मामलों के निपटान तथा लम्बित रहने से संबंधित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

जावेद चौधरी समिति की रिपोर्ट

351. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों के वेतन परिलब्धियों में अन्य लाभों से संबंधित जावेद चौधरी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय की घोषणा किए जाने की संभावना है और चिकित्सकों को कब तक प्रस्तावित लाभ उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जावेद चौधरी समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा विचार की प्रक्रिया के उच्च स्तर पर है। तथापि इस बीच सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इन सिफारिशों में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ किए गए परामर्श भी शामिल हैं। अत: रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए कोई समयावधि सूचित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों में नामांकन एवं शिक्षण शुल्कों में एकरूपता

352. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कालेजों में नामांकन एवं शिक्षण शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु केन्द्र सरकार को उपयुक्त कानून बनाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस मामले में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) अगस्त, 2005 में वर्ष 2005 की अपील (सिविल) 5041-पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि प्राइवेट संस्थानों में किसी प्रकार का सरकारी कोटा/आरक्षण की व्यवस्था करना समीचीन नहीं है और हरेक संस्थान अपनी स्वयं की फीस की प्रक्रिया तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस विषय पर एक केन्द्रीय विधान बनाने का निर्देश भी दिया है। तदनुसार, इस मंत्रालय ने, 'प्राइवेट चिकित्सा शिक्षा संस्थान (दाखिला विनियमन और शुल्क नियतन) विधेयक, 2005,' तैयार किया है। अभी प्रस्तावित विधेयक को राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है।

कश्मीर मुद्दे का समाधान

353. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर समस्या के अंतिम समाधान के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पेटेन्ट दावे

354. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधीय पौधों के लगभग 18,000 पेटेन्टों के मामले में पश्चिमी देशों से हार जाने के पश्चात् सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों (आई.पी.ओ.) को पेटेन्ट दावों की जांच के लिए डिजिटल प्रयोगशाला के परम्परागत ज्ञान भंडार की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने देशों ने इस संबंध में डाटा बेस सुविधा के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय औषधियों और योग के पेटेन्ट दावों के निपटान के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डाटा बेस को विदेशों के लिए खोलने से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय परंपरागत औषधीय ज्ञान पर कितनी संख्या में पेटेन्ट दिए गए हैं, इसका पता लगाने के लिए कोई विनिर्दिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय कृतिक बल ने मार्च, 2000 में अध्ययन कराए थे। इससे औषधीय पादपों पर 4896 संदर्भ मिले। इनमें से यादृच्छिक रूप से चयनित 762 अमरीकी पेटेन्टों से ज्ञात हुआ कि 374 पेटेन्ट परंपरागत ज्ञान पर आधारित पाए गए। भारत सरकार ने परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय की स्थापना भारत के परंपरागत औषधीय ज्ञान पर अनुचित पेटेन्ट देने से रोकने के लिए की है। सरकार ने परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय तक अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों के पहुंचने की सुविधा प्रकटनेतर करार के तहत प्रदान की है।

(ग) टीकेडीएल सुविधा का उपयोग करने के लिए यूरोपीय पेटेन्ट कार्यालय का अनुरोध जुलाई, 2005 में और यूनाइटेड किंगडम पेटेन्ट आफिस में जून, 2006 में प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों के लिए टीकेडीएल की सुविधा के संबंध में दिनांक 30.06.2006 के मंत्रिमंडलीय अनुमोदन के बाद टीकेडीएल सुविधा लेने के करार की प्रतियां ईपीओ और यूकेपीटीओ कार्यालयों को उनके विचारार्थ भेजी जा रही है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

इनसैट-4बी का प्रक्षेपण

355. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनसैट-4बी का प्रक्षेपण मूल समय से पहले किए जाने की प्रत्याशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इनसैट-4बी को किसी दूसरे देश के प्रक्षेपण आधार से प्रक्षेपित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें कितना व्यय होने की संभावना है; और

(च) इसे कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) इन्सैट-4बी को फ्रेंच गियाना से एरियनस्पेस द्वारा प्रमोचित किया जाएगा।

(ङ) इन्सैट-4बी की प्रमोचन लागत 225 करोड़ रुपये है तथा स्वदेशी रूप में निर्मित इन्सैट-4-बी की लागत 202 करोड़ रुपये है।

(च) इन्सैट-4बी को 2007 की प्रथम तिमाही में प्रमोचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केंद्रीय सहायता

356. श्री अनन्त नायक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा की किन-किन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को वर्ष-वार एवं परियोजना-वार केन्द्रीय/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियां इस प्रकार है:-

(धनराशि करोड़ रु.)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/उन्नयन के लिए आबंटन
2003-04	1599.20
2004-05	1476.08
2005-06	1567.00

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के ब्यौरे क्रमश: विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान मंजूर किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य

क्र.सं.	शीर्ष	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति
1.	आईआरक्यूपी	6	9/0-10/0 और 31/0-43/3 कि.मी.	पूर्ण
2.		23	221/0-230/0 कि.मी.	पूर्ण
3.		42	144/0-147, 149/0-154/0, 156/0-158/0, 160/0-161/0 और 184/0-186/0 कि.मी.	पूर्ण
4.		201	59/0-68/0 कि.मी.	पूर्ण
5.		217	18/0-28/0 कि.मी.	पूर्ण
6.		217	28/0-35/0, 37/3-38/0 और 40/0-41/0 कि.मी.	पूर्ण
7.	2 लेन बनाना	23	312/0-329/3 कि.मी.	प्रगति पर
8.		43	339/0-348/0 कि.मी.	प्रगति पर
9.		200	72/0-89/0 कि.मी.	पूर्ण
10.		201	221/0-240/0 कि.मी.	प्रगति पर
11.		201	281/0-295/0 कि.मी.	पूर्ण
12.		215	12/0-24/0 कि.मी.	प्रगति पर
13.		215	34/0-48/0 कि.मी.	प्रगति पर
14.		215	48/0-60/0 कि.मी.	प्रगति पर
15.		215	60/0-70/0 कि.मी.	प्रगति पर
16.		215	80/0-91/0 कि.मी.	प्रगति पर
17.		215	91/0-109/0 कि.मी.	प्रगति पर

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान मंजूर किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य

क्र.सं.	शीर्ष	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मिसिंग लिंक	23	29/810-37/500 कि.मी.	प्रगति पर
2.	आईआरक्यूपी	43	432/0-437/0 कि.मी.	प्रगति पर

1	2	3	4	5
3.		215	178/0-184/0 और 188/0-200/0 कि.मी.	प्रगति पर
4.		215	224/0-241/100 कि.मी.	प्रगति पर
5.		217	41/0-48/0 कि.मी.	प्रगति पर
6.	चौड़ीकरण	23	305/0-310/0 कि.मी.	प्रगति पर
7.		200	123-131 कि.मी.	प्रगति पर
8.		200	192/0-200/0 कि.मी.	प्रगति पर
9.		200	345/4-352/0 (242/0-352/0 और 378/0-389/5 शेष लंबाई) कि.मी.	प्रगति पर
10.		201	304/600-310/580 और 311/080-313/0 (300/0-313/0 शेष लंबाई) कि.मी.	प्रगति पर
11.		215	154/500-171/0 (138/0-171/0 शेष लंबाई) कि.मी.	प्रगति पर
12.		215	171/0-178/0 कि.मी.	प्रगति पर
13.		215	207/800-213/500 और 215/300-219/300 कि.मी.	प्रगति पर
14.		215	242/300-258/300 (241/1-269/0 शेष लंबाई) कि.मी.	प्रगति पर
15.	छोटे पुल	201	पीपल नाले के 143 कि.मी. पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण के लिए विभाजक का निर्माण	पूर्ण
16.		201	पीपल नाले के 143 कि.मी. पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण	प्रगति पर
17.		215	अनलाधर नाले के 98/958 कि.मी. पर छोटे पुल और इसके पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	प्रगति पर
18.		215	कासिया नदी के 154/22 कि.मी. पर छोटे पुल का पुनर्निर्माण	प्रगति पर
19.	विविध	201	नवरंगपुर बाइपास के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	प्रगति पर
20.		203	4/074 कि.मी. पर पुलिया का पुनर्निर्माण	प्रगति पर

विवरण III

वर्ष 2005-06 के दौरान मंजूर किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य

क्र.सं.	शीर्ष	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति पर
1.	आईआरक्यूपी	5	252.0-254.0 और 257.0-258.0	प्रगति पर
2.		6	13/0-16/0 कि.मी.	प्रगति पर
3.		6	233.0-235.0 और 254.0-256.0	प्रगति पर
4.		6	383.0-387.0 और 391.0-396.0	प्रगति पर
5.		23	250.0-257.0 और 296.96-305.0	प्रगति पर
6.		42	248.0-252.7	प्रगति पर
7.	चौड़ीकरण	200	21/0-30/0 कि.मी.	प्रगति पर
8.		201	295/0-300/0 कि.मी.	प्रगति पर
9.		201	313/0-319/600 कि.मी.	प्रगति पर
10.		224	278/500-285/800 और 295/0-298/0 कि.मी.	प्रगति पर
11.	सुदृढ़ीकरण	6	491.0-495.0 और 497.0-498.0	प्रगति पर
12.		42	0.0-10.7	प्रगति पर
13.	पेव्ड शोल्डर	217	सड़क गुणता सुधार सहित 6.0-18.0 (पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन)	प्रगति पर
14.	पुल	217	21.677 और 27.102 कि.मी. पर छोटा पुल	प्रगति पर
15.	बाइपास और आर ओ बी/ आर यू बी	43, 200, 201 व 217	निम्नलिखित बाइपासों और बाइपास एवं आरओबी (1) तितलागढ़ के समीप रा.रा. 217 पर आरओबी एवं बाइपास (2) जैपोर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर बाइपास (3) बोरीगुमा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर बाइपास (4) कोरापुट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर बाइपास (5) बेलपहाड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 200 पर आरओबी एवं बाइपास (6) बहरामपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 217 पर बाइपास (7) बोलंगीर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 201 पर आरओबी एवं बाइपास के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी परामर्शदात्री सेवाओं को लगाया जाना है।	प्रगति पर

उपग्रह संचार प्रणाली का ग्राम पंचायतों तक विस्तार

357. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उपग्रह संचार प्रणाली का विस्तार राजस्थान स्थित सभी ग्राम पंचायतों तक करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उपग्रह टेलीफोन कनेक्टिविटी केवल उन्हीं गांवों के दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में प्रदान की जाती है जिन्हें किसी अन्य माध्यम से आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता है (इन गांवों में 100 से कम जनसंख्या वाले और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों इत्यादि में पड़ने वाले गांव शामिल नहीं है)। अत: सरकार का उपग्रह कनेक्टिविटी को सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राजस्थान में, 18 पात्र गांवों को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की सहायता से डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल्स (डीएसपीटी) के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन 18 डीएसपीटी के यूएसओएफ से मिलने वाली कुल सहायता 33.75 लाख रु. होगी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भाषण

358. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही के बम विस्फोटों के पश्चात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन में कोई भाषण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने मुम्बई विस्फोटों के बाद राइटर्स को बताया "मेरा मानना है कि मुम्बई की घटना, चाहे यह कितना ही दुखद क्यों न हो और नि:संदेह यह अत्यंत दु:खद है, से दोनों देशों द्वारा मिलकर इस स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता का पता चलता है, परन्तु ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब वे अपने विवादों का समाधान कर लें"।

(ग) इसकी प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कहा कि यह "विडंबना है कि श्री कसूरी निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किये गये इस स्पष्ट और अमानवीय आतंकवादी कृत्य को भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों के तथाकथित समाधान के साथ जोड़ रहे हैं। उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद और आतंकवादी हिंसा की त्रासदी के विरुद्ध भारत के साथ तभी सहयोग करेगा जब तथाकथित विवादों का समाधान हो जाता है। किसी भी आधार पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और निर्दोष लोगों की हत्याओं को किसी भी आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की कि "पाकिस्तान सरकार दो मुद्दों को इस प्रकार नहीं जोड़े और उग्रवाद एवं हिंसा की विचारधारा पर आधारित आतंकवाद की ताकतों को शिकस्त दे। हम पाकिस्तान से यह अनुरोध भी करेंगे कि वह अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्र में आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करे, आतंकवादी हिंसा के लिए जिम्मेदार गुटों और व्यक्तियों के विरुद्ध दृढ़ता से कार्रवाई करे और 6 जनवरी, 2004 के भारत-पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य में निहित गंभीर वचनबद्धताओं को पूरा करे।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए विशेष पुरस्कार

359. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पावर-लिफ्टिंग को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। "अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार" की योजना उन खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार देने के

लिए 1986 में शुरू की गई थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिनमें एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल चैम्पियनशिपें शामिल हैं, में पदक जीता और जो ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल विधाओं तथा शतरंज में होती हैं। इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार विशेष पुरस्कार दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	खेल/चैम्पियनशिप का नाम	धनराशि (रु. लाखों में)		
		स्वर्ण पदक/प्रथम स्थान	रजत पदक/द्वितीय स्थान	कांस्य पदक/तृतीय स्थान
1.	ओलंपिक खेल	30.00	18.00	12.00
2.	आफिशियल विश्व कप/एशियाई खेल/ राष्ट्रमंडल खेल	10.00	5.00	3.00
3.	एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिपें	3.00	2.00	1.50

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इस समय, इस योजना में पावरलिफ्टिंग में विशेष पुरस्कार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की सामान्य श्रेणी की खेल विधाओं में शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण के लिए नियम/विनियम

360. श्री सनत कुमार मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य अपमिश्रण के निवारण को अधिशासित करने वाले नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विद्यमान कानून खाद्य अपमिश्रण के निवारण के लिए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कानूनों तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए कानूनों के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियम 1955 देश में खाद्य अपमिश्रणों की रोकथाम की व्यवस्था करते हैं।

(ख) से (ङ) खाद्य क्षेत्र में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अधिसूचनाओं को जारी करने के माध्यम से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 को नियमित रूप से अपडेट/संशोधित किया जा रहा है। अभी तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में चार बड़े संशोधन वर्ष 1961, 1971, 1976 और 1986 में किए गए हैं। पीएफए अधिनियम एवं कोडेक्स के तहत आने वाले नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक पहल भी आरम्भ की गई है और इस संबंध में अभी तक 13 अधिसूचना जारी की गई हैं।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियम 1955 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य/संघ क्षेत्रों के खाद्य प्राधिकारियों (स्वास्थ्य) के प्रवर्तन स्टाफ को सौंपा गया है जो विश्लेषण हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप नमूने न पाए जाने की स्थिति में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 का चौड़ा किया जाना

361. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-हापुड़-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को चौड़ा किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	खंड	स्थिति
1.	0.0 (दिल्ली) से 3.40 कि.मी.	पहले ही 8 लेन।
2.	3.40 से 5.70 कि.मी.	पहले ही 4 लेन। 8 लेन तक चौड़ा करने का कार्य पहले ही अनुमोदित हो चुका है।
3.	5.70 से 7.70 कि.मी.	8 लेन बनाने का कार्य वार्षिक योजना 2006-07 में शामिल कर लिया गया है।
4.	7.70 से 8.40 (दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा) कि.मी.	पहले ही 8 लेन।
5.	8.40 से 13.00 कि.मी.	पहले ही 4 लेन का है। 8 लेन बनाने के लिए परामर्शी कार्य मंजूर हो चुका है।
6.	13.00 से 58.00 (हापुड़) कि.मी.	पहले ही 4 लेन का है।
7.	58.00 (हापुड़) से 149.25 (मुरादाबाद) कि.मी.	4 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।
8.	149.25 (मुरादाबाद) से 413.20 (सीतापुर) कि.मी.	इस खंड को 4 लेन बनाने का कार्य एनएचडीपी चरण-IIIख में शामिल कर लिया गया है।
9.	413.20 (सीतापुर) से 488.27 (लखनऊ) कि.मी.	4 लेन बनाने के लिए ठेका सौंपा दिया गया है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला आपूर्ति

362. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति की समीक्षा के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई सामने आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी निकाय, स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि) द्वारा तापीय विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की समीक्षा की जाती है जो तिमाही आधार पर कोयले के आबंटन का निर्णय लेती है। विभिन्न विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी करने तथा इन विद्युत स्टेशनों की आवश्यकता के आधार पर कोयले के आबंटन का निर्णय लेने के लिए संयुक्त सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में भी एक उप-समूह है जिसमें विद्युत, रेलवे तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) से (ङ) वार्षिक योजना लक्ष्य के अनुसार विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बनाए रखी जाती है। तथापि, विद्युत गृह

पर उतरायी की दिक्कतों, दुर्घटनाओं/बाढ़ के कारण रेलवे लाइन के विरुद्ध हो जाने, खनन क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं आदि जैसे कारणों की वजह से कभी-कभी आपूर्ति प्रभावित होती है। उप-समूह यथाशीघ्र कोयले की आपूर्तियां बहाल करना सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करती है।

डाक्टरों हेतु अनिवार्य ग्रामीण सेवाएं

363. **श्री अर्जुन सेठी:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक्टरों को डिग्री प्रदान किए जाने से पूर्व उनके द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सेवा देने को अनिवार्य किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विषय पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में चिकित्सा-शिक्षा संबंधी एक कार्यबल गठित किया है। इस कार्यबल से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य उपायों के साथ-साथ चिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम में संशोधन समेत ग्रामीण एवं अल्प सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की अन्य सम्भावनाओं के साथ-साथ एम.बी.बी.एस. डाक्टरों हेतु ग्रामीण सेवा को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए उपाय सुझाएं।

भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के उपाय

364. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में विश्वास बहाली के विभिन्न उपायों पर अधिकारिक स्तर की वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे है;

(ङ) क्या पाकिस्तान के लिए बस सेवा हाल ही में शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सेवा में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(छ) वर्ष 2005 और 2006 के दौरान भारत और पाकिस्तान के कितने नागरिकों ने एक दूसरे के देश की यात्रा की; और

(ज) पुंछ-राबरकोट बस सेवा को शुरू करने तथा दोनों देशों के बीच संबंधों में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पारंपरिक विश्वासोत्पादक उपायों (सीबीएम) पर पाकिस्तान-भारत विशेषज्ञ स्तरीय वार्ता का तीसरा दौर 27 अप्रैल, 2006 को इस्लामाबाद में आयोजित हुई। दोनों देशों के विदेश सचिवों द्वारा यथाअधिदेशित दोनों पक्षों ने टकराव टालने के उद्देश्य से पारंपरिक क्षेत्रों में विश्वास बहाल करने के उपाय विकसित करने की सुरक्षा अवधारणाओं पर विचार-विमर्श जारी रखा।

दोनों पक्षों द्वारा टकराव टालने के प्रति लक्षित सहमत कुछ विश्वासोत्पादक उपाय इस प्रकार हैं- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कार्यान्वयन हेतु सीमा भूमि नियमों को अंतिम रूप देना; तिमाही फ्लैग बैठकों तथा आवश्यकतानुसार पहले से सहमत सेक्टरों में सेक्टर स्तरीय कमांडरों की बैठक आयोजित करने के लिए पद्धतियों का निर्धारण; नियंत्रण रेखा पर नए केन्द्रों और रक्षा कार्यों का विकास नहीं होने देने पर हुए करार को व्यापक और अपने आवश्यकतानुसार पहले से सहमत सेक्टरों में सेक्टर स्तरीय कमांडरों की बैठक आयोजित करने के लिए पद्धतियों का निर्धारण; नियंत्रण रेखा पर नए केंद्रों और रक्षा कार्यों का विकास नहीं होने देने पर हुए करार को व्यापक और अपने आशय को संगत बनाना; और अनजानवश सीमा रेखा पार करने वालों की तत्काल वापसी के लिए एक करार को अंतिम रूप देना।

18 जनवरी, 2006 के संयुक्त वक्तव्य में जैसा कि दर्शाया गया है, दोनों देशों के विमानों और नौवहनों के संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुद्र में घटनाओं की रोकथाम पर पाकिस्तानी पक्ष ने भारतीय पक्ष को एक करार का मसौदा प्रस्तुत किया जिसकी जांच की जा रही है। दोनों देश और अधिक विश्वासोत्पादक उपायों पर आवधिक विचार-विमर्श करने और 1999 के लाहौर समझौता ज्ञापन में जैसा कि उल्लेख किया गया था और जैसा कि समग्र वार्त्ता प्रक्रिया में विदेश सचिवों द्वारा अधिदेशित किया गया था, मौजूदा पारंपरिक विश्वासोत्पादक उपायों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और समीक्षा करने पर सहमत हुए। वार्त्ता के वर्तमान दौर में हुई प्रगति की रिपोर्ट अपने-अपने विदेश सचिवों को देने पर भी सहमति हुई जो अगली बैठक के स्थान और तिथि के संबंध में निर्णय लेंगे।

नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों पर इस्लामाबाद में 25-26 अप्रैल, 2006 को हुई पाकिस्तान-भारत विशेषज्ञ स्तरीय वार्त्ता के चौथे दौर के दौरान दोनों देशों ने 1999 के लाहौर समझौता-ज्ञापन के दायरे में विचार-विमर्श किया। जैसा कि विदेश-सचिवों द्वारा अधिदेशित किया गया, दोनों पक्ष विश्वासोत्पादक उपायों को बढ़ाने के लिए सुरक्षा अवधारणाओं और नाभिकीय सिद्धांतों पर विचार-विमर्श करना जारी रखा। दोनों पक्षों नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों का, लाहौर समझौता ज्ञापन के दायरे के अंदर, क्रियान्वयन और पहले से अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्य करने की अपनी-अपनी इच्छाएं दुहरायी। दोनों पक्षों ने बैलिस्टिक मिसाइलों की उड़ान परीक्षण के अधिसूचना-पूर्व करार पर हस्ताक्षर करने पर और दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हाटलाइन संपर्क को शुरू करने पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने एक करार के प्रारूप-आठ पर व्यापक विचार-विमर्श किया जिसका उद्देश्य नाभिकीय हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं से होने वाले जोखिम को कम करना था और अंतिम रूप देने के लिए कार्य करने पर सहमत हुए।

दोनों पक्ष ने विदेश सचिवों के हाटलाइनों को और अधिक सुरक्षित बनाने की पद्धतियों पर विचार-विमर्श किया। 1999 के लाहौर समझौता-ज्ञापन में यथा उल्लिखित नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों के कार्यान्वयन पर नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों पर विशेषज्ञ स्तरीय वार्त्ता में विचार-विमर्श, समीक्षा और मानीटरिंग किया जाएगा। वार्त्ता के मौजूदा दौर में हुई प्रगति की रिपोर्ट अपने-अपने विदेश सचिव को करने पर भी सहमति हुई जो कि अगली बैठक के स्थान और तिथि पर निर्णय लेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्ष 2006 में लाहौर-अमृतसर साप्ताहिक बस सेवा 20 जनवरी को शुरू हुई जिसके पश्चात् 24 जनवरी को साप्ताहिक अमृतसर-लाहौर बस सेवा शुरू की गई। अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा 24 मार्च, 2006 को शुरू हुई तथा पुंछ-रावलकोट बस सेवा 20 जून, 2006 से शुरू हुई। बस संपर्कों में सुरक्षा प्रभावों को ध्यान में रखा गया है और बसों से यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति, पूरी प्रक्रियाओं और जांचों को पूरा कर लेने के बाद ही दी जाएगी।

(छ) वर्ष 2005 में भारत की यात्रा पर आए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या 94078 थी और मार्च 2006 तक यह संख्या 17913 है। वर्ष 2005 और 2006 में पाकिस्तान की यात्रा पर गए भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ज) पुंछ-रावलकोट के बीच बस सेवा 20 जून, 2006 को शुरू हुई। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर ट्रक सेवा शुरू करने की पद्धतियों का निर्धारण किया जा रहा है। भारत ने कारगिल और स्कार्दु के बीच भी एक बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

मनोरोग विशेषज्ञों/मनोचिकित्सकों की कमी

365. डा. एम. जगन्नाथः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मनोरोग विशषेज्ञों, मनोचिकित्सकों और मनोविश्लेषकों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में उन व्यक्तियों विशेषकर वयस्क व्यक्तियों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जो विभिन्न मानसिक रोगों से पीड़ित है और मनोरोगों के उपचार के लिए कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पेशेवरों/विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) देश में 3000 से अधिक योग्य मनोचिकित्सक, 500 क्लिनिकल मनोरोग विशेषज्ञ, 300 मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्त्ता और लगभग 600 प्रतिशत मनश्चिकित्सीय नर्सें हैं।

सरकार का प्रयास मानसिक रूप से बीमा रोगियों का जल्द से जल्द निदान प्रदान करने एवं उनका इलाज सामान्य स्वास्थ्य प्रदानगी पद्धति के माध्यम से करने का है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक रुग्णता के मामलों को देखने के लिए मनोचिकित्सा के क्षेत्र में सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी को लघु अवधि के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार भी जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आम आदमी को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर रही है। इस समय जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम देश के 94 जिलों में कार्यान्वित है।

यह अनुमान है कि 5% जनसंख्या विभिन्न मनोचिकित्सीय विकारों जैसे डिप्रैशन, न्यूरोटिक्स, तनाव एवं सामंजस्य संबंधी विकारों से ग्रस्त है। लगभग 1% जनसंख्या गम्भीर मानसिक विकार जैसे साइकोटिक डिस्आर्डर से ग्रस्त है और 0.5% जनसंख्या को सम्भवत: गम्भीर मानसिक विकार हेतु सक्रिय चिकित्सा की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

थैलसीमिया रोग संबंधी अनुसंधान

366. **श्री श्रीचंद कृपलानी:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में थैलसीमिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त रोग की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस रोग पर कोई अनुसंधान कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुसंधान किन-किन स्थानों पर कराए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रोग की सही व्यापतता जानने के लिए केन्द्र अथवा राज्यवार पंजीकरण (रजिस्ट्री) नहीं किया जाता है। तथापि, विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 बच्चे जन्म से ही इस रोग से ग्रस्त होते हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त पिछले तीन वर्षों (2003, 2004 और 2005) में प्रत्येक वर्ष के दौरान थैलसीमिया रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) थैलसीमिया के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के सभी स्तरों पर ऐसे रोगियों का उपचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस क्षेत्र में लगभग पिछले दो दशकों से कार्य कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अब तक एक बहु-केन्द्रित अध्ययन की योजना बनाई गई है जिसका पहला उद्देश्य क्षेत्रीय केन्द्रों में हीमियोग्लोबीनो पेथीज में परिवर्तनशीलता के लक्षण वर्णन हेतु आणविक प्रौद्योगिकी स्थापित करना, कोरिओनिक वाइलस सेम्पलिंग और डी.एन.ए. विश्लेषण द्वारा परेन्टल निदान सुविधा केन्द्र स्थापित करना, घातक (फेटल) रक्त विश्लेषण द्वारा द्वितीय ट्राइमेस्टर निदान सुविधा स्थापित करना और निदान की एकरूपता और सटीकता की निगरानी के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम चलाना है। यह अध्ययन एन.आर.एस. मेडिकल कालेज; कोलकाता, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज; लुधियाना, सेंट जान्स मेडिकल कालेज; बैंगलोर, सरकारी मेडिकल कालेज; नागपुर, वलसाड रक्तदान केन्द्र; वलसाड नामक पांच केन्द्रों में किया जाएगा जिसमें आई आई एच (आई सी एम आर) समन्वयकर्त्ता इकाई होगी।

विवरण

विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान थैलसीमिया के रोगियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित किए गए रोगियों का ब्यौरा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में 855 रोगी, वर्ष 2003 में 1117 रोगी और वर्ष 2004 में 1116 रोगी थे।
4.	गोवा	गोवा सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में 3 रोगी, वर्ष 2004 में 5 रोगी और वर्ष 2005 (जुलाई तक) में 3 रोगी थे।
5.	गुजरात	गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003 में 1918 रोगी, वर्ष 2004 में 2488 रोगी और 2005 में 3125 रोगी थे।
6.	हरियाणा	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में 20 रोगी, वर्ष 2003 में 17 रोगी और वर्ष 2004 में 12 रोगी थे।
8.	मणिपुर	मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003 में 6 रोगी, वर्ष 2004 में 7 रोगी और वर्ष 2005 में 6 रोगी थे।
9.	मिजोरम	शून्य
10.	मेघालय	शून्य
11.	नागालैंड	शून्य
12.	पांडिचेरी	शून्य
13.	पंजाब	शून्य
14.	सिक्किम	शून्य
15.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003 में 25 रोगी, वर्ष 2004 में 31 रोगी और वर्ष 2005 में (जुलाई तक) 19 रोगी थे।
16.	त्रिपुरा	त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003 में 118 रोगी, वर्ष 2004 में 120 रोगी और वर्ष 2005 में 139 रोगी थे।
17.	उत्तर प्रदेश	शून्य
18.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003 में 403 रोगी, वर्ष 2004 में 386 रोगी और वर्ष 2005 में 436 रोगी थे।
19.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में 5208 रोगी, वर्ष 2003 में 4841 रोगी और वर्ष 2004 में 4956 रोगी थे।

1	2	3
20.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
21.	दमन और दीव	शून्य
22.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों में केवल एक रोगी था।
23.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003 में 134 रोगी, वर्ष 2004 में 230 रोगी और वर्ष 2005 में 245 रोगी थे।
24.	उत्तरांचल	उत्तरांचल सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में 6 रोगी, वर्ष 2003 में 7 रोगी वर्ष 2004 में 6 रोगी और वर्ष 2005 (जून तक) में 8 रोगी थे।

[अनुवाद]

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन की विस्तार योजना

367. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एन.एल.सी.) ने अपनी माइन्स और थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विस्तार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) विस्तार योजना कब तक पूरी होगी; और

(घ) इस संबंध में एन.एल.सी. की आगामी वर्षों की क्या योजनाएं हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) 2030.78 करोड़ रु. की तापीय विद्युत गृह-II (टीपीएस-II) विस्तार परियोजना (500 मेगावाट) और 2161.28 करोड़ रु. की लिंक्ड खान-II विस्तार परियोजना (4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष) 18.10.2004 को मंजूर की गई।

(ग) खान में फरवरी, 2009 में लिग्नाइट का उत्पादन आरंभ होगा और जून, 2009 में पूरा उत्पादन आरंभ हो जाएगा। तापीय विद्युत गृह-II विस्तार परियोजना आरंभ होने का समय फरवरी, 2009 (यूनिट-I) और जून, 2009 (यूनिट-II) है।

(घ) परियोजना-पूर्व कार्यकलापों जैसे व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, पर्यावरण रिपोर्ट, क्षेत्र का सर्वेक्षण आरंभ करने के लिए व्यय हेतु अग्रिम कार्य प्रस्ताव तैयार की जा रही निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए मंजूर किया गया:

(1) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में तमिलनाडु के तुतीकोरीन में 1000 मेगावाट क्षमता की कोयला आधारित तुतीकोरीन तापीय विद्युत परियोजना।

(2) उड़ीसा में 2000 मेगावाट क्षमता की कोयला आधारित विद्युत परियोजना।

(3) राजस्थान के बिथनाक, बीकानेर जिला में 2.10 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता की केप्टिव लिग्नाइट खान के साथ 250 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना।

(4) राजस्थान के बीकानेर जिले के रिरी में 4.50 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता की केप्टिव लिग्नाइट खान के साथ 500 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना।

(5) तमिलनाडु के जयमकोन्डम में 8.0 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता की केप्टिव लिग्नाइट खान के साथ 1000 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना।

(6) तमिलनाडु के नेयवेली में 1000 मेगावाट क्षमता के लिंक्ड तापीय विद्युत गृह-III के साथ 8.0 मि.ट. प्रतिवर्ष की खान-III।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं हेतु सहायता

368. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर झारखंड को विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का गत वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अप्रयुक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान पुन: आवंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान झारखंड को कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग वार्षिक योजना का अनुमोदन करते समय झारखंड सहित अन्य राज्यों को परियोजना-वार केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं करता है। राज्यों के वार्षिक योजना आकार, जिसमें मूलत: राज्यों के अपने संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता शामिल होती है, के संबंध में निर्णय योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा एवं संसाधन उपलब्धता का आंकलन करने के बाद लिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक योजना परिव्यय का क्षेत्रकीय वितरण विभिन्न विषय प्रभागों के साथ कार्यदल के विचार-विमर्श के बाद किया जाता है। सामान्यत: राज्यों के पिछले वर्ष के क्षेत्र-वार व्यय योजना आयोग को आगामी वर्ष के नवम्बर-दिसम्बर महीने में राज्यों द्वारा प्रारूप वार्षिक योजना दस्तावेज में उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विशेष महत्व की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए झारखण्ड सरकार को वार्षिक योजना 2006-07 को अंतिम रूप देते समय एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 35 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

369. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग भारी वर्षा के कारण बुरी स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राष्ट्रीय राजमार्गों के तत्काल रखरखाव हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केरल में भारी वर्षा के कारण अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों में गड्ढे बनने, पैचेज, बर्म्स का कटाव आदि जैसी क्षति हुई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07 के लिए केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 30.60 करोड़ रु. की धनराशि पहले ही आबंटित की जा चुकी है। बाढ़ से हुई टूट-फूट की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन, बाढ़ क्षति के मूल्यांकन, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विदेश में भारतीयों के तलाक के लंबित मामले

370. श्री पी. मोहन: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में भारतीय दंपत्तियों के तलाक के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसे मामले बहुत अधिक पाए गए हैं;

(ग) विदेश में भारतीय मूल के व्यक्तियों के तलाक के देश-वार कुल कितने मामले निपटारे के लिए लंबित हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार की अपनी दूतावास के माध्यम से संबंधित देश में उक्त मुकदमेबाजी में हस्तक्षेप करने की व्यवस्था है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) विदेशों में भारतीय मूल के दंपत्तियों के तलाक संबंधी रिपोर्टें मंत्रालय में नहीं रखी जाती हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार इस विषय पर जागरूकता सृजित करने के लिए उपाय कर रही है। इन उपायों में प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंधी मार्ग-दर्शन पुस्तिका का प्रकाशन और समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया की मार्फत प्रचार शामिल है। मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने के लिए फरवरी, 2006 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय परिचर्चा और जून, 2006 में चण्डीगढ़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

[हिन्दी]

विदेशी एजेंसियों को बेची गई इमेजिस और फीगर्स

371. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय विदेशी एजेंसियों ने इसरो के सहयोगी स्पेस कार्पोरेशन से दूर संवेदन उपग्रहों के माध्यम से ली गई इमेजिस और फीगर्स खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन इमेजिस को सौंपते समय इन एजेंसियों के साथ कोई समझौते किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये एजेंसियां उक्त समझौतों का पालन कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अंतरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) और एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन इसरो के वाणिज्यिक सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों को बेचते हैं। एन.आर.एस.ए. का अंतिम प्रयोक्ता करार इन प्रतिबिंबों के उपयोग को प्राधिकृत करता है। एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन अनुज्ञप्ति करार के अंतर्गत आंकड़ा अभिगम प्रदान करता है। ये दोनों करार वाणिज्यिक और कापीराइट हितों की रक्षा करते हैं और देयताओं के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। एन.आर.एस.ए. अथवा एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन को इन करारों का पालन नहीं किए जाने की सूचना नहीं मिली है।

विवरण

(क) विदेशी एजेंसियों को (1990 के बाद) इसरो के वाणिज्यिक सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्राप्त सुदूर संवेदन आंकड़ों की बिक्री का ब्यौरा

विदेशी ग्राहक		दृश्यों की संख्या
1		2
बांगलादेश (पर्यावरण और जी.आई.एस. परियोजना)	–	199
भूटान (प्रिंसिपल, शेरूपत्से कालेज)	–	4
कोलंबो (इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट)	–	13
दुबई (स्पेस इमेजिंग मिडल इस्ट)	–	160
ईरान (ईरान सिस्टम जियोमेटिक्स कंपनी)	–	18
ईरान (जियो प्रोसेस आफ पार्स)	–	2

1		2
ईरान (दि एसोसिएशन आफ रूरल हैंड वोवन कार्पेट कापरेटिव्स आफ फार्स)	–	3
ईरान (कोमकार सिस्टम्स)	–	55
इटली (हंस जुर्गन स्टीबिग एम.आर.; ज्वाइंट रिसर्च सेंटर, ग्लोबल वेजीटेशन मानीटरिंग)	–	20
जापान (कोकुसाई कोग्यो कंपनी लिमिटेड)	–	1
किर्गीज रिपब्लिक (फारेस्ट इंस्टीट्यूट)	–	4
नेपाल (इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डिवलपमेंट)	–	29
नेपाल (नेपाल साफ्ट साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड)	–	58
नेपाल (यू.एस.ए.आई.डी./नेपाल आफिस)	–	82
नेपाल (डिपार्टमेंट आफ माइंस एंड जियोलाजी)	–	11
श्रीलंका (इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट)	–	8
श्रीलंका (मेरीन एंड कोस्टल प्रोग्राम, आई यू सी एन द वर्ल्ड कंजरवेशन यूनियन)	–	1
थाईलैंड (मित्र फोल सुगरकेन रिसर्च सेंटर)	–	12
यू.ए.ई. (ग्लोब स्कैन टेक्नोलाजिस)	–	30
यू.के. (इंफोटेरा लिमिटेड)	–	1
यू.एस.ए. (जियो आई)	–	1239

'दृश्य के आकार में अंतरिक्षयान और संवेदकों के आधार पर 23 कि.मी. × 23 कि.मी. से 740 कि.मी. × 740 कि.मी. की रेंज में परिवर्तन होता है।

(ख) विदेशी एजेंसियों को इसरो के वाणिज्यिक सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त सुदूर संवेदन आंकड़ों के आंकड़ा अभिगम का ब्यौरा

देश	वर्तमान में प्रचालित भू-केंद्रों की संख्या
यू.एस.ए.	5
रूस	2
चीन	1
यूरोप	1
ईरान	1
कजाकस्तान	1
म्यांमार	1

इसके अलावा, अबु धाबी, अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, दुबई, इक्वेडोर, गेबन, जापान, सउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, ताईवान और थाईलैंड ने भी अलग-अलग अवधि में सुदूर संवेदन आंकड़े एकत्रित किए हैं।

[अनुवाद]

"वन इंडिया स्कीम" पर प्रशुल्क संशोधित किया जाना

372. **श्री एल. राजगोपाल:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री के.सी. सिंह "बाबा":

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डब्ल्यूएलएल हैंडसेट का विनिर्माण करने वाली सरकारी/निजी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या डब्ल्यूएलएल हैंडसेट आयात किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में "वन इंडिया स्कीम" पर प्रशुल्क संशोधित किया है;

(ङ) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा योजना पर प्रशुल्क न घटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मै. आईटीआई लिमिटेड और निजी क्षेत्र में मै. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन्स लि. (एचएफसीएल), मै. आईसीओएमएम टेली लि., मै. एक्स एल टेलीकाम लि., मै. सूराना टेलीकाम लि. इत्यादि जैसी कई कम्पनियों द्वारा सेमी-नाक डाउन (एसकेडी) अवस्था में सीमित संख्या में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) हैंड सेटों का विनिर्माण किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। विदेश व्यापार नीति के अनुसार डब्ल्यूएलएल (सीडीएमए) हैंडसेटों का नि:शुल्क रूप से आयात किया जा सकता है।

(घ) जी, हां। हाल ही में, मै. भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिनांक 1.7.2006 से बुनियादी और डब्ल्यूएलएल सेवाओं के लिए "बीएसएनएल वन इंडिया" योजना के किराये को 299/- रु. प्रति माह से कम करके 225/- रु. प्रति माह कर दिया है जिसमें 25 नि:शुल्क कालें दी गई है।

(ङ) दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धा, होने वाली लागत आदि को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशुल्क निर्धारित करते हैं और तदनुसार मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने अपने प्रशुल्कों में कमी नहीं की है।

(च) सरकार दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क को विनियमित नहीं करती।

[हिन्दी]

विशेष दर्जे वाले राज्य हेतु मानदंड

373. **श्री राजेश पाठक:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष दर्जे वाले राज्य की घोषणा हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष दर्जे वाले राज्य की घोषणा हेतु किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ऐसे राज्यों को दिया जाता है जिनमें पर्वतीय भूभाग की अधिकता होती है और जहां अधिकतर जनजातीय आबादी होती है तथा जो अल्प-विकसित समाजार्थिक अवसंरचना एवं कम राजस्व आधार के साथ संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ऐसा करते समय राज्यों की वित्त व्यवस्था के गैर-व्यवहार्य स्वरूप और उनके समग्र आर्थिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखने के लिए किसी भी अनौपचारिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सीडीएमए 2000 वन नेटवर्क की शुरूआत

374. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने सीडीएमए 2000 वन नेटवर्क की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नये नेटवर्क की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे एमटीएनएल के उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 400 हजार लाइनों

के सीडीएमए 2000 1× नेटवर्क की शुरूआत की है। यह नेटवर्क ध्वनि (वायस), लघु संदेश सेवा (एसएमएस), वायस मेल सेवा (वीएमएस), उच्च गति डाटा सेवाएं आदि प्रदान करता है। यह नेटवर्क मोबिलटी और साथ ही प्रीपेड सेवाएं प्रदान करता है। उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई बिलिंग प्रणाली की भी शुरूआत की गई है।

(ग) (1) नेटवर्क में बड़ी संख्या में बेस ट्रांसीवर केंद्र (बीटीएस) हैं जो उन्नत बाह्य और आंतरिक कवरेज प्रदान करते हैं, इनमें भूमिगत दिल्ली मेट्रो भी शामिल है, और इनसे उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं.

(2) यह प्रीमियम तथा मूल्य वर्द्धित सेवाओं सहित विभिन्न सहायक सेवाएं प्रदान करता है जो इस प्रकार हैं:-

प्रीपेड ध्वनि (वायस) तथा डाटा सेवाएं

सीडीएमए और जीएसएम नेटवर्क में एसएमएस प्रदान करना,

इंटरनेट, फैक्स और डाटा कालों सहित संवर्धित डाटा सेवा,

प्रयोक्ताओं को अभिगम्यता, अधिशेष संबंधी ब्यौरे इत्यादि जैसी आन लाइन क्रेडिट नियंत्रण की विशेषताएं,

अत्यधिक उपभोक्ताओं के दायित्व तथा साथ ही उच्चतर डाटा दरों को संभालने की क्षमता को पूरा करने के लिए आरोह्य नेटवर्क।

ओवर द एयर सेवा का प्रावधान करना तथा ओवर द एयर पैरामीटर प्रशासन (ओटीएपीए) सेवा आदि और

सुरक्षा संबंधी उद्देश्य के लिए विधिसम्मत अंतरावरोधन प्रणाली।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना

375. श्री नवीन जिन्दल: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की प्रभाविता का पता लगाने हेतु आवधिक मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने हेतु महिलाओं और युवकों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) संविधान में प्रावधान किया गया है कि ये राज्यों के विधानमंडल हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और प्राधिकारों से संपन्न बनायेंगे। इसी के अनुसार राज्यों ने पंचायतों को विभिन्न परिमाणों में शक्तियों और जिम्मेदारियों की सुपुर्दगी कर दी है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की प्रभाविता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अन्योन्य क्रिया कर रहा है।

राज्यों द्वारा संविधान के भाग-IX के अक्षरश: कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई और दिसम्बर, 2004 के बीच पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित किये थे और सर्वसम्मति से लगभग 150 कार्य बिन्दुओं का एक सेट तैयार किया था जिसको उस सार संग्रह के रूप में एकत्र किया गया है जो जयपुर में अंतिम गोलमेज सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। कार्रवाई के संयुक्त कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि गतिविधि मानचित्रण के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को निधियों, कार्यों तथा कार्यकर्त्ताओं की सुपुर्दगी उसको स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में उभरने में समर्थ बनाने के लिए की जाती है।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की एक परिषद् का गठन सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किया गया है। इस परिषद् की पहली बैठक 5-6, अगस्त, 2005 को कोच्चि केरल में तथा दूसरी बैठक 15-16 जून, 2006 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। सात गोलमेज सम्मेलनों की 150 सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद के निर्णयों का अनुवीक्षण करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पंचायती राज के राज्य सचिवों की एक समिति भी सचिव, पंचायती राज मंत्रालयों की अध्यक्षता में गठित की गई है। अब तक इस समिति की छ: समीक्षा बैठकें अप्रैल, 2005, जून, 2005 सितम्बर, 2005, नवम्बर, 2005, अप्रैल, 2006 एवं जून, 2006 में आयोजित की गई है।

पंचायतों के साथ अन्योन्यक्रिया करने तथा गोलमेज सम्मेलनों में परस्पर सहमत्य कार्य-बिन्दुओं को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति से संबंधित प्राधिकारियों के साथ समीक्षा को कार्यान्वित करने के

उद्देश्य से केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के स्तर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक मंत्री जी ने चौदह राज्यों तथा दो संघ शासित प्रदेशों का दौरा किया है जिनका नाम कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप है। प्रत्येक दौरे का समापन संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक निष्कर्ष वक्तव्य के साथ होता है जिसमें उन मुख्य कार्य-बिन्दुओं की मुख्य विशेषताएं दर्शाया जाती है जिन पर राज्य, गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों को संचालित करने का प्रस्ताव करेगा। केरल के मामले में वक्तव्य पर केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री और मंत्री, स्थानीय स्व-शासन, केरल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्य मंत्री इस संयुक्त वक्तव्य पर दिल्ली के उनके अगले दौरे के समय हस्ताक्षर करेंगे जैसा कि सिक्किम के मुख्य मंत्री का मामला था।

विभिन्न संविधियों की समीक्षा, उनको संविधान के भाग-9 के प्रावधानों के साथ सुमेलित करने के उद्देश्य से करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी प्रकार आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीयता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दिशा निर्देशों की समीक्षा की जा रही है। जहां तक नई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संबंध है पंचायतों के लिए एक केन्द्रीय भूमिका, जहां संगत हो, मुहैया करवाने का प्रस्ताव है। इस तरह, उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पंचायतों के लिए इस अधिनियम के अधीन योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए "प्रधान प्राधिकरण" बनाने का प्रावधान किया गया है। अवसंरचना और क्षमता में क्रिटिकल अंतरालों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पंचायतें अपनी संवैधानिक भूमिका को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को श्रृंखलाबद्ध उपायों के जरिए अधिक मजबूत बनाने का विचार रखती है जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:-

मंत्रियों के एक समूह का गठन

सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों के समूह के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार सी.एस.एस. नीति की यौक्तिकरण को भी शामिल किया गया है। मंत्रियों के समूह की बैठक 24 अगस्त, 2005 को आयोजित की गई और इसके निदेशों के अनुसार 22 मुख्य केन्द्रीय मंत्रालय यह रेखांकित करने वाले गतिविधि मानचित्रण के एक प्रयोग को कार्यान्वित कर रहे हैं कि मंत्रालयों के कार्यात्मक क्षेत्रों तथा उनके द्वारा नियंत्रित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में केन्द्र, राज्य और पंचायत स्तरों पर क्या किया जाना है।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण संबंधी शक्तिसंपन्न उप-समिति

राष्ट्रीय विकास परिषद में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा मार्च, 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण संबंधी एक शक्ति संपन्न उप-समिति गठित की गई थी। इस समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, योजना आयोग, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री तथा असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इस समिति के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों से संसाधनों के हस्तांतरण के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए रीतियां तैयार करना; राजस्वों तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं का आकलन करना तथा इस संबंध में एक कार्य योजना विकसित करना; विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को किए गए वित्तीय आवंटन को लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का विश्लेषण करना; और पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय नियंत्रण तथा वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा विकसित करना शामिल हैं। इस शक्ति सम्पन्न उप समिति ने दो बैठकें 14 सितम्बर, 2005 को इसके पुनर्गठन एवं पंचायती राज मंत्री को इसके अध्यक्ष तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को इस उप समिति के सदस्य के रूप में शामिल करके आयोजित की थी। पुनर्गठित समिति की पहली बैठक 12.6.2006 को आयोजित हुयी।

निचले स्तर की आयोजना

सरकार ने निचले स्तर पर आयोजना को एक वास्तविकता का रूप देने हेतु आधारभूत पहलों की सिफारिश करने के लिए श्री वी. रामचन्द्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया है क्योंकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए आयोजना पंचायतों और अन्य स्थानीय सरकारों के लिए संविधान में अधिदेशित एक कार्य है। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने स्थानीय स्तर की आयोजना के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में

प्रयोग योग्य कार्रवाई के एक कार्यक्रम का सुझाव दिया है जो अप्रैल, 2007 में शुरू होने जा रही है। इसने विस्तृत रूप में उस तरीके का भी सुझाव दिया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उपशमन, आवास और ग्रामीण अवसंरचना में महत्व के राष्ट्रीय कार्यक्रम उनके उद्देश्यों को बेहतर तरीके से उपलब्ध कर सकते हैं यदि विस्तृत ब्यौरे तैयार करने तथा कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीयता प्रदान की जाए। इस विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने जिला योजनाओं की तैयारी तथा वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों की वार्षिक में उनके शामिल किए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। अंतिम उद्देश्य क्षेत्र विकास के लिए स्थानीय स्तर की समेकित आयोजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एक वास्तविकता का रूप देना है।

पंचायतों को निधियों की इलेक्ट्रानिक टैगिंग और हस्तांतरण

सरकार द्वारा एन सी एम पी में निर्धारित लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि पंचायतों को दी जा रही निधियां न तो विलंबित होती हैं और न ही विचलित। इस लक्ष्य के अनुसरण में पंचायती राज मंत्रालय में एक समिति इस मामले की विस्तृत जांच की और अपनी रिपोर्ट मई, 2005 में प्रस्तुत की थी। इस समिति की सिफारिशों को तीनों स्तरों पर पंचायतों को राज्यों की समेकित निधि से पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग अनुदानों के हस्तांतरण के लिए क्रियाशील बनाया जा रहा है।

ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उन विषयों के संबंध में ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों की सुपुर्दगी करने का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के बीच जुलाई से दिसम्बर, 2004 के दौरान आयोजित सात गोलमेज सम्मेलनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का एक संयुक्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया था कि गतिविधि मानचित्रण के आधार पर विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी उनको स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में समर्थ बनाने हेतु की जाती है। ग्राम सभाओं के जरिए सामाजिक लेखा-परीक्षा उपायों को संस्थागत बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्राम पंचायतों को समूचे ग्राम समुदाय के प्रति जबाबदेह बनाया जा सके।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) के प्रावधानों का कार्यान्वयन

भूरिया समिति के रूप में विख्यात एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), अधिनियम, 1996 (पीईएसए) 24 दिसम्बर, 1996 को पारित हुआ और अस्तित्व में आया था। यह कानून पंचायती राज का विस्तार केवल पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में करता है। यह कानून निम्नलिखित नौ राज्यों, जिनमें पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में लागू होता है।

इस मामले पर सितम्बर, 2004 में पंचायती राज मंत्रियों के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई थी जहां पर राज्य मंत्रियों ने पीईएसए के प्रावधानों को प्रवर्तित करने तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ विस्तृत परामर्श शुरू करने की सहमति प्रदान की थी ताकि लक्ष्यों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों तथा पीईएसए के उद्देश्यों, में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस संबंध में की जा रही प्रगति की समीक्षा नियमित रूप में की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय को भारतीय विधि संस्थान, संबंधित राज्य कानूनों में राज्य सरकारों को ऐसा ही प्रयोग कार्यान्वित करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से समुचित संसाधनों की संरचना करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय विधि संस्थान से पहली रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसे संबंधित राज्य सरकारों को टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है। केन्द्रीय विधानों, नीतियों और योजनाओं को पीईएसए के प्रावधानों के साथ सुमेलित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। पीईएसए के साथ उनके विवादित प्रावधानों को अभिज्ञात करने तथा उनमें वांछित परिवर्तन करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की सहायता से सभी केन्द्रीय विधानों की जांच की जा रही है। जांच किए जा रहे महत्वपूर्ण विधानों में से कुछ निम्नवत् हैं:-

(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

(2) खान और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

(3) भारतीय वन अधिनियम, 1927

(4) वन संरक्षण अधिनियम, 1980

(5) भारतीय पंजीकरण अधिनियम

अनुसूची-5 क्षेत्रों में बंजर भूमियों, जल संसाधनों और भूमियों से खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित केन्द्रीय नीतियों और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय योजनाओं के सामंजस्य प्रयोग पर भी केन्द्रीय स्तर से बहुत बल दिया जा रहा है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 2003, राष्ट्रीय जल नीति, 2002, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2003 और राष्ट्रीय प्रारूप पर्यावरण नीति, 2004 की भी जांच की जा रही है। सभी पीईएसए राज्यों के पंचायती राज तथा जनजातीय कार्य के

सचिवों की एक राष्ट्रस्तरीय बैठक मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई, 2006 को पीईएसए के प्रावधानों का अक्षरशः कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ङ) और (च) जी हां, यह मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए महिलाओं एवं युवाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने हेतु कदम उठा रहा है। इस दिशा में मंत्रालय द्वारा इस वर्ष के शुरू में एक पंचायत महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान शुरू किया गया है।

यद्यपि अनेकों राज्यों में महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में सीटों/कार्यालयों के एक तिहाई से अधिक पर निर्वाचित होने में सफल हो गई हैं, वे अपनी आवाज उठाने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए सुव्यवस्थित और संगठित नहीं हो पाई हैं। उनकी चुनौतियों, अनुभवों और उपलब्धियों को स्टाक करने की आवश्यकता है ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत महिला शक्ति अभियान नामक राज्यवार सम्मेलनों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया जाना प्रस्तावित हैं। दो ऐसे अभियान राजस्थान में उदयपुर में 23-24 अप्रैल, 2006 को तथा पंजाब में पटियाला में 17-18 जुलाई, को आयोजित किए जा चुके हैं। इन सम्मेलनों से पहले एक कोर समूह का गठन किया गया था और एक डिमांड चार्टर तैयार किया गया था। इसके बाद इस डिमाण्ड चार्टर पर बहस की गई, विचार-विमर्श किया गया, इसमें संशोधन किया गया और अंत में इसको इन सम्मेलनों में अपनाया गया था।

इसी तरह की पद्धति पर पंचायत युवा शक्ति अभियान भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अभियान 19-20 जून, को फरीदाबाद, हरियाणा में शुरू किया गया था। इस अभियान का विस्तार 8 अन्य राज्यों में दिसम्बर, 2006 तक करने का प्रस्ताव है। देश की जनसंख्या का पूरा 47% भाग युवाओं का है जो 13-35 वर्ष के आयु समूह के हैं। नेहरू युवक केन्द्रों के अंतर्गत 2.5 लाख यूथ क्लब 8 मिलियन सदस्यों सहित मौजूद हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 50% से अधिक 18-35 के आयु वर्ग के हैं। कदम से कदम की एक प्रक्रिया के जरिए और कोर समितियों की बैठकों के बाद किसी विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र के बीच अनुसमर्थन के लिए मामलों का प्रारूप चार्टर तैयार किया गया है। अभिरुचि दिखाने वाले पणधारियों, युवा कार्यकर्त्ताओं तथा समुदाय नेताओं की कोर समितियों द्वारा संयुक्त कार्यप्रणाली की संभाव्यता को अभिज्ञात किया गया है।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस मार्गों के कार्य में प्रगति

376. **श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:**
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे सभी एक्सप्रेस मार्गों के काम की प्रगति की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण में विलंब हुआ है;

(ग) क्या ऐसे सभी एक्सप्रेस मार्गों पर खर्च होने वाली संभावित अतिरिक्त लागत का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) कार्य-स्वरूप में परिवर्तन और सरकारी भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर दिल्ली-गुड़गांव खंड के पहुंच नियंत्रित 6/8 लेन के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। कार्य-स्वरूप में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में 155 करोड़ रु. की वृद्धि होने का आकलन किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के दिल्ली-गुड़गांव खंड का निर्माण कार्य, जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी, दिसंबर, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है। अतिरिक्त कार्यों, विशेष रूप से आर टी आर-पालम फ्लाईओवर, को जून, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

135 कि.मी. लंबे पूर्व बाह्य परिधीय एक्सप्रेस मार्ग (कोंडली-गाजियाबाद-नोएडा-पलवल; राष्ट्रीय राजमार्ग-एन ई 2) के निर्माण कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस परियोजना को अक्तूबर, 2007 में प्रारंभ करके उसे अक्तूबर, 2010 तक पूरा किया जाना है।

अन्य एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाएं केवल योजना स्तर पर हैं। एक्सप्रेस मार्गों की लगभग 1000 कि.मी. लंबाई में कार्य को आगामी कुछ वर्षों में एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत हाथ में लिया जाएगा और उसे 2015-16 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पंचायतों में ई-गवर्नेंस

377. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या पंचायती राज मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायतों में 'ई-गवर्नेंस' शुरू करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त 'ई-गवर्नेंस' को देश भर में कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या 'ई-गवर्नेंस' को सफल बनाने हेतु कोई तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस के लिए एक मिशन मोड परियोजना तैयार कर रहा है। यह परिकल्पना की गई है कि यह पंचायत स्तर पर डिलीवर की गई अभिज्ञात सेवाओं के संदर्भ में ई-गवर्नेंस साल्यूशनों को कार्यान्वित करने में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त करने के लिए देश में सभी पंचायतों को समर्थ बनाएगी। यह एक नई पहल है। राज्यों में कुछ ही पंचायतें संबंधित राज्य सरकार की सहायता से पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस के लिए प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ऐसा है कि आम मानक और बेंचमार्क विकसित किए जाएंगे ताकि पंचायत स्तर पर अगली अच्छी गवर्नेंस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की समेकित अनुप्रयुक्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रस्तावित ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत भी ई-गवर्नेंस अनिवार्य घटकों में से एक है। इसी प्रकार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भी 2006-07 के अंतर्गत प्रस्तावित इस नई योजना के भाग हैं जिसके लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है किन्तु 2006-07 में इस उद्देश्य के लिए 8 करोड़ रु. प्रस्तावित हैं।

पंचायतों के लिए ई-गवर्नेंस के अन्य घटकों में बुनियादी कम्प्यूटर अवसंरचना, साफ्टवेयर और बुनियादी प्रोसेस री-इंजीनियरिंग शामिल हैं। पंचायत बुनियादी सेवाओं के लिए गतिविधि मानचित्रण से इस प्रक्रिया को सहायता मिलेगी।

निम्नलिखित में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने हेतु सभी राज्य सरकारों और पंचायतों को सहायता देने का उद्देश्य है:-

* आंतरिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पंचायतों में निर्णय लेना;
* पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक औजार के रूप में करती हुई पंचायतें, नागरिकों को सूचना का अनावरण और सामाजिक लेखा-परीक्षा।
* सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने नागरिकों को अपनी अधिदेशित सेवाएं बेहतर रूप में देने के लिए करने वाली पंचायतें;
* पंचायतों को निधियों का द्रुत बैंक हस्तांतरण करने, निधि हस्तांतरणों की ट्रैकिंग करने और पंचायतों के व्ययों सहित सरकारों के उच्च स्तरों से पंचायतों को हस्तांतरित निधियों की इलेक्ट्रानिक टैगिंग और ट्रैकिंग के लिए आईटी का उपयोग करने वाले राज्य और पंचायतें;
* आईटी का उपयोग ई-प्रापण के माध्यम के रूप में करना।

[अनुवाद]

भारत-श्रीलंका संबंध

378. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-श्रीलंका के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर हाल ही में कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक लोगों की जान बचाने के मामले पर भी बातचीत हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर श्रीलंकाई सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। 3-4 जुलाई, 2006 तक विदेश सचिव की कोलंबो यात्रा के दौरान श्रीलंका के साथ व्यापक बातचीत हुई।

(ख) से (ङ) दोनों पक्षों ने दोहराया कि वे सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देते हैं। श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के प्रति भारत की वचनबद्धता की पुन: पुष्टि करते हुए भारत सरकार ने युद्ध विराम को मजबूत बनाने के सभी संभावित प्रयासों की आवश्यकता और राजनैतिक बातचीत की समीक्षा करने पर बल दिया है ताकि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हमने यह भी कहा है कि हिंसा में किसी प्रकार की वृद्धि होने से न सिर्फ युद्ध विराम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि इसके परिणामस्वरूप नागरिक भी हताहत हो सकते हैं। श्रीलंका सरकार ने सूचित किया है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वह जातीय समस्या का राजनैतिक समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम

379. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बीस-सूत्री कार्यक्रम को पुन: बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या बीस-सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों को अभी प्राप्त किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत किन मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है; और

(च) पुन: निर्मित बीस-सूत्री कार्यक्रम को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी हां।

(ख) 1986 से सरकार द्वारा अनेक नई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए जाने से बीस सूत्री कार्यक्रम-1986 की पुन:संरचना की जरूरत अपरिहार्य हो गई है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आम आदमी का जीवन स्तर सुधारना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए, बीस सूत्री कार्यक्रम अभी भी प्रासंगिक है।

(ङ) और (च) जिन क्षेत्रों पर बल दिया जाना है, उनकी पहचान की जा रही है और सरकार द्वारा इसको शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालय में अस्थायी कर्मचारी

380. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं अभी तक नहीं सुलझी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 10-15 वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के बारे में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) सरकार, भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों (नैमित्तिक कामगारों) से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में 200 समूह ग, (अवर श्रेणी लिपिक) पदों को बहाल किया गया है। विद्यमान नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में इन पदों पर आमेलन किये जाने हेतु पात्र नैमित्तिक कामगारों पर विचार किया जाएगा। 1 जनवरी, 2006 को केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में कार्य कर रहे सभी पात्र नैमित्तिक कामगारों के लिए 21 मई, 2006 को एक संयुक्त विभागीय परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा पूरे देश में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई। हालांकि, न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कारण अभी तक परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किये गए हैं। न्यायालय के अंतरिम आदेशों को रद्द करने के लिए उच्चतर न्यायालय में एक अपील दायर की गई है।

[अनुवाद]

नाथूला दर्रा खोलना

381. श्री अर्जुन सेठी:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाथूला दर्रा खोलने के बारे में भारत और तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के अधिकारियों के बीच कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारत-चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या अब नाथूला दर्रे को भारत-चीन के बीच व्यापार हेतु खोल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1962 से बंद नीती और माना मार्गों को पुन: खोलने के संबंध में प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) एक भारतीय अंतर मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-20 जून, 2006 के बीच तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा की और 23 जून, 2003 को भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित सीमा पार व्यापार में संवृद्धि पर ज्ञापन के अनुरूप नाथुला के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार हेतु विभिन्न पद्धतियों को अंतिम रूप देने के लिए चीनी प्राधिकारियों के साथ चर्चा की।

नाथुला, (जो कि भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार बिन्दु है) के जरिए सीमा व्यापार पुन: आरम्भ करने से संभवत: दोनों पक्षों के सीमा क्षेत्रों को आर्थिक लाभ मिलेगा और दोनों देशों के बीच पारस्परिक समझ और विश्वास में संवृद्धि होगी।

(ग) जी हां।

(घ) नाथुला के जरिए सीमा व्यापार 6 जुलाई, 2006 को भारतीय पक्ष की ओर से शेरथांग में चंगू सीमा व्यापार मार्ट में और चीनी पक्ष की ओर से रेनकिंगांग व्यापार मार्ट में पुन: आरम्भ किया गया। नाथुला के जरिए सीमा व्यापार प्रति वर्ष 1 जून से 30 सितम्बर के बीच होगा। हालांकि, मौसमी परिस्थितियों जैसी आकस्मिकताओं के कारणवश यथा-आवश्यकता व्यापार की अवधि को दोनों पक्षों के नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) सरकार ने चीनी पक्ष के समक्ष अतिरिक्त सीमा व्यापार बिन्दुओं को खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र में नीती दर्रे के जरिए व्यापार शामिल है।

कोयले की रायल्टी में संशोधन करना

382. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्यों के बीच कोयले की रायल्टी में संशोधन करने के मुद्दे पर मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा क्या मुख्य आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र ने राज्यों से सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर विचार करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र ने राज्यों से फिलहाल संयुक्त रायल्टी फार्मूला स्वीकार करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए 2.6.2005 को एक समिति गठित की गई थी। समिति ने प्रश्नावली तथा औपचारिक बातचीत दोनों के माध्यम से राज्यों से विचार एवं टिप्पणियां मांगी थी। अधिकांश: कोयला उत्पादन राज्यों की मांग है कि कोयले पर रायल्टी यथामूल्य आधार पर निर्धारित की जाए जबकि अधिकांश: कोयला उपभोक्ता टन पर आधारित विशिष्ट दर के पक्ष में हैं।

(ग) से (च) समिति ने आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.) की रिपोर्ट राज्य सरकारों को टिप्पणी के लिए परिचालित की थी। ई.ए.सी. ने सिफारिश की थी कि कोयले पर रायल्टी इस तरह से निर्धारित की जाए कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों के हितों में सन्तुलन बना रहे। इसलिए रायल्टी को निर्धारित करने के फार्मूले में निश्चित एवं परिवर्तनीय (यथामूल्य) घटक हो सकता है। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी।

(छ) समिति द्वारा रायल्टी पर प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण केन्द्र

383. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने परिवार कल्याण केन्द्र काम कर रहे हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमश: 146026, 23,236 एवं 3346 है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

देश में चल रहे शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या 1083 है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2006 के दौरान विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आबंटित राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

काम कर रहे उपकेन्द्रों, प्राथमिक केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	उपकेन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12522	1570	164
2.	अरुणाचल प्रदेश	379	85	31
3.	असम	5109	610	100
4.	बिहार	10337	1648	101
5.	छत्तीसगढ़	3818	517	116
6.	गोवा	172	19	5
7.	गुजरात	7274	1070	272
8.	हरियाणा	2433	408	72
9.	हिमाचल प्रदेश	2068	439	66
10.	जम्मू-कश्मीर	1879	334	70
11.	झारखंड	4462	561	47
12.	कर्नाटक	8143	1681	254
13.	केरल	5094	911	106

1	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	8874	1192	229
15.	महाराष्ट्र	10453	1780	382
16.	मणिपुर	420	72	16
17.	मेघालय	401	101	24
18.	मिजोरम	366	57	9
19.	नागालैंड	394	87	21
20.	उड़ीसा	5927	1282	231
21.	पंजाब	2858	484	116
22.	राजस्थान	10512	1713	326
23.	सिक्किम	147	24	4
24.	तमिलनाडु	8682	1380	35
25.	त्रिपुरा	539	73	10
26.	उत्तरांचल	1576	225	44
27.	उत्तर प्रदेश	20521	3660	386
28.	पश्चिम बंगाल	10356	1173	95
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	107	20	4
30.	चंडीगढ़	13	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	38	6	1
32.	दमन व दीव	21	3	1
33.	दिल्ली	41	8	0
34.	लक्षद्वीप	14	4	3
35.	पांडिचेरी	76	39	4
	अखिल भारत	146026	23236	3346

नोट:- आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

विशेष स्कीमों के तहत आधारभूत सुविधा

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	131
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	10
4.	बिहार	26
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	113
8.	हरियाणा	19
9.	हिमाचल प्रदेश	89
10.	झारखंड	16
11.	जम्मू-कश्मीर	12
12.	कर्नाटक	87
13.	केरल	0
14.	मध्य प्रदेश	55
15.	महाराष्ट्र	74
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	10
21.	पंजाब	23
22.	राजस्थान	61
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	65
25.	त्रिपुरा	9
26.	उत्तर प्रदेश	78
27.	उत्तरांचल	3
28.	पश्चिम बंगाल	111
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	3
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन व दीव	0
33.	दिल्ली	69
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	0
	योग	1083

विवरण III

वर्ष 2006-07 के दौरान सहायता अनुदान का राज्य-वार आबंटन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	उपकेन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	730.00	10356.32
2.	बिहार	221.00	11315.72
3.	छत्तीसगढ़	75.00	4598.40
4.	गोवा	–	168.88
5.	गुजरात	832.00	7128.20
6.	हरियाणा	116.00	2432.60
7.	हिमाचल प्रदेश	246.00	2027.40
8.	झारखंड	112.00	4372.72
9.	जम्मू-कश्मीर	54.00	1666.20
10.	कर्नाटक	645.00	7979.76

1	2	3	4
11.	केरल	–	4992.24
12.	मध्य प्रदेश	408.00	7966.28
13.	महाराष्ट्र	487.00	10322.24
14.	उड़ीसा	82.00	6246.84
15.	पंजाब	162.00	2800.92
16.	राजस्थान	380.00	10178.88
17.	तमिलनाडु	203.00	8508.44
18.	उत्तर प्रदेश	732.00	20161.24
19.	उत्तरांचल	30.00	1728.44
20.	पश्चिम बंगाल	900.00	10149.08
	कुल-अन्य राज्य	6415.00	135101.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	63.00	185.88
2.	असम	80.00	3474.84
3.	मणिपुर	25.00	285.76
4.	मेघालय	11.00	315.52
5.	मिजोरम	11.00	235.32
6.	नागालैंड	–	220.92
7.	सिक्किम	12.00	99.92
8.	त्रिपुरा	48.00	393.84
	कुल-पूर्वोत्तर क्षेत्र	250.00	5212.00
	कुल-सभी राज्य	6665.00	140313.00
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली		
2.	पांडिचेरी		
	कुल-विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00
	कुल-योग	6665.00	140313.00

[अनुवाद]

सी.एम.पी.डी.आई.एल. को सी.आई.एल. से अलग करना

384. श्री पी. मोहन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) को कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से अलग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इससे सी.आई.एल. को कितना लाभ होगा;

(ग) क्या शंकर समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या सी.एम.पी.डी.आई.एल. के बिना सी.आई.एल. कोयला क्षेत्र में प्रवेश को आतुर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भावी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक पाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शंकर समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत कर दिया है। इस रिपोर्ट में सी.एम.पी.डी.आई.एल. की पुनर्संरचना के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। यह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कोयले की मांग तथा आपूर्ति के अल्पावधि एवं मध्यावधि प्रबंध, केप्टिव कोयला खनन, अल्पावधि तथा मध्यावधि में मांग और आपूर्ति के अन्तर को कम करने की नीति, कोयले का मूल्य निर्धारण एवं व्यापार आदि से संबंधित है।

(ङ) और (च) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

योग में अनुसंधान तथा विकास

385. श्री ब्रजेश पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में योग के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे संगठनों के कार्य-निष्पादन तथा धनराशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि के दुरूपयोग के लिए दोषी पाए गए गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा उनके नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में देश में योग के अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं की कोई विशेष समीक्षा नहीं कराई है। आयुष विभाग द्वारा चलाई जा रही बहिवर्ती अनुसंधान योजना में अन्य बातों के साथ योग की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना शामिल है।

(ग) योग में अनुसंधान करने के लिए आयुष विभाग, नई दिल्ली और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से अनुदान प्राप्त कर चुके संगठनों के नामों को दर्शाने वाले विवरण-I और II जिनमें उपयोग के ब्यौरे भी हैं, संलग्न हैं।

(घ) ऐसा मामला अब तक सामने नहीं आया है।

विवरण I

बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	निर्गत सकल रकम और अनुदानग्राही द्वारा संतोषजनक उपयोग
1	2	3	4
1.	स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन, बेंगलोर	सिजोफ्रेनिया पर योग उपचार का एक समेकित दृष्टिकोण	प्रथम किस्त 04.04.1998- 3 लाख रु.* द्वितीय किस्त 10.01.2000 2.95 लाख रु.
2.	विवेकानंद केंद्र योग रिसर्च फाउंडेशन, बेंगलोर	वृद्धजनों में अनुकूल स्वास्थ्य के संवर्धन में आयुर्वेद एवं योग का उपयोग	प्रथम किस्त 15.03.1999-4.50 लाख रु. द्वितीय किस्त 5.04.2000 2.75 लाख रु.
3.	लोकमान्य मेडिकल रिसर्च सेंटर, पुणे	पीठ दर्द की पुरानी समस्याओं वाले रोगियों के प्रबंधन में सक्रियता संबंधी क्षमता के विशेष संदर्भ में योगाभ्यासों की भूमिका	प्रथम किस्त 06.04.1999-13 लाख रु. द्वितीय किस्त 13.11.2000 6 लाख रु. तृतीय किस्त 27.01.2005 4.93 लाख रु.
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली	चयनित योगासनों में से इन्सुलिन सदृश प्रभाव	प्रथम किस्त 2000-01-1.70 लाख रु. द्वितीय किस्त 2002-03 1.30 लाख रु.
5.	लोनावला इंस्टीट्यूट, पुणे	परंपरागत आसनों का बृहत कोश	प्रथम किस्त 10.12.01-5 लाख रु. द्वितीय किस्त 31.12.2003 5.00 लाख रु. तृतीय किस्त 13.07.2004 4.00 लाख रु.
6.	लोनावला योग इंस्टीट्यूट, पुणे, डा. मनोहर लाल घरोटे	सुंदर देव की हठतत्वकोमुदी-आलोचनात्मक संस्करण	प्रथम किस्त 06.04.2002-4 लाख रु. द्वितीय किस्त 12.07.2004 3.50 लाख रु.
7.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर	निवारक हृदय रोग विज्ञान और मधुमेह विज्ञान में योग आधारित जीवन चर्या के ठौर तरीकों की उपयोगिता	प्रथम किस्त 10.04.2003-9.70 लाख रु.

1	2	3	4
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	सुदर्शन क्रिया के अभ्यासियों में जीन प्रकटन दृश्य	प्रथम किस्त 31.03.03-10 लाख रु.
9.	आश्रम आत्मदीप, गुड़गांव (हरियाणा)	प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक विधा में साहचर्य के लिए जागरूकता के क्षेत्र में प्राचीन योग समेकित अध्ययनों तथा अनुसंधानों की परंपरा में चेतना	प्रथम किस्त 21.10.04-7 लाख रु. विहित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण पत्र और परीक्षित लेखे प्रतीक्षित हैं।

विवरण II

केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

गैर-सरकारी संगठनों के लिए वित्त पोषित नैदानिक अनुसंधान परियोजनाएं

क्र.सं.	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्ष	प्रारंभन की तिथि	निर्मुक्त निधियां (रु. में) वर्ष	राशि	निष्पादन	यू सी प्रस्तुत करने की स्थिति
1.	कर्नाटक स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन, बेंगलोर	मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों हेतु योगोपचार के समेकित प्रयास और कैंसर से संबंधित डी एन ए सुधार तंत्र के	15.5.04	2004-05 2005-06	4,69,000/- 5,80,000/-	संतोषप्रद	प्राप्त अभी प्राप्त नहीं
2.	तमिलनाडु कृष्णमाचारी योग मंदिरम्, चेन्नई	सामान्यकृत मिरगी के दौरे पड़ने वाले रोगियों पर योग का उपचारात्मक प्रभाव	1.2.03	2002-03 2003-04 2004-05 2005-06	1,78,050/- 3,32,900/- 3,33,000/- 2,03,513/-	संतोषप्रद	प्राप्त प्राप्त प्राप्त अभी प्राप्त नहीं
3.	उत्तर प्रदेश श्री नाथ नेचुरोपैथी एवं योग सेंटर, कानपुर	रयूमेटाइड अर्थराईटिस, ओस्टियो अर्थराईटिस और गोट के प्रबंधन में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित उपचारों का प्रभाव	26.3.04	2003-04 2004-05 2005-06	97,000/- 5,37,000/- 5.45.400/-	संतोषप्रद	प्राप्त
4.	पश्चिम बंगाल इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ इंटेग्रेटिड मेडिसीन, हावड़ा	प्राकृतिक उपचार निदान पद्धतियों के मानकीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सहायताकृत पारंपरिक जिह्वा निदान का विकास	1.7.05	2005-06	4,45,100/-	संतोषप्रद	प्राप्त

कोयले का उत्पादन

386. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का कम्पनीवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसमें भूमिगत और खुली खदानों की हिस्सेदारी कितनी रही;

(ग) क्या भूमिगत खदानों से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा कोई नई योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस नई योजना पर अनुमानित कितनी लागत आएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का कम्पनी-

वार तथा भूमिगत एवं ओपनकास्ट खानों के शेयर सहित कुल उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीआईएल ने भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए 1217.89 करोड़ रु. की अनुमानित लागत 20 नयी परियोजनाएं तैयार की हैं/तीन मौजूदा परियोजनाओं की बढ़ोत्तरी की है। इसके अलावा, 274.26 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से झांजरा आर-6 पी.एस.एल.डब्ल्यू. को बदलने के लिए परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।

विवरण

(आंकड़े मिलियन टन में)

कम्पनी	2003-04					2004-05				
	ओसी	शेयर %	ओसी	शेयर %	कुल	ओसी	शेयर %	ओसी	शेयर %	कुल
कोल इंडिया लि.	47.445	15.49	258.919	84.51	306.364	47.041	14.54	276.534	85.46	323.575
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	13.314	39.46	20.540	60.67	33.854	12.974	38.71	22.329	63.25	35.303
जे. एण्ड के. मिनरल लि.	0.019	95.00	0	0	0.019	0.023	100	0	0	0.023
झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	0	0	0.444	100	0.444	0	0	0.589	100	0.589
दामोदर घाटी निगम	0	0	0.381	100	0.381	0	0	0.401	100	0.401
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	0.362	43.51	0.408	52.99	0.77	0.401	49.57	0.490	54.99	0.891
कुल सार्वजनिक	61.140	17.89	280.692	82.11	341.832	60.439	16.75	300.343	83.25	360.782
बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	0	0	3.769	100	3.769	0	0	3.994	100	3.994
इन्टीग्रेटिड कोल माइनिंग लि.	0	0	1.495	100	1.495	0	0	2.401	100	2.401
जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	0	0	2.466	100	2.466	0	0	2.965	100	2.965
हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि.	0	0	0.099	100	0.099	0	0	0.524	100	0.524
मेघालय	0	0	5.439	100	5.439	0	0	5.345	100	5.345
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	1.613	27.03	4.533	73.76	6.146	1.688	27.13	4.686	73.52	6.374
मोनेट इस्पात लि.	0	0	0	0	0	0.126	100	0	0	0.126
बीएलए इन्डस्ट्रीज	0	0	0	0	0	0.096	100	0	0	0.096
कास्ट्रान माइनिंग लि.	0	0	0	0	0	0	0	0.008	100	0.008
कुल निजी	1.163	8.31	17.801	91.69	18.964	1.910	8.75	19.923	91.25	21.833
अखिल भारतीय	62.753	17.37	298.493	82.63	361.246	62.349	16.30	302.266	83.70	382.615

कम्पनी	2005-06 (अनंतिम)				
	ओसी	शेयर %	ओसी	शेयर %	कुल
कोल इंडिया लि.	45.819	13.34	297.553	86.66	343.372
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	12.711	36.28	23.427	64.83	36.138
जे. एण्ड के. मिनरल लि.	0.019	100	0	0	0.019
झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	0	0	0.761	100	0.761
दामोदर घाटी निगम	0	0	0.368	100	0.368
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	0.330	40.24	0.328	49.85	0.658
कुल सार्वजनिक	58.879	15.44	322.437	84.56	381.316
बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	0	0	3.992	100	3.992
इन्टीग्रेटिड कोल माइनिंग लि.	0	0	2.622	100	2.622
जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	0	0	5.310	100	5.31
हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि.	0	0	0.936	100	0.936
मेघालय	0	0	5.566	100	5.566
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	1.649	26.03	4.872	74.71	6.521
मोनेट इस्पात लि.	0.439	100	0	0	0.439
बीएलए इन्डस्ट्रीज	0.282	100	0	0	0.282
कास्ट्रान माइनिंग लि.	0	0	0.012	100	0.012
कुल निजी	2.370	9.23	23.310	90.77	25.68
अखिल भारतीय	61.249	15.05	345.747	84.95	406.996

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाइयों की कमी

387. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाइयों की कमी की वजह से रोगियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) लाभार्थियों की प्रत्येक दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकतर सी.जी.एच.एस. औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध होती हैं। यदि विशेषज्ञ द्वारा नुस्खा लिखी गई दवाएं औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं तो वे संबंधित औषधालय में संबद्ध अधिकृत स्थानीय केमिस्टों के जरिए खरीदी जाती हैं। लाभार्थी, तत्काल आवश्यक दवाएं, संबंधित औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पर्ची के आधार पर बिना कोई भुगतान किए अधिकृत स्थानीय केमिस्टों से भी प्राप्त कर लेते हैं।

यदि औषधालय से कोई स्थानीय केमिस्ट संबद्ध नहीं होता है तो लाभार्थियों को खुले बाजार से दवा खरीदने की अनुमति है। पेंशनभोगी लाभार्थी द्वारा किए खर्च की प्रतिपूर्ति सी.जी.एच.एस. और सेवारत कर्मचारियों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

डाक विभाग द्वारा शेयर बाजार में निवेश

388. श्री पी. मोहन:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक बीमा निधि के 10,000 करोड़ रुपये को शेयर बाजार में निवेश करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राजनीतिक दलों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(12)-पीडी/2001 दिनांक 24 मई, 2005 एवं दिनांक 30 जनवरी, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा डाकघर बीमा निधि (पीओआईएफ) और ग्रामीण डाकघर बीमा निधि (आरपीओआईएफ) के निवेश के संबंध में निम्नलिखित निर्णय सम्प्रेषित किये हैं:-

1. (1) डाकघर बीमा निधि (पीओआईएफ) और ग्रामीण डाकघर बीमा निधि (आरपीओआईएफ) के अंतर्गत समग्र निधि 31 मार्च, 2006 को अवरुद्ध (फ्रीज) हो जाएगी। 31 मार्च, 2006 को डाकघर बीमा निधि (पीओआईएफ) और ग्रामीण डाकघर बीमा निधि (आरपीओआईएफ) के अंतर्गत बकाया राशि को मिश्रित परिपक्वता देते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों में अंतरित कर दिया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ होगा तथा डाक विभाग से परामर्श करके इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(2) 01 अप्रैल, 2006 एवं 30 सितंबर, 2006 की अवधि के दौरान प्राप्त डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन के अंतर्गत अंशदान को विशेष जमा योजना में निवेश किया जा सकता है।

(3) 01 अक्तूबर, 2006 से डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत आने वाली अभिवृद्धियों का बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001 या उसके किसी अनुवर्ती संशोधन द्वारा संशोधित बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2000 के अनुसार निवेश करना चाहिए।

(4) 01 अप्रैल, 2006 से 30 सितंबर, 2006 के दौरान होने वाला संचयी निवेश 30 सितंबर, 2006 या उसके बाद किसी भी तारीख को आहरण के योग्य होगा।

(5) 01 अक्तूबर, 2006 से कोई भी अंशदान प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा अप्रैल, 2006 या उसके बाद समग्र निधि में निवेश की गई राशियों पर 01 अक्तूबर, 2006 से कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

2. वित्त मंत्रालय के उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया जारी है तथा इस समय निवेश की जाने वाली वास्तविक राशि को बता पाना संभव नहीं है। तथापि, किये जाने वाले किसी भी निवेश को आईआरडीए के उपर्युक्त मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंद कोयला परियोजनाओं/खानों को पुन: चालू किया जाना

389. श्री राजेश पाठक: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की सहयोगी कम्पनियों द्वारा बंद की गई कोयला परियोजनाओं/खानों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके सहयोगी कम्पनी-वार कारण क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि. को घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार अथवा कोई वित्तीय संस्था इन बंद परियोजनाओं/खानों को पुन: चालू करने के लिए आगे आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कोल इंडिया लि. को सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा कम्पनीवार बंद कोयला परियोजनाओं/खानों/यूनिटों के नाम और उसके कारण नीचे दिए अनुसार है:

सहायक कम्पनी		बन्द खानों के नाम	बन्द किए जाने के कारण
ईसीएल	1.	चीनाकुरी-2 भूमिगत	भंडारों का समाप्त होना
	2.	खोइराबाद-भूमिगत	कठिन भू-खनन और तकनीकी-आर्थिक स्थिति
	3.	मधुजोरे भूमिगत	सुरक्षा आधार
बीसीसीएल	4.	भंवरा 3 पिट ओसी	भंडारों का समाप्त होना
सीसीएल	5.	सौंदा-डी ओसी	प्रतिकूल भू-खनन, आग और भूमि की समस्याएं
	6.	तापिन (एस) भूमिगत	भंडारों का समाप्त होना
	7.	धोरी खास ओसी	भंडारों का समाप्त होना
डब्ल्यूसीएल	8.	बंसी भूमिगत	भंडारों का समाप्त होना
	9.	चारगांव ओसी	भंडारों का समाप्त होना
एससीसीएल	10.	सुबाह इन्क्लाइन-भूमिगत	बैगा ओसी के साथ अमेलित
	11.	अमलई भूमिगत	अमलई ओसी के साथ आमेलित
	12.	जायनगर ओल्ड-भूमिगत	भंडारों का समाप्त होना
	13.	वेस्ट चिरीमिरी-भूमिगत	भंडारों का समाप्त होना
	14.	कोरिया-भूमिगत	भंडारों का समाप्त होना
एमसीएल	15.	बलन्दा ओसी	भंडारों का समाप्त होना
	16.	बसुन्धरा (ई)	भंडारों का समाप्त होना

(ग) उपर्युक्त खानों के बंद होने के कारण उत्पादन में वर्षवार लगभग घाटा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन में कुल घाटा (मि.ट. में)
1.	2003-04	0.493 (7 खानें)
2.	2004-05	0.658 (10 खानें)
3.	2005-06	2.076 (16 खानें)

(घ) से (च) उपर्युक्त में से अधिकांश खानें भंडारों के समाप्त होने के कारण बंद हो गई हैं। जो खानें अन्य कारणों से बंद हो गई हैं, उनको इस समय पुन: खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खेल प्राधिकरण का कार्य-निष्पादन

390. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का खेलों को बढ़ावा देने का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) देश में भारतीय खेल प्राधिकरण के राज्यवार कितने केंद्र स्थापित किए गए और उनकी क्या उपलब्धियां है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र के विकास हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र की विशेष उपलब्धियां क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) खेलों के संवर्धन में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) का योगदान महत्वपूर्ण है। भारतीय खेल प्राधिकरण खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:-

1. भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
2. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.)
3. सेना बाल खेल कम्पनी योजना (ए.बी.एस.सी.)
4. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)
5. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

इसके अलावा, देश में खेलों के संवर्धन के लिए मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएं भी भा.खे.प्रा. द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं:-

1. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
2. स्कूलों में खेलों का संवर्धन
3. खेल छात्रवृत्ति योजना

इसमें सुधार की सदैव गुंजाइश है और इसे नियमित रूप से देखा जाता है।

(ग) देश में भा.खे.प्रा. के राज्य-वार स्थापित केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है:-

उपलब्धियों के संबंध में, मेलबोर्न में आयोजित पिछले राष्ट्रमण्डल खेलों में, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गये 52 पदकों में से, भा.खे.प्रा. योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा 30 पदक जीते गये थे। उसी प्रकार, बुसान में आयोजित पिछले एशियाई खेलों में जीते गये 33 पदकों में से भा.खे.प्रा. योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा 14 पदक जीते गये। 2004 एथेन्स ओलम्पिक में, देश से भाग लेने वाले 75 खिलाड़ियों में से, 39 खिलाड़ी भा.खे.प्रा. योजना से थे।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित भा.खे.प्रा. केन्द्र के विकास के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2003-04	37,00,000/- रुपये
2004-05	32,89,000/- रुपये
2005-06	51,00,000/- रुपये

औरंगाबाद भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र की विशेष उपलब्धि के संबंध में, 2003-04 से 2005-06 के दौरान इस केन्द्र के खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदक निम्नानुसार है:-

राज्य स्तर			राष्ट्रीय स्तर			अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		
स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
38	35	13	07	24	23	-	01	-

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	भा.खे.प्रा. केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	बिहार	4
4.	चंडीगढ़ (संघ शा.प्र.)	1
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	2
7.	गुजरात	2
8.	गोवा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	2
10.	हरियाणा	3
11.	झारखंड	1
12.	जम्मू-कश्मीर	1
13.	कर्नाटक	4

1	2	3
14.	केरल	7
15.	मध्य प्रदेश	4
16.	महाराष्ट्र	2
17.	उड़ीसा	4
18.	पंजाब	4
19.	पांडिचेरी	1
20.	राजस्थान	2
21.	तमिलनाडु	3
22.	उत्तर प्रदेश	8
23.	उत्तरांचल	1
24.	पश्चिम बंगाल	5

पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे भा.खे.प्रा. केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	भा.खे.प्रा. केन्द्रों की संख्या
1.	असम	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	मणिपुर	4
4.	मेघालय	1
5.	मिजोरम	1
6.	नागालैंड	1
7.	त्रिपुरा	1
8.	सिक्किम	1

टीआरएआई के दिशानिर्देश

391. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री रामदास आठवले:
श्री काशीराम राणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) टेलीफोन आपरेटरों पर किस प्रकार नियंत्रण करता है;

(ख) क्या टीआरएआई ने ऐसे प्रत्येक नेटवर्क पर काल दरों को समान करने के लिए इन्ट्रा नेटवर्क तथा इंटर नेटवर्क पर निर्धारित काल दरों में अंतर समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक टीआरएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रही है और पालन नहीं कर रही निजी दूरसंचार कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही निजी दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना.प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) निदेश, विनियम और दूरसंचार प्रशुल्क आदेश जारी करके टेलीफोन प्रचालकों पर नियंत्रण रखता है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। दूरसंचार प्रशुल्क (33वें संशोधन) आदेश 2004 के अनुसार, दूरसंचार प्रचालकों को अंतर-नेटवर्क और अंतर-नेटवर्क की कालों के लिए विशिष्ट काल दरों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि ऐसे विशिष्ट प्रशुल्क प्रतिस्पर्धा विरोधी अथवा स्वार्थपूर्ण न हों और उसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना न हो। आज तक सभी निजी कंपनियां दूरसंचार प्रशुल्क (33वें संशोधन) आदेश 2004 में अंतर्निहित दिशानिर्देशों का पालन कर रही हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ख) से (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लिट्टे द्वारा क्षमा याचना

392. **श्री बालेश्वर यादव:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) ने दिवंगत प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी की हत्या की कथित रूप से सार्वजनिक जिम्मेदारी ली है तथा इस दु:खद घटना के लिए क्षमा याचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) सरकार ने एल टी टी ई विचारक एंतोन बालासिंघम, द्वारा 27 जून, 2006 को एन डी टी वी को दिये गये साक्षात्कार पर गौर किया है जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव की हत्या पर "खेद" व्यक्त किया और श्रीलंका की शांति प्रक्रिया में भारत के शामिल होने की इच्छा जतायी।

(ग) भारत में एल टी टी ई पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है और इसके नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में "घोषित अपराधी" हैं।

लम्बी दूरी के काल नेटवर्क को कारगर बनाना

393. श्री भाल चन्द्र यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी काल नेटवर्क में निगरानी उपकरण संबंधी सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा है जैसा कि दिनांक 8 जुलाई, 2006 के हिन्दी दैनिक "पंजाब केसरी" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लम्बी दूरी के काल नेटवर्क को कारगर बनाने हेतु कोई योजना क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सुरक्षा एजेंसियों ने भारत संचार निगम लिमिटेड के निगरानी उपस्कर का निरीक्षण किया और उपस्कर में निष्पादन संबंधी कतिपय कमियों जैसेकि स्पीच की खराबी, लघु संदेश सेवा (एसएमएस) मल्टी मीडिया मैसेजिंग सेवा (एमएमएस), इंटरनेट तथा डाटा संबंधी लेन-देन की अंतरावरोधन क्षमता का उल्लेख किया। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादन संबंधी कुछ कमियों को ठीक कर दिया गया था और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिनांक 18.07.2006 को निरीक्षण किया गया था। एसएमएस के अंतरावरोधन की सुविधाओं को तीन महीने के भीतर चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार ने नवंबर, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की काल के नेटवर्क को कारगर बनाने संबंधी उपायों की घोषणा की थी।

(घ) जिन उपायों की घोषणा की गई उनमें प्रवेश शुल्क को 25 करोड़ रु. से घटाकर 2.5 करोड़ रु. करना, लाइसेंस शुल्क को सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) के 15% से घटाकर एजीआर का 6% करना, अंतर्राष्ट्रीय लीज्ड सर्किट प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं को अभिगम्यता की अनुमति देना और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदान करना शामिल है।

निजी मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा इंटरनेट सेवा

394. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने निजी मोबाइल फोन कंपनियों को इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेट सेवा शुरू करने हेतु इन निजी मोबाइल फोन कंपनियों से कोई लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इंटरनेट के माध्यम से अर्जित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत ये निजी मोबाइल कंपनियां सरकार को देती हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) अभिगम सेवा प्रदाताओं को अभिगम सेवा प्रदान करने के लिए उनके मौजूदा लाइसेंस के तहत इंटरनेट सेवा टेलीफोनी और ब्राडबैंड सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों ने अभी तक अभिगम सेवा लाइसेंस के तहत इंटरनेट सेवा प्रदान करना आरंभ नहीं किया है। अत: अभी तक इस कार्य के लिए निजी मोबाइल फोन कंपनियों से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी संस्थाओं को कोयला भण्डारों का आबंटन

395. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय ऐसी सरकारी संस्थाओं को कोयला भण्डारों का आबंटन किया गया है जिनके अपने प्रयोग के लिए कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार नाम क्या है;

(ग) इन संस्थाओं को कोयला भण्डार आबंटित करने के क्या कारण हैं तथा इन संस्थाओं द्वारा किस प्रयोजनार्थ कोयला को चुनने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) निम्नलिखित सरकारी कम्पनियों को कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं जिन्हें अपने उपयोग के लिए कोयले की आवश्यकता नहीं है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	राज्य
1.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	छत्तीसगढ़
2.	उड़ीसा खनन निगम लि.	उड़ीसा
3.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	मध्य प्रदेश
4.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	झारखण्ड
5.	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम	पश्चिम बंगाल
6.	अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास एवं व्यापार निगम	अरुणाचल प्रदेश

(ग) इन सरकारी उपक्रमों को दिसम्बर, 2001 की संशोधित खनन नीति के अनुसार कोयला ब्लाक आबंटित किए जाते हैं। दिनांक 12.12.2001 की संशोधित कोयला खनन नीति में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के किसी उपक्रम को देश में कहीं भी कोकिंग कोयला और नान-कोकिंग कोयला के खनन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसा उपक्रम अपने संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के द्वारा कोयला खनन के लिए प्राधिकृत हो और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और भारत में कोयला खनन को अभिशासित करने वाले अन्य कानूनों के अनुसार कोयला खनन करेगा। इस नीति का उद्देश्य कोयला खनन में राज्य उद्यमों की भागीदारी को बढ़ावा देना है ताकि कोयला उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इन ब्लाकों से उत्पादित कोयले का वाणिज्यिक रूप से विपणन किया जा सकता है।

(घ) कोयला ब्लाक की निकटता, उपक्रम की वित्तीय और तकनीकी सुदृढ़ता, राज्य सरकार की सिफारिशें कुछ ऐसे मानदण्ड हैं जिन पर आबंटन का निर्णय करते समय विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

396. श्री अनवर हुसैन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इससे जोड़े जाने वाले राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय कौन-से हैं;

(घ) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

* सभी राज्यों की राजधानियों को बेहतर/उन्नयित राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना।
* पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 85 जिला मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना। अभी तक 49 जिला मुख्यालय ही सड़क मार्ग से जुड़े हैं और दो जिला मुख्यालयों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना पूर्वोत्तर परिषद की योजना में शामिल है, इसलिए शेष 34 जिला मुख्यालयों को विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर राज्यीय सड़कों द्वारा दो-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।
* पड़ोसी देशों को सड़क मार्ग से जोड़ना।

* सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना।

* सामरिक महत्व की कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का सुधार करना।

(ग) दो राज्यों के मुख्यालयों अर्थात् आइजोल तथा गंगटोक जो इस समय एकल/मध्यम लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, को क्रमशः दो-लेन वाली सड़क और पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है जबकि दो राज्यों के मुख्यालयों अर्थात् कोहिमा तथा अगरतला को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। जिला मुख्यालयों को दो लेन वाली बेहतर सड़कों से जोड़ा जाना है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) कार्यक्रम के चरण 'क' जिसके अंतर्गत 1310 कि.मी. सड़कें हैं, को वर्ष 2008-09 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के चरण 'ख' को कार्यान्वित करने के लिए अभी सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।

(ङ) सरकार ने, कार्यक्रम के चरण 'क' जिसके अंतर्गत सड़कों की 1310 कि.मी. सड़कें (1110 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों और 200 कि.मी. राज्यीय/जी एस सड़कें) शामिल हैं, के कार्यान्वयन को 4618 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के अनुसार अनुमोदित कर दिया है और कार्यक्रम के चरण 'ख' में शामिल 6306 कि.मी. सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

विवरण

दो लेन की सड़कों से जोड़े जाने वाले जिला मुख्यालय

क्र.सं.	जिला	जिला मुख्यालय	क्या पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है
1	2	3	4
राज्य : असम			
1.	बरपेटा	बरपेटा	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
2.	धुबरी	धुबरी	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
3.	गोलपाड़ा	गोलपाड़ा	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
4.	गोलाघाट	गोलाघाट	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
5.	करबी अंगलोंग	थिफू	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
6.	कोकराझार	कोकराझार	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
7.	मारीगांव	मारीगांव	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
8.	उत्तरी काचर	हाफलोंग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव

1	2	3	4
9.	बास्का	बास्का	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
10.	उदालगिरी	उदालगिरी	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
राज्य : अरुणाचल प्रदेश			
1.	अंजाव	हवाई	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
2.	दीवांग घाटी	अनिनी	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
3.	पूर्वी कमेंग	सेप्पा	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
4.	कुरूंग कुमेय	कोलोरियांग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
5.	निम्न सुबांसरी	जीरो	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
6.	पपूम पारे	यूपिया	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
7.	तवंग	तवंग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
8.	उच्च सिलांग	यिंगकियोंग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
9.	उच्च सबांसरी	डापोरिजो	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
11.	पश्चिमी कमेंग	बोमडिला	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
12.	पश्चिमी सियांग	अलोंग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
राज्य : मणिपुर			
1.	तमेंगलांग	तमेंगलांग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
2.	चंदेल	चंदेल	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव

1	2	3	4
राज्य : मेघालय			
1.	ईस्ट गारो हिल्स	विलियमनगर	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
राज्य : मिजोरम			
1.	चंपई	चंपई	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
राज्य : नागालैण्ड			
1.	जून्हेबोटो	जून्हेबोटो	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
2.	लोंगलेंग	लोंगलेंग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
3.	पेरेन	पेरेन	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
4.	मोन	मोन	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
5.	फेक	फेक	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
राज्य : सिक्किम			
1.	पश्चिम	गिलशिंग	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
2.	उत्तर	मंगन	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
3.	दक्षिण	नामची	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव
राज्य : त्रिपुरा			
1.	उत्तर त्रिपुरा जिला	कैलाशहर	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

दृष्टिहीनता एवं कुष्ठरोग का उन्मूलन

397. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में विशेषकर बिहार और उत्तर-प्रदेश में कुष्ठरोग और दृष्टिहीनता के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुष्ठ रोगियों एवं दृष्टिहीनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में दृष्टिहीनता और कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु कोई विशेष पैकेज उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के दौरान और आज तक इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता अथवा अनुदान के उपयोग हेतु राज्यों को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों समेत देश में कुष्ठरोग के मामलों की संख्या में कमी आई है। 1 मार्च, 2004, 1 मार्च, 2005 और 1 मार्च, 2006 को देश में कुष्ठरोग में मामलों की कुल संख्या क्रमशः 2.65 लाख, 1.48 लाख और 0.95 लाख थी।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता सर्वेक्षण, (2001-2002) के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या में दृष्टिहीनता की व्याप्तता 8.5 प्रतिशत थी और इसकी आम जनता में अनुमानित जनसंख्या व्याप्तता 1.1 प्रतिशत थी। इसके पश्चात् दृष्टिहीनता पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रमों को पहले से ही केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। दृष्टिहीनता एवं कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु राज्यों को कोई अन्य विशेष पैकेज प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमों में अनुदानों की समय पर उचित उपयोगिता के प्रावधान निहित हैं।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के आपातकालीन उपाय

398. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत, इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों में सरकार से कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आपातकालीन उपाय करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लि. के अंतर्गत विद्यमान कोल ब्लाकों में अतिरिक्त निवेश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त निवेश के परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(च) क्या विद्युत, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों को उनके रक्षित खनन इकाइयों हेतु नए ब्लाकों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने 2011-12 के अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य में 504.10 मि.ट. तक की वृद्धि की है जो 2006-07 के अनुमान से लगभग 141 मि.ट. अधिक है। इसके अलावा, सी.आई.एल. ने "आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना" के अंतर्गत 16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों की पहचान की है जहां मौजूदा खानों/परियोजनाओं से 71.3 मि.ट. तक का अतिरिक्त उत्पादन करके उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इनमें से 14 परियोजनाओं को सरकार/कोयला कम्पनियों द्वारा पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है जो 61.5 मि.ट. प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता का योगदान करेंगी।

(ग) और (घ) जी, हां। कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एससीसीएल) के मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) के अनुसार 10वीं योजनावधि के दौरान प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

10वीं योजना का परिव्यय (एम.टी.ए.) **(करोड़ रु.)**

		सीआईएल	एससीसीएल
क.	मौजूदा खानें एवं पूरी हो चुकी परियोजना	3919.71	576.74
ख.	चालू परियोजनाएं	2272.13	291.86
ग.	नई परियोजनाएं	3614.34	503.67
घ.	कुल खनन (क+ख+ग)	9806.18	1372.27
ङ.	कुल गैर-खनन	1168.93	177.73
	सकल जोड़ (घ+ङ)	10975.11	1550.00

(ङ) सीआईएल और एससीसीएल के तदनुरूपी वर्ष-वार उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पादन (मि.ट.)

वर्ष	कोल इंडिया लि.	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.
2002-03 (वास्तविक)	290.69	33.16
2003-04 (वास्तविक)	306.36	33.85
2004-05 (वास्तविक)	323.58	35.30
2005-06 (वास्तविक)	343.39	36.14
2006-07 (लक्ष्य)	363.80	37.50

(च) और (छ) जी, हां। इन क्षेत्रों को कैप्टिव खनन यूनिटों के रूप में नए ब्लाकों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

शीतल पेयों में खतरनाक तत्व

399. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शीतल पेयों में खतरनाक तत्वों की जांच करने वाली शरद पवार संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इनमें खतरनाक तत्वों के पाए जाने के मद्देनजर शीतल पेयों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। उक्त रिपोर्ट 4 फरवरी, 2004 को संसद में प्रस्तुत की गई। शीतल पेय में खतरनाक तत्वों के मौजूद होने के संबंध में इस रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अनुशंसाओं के अनुरूप, खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 के तहत कार्बोनेटेड जल संबंधी मानकों में दिनांक 15.7.2004 के सा.का.नि. 451(ई) के द्वारा संशोधन किया जा चुका है। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कार्बोनेटेड जल के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले जल को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1956 के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार पैकेट बंद पेयजल के मानकों के अनुरूप होगा। इसमें कीटनाशक अवशेषों की निर्धारित अधिकतम सीमाएं इस प्रकार हैं:-

(1)	कीटनाशक अवशेष अलग-अलग विचार किया गया	0.0001 मिग्रा. प्रति लीटर से अधिक नहीं
(2)	कुल कीटनाशक अवशेष	0.0005 मिग्रा. प्रति लीटर से अधिक नहीं

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आलोक में शीतल पेय के विभिन्न घटकों में अधिकतम अवशेष सीमाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए शीतल पेय संबंधी मानकों की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्र स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

विवरण

शीतल पेय, फल-रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों और उनके लिए सुरक्षित मानकों के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाएं

1. समिति ने पाया कि उनके द्वारा विश्लेषण किए गए 12 ब्रांड नामों के 36 नमूनों में कार्बोनेटेड जल में कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति के बारे में सी.एस.ई. के निष्कर्ष सही हैं।

2. इसलिए समिति का सुविचारित मत है कि शीतल पेय के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले जल को दिनांक 18.7.2003 की अधिसूचना सा.का.नि. 554(ई) के तहत पहले ही अधिसूचित नए मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए ताकि उपभोक्ता सर्वोत्तम मानकों वाले पेय पदार्थों से वंचित न रह पाए।

3. समिति अनुशंसा करती है कि भारतीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्बोनेटेड पेय पदार्थों संबंधी मानकों को जन स्वास्थ्य के समग्र परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये मानक सख्त भी होने चाहिए। इस कारण से हमारे कानून निर्माताओं को ऐसी सीमाएं निर्धारित करने के प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए कि अन्य देशों ने ऐसी सीमाएं निर्धारित नहीं की हैं विशेषकर तब जब आबादी के असुरक्षित वर्ग जो युवा हैं और राष्ट्र की प्रचुर संपत्ति हैं, शीतल पेय का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए समिति के दृष्टिकोण में मीठे वातित (एरेटेड) जल में कीटनाशक अवशेषों से पूरी छूट प्राप्त करना बुद्धिमानी है। पता लग जाए फिर भी असुरक्षित अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए।

4. कच्ची सामग्री और सब्जियों में अनुमति प्राप्त कीटनाशक अवशेषों के मौजूदा स्तरों और सामाजिक-आर्थिक जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए फल-रस और पेय पदार्थ उद्योग को कार्बोनेटेड क्षेत्रों की तुलना में अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। ये मानक समान रूप

से लागू किए जा सकते हैं। खाद्य सामग्री में कीटनाशक अवशेष की मौजूदगी, कृषि के तौर-तरीकों से संबंधित घटना है क्योंकि वे मिट्टी और पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और खाद्य चेन में भी चले आते हैं। यह विनिर्माण संबंधी मुद्दा नहीं है और इसलिए कार्बोनेटेड जल और पैकेट बंद पेय जल (कीटनाशक) अवशेष स्तरों को फलों एवं सब्जियों के रस और ऐसे पेय पदार्थों पर लागू करना उपयुक्त नहीं है।

5. समिति ने अनुशंसा की है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सीएफटीआर आई आदि ऐसे संस्थानों को संसाधित एवं गैर संसाधित खाद्य पदार्थ के उपभोग के संबंध में हमारी खाद्य आदतों, इन खाद्य उत्पादों में प्रदूषकों एवं कीटनाशकों के स्तर, स्वीकार्य दैनिक उपभोग से उनकी अनुरूपता, कृषि और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में कीटनाशक के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए डाटाबेस तैयार करना चाहिए और उनके डाटाबेस के आधार पर, सीसीएफएस में समुचित विचार-विमर्श के बाद फल के रस और अन्य पेय पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए जा सकते है।

6. समिति की अनुशंसा है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 2(5) में जिसमें खाद्य सामग्री की परिभाषा दी गई है, को संशोधित करके उसमें पेयजल को शामिल किया जाना चाहिए।

7. समिति की अनुशंसा है कि एक अनिवार्य खाद्य रिकाल प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए और कंपनियों को बाजार में घटिया एवं हानिकारक उत्पादों की बिक्री करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और इन उत्पादों को अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट किया जाना चाहिए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेरिटाइम स्टडीज, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-4500/06]

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-4501/06]

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-4502/06]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2006-07 के लिए समझौता

ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-4503/06]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 631(अ) जो 1 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (बाइपासों के निर्माण सहित) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 577(आ) जो 20 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (जाजमाऊ से रमादेवी-आरओबी खंड तक) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 578(अ) जो 20 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 632 (अ) जो 2 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 झांसी-ललितपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 633 (अ) जो 2 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-ललितपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 572 (अ) जो 20 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 259 झांसी-भोगनीपुर-बाराखंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.ज्ञा. 630(अ) जो 1 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-ललितपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 628(अ) जो 1 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 627(अ) जो 1 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (ललितपुर-सागर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 629(अ) जो 1 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-ललितपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 655(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 653(अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर राप्ती पुल सहित गोरखपुर बाईपास का निर्माण करने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 739(अ) जो 19 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 734(अ) जो 18 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 3 (दिल्ली-कानपुर) और (आगरा-ग्वालियर) खंडों पर आगरा बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 716(अ) जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1485 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सोलह) का.आ. 717 (अ) जो 15 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 707(आ) जो 13 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 788(अ) जो 23 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 428(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(उन्नीस) का.आ. 709 (अ) जो 13 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 857 (अ) जो 6 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 930 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(इक्कीस) का.आ. 911 (अ) जो 15 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संक्या 24 (सीतापुर-लखनऊ खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, समाहर्ता, लखनऊ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 757(अ) जो 28 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा-भरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 548 (अ) जो 13 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (छह/आठ लेन वाला बनाने) (टॉल प्लाजा के निर्माण सहित) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1240(अ) जो 7 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (छह/आठ लेन वाला बनाने) (टॉल प्लाजा के निर्माण सहित) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से उन्नीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-4504/06]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 19 मई, 2006 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत श्री बीर सिंह महतो, जिन्होंने लोक सभा में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत श्री बीर सिंह महतो, जिन्होंने लोक सभा में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में चिकनगुनिया ज्वर फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें:

"देश के विभिन्न भागों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में चिकनगुनिया ज्वर फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में।"

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, इसमें जिनका नाम है, उनको भी कृपया एकोमोडेट करें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसमें उन्हें भी सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। मैं पहले ही इसके लिए वचनबद्ध हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहे अन्यथा मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

***स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):** चिकनगुनिया एक दुर्बल बना देने वाला गैर-घातक विषाणुज रोग है। यह डेंगू ज्वर के सदृश होता है। यह चिकनगुनिया विषाणु के कारण होता है। यह मादा एडीज मच्छरों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी के काटने से फैलता है। मानव को मच्छरों के लिए चिकनगुनिया विषाणु के मुख्य स्रोत अथवा रिजर्वायर के रूप में समझा जाता है। मच्छर सामान्यतया संक्रमित व्यक्तियों को काटकर और उसके बाद अन्य व्यक्तियों को काट कर इस रोग को संचारित करते हैं। संक्रमित व्यक्ति सीधे इस संक्रमण को अन्य व्यक्ति में नहीं फैला सकता है (अर्थात यह छूत का रोग नहीं है)। चिकनगुनिया के विशिष्ट रूप से काफी बड़ी संख्या में रोगी हो जाते हैं लेकिन मौतें बिरले ही होती हैं। यह रोग अधिकांशत: शहरी और परि-शहरी क्षेत्रों में होता है।

एडीस एजिप्टी मच्छर दिन के समय काटता है और आदमी द्वारा निर्मित विभिन्न कंटेनरों जो मानव निवास के आसपास होते हैं, में पनपता है। ये कंटेनर हैं: बेकार टायर, फूलदान, पुराने पानी के ड्रम, घरों के पानी की नालियां, जल भंडारण बर्तन और प्लास्टिक खाद्य कंटेनर जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है।

चिकनगुनिया मुख्यत: अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। फिलिपींस और पूरे हिन्द महासागर के द्वीप समूहों में इसके कई बार प्रकोप (महामारी) हुए हैं। पहला प्रकोप 1954 में हिन्द महासागर के रियूनियन द्वीपसमूह में हुआ था। भारत में पहला प्रकोप 1963 में कोलकाता में दर्ज किया गया था और बाद में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छुटपट प्रकोप हुए हैं।

इस वर्ष चिकनगुनिया ज्वर से प्रभावित राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा केरल हैं। इन सात राज्यों के 121 जिले प्रभावित हो गए हैं जहां कुल 974541 संदिग्ध रोगी हैं। रोगियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में नोट की गई है। चूंकि यह रोग नैदानिक रूप से डेंगू के सदृश है, इसलिए प्रयोगशाला संबंधी संपुष्टि महत्वपूर्ण है। प्रभावित राज्यों से कुल 10611 नमूने एनआईबी पुणे तथा एनसीडी, दिल्ली के प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं जिनमें से 992 पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभावित राज्यों से चिकनगुनिया ज्वर के कारण कोई मौत की सूचना नहीं मिली है।

आंध्र प्रदेश राज्य के सर्वाधिक प्रभावित जिले वारंगल, विशाखापटनम, अनन्तपुर, चित्तूर तथा करनूल हैं।

चिकनगुनिया संक्रमण से बचाव के लिए कोई वैक्सीन अथवा विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। इस संक्रमण से रोगमुक्त करने की कोई विशिष्ट औषध नहीं है। तथापि इन लक्षणों को पैरासीटामोल जैसी दर्द उपशामनक औषधों, अत्यधिक तरल पदार्थों तथा सामान्य आहार का सेवन करके कम किया जा सकता है। सहायक थिरेपी इन लक्षणों को कम करने में सहायता करती है जैसे कि नान-स्टायरडल एंटी-इनफ्लामैट्री औषधों का सेवन तथा पर्याप्त आराम करना। अन्य लोगों को संक्रमण के संचरण से बचाने के लिए संक्रमित लोगों को मच्छरों से यथासंभव अलग रखा जाना चाहिए।

संक्रमण को रोकने के लिए, वेक्टर पनपने वाले सभी संभावित स्थानों को समाप्त करने हेतु कड़े वेक्टर नियंत्रण उपाय करना अपेक्षित है। ऐसा सप्ताह में एक बार पानी के पात्रों (कंटेनरों) को खाली करके तथा सुखाकर, संचित जल को छानकर, जलाशयों का टीमीफोज से शोधन करके अथवा जैविक नियंत्रण तरीकों जैसे लार्वाभक्षी मछली के पालन से किया जा सकता है। वयस्क (एडल्ट) मच्छरों को मारने के लिए कमरों में पाइरेथ्रम एक्सट्रेक्ट (0.1%) का भी छिड़काव किया जा सकता है।

भारत सरकार ने बुरी तरह से प्रभावित चार राज्यों, आंध्र प्रदेश (13-17 फरवरी, महाराष्ट्र (3-7 अप्रैल), तमिलनाडु (16-19 जून) और मध्य प्रदेश (5-11 जुलाई, 2006) में फील्ड जांच करने के लिए दल भेजे हैं। प्रभावित राज्यों को चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रभावित राज्यों को वेक्टर नियंत्रण के लिए टीमीफॉस और पाइरेथ्रम एक्सट्रेक्ट प्रदान किये गये हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से प्रसन्न नहीं हूं। वास्तविकता इसके विपरीत है। चिकनगुनिया आंध्र प्रदेश तथा इसके आसपास के दक्षिण राज्यों में बड़े पैमाने पर फैल रहा है।

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अधिकांश राज्य चिकनगुनिया से प्रभावित हैं। इसके लगभग 9,74,541 संदिग्ध रोगी हैं। आंध्र प्रदेश में भी यह डेंगू जैसी बीमारी है जो कि अल्फा

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.—4505/06।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

वायरस के कारण होता है जो चिकनगुनिया वाइरस के नाम से जाना जाता है। बीमारी एडीस एजिप्टी, कुलेक्स और मनसोनिया मच्छर के काटने से होती है। यह अधिकांशत: एडीस एजिप्टी के माध्यम से होती हैं।

महोदय, सन 1952-53 में दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में इस बीमारी का पता चला। सन 1963-64 में कोलकाता में इसका प्रकोप देखने को मिला 1965 में चेन्नई में तीन लाख लोगों में इसकी पहचान की गयी। इसके पश्चात् चार दशक बाद अर्थात वर्ष 2005 के दिसम्बर माह में आंध्र प्रदेश में इस रोग का पता चला। आज तक लाखों लोग चिकनगुनिया से ग्रस्त हैं। परन्तु राज्य सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वहां कोई मृत्यु नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: येरननायडु जी, मुझे प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों की आपकी बात सुनने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

इस विषय पर चर्चा की जा रही है। मुझसे कहा गया है कि इस प्रस्ताव को अनुमति दी जाए और जब इस पर चर्चा हो रही है तो हर कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं। इससे हमारे बारे में लोगों की क्या धारणा बन रही है?

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि अन्य अनेक राज्यों में लोग विशेषकर गरीब लोग चिकनगुनिया से ग्रस्त हैं। मार्च 2006 के अंत तक अनंतपुर, कुरनूल, चित्तूर और गुंटूर जिलों में वायरल ज्वर से 150 लोगों की मृत्यु हुई है। तदुपरांत, दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव और मरीजों को भोजन के अभाव में अकेले आंध्र प्रदेश में 300 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं।

परन्तु माननीय स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य सरकार के द्वारा ऐसी सूचना दी गयी है। राज्य सरकार इसे बड़े हल्के फुल्के ढंग से ले रही है। वहां अनेक ऐसे अस्पताल है जहां पर न ही तो कोई डाक्टर है और न ही कोई बिस्तर है। यही वास्तविकता है ...*(व्यवधान)* आप अपनी स्वास्थ्य राज्य मंत्री से पूछिए। वह भी यहां उपस्थित हैं। यह सच्चाई है। यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। यहां तक की माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि यह बीमारी देश के 121 जिलों में फैली हुई है।

हमारे देश के 121 जिले इस बीमारी की चपेट में हैं। हमें युद्ध स्तर पर इससे निपटना चाहिए। अन्यथा, यह बीमारी अन्य राज्यों में भी फैल जाएगी। हमें मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। मच्छरों को मारा जाना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? लोग जानना चाहते हैं। इस रोग से प्रभावित लोगों में से 80 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्गों, दलित तथा गरीब तबके के हैं। वे अपने कार्य पर भी नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं मिल रही है। वे कोई दवाई भी नहीं खरीद पा रहे हैं।

श्री मधु गौड़ यास्खी (निजामाबाद): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: राज्य सरकार ने मरीजों को चावल, दाल और यहां तक की अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं करायी हैं।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार के विषयों का यहां उल्लेख न करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): वे स्थानीय निकायों के विषयों को यहां पर उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: नहीं, ये स्थानीय निकायों के मामले नहीं है ...*(व्यवधान)* चार या पांच राज्य पीड़ित हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. जगन्नाथ, आप काफी लम्बे समय से संसद सदस्य हैं फिर भी आप यह नहीं जान पा रहे कि आप अपने ही नेता के भाषण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: नहीं, वे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। यदि सदस्य इसी तरह व्यवहार करते रहे तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं माननीय मंत्री को एक उदाहरण दूंगा। महबूबनगर जिले के नंदीगामा गांव में 3,500 की आबादी में से 2,800 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकनगुनिया रोगी के रूप में दर्ज किया गया है। आप वहां अपना दल भेजें। आप आंकड़ों पर गौर करें। 3500 की आबादी में से 2800 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। पूरे आंध्र प्रदेश में 6 लाख से भी अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। केवल श्री येरननायडु का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: आप अपने दल वहां भेजें। प्रशासन तंत्र को चाहिए कि वह स्वच्छता और साफ-सफाई को सुधारने के लिए अपने कार्यों में तेजी लाए और उन्नत तकनीक का प्रयोग करके मच्छरों का उन्मूलन करे, जो कि बीमारी को बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे विस्तृत उत्तर दे चुके हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, कृपया एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: राज्य के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, जनशक्ति तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों को प्रति सप्ताह 25 कि.ग्रा. चावल दिया जाना चाहिए, उनके स्वस्थ होने तक दालों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जानी चाहिए। इस बीमारी से मारे गये लोगों के निकट संबंधियों को 3 लाख रु. की अनुदान सहायता और परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए। इस बीमारी से अभी तक 450 लोग मर चुके हैं। ये तथ्यात्मक बातें हैं। आप अपनी जानकारी मीडिया के माध्यम से एकत्र करते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप अस्पतालों में अपने दल भेजें। यह वास्तविकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री इसे बड़े हल्के रूप से ले रहे हैं, उनके अनुसार चिकनगुनिया बीमारी आती जाती रहेगी। मुख्य मंत्री का यह उत्तर है। गरीब लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं इसलिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करके गरीब लोगों को चिकनगुनिया बीमारी से पीड़ित होने से रोकना चाहिए। मैं माननीय मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? देखिए इस विषय पर ध्यानाकर्षण के लिए केवल एक सदस्य का नाम है। किसी अन्य माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अपना नाम देना जरूरी नहीं समझा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं बोल रहा हूं, बीच में व्यवधान उत्पन्न न डालें। परन्तु मैंने देखा है कि विशेष उल्लेख के अंतर्गत कुछ नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैंने अपने कार्यालय की सहायता से बड़ी कठिनाई से पांच माननीय सदस्यों को चुना है। आपको मेरा निर्णय स्वीकार होना चाहिए। मैं चार अन्य सदस्यों को आमंत्रित करूंगा। यह नियमों से परे है परन्तु मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूं।

श्री सुबोध मोहिते-उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई नोटिस नहीं है। आपने नोटिस देना भी उचित नहीं समझा। आप अपने हाथ खड़े कर रहे हैं।

अब, श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश बोलेंगी।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): महोदय, आपके माध्यम से मैं कर्नाटक में चिकनगुनिया बीमारी के प्रकोप की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी।

जैसाकि मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है। यह एडीस मच्छर के काटने से फैलता है जिसके कारण तेज बुखार और सूजन के कारण जोड़ों में दर्द होता है।

पीड़ित व्यक्ति तीन महीने के लिए बिस्तर पकड़ लेता है। वह व्यक्ति बिस्तर से नहीं हिल सकता। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में तीन महीने का समय लगता है तथा पर्याप्त इलाज के बाद ही कोई व्यक्ति सामान्य जीवन में वापस आ सकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

मेरे राज्य कर्नाटक में लगभग 10,000 गांव इस बीमारी से प्रभावित हैं। 27 जिलों में से 26 जिले चिकनगुनिया बीमारी से प्रभावित हैं। महोदय गांवों के भोले भाले लोगों और किसानों में चिकनगुनिया बीमारी को लेकर भ्रांतियां हैं जैसे चिकनगुनिया जो कि कुक्कुट उद्योग के लिए भी खतरा है। कुक्कुट उद्योग इस दुष्प्रचार अथवा लोगों की गलतफहमी से पीड़ित है, लोगों ने मुर्गे के मांस को खाना बंद कर दिया है। इससे कुक्कुट उद्योग को भी घाटा हो रहा है।

वहीं दूसरी ओर जून और जुलाई के महीने कृषि कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण महीनें हैं। अच्छी वर्षा होने के बावजूद किसान बीमार होने के कारण कोई कृषि कार्य नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्पष्टीकरण के बारे में पूछे।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: मेरे संसदीय क्षेत्र कनकपुरा में लगभग सभी तालुक जैसे मगड़ी, अनकल, सतनुर, कनकपुरा मलुवल्ली-उत्तराचल्ली और चन्नापटना चिकनगुनिया की बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित थे। किसानों द्वारा आत्महत्याओं के पश्चात आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। किसानों को जब सहायता की आवश्यकता हो तभी हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। यह उचित समय है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही हूं कि वह न केवल कर्नाटक राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी, जहां किसान प्रभावित हैं, एक विशेषज्ञ दल भेजे ताकि कृषक समुदाय को हुई क्षति का समुचित अध्ययन कर मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके और कृषि क्षेत्र में हुई हानि का जायजा लिया जा सके। वर्ष भर उनकी आजीविका का यही एकमात्र स्रोत है।

मेरा अंतिम बिंदु यह है।

अध्यक्ष महोदय: अंतिम स्पष्टीकरण।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, कर्नाटक सरकार इस समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। परन्तु धन के अभाव में वह इस समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त करने में असफल रही है और इस समस्या के हल के लिए केन्द्र सरकार से सहायता का आग्रह कर रही है। राज्य सरकार केन्द्र से दवाइयों और अन्य चिकित्सा सहायता की मांग कर रही है।

मैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दिल्ली के निदेशक का धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने दिल्ली जिला प्रशासन की ओर से कर्नाटक को 2000 लीटर पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट और 1000 लीटर टेमेफोस उपलब्ध करवाया। मैं कर्नाटक राज्य की जनता की ओर से दिल्ली प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूं। इस समय हमें केन्द्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। यह बीमारी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी फैल रही है। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से आग्रह करना चाहती हूं कि वे इस समस्या को प्राथमिकता के तौर पर हल करने का प्रयास करें। महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय कुमार खंडेलवाल, कृपया एक ही स्पष्टीकरण मांगिए जिसके आप हकदार हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल): अध्यक्ष महोदय, चिकनगुनिया ज्वर महाराष्ट्र से फैलकर मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र में 40 हजार से ऊपर लोग चिकनगुनिया ज्वर से बीमार हैं। यह आफिशियल फिगर्स है। जहां तक स्टेट का सवाल है, तो वहां दवाई वगैरह प्राप्त होती हैं लेकिन केन्द्र सरकार के पास लैब्स नहीं हैं। इस ज्वर की जांच के लिए जो सैम्पल जाते हैं, वे एक महीने तक नहीं आते हैं। इसके साथ-साथ वहां जो टीम भेजी गयी, उसने यह नहीं बताया कि इस ज्वर की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जाये? पूर्व में जब मलेरिया फैला था, तो मेडिकेटेड मच्छरदानी गरीबों को दी गयी थी। मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी इलाका है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों-छिंदवाड़ा, मंडला आदि में चिकनगुनिया ज्वर बुरी तरह से फैल रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से चाहता हूं कि इस ज्वर की जांच के लिए लैब्स हों तथा जल्दी परीक्षण हों। जो दवाइयां छिड़काव के लिए जरूरी हैं, वे दी जायें जिससे रोग आगे बढ़ने से रोका जाये। आदिवासी अंचल में गरीबों के पास किराये के लिए पैसे नहीं हैं। यह 40 हजार की संख्या सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में बतलायी गयी है जबकि यह संख्या एक लाख से ऊपर है। आदिवासी अंचल के आदमी के पास अस्पताल तक जाने के लिए किराये के पैसे भी नहीं होते हैं। वहां जो डेथ्स होती हैं, उनकी पोस्टपार्टम नहीं होती है क्योंकि वे कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं है। इसलिए वे कन्फर्म नहीं करते हैं कि ये मौतें चिकनगुनिया की वजह से हुई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सिर्फ कि मेरे जिले में जो डेथ्स हुई हैं उनके बारे में यह सस्पेक्टेड है कि जो दस डेथ्स हुई हैं, उनमें से अधिकांश चिकनगुनिया की वजह से हुई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के बार्डर के जिलों में दवाइयां, मेडिकेटेड मच्छरदानियां आदि दी जाएं और वहां लैब की सुविधा प्रदान की जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए, जब सभी मेम्बर्स बोलने लगते हैं तब आपको याद आता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, आपने मुझे पर्ची भेजने का कष्ट भी नहीं किया।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, सदन में चिकनगुनिया के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों के सुझाव आए हैं। कहा जाता है कि हमारे देश से मलेरिया का उन्मूलन हो गया है लेकिन आज भी कभी-कभी डेंगू मच्छरों के काटने से मलेरिया बीमारी उत्पन्न हो रही है। इस तरह मच्छरों के फैलाव से चिकनगुनया, इंसेफेलाइटिस आदि बीमारियां, खासकर हमारे पूर्वांचल में, फैल रही हैं। इसके बारे में पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है। यह बीमारी पूरे देश में, आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, फैल रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह बीमारी पूरे देश में फैल जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पूरे देश में इसका परीक्षण करा लें। खासकर शहरों में जो स्लम बस्तियां हैं, जहां पर पानी का रुकाव होता है वहां पर मच्छरों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, वहां पर दवाओं का छिड़काव करके इसकी रोकथाम करें। विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जाए कि यह बीमारी किस वायरस के कारण होती है। इसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाए और वैज्ञानिकों की एक टीम ऐसे क्षेत्रों में भेजी जाए जो इसकी जांच कर सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों यह समय कुछ स्पष्टीकरण मांगने का है परन्तु हरेक सदस्य इसे बहस में बदल रहा है। स्पष्टीकरण मांगने वाले अगले सदस्य हैं डा. एम. जगन्नाथ।

डा. एम. जगन्नाथः धन्यवाद, महोदय। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस बीमारी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई और यह भी कि यह घातक बीमारी नहीं है और अधिकांशतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सीमित है।

तीन दिन पूर्व हमारे नेता श्री चंद्र बाबू नायडु कुछ गांवों में गए थे *...(व्यवधान)* यह राजनैतिक भाषण देने का प्रश्न नहीं है मैं इस सम्माननीय सभा को हम मामले के बारे में सच्चाई बताना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी सरकार सुन नहीं रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया घबराइये नहीं और अपनी बात कहिए। कृपया सुसंगत मुद्दे पर आइए।

डा. एम. जगन्नाथः जी हां। मैं अपनी बात कह रहा हूं परन्तु वे मुझे बाधा पहुंचा रहे हैं। मैं केवल सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं परन्तु वे मुझे रोक रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः डा. जगन्नाथ आपको केवल स्पष्टीकरण मांगने का हक है। मैंने आपका पक्ष लेकर आपको बोलने का मौका दिया है। इसलिए, इस मौके का दुरुपयोग मत कीजिए।

डा. एम. जगन्नाथः धन्यवाद, महोदय। माननीय मंत्री स्वयं एक चिकित्सक हैं। इसलिए उन्हें पता होगा कि इस बीमारी से व्यक्ति तीव्र ज्वर से पीड़ित हो जाता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री से आपका क्या प्रश्न है?

डा. एम. जगन्नाथः कभी-कभी यह प्रभावित व्यक्ति के लिए घातक भी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदयः आपको माननीय मंत्री से क्या पूरक पूछना है?

डा. एम. जगन्नाथः महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो लोगों की मृत्यु हुई है। क्या माननीय मंत्री वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कोई दल भेजने की कृपा करेंगे? उन्होंने कहा है कि यह अधिकांशतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक सीमित है परन्तु ये बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं। यह बीमारी पहले ही राष्ट्रीय समस्या बनने जा रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके राष्ट्रीय त्रासदी बनने से पूर्व ही इस बीमारी को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त उपाय किए जाएं।

इस बीमारी का कोई उपचारात्मक इलाज नहीं है। इसलिए हमें लोगों का संकेत आधारित इलाज करना पड़ेगा। जब तक हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त औषधियां और चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं करते तब तक इस बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां कि चिकुंगुन्या फैला हुआ है वहां स्वास्थ्य आपातस्थिति घोषित करें। भारत सरकार को इस बीमारी को अन्य राज्यों में फैलने से रोकने के लिए विशेषज्ञ चिकत्सकों की नियुक्ति, औषधियों की व्यवस्था तथा सभी उपाय करने चाहिएं। धन्यवाद, महोदय।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, कृपया मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री खैरे, आपने इस विषय पर बोलने के लिए एक सूचना भेजने का भी कष्ट नहीं उठाया ...*(व्यवधान)* नहीं मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा। मैं अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने एक सूचना तक नहीं भेजी। मैंने स्वयं उन सदस्यों का चयन किया है जिन्होंने विशेष उल्लेख के लिए सूचनाएं दी हैं। मैं उन्हें यहां मौका दे रहा हूं फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिन्होंने सूचनाएं तक नहीं दी हैं उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।

माननीय मंत्री के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के माननीय सदस्य श्री सुबोध मोहिते ने सूचना दी है। मैंने स्वयं उनके नाम का चयन किया है और उन्हें बुलाया है। वह उपस्थित नहीं हैं। आप सूचना दिए बिना ही अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं इस प्रकार नियम तोड़े जाने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आपको इतनी अधिक चिंता है तो आपको सूचना देनी चाहिए थी।

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री खैरे का एक भी शब्द नहीं और केवल माननीय मंत्री का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय सबसे पहले मैं अपने माननीय सहयोगी श्री येरननायडु को चिकनगुनिया की यह समस्या इस सभा के ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा है कि चिकनगुनिया की समस्या कोलकाता में 1963 में सामने आई थी और फिर सुप्तावस्था की अवधि रही। अचानक लगभग 30 वर्षों के पश्चात पिछले कुछ महीनों के दौरान यह इस देश में बड़े पैमाने पर सामने आई है।

मैं निश्चय ही इस सभा के भीतर माननीय सदस्यों और साथ ही में इस सभा के बाहर आम जनता की चिंताओं में भागीदार हूं। चिकनगुनिया की बीमारी के बारे में बहुत सी आशंकाएं हैं। केन्द्र सरकार न केवल इस समस्या की बहुत सक्रियता से निगरानी कर रही है बल्कि पहले इसे रोकने और दूसरे यदि यह हो जाती है तो इसका इलाज करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण है आईईसी अर्थात सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधि। यह इस समस्या का इलाज करने की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है।

मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है ...*(व्यवधान)* मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें। आप मंत्री जी को बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं? मैं इस प्रकार की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको अपने स्थान पर बैठना पड़ेगा। मैं इस तरह की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा। सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। यह स्वास्थ्य का मामला है और मैंने सभी के विचारों को सम्मिलित करने का भरसक प्रयास किया और आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर भी नहीं हैं जो कि दोहरी अनुशासनहीनता है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्यों की नाराजगी से सहमत हूं और सरकार इस समस्या से बहुत चिंतित है। वस्तुत: मैंने कहा है कि यह पूरे देश में नहीं फैलनी चाहिए। हम सभी कदम उठा रहे हैं ताकि यह फैल न सके। आज यह इन राज्यों तक सीमित है जहां बड़ी संख्या में लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। हम इस विषय पर राज्यों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

श्री येरननायडु ने कहा कि अनंतपुर जिले में लगभग 150 लोग मर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे आंध्र प्रदेश में लगभग 400 लोग मर चुके हैं। एक विशेषज्ञ दल को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी भेजा था। वस्तुत: डा. चिन्ता मोहन मेरे कार्यालय में आए और इस समस्या का विशेष रूप से जिक्र किया। प्रारम्भ में दल को विशेष क्षेत्रों यथा चित्तूर और तिरुपति जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, में और आंध्र प्रदेश के अन्य स्थानों पर भेजा गया। मेरे विशेषज्ञ दल ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकुनगुनया के कारण कोई मृत्यु होने की जानकारी नहीं दी। फिर भी मेरे लोग जांच कर रहे हैं। यदि तथाकथित मौतें चिकुनगुनया के कारण हो रही हैं तो मेरे लोग किसी भी राज्य में जांच करने के लिए तैयार हैं भले ही यह आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक या कोई और।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सबसे प्रभावशाली चीज है सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां। यह एक वायरल समस्या है जो मैंने अपने विस्तृत वक्तव्य में पहले ही बताया है और इसके अतिरिक्त यह भी बताया था कि इसका उपचार कैसे किया जाए और इसे रोका कैसे जाए।

वास्तव में 'एडीज एजीप्टी' मच्छर, जिससे यह बीमारी होती है, दिन में काटता है। इसलिए मच्छरदानी की आपूर्ति करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि यह दिन में ही काटता है। यह मच्छर शुद्ध जल में पैदा होता है। मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के डिब्बे और ड्रम जो कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं इसके पैदा होने के स्थल हैं और ग्रामीण क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। हमें हर सप्ताह पानी खाली करने के लिए और इसे कपड़े से सुखाने के लिए 'आईईसी' की जरूरत है। हमने राज्यों को टेनीफोस और फायरेथ्रम जैसे रसायन दिये हैं और हम इन रसायनों की कितनी भी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। उन्हें पानी में घोला जा सकता है या कमरों के भीतर छिड़काव किया जा सकता है। राज्य सरकारों ने जो कुछ भी मांग की हमने पहले ही भेज दिया है। हम उन्हें कितनी भी मात्रा भिजवाने के लिए तैयार हैं।

जो लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं उनके उपचार हेतु मूल पैरासीटामोल की गोली काफी है। कुछ चिकित्सक इस मौके का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम चिकित्सकों को सलाह दे रहे हैं कि महंगी एंटीबायोटिक न दें क्योंकि उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

हम बहुत से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हम राज्य सरकारों से सम्पर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष तौर पर मेरी सहयोगी माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी इस माह की 29 तारीख को विचार विमर्श करेगी। चार से पांच राज्य हैं जो विचार-विमर्श कर रहे हैं और हम उन्हें सहायता दे रहे हैं। निश्चय ही हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं कि यह पूरे देश में न फैले।

मैं निश्चित ही उस क्षेत्र में एक दल भेजूंगा जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मैं निश्चित ही वहां एक दल भेजूंगा। मैं अपने लोगों से इसकी जांच करने के लिए कहूंगा कि क्या वहां किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। एक बार रिपोर्ट पेश हो जाती है तो मैं आपको जानकारी दूंगा।

वास्तव में कर्नाटक की माननीय सदस्य श्रीमती तेजस्विनी ने कहा है कि लोग भ्रमित हैं और वे बर्ड फ्लू और चिकुंगुन्या के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में हम राज्य सरकारों को प्रिंट और विजुअल दोनों मीडिया में स्थानीय स्तर पर और अधिक विज्ञापन देने की सलाह दे रहे हैं कि चिकनगुनिया बर्ड फ्लू से भिन्न है। हम पुनः राज्य सरकारों को ऐसा करने की सलाह देंगे और केन्द्र सरकार भी इन गतिविधियों में भाग लेगी।

उन्होंने यह भी कहा है कि कर्नाटक सरकार के सामने वित्तीय समस्या है। चिकनगुनिया का इलाज करने के लिए आपको बेसिक पैरासिटामॉल देनी होती है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों के पास यह दवाई देने का इंतजाम है जोकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। यह एक सस्ती दवाई है।

जहां तक टेमेफोर्स और पाइरेथम जैसे रसायन प्रदान करने का संबंध है तो हम आंतरिक छिड़काव और पानी में मिलाने के लिए इसकी आवश्यक मात्रा में भी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं।

वस्तुतः श्री खंडेलवाल ने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40,000 लोग प्रभावित हैं। देश में दो प्रयोगशालाएं हैं अर्थात एनआईवी, पुणे और एनआईसीडी, दिल्ली जिनमें नमूनों का परीक्षण करने की व्यवस्था है। डेंगू ज्वर के मामले में लगभग 10,000 नमूने लिए गए थे और उनके पास भेजे गए थे। यदि किसी गांव में यदि एक नमूने की भी जांच की जाता है तो हम उसे तथाकथित महामारी क्षेत्र घोषित कर देते हैं। सरकार आईईसी पैटर्न का पालन करती हैं और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को सलाह देते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में लोगों को सलाह देने में प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है।

वास्तव में, कर्नाटक में बहुत सी गांव पंचायतों ने अपने गांवों में जागरूकता पैदा करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। एक निश्चित समय के पश्चात ये गांव रोग मुक्त हो गए।

श्री शैलेन्द्र कुमार ने अच्छी सलाह दी है कि यह बीमारी देश के अन्य भागों में नहीं फैलनी चाहिए। वास्तव में मेरे सहयोगी डा. जगन्नाथ आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत चिंतित थे। हम निश्चय ही एक दल भेजेंगे। हमने पहले ही देश के विभिन्न भागों में दल भेज दिए हैं। हम प्रभावित क्षेत्रों में निश्चित तौर पर और दल भेजेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उनकी बात का उत्तर मत दीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैं कह रहा हूं कि आप महाराष्ट्र पर भी ध्यान दें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हमने पहले ही महाराष्ट्र पर ध्यान दिया है। हम पुन: महाराष्ट्र पर ध्यान देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह देश के उत्तरी भाग में फैले। यदि यह फैलती है तो हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में अल्प सुविधाओं वाले क्षेत्रों के कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं माननीय सभा की चिंताओं से सहमत हूं और उनका आदर करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्र सरकार इसे रोकने और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

12 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि राज्य में चिकनगुनिया 25,000 से अधिक मामलों का पता लगा है और यह भी कि सात जिले और दो शहर प्रभावित हुए थे।

अध्यक्ष महोदय: यहां मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 12 अप्रैल, 2006 को पुष्टि की थी कि राज्य में दो मौतें हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: राज्य के मामले मत उठाइए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: तथापि यहां स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी मौत नहीं हुई। ये दोनों वक्तव्य एक दूसरे के विपरीत हैं।

गरीब लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं और वे काम पर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें कौन खिलाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इसका उत्तर न दीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री के अनुमोदन से राज्य सरकारों से कहा है कि प्रभावित गरीब लोगों को 25 कि.ग्रा. चावल और कुछ दाल की आपूर्ति करें। ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हैं। यह सरकार आम आदमी की बात करती है। आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है? इस देश के गरीब लोगों का क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में किसानों की हालत तेजी के साथ बिगड़ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर एक उचित चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: पिछले 10 वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं के बहुत मामले प्रकाश में आए हैं और इस सम्मानित सदन में किसानों की हालत सुधारने के विषय में कई बार चर्चा हुई है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि सब कुछ होने के बाद भी किसानों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। देश के अंदर किसानों के हालात सुधारने के लिए जो एक समग्र नीति बनानी चाहिए थी, वह नहीं बनी और किसानों की आत्महत्याओं का दौर बराबर जारी है।

मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले उन्होंने विदर्भ के किसानों को 3750 करोड़ रुपये का पैकेज दिया, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समस्या को केवल महाराष्ट्र और विदर्भ की चारदीवारी के अंदर ही कैद नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बिहार और देश के सभी हिस्सों से किसानों की आत्महत्याओं के मामले प्रकाश में आए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से एक लाख चालीस हजार किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में कई वर्षों से फसल नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने देश के प्रधान मंत्री से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश के उपेक्षित इलाके को भी विशेष पैकेज दिया जाए। वहां स्थिति अत्यधिक भयावह है और आज हालत यह है कि किसान खुदकुशी करने के लिए बाध्य है। हरियाणा और पंजाब, जो खेती की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र माने जाते थे, वहां के किसान भी दूसरे वैकल्पिक व्यवसाय का रास्ता चुनने लगे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और मैं चाहता हूं कि इस मामले को न सिर्फ विदर्भ या महाराष्ट्र के किसानों के साथ, बल्कि पूरे देश के किसानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पूरे देश में किसानों की हालत एक जैसी है। लिहाजा पूरे देश के किसानों को एक विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने की आवश्यकता है।

इस सरकार ने किसानों के लिए कर्जे की व्यवस्था की है और कहा गया कि 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को पैसा दिया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से कितना ऋण मिलता है, यह तो अलग सवाल है, लेकिन निजी साहूकारों से भी जो कर्जा किसान लेते हैं, उसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिले। इस समस्या का यदि कोई हल है तो यह है कि

किसानों पर जो ऋण बकाया है, उसे सरकार माफ करे। तभी किसानों को राहत मिल सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, सम्पूर्ण देश के किसानों की हालत गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप खड़े क्यों हो रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यह किसी एक राज्य का सवाल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, हम भी इसके साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इस विषय पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप शोर क्यों कर रहे हैं।

प्रारम्भ में मैंने स्वयं कहा था कि यह मामला ऐसा है जिस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। चाहे सूचनाएं आई हों या आने वाली हो। किंतु आप स्वयं एक महत्वपूर्ण मामले के रूप में इसके लिए जोर डाल रहे हैं।

फिर सभी सदस्य उठते हैं और इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने के लिए कहता हूं। ऐसा कैसे किया जा सकता है? कल हम मूल्य वृद्धि के मामलों पर चर्चा करेंगे। हम किसी ओर दिन इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। आप स्वयं फैसला कीजिए। मैं इस मामले पर चर्चा किए जाने की अनुमति दूंगा। कठिनाई क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आज आपको अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह यह सही तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता के साथ किसानों के मामले में यह प्रश्न उठाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में जिन किसानों ने आत्महतया की, उनकी फीगर्स आपके पास आई है। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री, एनर्जी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में आए थे। उन्होंने जिस दिन किसानों को पैकेज देने की घोषणा की, उसी दिन विदर्भ के कुछ किसानों ने आत्महत्या की। उसके बाद से औसतन तीन किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी के आने के बाद अभी तक 62 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के आठ जिलों में ये आत्महत्याएं हो रही हैं। उन्होंने अमरावती के कुछ किसानों को मदद देने की घोषणा की है लेकिन नागपुर, मराठवाड़ा (औरंगाबाद) डिवीजन के किसानों को कोई सहायता नहीं दी है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार वालों के बिजली के सभी बिल माफ होने चाहिएं और उन्होंने कोआपरेटिव बैंकों या दूसरे बैंकों से खेती के काम के लिए जो भी कर्जा लिया है, वह पूरा माफ करना चाहिए तथा उस घर के किसी व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने अमरावती के किसानों के लिए जिस पैकेज की घोषणा की है, वह नागपुर और मराठवाड़ा के सभी जिलों को भी देना चाहिए। किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। वे बहुत परेशान और त्रस्त हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसीलिए उन्हें एलाऊ किया है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.42 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

लेबनान पर हाल के इजरायली हमले से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं इजरायल द्वारा लेबनान पर जघन्य सैन्य आक्रमण की पुरजोर निंदा करता हूं।

इजरायल ने भारी वायु और नौसैनिक बमबारी के द्वारा लेबनान पर भारी आक्रमण किया। थल सेना ने दक्षिण लेबनान में सीमा भी पार कर ली थी। इस आक्रमण ने मुख्य रूप से नागरिक आबादी को निशाना बनाया और कल तक 400 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। दो भारतीय भी मृतकों में बताये गये हैं। सैकड़ों लोग घायल हुए। लेबनान के बीस प्रतिशत अर्थात लगभग 7.50 लाख लोगों को अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ा। लेबनान की राजधानी बेरूत के बहुत से आवासीय क्षेत्रों को इजरायल की सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह अंतरराष्ट्रीय कनून और जिनेवा घोषणा का खुला उल्लंघन है जिसमें नागरिक आबादी पर हमले पर प्रतिबंध है। दो इजरायली सैनिकों के अपहरण के जवाब में यह पूरी तरह अनुचित और अनुपात से अधिक है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें इजरायल से हथियारों की खरीद को तत्काल रोक देना चाहिए। भारत सरकार को इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग का भी समर्थन करना चाहिए। दस से अधिक दिन से लगातार लेबनान पर इजरायल द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। परन्तु भारत सरकार द्वारा निंदा करते हुए कोई वक्तव्य नहीं दिया गया।

विगत वर्षों में हमने देखा है जब आपको आगे आना पड़ा, जब इराक पर अमरीका द्वारा आक्रमण किया गया था। इराक पर अमरीकी आक्रमण से 15 दिन पूर्व मैं इराक गया था। मैंने मांग की थी कि भारत सरकार को निंदा करनी चाहिए जैसी हमने अमरीका द्वारा उत्तर कोरिया पर आक्रमण के समय की थी; परन्तु भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था और कहा था कि जब इराक पर आक्रमण होगा तो भारत सरकार निश्चित रूप से निंदा करेगी लेकिन हमें लगातार तीन दिन तक सभा की कार्यवाही को रोकना पड़ा और तब सरकार अंतत: एक संकल्प और वह भी हिन्दी में न कि अंग्रेजी में, पारित करने के लिए सहमत हुई।

आज मुझे आश्चर्य है कि जब हम यह मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार की एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए तब भारत सरकार लेबनान पर नृशंस इस्रायली हमले की निंदा करने के संबंध में फैसला नहीं ले पा रहा है और निंदा करने में संकोच कर रही है। भारत सरकार को इस्रायल पर दबाव बनाने का निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए? इस्रायल के साथ हथियारों के खरीद संबंधी समझौते को क्यों न लम्बित कर दिया जाए? लेबनान पर इस्रायल के इस शैतानी हमले के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए हमें क्यों विश्व जनमत तैयार करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, इस बार मुझे बोलने का मौका दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है, जिन लोगों ने नोटिस दिये हैं, मैं उन्हें एक-एक करके बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): इजरायल के नृशंस आक्रमण पर भारत की ओर से निंदा की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं की ओर से मुझे एक पर्ची मिली है। मैं इस पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी भी अन्य माननीय सदस्य का बयान कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इस प्रकार की प्रथा की अनुमति नहीं दूंगा। आप अपनी बारी का इंतजार किए बिना यह सब क्यों कर रहे हैं? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इससे साफ होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं है, अगर आपको इस बारे में चिंता होती तो आपने सूचना दी होती।

अब, श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): विश्व में कुछ अविश्वसनीय बातें हो रही है। इस्रायल द्वारा बिना किसी भय के मानवता के विरुद्ध गंभीरतम अपराध किया जा रहा है जिसे बुश प्रशासन से समर्थन मिल रहा है। इस्रायल एक छोटे देश पर अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण करने और विश्व जनमत को ललकारने की

हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कोई देश पीछे से उसको मदद नहीं कर रहा हो। इसलिए, आतंकवाद से लड़ने के बहाने लेबनान पर यह इस्रायल और बुश प्रशासन दोनों का संयुक्त हमला है। हम भी इस देश में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम भी अवांछित आतंकवादी गतिविधियों के शिकार है लेकिन भारत ने कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए किसी पड़ोसी देश पर पूरी तैयारी के साथ हमला करने की योजना नहीं बनाई। हमने सदैव माना है कि आतंकवाद के विरुद्ध सोच और लड़ाई में किसी देश के उन शांतिपूर्ण निवासियों के विरुद्ध बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को शामिल करने की जरूरत नहीं है जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं।

मूलभूत प्रश्न है कि लेबनान में जिंदगी ठहर गई है-सभी हवाई अड्डे बंद हो गये हैं, सभी बंदरगाहों पर बमबारी हुई है, सभी सड़कें बर्बाद हो गई हैं। यहां तक की अस्पतालों पर भी बम गिराये गये हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र का एक व्यक्ति लेबनान के एक अस्पताल में पड़ा हुआ है और अब वह अचेतावस्था में है।

प्रत्येक दिन मैं भारत सरकार से सूचना लेता रहता हूं। बहुत से भारतीय प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लेबनानी लोग ही प्रभावित हुए हैं। इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या किसी देश को खुलेआम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अवहेलना करते हुए इस प्रकार के वर्ताव करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई देश खुलेआम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना करके इस प्रकार का बर्ताव करता है तो क्या भारत को चुप रहना चाहिए। हम नेहरु, गुट-निरपेक्षता और इंदिरा गांधी जी को भूल गए हैं। हम अपनी पुरानी प्रथाओं को भूल गये हैं इसीलिए हम अपने ही वायटों से मुकर रहे हैं और अपनी ही नीतियों को भूल रहे हैं। भारत इस्रायली हमले के विरुद्ध उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि उसे लगता है कि इससे अमरीका के साथ उसकी मित्रता में रुकावट पैदा होगी। यह मेरा गंभीर आरोप है। मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

मेरा सुझाव है कि भारत इस्रायल को स्पष्ट शब्दों में हमलावर घोषित करे।

हमारे विदेश मंत्रालय ने राज्य मंत्री श्री शर्मा को विभिन्न देशों से वार्ता के लिए तत्काल मध्य पूर्व को खाना होना चाहिए और इस्रायल के इस दुस्साहसी और विक्षिप्त प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए।

भारत को लेबनान के लोगों के लिए चिकित्सा सहायता भेजनी चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम क्यों भयभीत हैं?

भारत को लेबनान के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। कृपया बुश प्रशासन में भारत के नये मित्रों से कहिये कि वे इस्रायल को तत्काल हमला रोकने को कहें।

जब इस्रायल की सैनिक शासन द्वारा पूरे विश्व की नैतिकता को पैरों तले रौंदा जा रहा हो तब भारत मूकदर्शक नहीं बना रह सकता।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, साम्राज्यवादी कब्जों के विरुद्ध लड़ाई में मदद करना इस देश की स्वर्णिम परंपरा रही है लेकिन यह एक विचित्र अनुभव है कि इस सरकार ने एक संप्रभु राष्ट्र पर खुलेआम हमले के 15 दिन बाद भी इसकी निंदा नहीं की है। इसने स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि यह जो कुछ हो रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: न तो चुपके से न खुले तौर पर *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी जो कह रहे हैं वह वास्तव में निराशाजनक है। वे कह रहे हैं कि युद्ध विराम तुरंत लागू होना चाहिए। हम अब देख रहे हैं कि युद्ध विराम उस उपयुक्त समय के बाद होगा जब आक्रमण का कार्य पूरा हो जाएगा। यही पुराना इतिहास रहा है।

हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस देश के लिए दूसरे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता को खुश करने में लगे हैं। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए और अपने मित्रों के साथ मिलकर हमें दबाव बनाना चाहिए। हमारे बहुत से मित्र है। विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर हमने पाया है, हमने अपने मंत्री पर गर्व है जिन्होंने खड़े होकर अमेरिका को कहा कि यदि यह जारी नहीं रह सकता तो हम ऐसे समझौतों को नहीं मान सकते जिसमें अमरीका एक पक्षीय शर्तें रखता है। दूसरे क्षेत्र में विदेशी नीति में हम स्वयं अधीन होते जा रहे हैं, अमेरिका के नेतृत्व वाले सामरिक गठबंधन के पीछे-पीछे भाग रहे हैं। वे इस्रायल की मदद कर रहे हैं। वे हर जगह प्रतिस्पर्धा में हैं। यह जारी है।

अत:, हम जो थोड़ा-बहुत काम कर सकते हैं वह तत्काल युद्ध-विराम, भारत द्वारा तत्काल इसकी निंदा और पूरे विश्व में जनमत तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के लिए सबको तैयार करना, और देश से हथियारों की खरीद को तत्काल बंद करना जिसने लेबनान पर पूर्ण रूप से हमला बोला है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमें सरकार से कोई जवाब चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे जवाब देंगे। हमें सभा की कार्यवाही संचालित करने दीजिए। मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हो गये हैं। आप मुझ पर और सरकार पर कमोबेश मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, लेबनान में जारी इस्रायली हमले में चार भारतीय मारे गये और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। हजारों भारतीय लोग लेबनान में फंसे हैं और उनकी जान को खतरा है तथा वे निरंतर भय में जी रहे हैं।

दुर्भाग्यवश, एक भारतीय व्यक्ति जो इस्रायल द्वारा की गई बमबारी में मारा गया वह मेरे चुनाव क्षेत्र, उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा का था। श्री देवेश कुमार स्वाईं का शव केन्द्रपाड़ा पहुंच चुका है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह उन अनिवासी भारतीयों को जिसमें श्री देवेश कुमार स्वाईं भी सम्मिलित हैं, के दु:खी परिवारों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा करे जो इस्रायली बमबारी में मारे गये हैं। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करती हूं कि वह युद्ध ग्रस्त लेबनान में फंसे भारतीयों को हवाई मार्ग से यहां लाने की गति में तेजी लायें।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस सबके लिए नियम हैं। किसी ने भी सूचना नहीं दी है फिर भी मैं अनुमति दे रहा हूं। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मैं औरों को कैसे रोक सकता हूं। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि हम सभी मिलकर निर्णय करें, इस पर एक पूरी चर्चा हो सकती है। मैं एक चर्चा की अनुमति दूंगा। कृपया सूचना दीजिए। श्री स्वाईं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चर्चा के लिए सूचना दें। मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी परंपरा रही है कि जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है तो सभी दल को अपनी राय देने का अवसर मिलता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, 'शून्य काल' के दौरान आप प्रत्येक पार्टी से एक सदस्य को समय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपमें से जिन लोगों ने सूचना दी है मैंने उन्हीं लोगों को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताइए कि मैं कितने लोगों को अनुमति दूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: तब, नियम पुस्तिका को फेंक दूं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मेरा एक दूसरा मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, वे कह रहे हैं कि उनका कुछ अलग ही विचार है। यदि उनका विचार अलग है तो उनको अनुमति दी जाए। सभा को ज्ञात हो कि हमारा क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय: इस सलाह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बार यदि मैंने भानुमति का पिटारा खोल दिया तो फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए, मैं केवल दो माननीय सदस्यों, श्री स्वाईं और श्री डी.पी. यादव, को अनुमति दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस दयालुता के लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह गलत है। इस दयालुता का दुरुपयोग किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की घोर निंदा करता हूं जिसने सीमा पार लड़ाई के दौरान दो इस्रायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई से मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने इसके पूर्व भी लेबनानी प्रधान मंत्री की हत्या कर दी थी। आतंकवाद किसी भी रूप में और किसी भी इरादे के साथ हो, उसकी निंदा अवश्य होनी चाहिए। बमबारी और राकेट दागे जाने के कारण सैकड़ों लेबनानी और इस्रायली निर्दोष लोगों की मौतों के संबंध में हम भी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं।

जैसा कि माननीय अर्चना जी ने कहा है कि उड़ीसा के भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, उसके लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: थैंक्स की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, इस सम्माननीय सभा के माध्यम से मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करना चाहूंगा कि वो इस्राईल-लेबनान सीमा पर लड़ रहे दोनों पक्षों के मध्य प्रतिरोधक के रूप में तथा युद्ध रोकने के लिए वहां शांति सेना भेजे। ऐसा तत्काल किया जाना चाहिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से शांति सेना भेजने की अपील करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अंतराष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर दो शब्द कहने का मौका दिया। इस्रायल द्वारा पिछले पन्द्रह दिनों से जिस तरह से लेबनान पर बर्बरतापूर्वक हमला हो रहा है, उसमें न केवल लेबनान के 400 सिविलियन मारे गए हैं बल्कि भारत मूल के लोग भी आहत हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लेबनान में लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज किसकी दादागिरी चल रही है। यू.एस. की दादागिरी चल रही है और यू.एस. प्रशासन भी इसको कहीं न कहीं ताकत दे रहा है। इस कारण से ही आज लेबनान की यह हालत हो रही है।

अपराह्न 1.00 बजे

आज जिस तरह की हालत हो रही है, उस पर भारत को मूक नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार को मूकदर्शक बनने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को न केवल डिप्लोमैटिक दबाव बनाना चाहिए, बल्कि भारत सरकार को इसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए और हम समझते हैं कि आपको पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल मंत्री महोदय के उत्तर को ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री इसका उत्तर दे रहे हैं। उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु वे इसका उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें सुनें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया विषय अत्यंत गम्भीर विषय है। सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी वेदना से सरकार सहमत है स्थिति गम्भीर है इजरायल द्वारा लेबनान पर की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। भारत ने इजराइल द्वारा की गयी कार्रवाई की एक स्वर में निंदा की है और असंगत तथा बल के अधिक प्रयोग से मानवीय समस्या उत्पन्न हुई है तथा भारी संख्या में निर्दोष लोग मारे गये हैं इसके अतिरिक्त, लेबनान की बुनियादी सुविधाओं को भी भारी क्षति हुई है। साथ ही भारत द्वारा लिये गये रुख और हमारे शासकीय वक्तव्य में हमने हिजबुल्ला की कार्रवाई की भी निंदा की है। भारत अन्य राष्ट्रों से बातचीत कर रहा है। उस क्षेत्र में स्थित हमारे सभी दूतावास समन्वय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह टकराव तुरन्त समाप्त होना चाहिए। जैसाकि हमने कहा स्थिति असहनीय हो गयी है और गलती से लेबनान इसका शिकार बन गया है।

भारी संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए थे। वहां पर फंसे 12,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। भारत सरकार ने वहां बसे अपने सभी नागरिकों को अपने-अपने यात्रा संबधी कागजात तैयार रखने को कहा है। उनमें से अधिकांश ने भारतीय दूतावास से शरण ले रखी है। साथ ही जार्डन ओमान, तुर्की और इजराइल भी बचाव कार्यों में सम्मिलित थे। चार भारतीय नौसैनिक युद्धपोत स्वेज की खाड़ी से सद्भावना यात्रा कर लौट रहे थे उन्हें साइप्रस की ओर भेजा गया वहां से वे लेबनान गए। वहां पहुंचने के पश्चात युद्ध आरम्भ होने के 72 घंटों के पश्चात ही भारतीय नागरिकों को बचाने का कार्य आरम्भ हो गया। पहले युद्धपोत द्वारा साइप्रस के लारनाका बंदरगाह पर भारतीय नागरिकों को लाया गया। वहां पर एअर इंडिया के जहाजों को भेजा गया और यह प्रक्रिया अभी जारी है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आनन्द शर्मा]

जहां तक भारतीय नागरिकों की मृत्यु का प्रश्न, अभी तक एक मृत्यु की पुष्टि हो पायी है। दूसरे व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि नहीं हो पायी क्योंकि संबंधित व्यक्ति को लापता बताया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने निजी तौर पर इस भारतीय के संबंध में, मुझसे बात की जो उड़ीसा राज्य से आया था। तत्पश्चात कल सुबह मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत हुई है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वह व्यक्ति सुरक्षित है और वह व्यक्ति सकुशल भारत लौट आया है।

महोदय, भारत सरकार अपने सभी नागरिकों तथा अन्य लोग जो वहां से सकुशल निकलना चाहते हैं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रही है। जहां तक मानवीय सहायता का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले जब गाजा में हालात गम्भीर हो गये थे भारत ने मानवीय सहायता उपलब्ध करायी थी और हम भविष्य में भी फिलीस्तीन में बच्चों और महिलाओं जो इन परिस्थितियों से ग्रस्त हैं को इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

महोदय, अंत में जहां तक शांति सेना का प्रश्न है मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्णय लेना है। भारतीय सेना लेबनान में यूएनआईएफआईएल के भाग के रूप में तैनात है। वास्तव में यह सबसे बड़ा दल है। वहां पर हमारे 800 सिपाही तैनात हैं।

हम इस बारे में चिंतित है परन्तु भारत सरकार न केवल शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करती है साथ ही युद्ध विराम का भी समर्थन करती है। जैसाकि मैंने कहा, जो अर्थ निकाला गया और जो कहा गया है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर भारत मूक नहीं है। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का त्याग नहीं किया है तथा भारत द्वारा इसकी कड़ी भर्त्सना की गई है। वक्तव्य मेरे पास है। मैं इनको सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं ...*(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त मैं कुछ और कहने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुई*]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदया: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया-उपस्थित नहीं

श्री इकबाल अहमद सरडगी-उपस्थित नहीं

श्री हरिसिंह चावड़ा-उपस्थित नहीं

श्री डी. विट्टल राव – उपस्थित नहीं

श्री एल. राजगोपाल-उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

आज क्या बात है, नियम 377 के नोटिस देकर सब गायब हो गए हैं?

[अनुवाद]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा-उपस्थित नहीं।

(एक) देश में गो-वध को रोकने के लिए एक व्यापक विधान लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, अपनी सरलता और उपयोगिता के कारण गोवंश की महत्ता प्राय: सभी सभ्य देशों में न्यूनाधिक रूप से विद्यमान है। भारत जैसे धर्म-परायण एवं कृषि प्रधान देश में तो जननी और जन्मभूमि के समान लोक वंदनीय माता के रूप में गौ और गोवंश की महत्ता अनादिकाल से लौकिक और पारलौकिक सभी दृष्टियों से सुप्रतिष्ठित है, जिसकी झलक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों में सेवा से सफलता देने वाली गौ की विशेषताओं में देखी जा सकती है। यह कितनी विडम्बनापूर्ण बात है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गांधी के देश में प्रतिदिन 29,500 से अधिक गोवंश विभिन्न बूचड़खानों में या कसाइयों के हाथों अथवा अन्य स्थानों में मौत के घाट उतार दिये जाते हैं।

भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड ने भारतीय नस्ल की गोवंश के संबंध में जो आंकड़े दिये हैं, वे गोवंश के निरन्तर ह्रासमान दुखद स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। भारतीय गोवंश की 22 प्रजातियों में से 6 प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं और तीन प्रजातियां समाप्ति की ओर हैं। 1951 में जहां 1000 व्यक्तियों पर गोवंश का अनुपात 426 था, वहीं 1991 तक पहुंचते-पहुंचते यह संख्या मात्र 216 रह गई है। गौ एवं गोवंश की महत्ता को ध्यान में रखकर अक्तूबर, 2005 में देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था।

अत: मेरा देश के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि देश की संसद सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले सार्वदेशिक प्रभाव वाला कानून बनाये।

(दो) रावी और व्यास नदियों से राजस्थान के हिस्से का शेष जल राज्य को दिए जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): महोदया, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हरियाणा राज्य का गठन होने के बाद कई बार की गई बैठकों के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.1981 को माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के अधिकांश जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया, जो कि अधिकांश जल का 52.70 प्रतिशत है। उस समय इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारम्भिक अवस्था में थी तथा राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए समझौते में यह प्रावधान रखा गया कि 'जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता है, तब तक पंजाब राजस्थान के अधिकांश हिस्से के पानी को उपयोग में ले सकेगा।

तदनन्तर इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से का उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान ने अपने हिस्से के 8 एम.ए.एफ. जल की प्राप्ति के साथ ही अपने हिस्से के शेष 0.6 एम.ए.एफ. को लौटाने के लिए केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है।

अत: भारत सरकार को राजस्थान के शेष 0.6 एम.ए.एफ. जल को वापस लौटाने के लिए पंजाब सरकार व भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को तत्काल निर्देश देने चाहिए।

(तीन) केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को रद्द किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदया, देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश का मालवांचल जो नदियों और हरियाली के कारण देश में प्रसिद्ध है, निरंतर गिरते जल स्तर व वर्षा की कमी के कारण मरुभूमि (रेगिस्तान) में परिवर्तित होता जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा, इसके कतिपय क्षेत्रों को जहां जल स्तर 1200-1400 फीट तक नीचे चला गया है, डार्क जोन घोषित किया गया है। परिणामत: कृषि प्रधान इस क्षेत्र में इस जल संकट से किसान व आम नागरिक त्रस्त है। धीरे-धीरे जहां कृषि के लिए जल नहीं है वहीं पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। चम्बल, क्षिप्रा, काली, सिंध सूखती जा रही है। इस संकट से मुक्ति देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नदी-जोड़ो योजना के अंतर्गत केन-बेतवा तथा नर्मदा-क्षिप्रा-चंबल को जोड़ने की परियोजना की स्वीकृति हुई। किंतु समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि केन बेतवा को अव्यावहारिक व अलाभप्रद बताते हुए निरस्त किये जाने का प्रस्ताव है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इनका पुनरीक्षण कराया जाए तथा योजना की क्रियान्विती में आने वाली बाधाओं को दूर कर इसे हाथ में लिया जाए। ताकि इस क्षेत्र का संकट समाप्त हो और क्षेत्र को मरूभूमि होने से बचाया जा सके।

सभापति महोदय: श्री दानवे रावसाहेब पाटील—उपस्थित नहीं।

श्री एन.एन. कृष्णदास—उपस्थित नहीं।

श्री रशीद मसूद—उपस्थित नहीं।

(चार) पटना और उत्तर बिहार में आई.आई.टी. खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदया, बिहार राज्य में एक भी आईआईटी संस्थान नहीं है। बिहार की आबादी करीब नौ करोड़ है। वैसे ही राज्य देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम है। वहां के बच्चे देश के सुदूर अन्य भागों में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। बिहार में आईआईटी की स्थापना के लिए पिछली राज्य सरकार और वर्तमान सरकार भी केन्द्र से आग्रह करती आ रही है, किंतु अभी तक केन्द्र सरकार ने इस ओर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है।

[श्री राम कृपाल यादव]

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार में कम से कम दो आईआईटी की स्थापना के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए और एक आईआईटी राज्य की राजधानी पटना में स्थापित हो और दूसरा उत्तरी बिहार में हो, ताकि बिहार की जनता के साथ न्याय हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता

मो. मुकीम (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर, उ.प्र. इटावा की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां विगत 6-7 वर्षों से गल्ला की दुकान चलाने वाले लोगों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उनके द्वारा फर्जी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कार्ड बनाकर (बीपीएल कार्ड) गरीबों के राशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा जा रहा है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से जनहित में मांग करता हूं कि विगत पांच वर्षों में बीपीएल खाद्यान्न के वितरण व फर्जी कार्डों जैसी अनियमितताओं की जांच अति गोपनीय तरीके से कराकर दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों तथा संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि गरीब लोग अपना हक-हिस्सा पा सकें, साथ ही सरकार की गरीबों के हितों हेतु चलायी जाने वाली योजना सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा सके।

(छह) उड़ीसा के कटक के समाशोधन गृह को बंद न किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कटक समाशोधन गृह जिसका संचालन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की भुवनेश्वर स्थित मुख्य शाखा के द्वारा किया जाता है को भुवनेश्वर के समाशोधन गृह में विलय किये जाने के निर्णय का लोगों ने भारी विरोध किया है जिसके कारण दो दिन तक महत्वपूर्ण बैंक कार्य बाधित रहे जिसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने विलय के निर्णय को स्थगित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2002 से ही कटक के समाशोधन गृह को बंद करने की योजना थी, परन्तु इस विषय को सही से न निपटाने के कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ है आज देश में 44 समाशोधन गृह और चेक प्रौसैसिंग केन्द्र हैं जो एमआईसीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देश में 127 शहरों को विशेष इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सुविधा के अंतर्गत कवर किया गया है। जिस गति से प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है तो इससे इनकी संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए कटक समाशोधन गृह का विलय भुवनेश्वर समाशोधन गृह में करने का निर्णय सही नहीं है। विलय करने के बजाय कटक में नवीनतम तकनीक उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भुवनेश्वर कटक स्थित समाशोधन गृह को बंद करने के लिए दो कारण दिये हैं प्रथम भुवनेश्वर स्थित एमआईसीआर मशीन जिसकी क्षमता 30000 चैकों की है परन्तु वह केवल 15,000 चैकों का ही समाशोधन कर रही है। यदि कटक के चैकों को भुवनेश्वर ले जाया जाता है तो वहां उसकी क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा रिजर्व बैंक द्वारा कारोबार में वृद्धि के साथ ही भुवनेश्वर स्थित कार्यालय कर्मचारी पद्धति तथा पदोन्नति से लाभान्वित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमआईसीआर मशीन खरीदने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खरीदी गयी है। ठीक उसी प्रकार यदि कटक को एमआईसीआर मशीन खरीदने की अनुमति दी जाती है तो इसका खर्च केवल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। कटक में 36 बैंक हैं जिनकी 120 शाखाएं हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कटक स्थित समाशोधन गृह को बंद न किया जाए तथा भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश दिया जाए कि कटक में एमआईसीआर प्रौद्योगिकी वाला चैक प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया जाए।

(सात) देश में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): सभापति महोदया, अभी 1 जुलाई, 2006 को प्रधान मंत्री ने विदर्भ के किसानों के लिए 3,750 करोड़ रुपये का एक पैकेज घोषित किया था। इस पैकेज का अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। यह केवल अभी कागज पर ही सिमट कर रह गया है। इसलिए विदर्भ में आत्महत्याओं का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और 52 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। पंजाब, हरियाणा जो खेती के मामले में सम्पन्न समझे जाते हैं, वहां का किसान भी कर्ज में डूबा है और आत्महत्याएं कर रहा है। 57,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज पंजाब के किसान पर है। देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनमें से 14 फीसदी से अधिक आत्महत्याएं किसानों द्वारा हैं। आज जरूरत है देश की कृषि को विकसित करने की, देश को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की, तभी हमारी खाद्य समस्या भी सुलझ पाएगी।

एक ओर देश खाद्य सामग्री की कमी से जूझ रहा है दूसरी ओर खेती की जमीन को अन्य उपयोगों में लिया जा रहा है। छोटी

कार बनाने के लिए खेती की जमीन की जरूरत है, कृषि व्यापार के लिए खेती की जमीन चाहिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी खेती की भूमि ली जा रही है। लगातार खेती की जमीन कम होती जाएगी तो उत्पादन बढ़ाने की बात केवल स्वप्न ही होगी। इसके अतिरिक्त खेती की अन्य समस्याएं भी हैं। कृषि उत्पादों के लिए बाजार, खेती की उत्पादन दर, सिंचाई की कमी, बीज का अभाव, मिट्टी की घटती उत्पादकता आदि।

मेरा आग्रह है कि सरकार एक राज्य या कुछ जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर खेती की समस्या से देश को मुक्त नहीं कर पाएगी। उसे चाहिए कि सम्पूर्ण देश की खेती पर विचार करे और उसका समाधान करे।

(आठ) दक्षिण पूर्व रेलवे में झारखंड के चक्रधरपुर में रेलवे का जोनल कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदया, सदन के माध्यम से अनुरोध है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का जोन कार्यालय जो रेल माल यातायात के मामले में राजस्व कमाने में दूसरे नम्बर पर है पर जो रेल माल यातायात कार्य होता है वह झारखंड के खनिज बाहुल्य क्षेत्र में होता है और रेलें माल यातायात के छोटे-छोटे काम के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। अत: धनबाद रेलवे मंडल, रांची रेलवे मंडल एवं चक्रधरपुर रेलवे मंडल को नियंत्रित करने हेतु पूर्वी सिंहभूमि के चक्रधरपुर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे का जोन कार्यालय स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। झारखंड में एक भी रेलवे जोन कार्यालय नहीं है जिसके कारण झारखंड विकास संबंधी रेल परियोजनाएं देरी से चल रही हैं और कई योजनाएं लम्बित पड़ी हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ऑफिस के तीनों मंडल कार्यालयों को नियंत्रित करने वाला जोन कार्यालय चक्रधरपुर में स्थापित किया जाए।

(नौ) कृषि ऋण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए ऋण सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. विट्टल राव (महबूबनगर): महोदया, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि ऋण को दोगुना करने की घोषणा की है। 2004 के खरीफ मौसम के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का व्यापार अगले तीन सालों में कृषि ऋण को दोगुना करने के उद्देश्य के अनुकूल है। फिर भी ऋण सहकारिताओं का व्यापार निरंतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण असंतुलन और धीमे सुधार के कारण आशानुकूल स्तर तक नहीं है।

इसलिए, मैं सरकार से पुन-पूंजीकरण और पुनर्संरचना के लिए आवश्यक 2,350.32 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से नाबार्ड को डीसीसीबी को पुनर्वित्त सुविधाएं देने और अल्प अवधि ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने की सलाह देने का आग्रह भी करता हूं।

(दस) त्रिसूर और वालायार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): त्रिसूर-वालायार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (कोचीन-सेलम) की स्थिति बहुत खराब है। गत वर्ष के दौरान भारी मानसून के पश्चात कोई अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया। इस वर्ष भी भारी मानसून के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का वही क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया। यह कोचीन से चेन्नै का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर यातायात बहुत अधिक है। इस सड़क की खराब स्थिति के कारण इस विशेष क्षेत्र के बीच एक वर्ष के भीतर ही दुर्घटना दर में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है। दुर्घटना से 100 से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं। इसलिए लोक आंदोलन कर रहे हैं और तत्काल क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की पूरी तरह मरम्मत किये जाने की मांग कर रहे हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि त्रिसूर और वालायार के बीच इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 की तत्काल मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम अगली मद खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक पर विचार करते हैं, मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, आज के कार्य में अंतिम मद, मद संख्या-14 न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा से संबधित है। किंतु इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। यह कब शुरू होगी? चूंकि यह महत्वपूर्ण चर्चा

[श्री खारबेल स्वाईं]

है इसलिए इसके लिए समय तय किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे अनेक लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यदि इस पर आज चर्चा नहीं हो सकती तो कल भी इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

सभापति महोदया: हम पूरा कार्य करने के पश्चात ही इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: शायद यह आज समाप्त न हो पाये। यदि यह समाप्त नहीं हो सकता तो इस मद पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

सभापति महोदया: हम कल देखेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: कल मूल्य वृद्धि पर चर्चा होगी जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदया: आज कम से कम हमें इस कार्य को समाप्त करना पड़ेगा।

श्री खारबेल स्वाईं: माननीय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां हैं। वह हमें बता सकते हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): कार्य सूची के अनुसार मदों को लें क्योंकि इसमें समय नहीं दर्शाया गया है। इसलिए हम कार्यसूची के अनुसार चले। इस बीच मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदया: पहले हम इस कार्य को पूरा करें फिर हम देखेंगे।

अपराह्न 2.23 बजे

खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा श्री सुबोध कांत सहाय द्वारा 22 मई, 2006 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे और विचार करेगी:

"कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): सभापति महोदया, यह बिल अपने आप में ऐतिहासिक बिल बनने जा रहा है। विगत तीन-चार वर्षों से इस पर काफी बहस हुई तथा इससे जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ इंटरएक्शन किया गया है। यह बिल पूरी तरह खेत और खलिहान से जुड़ने जा रहा है।

सभापति महोदया, आपको जानकारी होगी कि हम दुनिया में फ्रूट्स और वेजीटेबल्स में दूसरे नम्बर पर हैं लेकिन हम केवल दो परसेंट ही प्रोसैस करते हैं। दूध में हम दुनिया में एक नम्बर पर हैं लेकिन मुश्किल से हम 15 से 20 परसेंट ही प्रोसैस करते हैं। विभिन्न चीजों में पूरी तरह से मिलाकर देखा जाये, तो छः परसेंट से ज्यादा इस देश में वेल्यू एडिंग ऑफ प्रौसेसिंग का पार्ट पूरा नहीं हो पा रहा है जबकि यह कृषि प्रधान देश है। जब तक किसानों की उपज में वेल्यू ऐड नहीं किया जायेगा तब तक उनको अपनी लागत का सही मूल्य नहीं मिल पायेगा। यह बिल पूरे दृष्टिकोण से फूड प्रौसेसिंग सैक्टर का बिल है। आज दुनिया के दूसरे देशों-यू.एस., यू.के. एवं थाइलैंड में 78 से 80 परसेंट फूड प्रोसैस होता है। मैं आपसे कह सकता हूं कि हम 50 हजार करोड़ रुपये की कीमत के फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोसैस करने के लिए इंडस्ट्रीज का अभाव है। वह अभाव यह है कि अभी तक 16 कानून के तहत इंसपैक्टर राज था और इसके तहत ही यह सैक्टर गवर्न होता था। आज से 16 साल पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इसी दृष्टिकोण से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का निर्माण किया था कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर सैक्टर वेल्यू एड, प्रोसैस होकर उसकी ग्रोथ बढ़े और दुनिया के बाजार में हम अपनी पहचान बनाये।

मैं कह सकता हूं कि यह सेक्टर हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट बनने के बाद फोकस में आया है। दुर्भाग्य से इतने लम्बे समय तक यह सेक्टर फोकस में नहीं था जिसके चलते इसका उत्थान नहीं हो पाया। इस बिल में जहां एक तरफ हम एक कानून और एक रेगुलेटरी अथारिटी बनाने जा रहे हैं जो फूड स्टैण्डर्ड

और क्वालिटी को, राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, गवर्न करेगी, जबकि आज इसमें 16 इन्सपेक्टरों का राज है। इसलिए यह बिल इन्सपेक्टर राज को खत्म करने की दिशा में भी एक बहुत बड़ी पहल होगी। यही नहीं, दुनिया के क्वालिटी और स्टैण्डर्ड लेवल पर, आए दिन हमारी चीजें यूरोपियन यूनियन या अन्य देशों द्वारा टेक्नीकल कारणों से रिजेक्ट कर दी जाती हैं। दुनिया का जो क्वालिटी स्टैण्डर्ड है, कोडेक्स उससे मैच करेगा और साथ ही आज हमारे देश के जो कन्ज्युमर अवेयरनेस आई है जिसकी वजह से वह कन्ज्युमर भी क्वालिटी और स्टैण्डर्ड की चीज चाहता है, उसकी भी मंशा को यह बिल पूरा करेगा। मैं यह कह सकता हूं कि यह बिल कन्ज्युमर्स के हित में काम करेगा। इसके माध्यम से एक सिंगल विण्डो रेफरेंस प्वाइंट बनने जा रहा है। एस्योर्ड, सेफ एंड क्वालिटी फूड के लिए यह बिल उपयोगी होगा। इसे बनाने में कन्ज्युमर्स आर्गेनाइजेशन्स, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स आदि सभी लोगों को बड़े पैमाने पर भागीदारी दी जा रही है। यही नहीं, यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होगी और कन्ज्युमर राइट्स में पहली बार हम उस कन्ज्युमर को कम्पेनशेसन देने की बात कह रहे हैं जो किसी फूड को खाने से इन्जर्ड होता है या उसको हैल्थ हेजर्ड होती है। ऐसे स्थिति में उसको बाकायदा कम्पनशेसन देने की व्यवस्था इस बिल में की जा रही है। इस बिल के तहत राइट टू रिकॉल का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई चीज गलत है तो उसे रिकॉल किया जा सकता है। यही नहीं, आज तक लोग कहते थे कि ब्युरोक्रेट्स और इन्सपेक्टर राज है। अब इस बिल में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर किसी इन्सपेक्टर के द्वारा किसी को ह्रास किया जा रहा तो उस इन्सपेक्टर पर भी फाइन इम्पोज किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक यह कानून 12 मंत्रालयों में बिखरा हुआ था। इन 12 मंत्रालयों के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़कर हम रिसोर्स बनाएंगे तो क्वालिटी लैब और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कानून को लागू करने के लिए जो डाउन टू लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हैं, हम समझते हैं कि उनका एक बड़ा सेट-अप हम देश में बनाने में सफल होंगे।

यही नहीं, इसमें पेनाल्टी और ग्रेविटी ऑफ ऑफिन्स के लिए ग्रेडेड व्यवस्था हमने रखी है। इस समय आए दिन यह शिकायत होती रहती है कि अगर किसी ब्रान्ड के ऊपर चिपका हुआ लेबल मामूली सा फट जाता है तो उसके लिए छः महीने की सजा होगी। हकीकत यह है कि इस तरह के लाखों केसेज सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर चल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि उनमें से कितने मामलों में सजा हुई है। लेकिन इससे क्वालिटी और कन्ज्युमर दोनों के राइट्स कहीं न कहीं मारे जा रहे हैं। इस बिल में हमने दो कैटेगरीज का प्रावधान किया है कि एडजुडिकेशन के तौर पर वे मामले जो बहुत हैल्थ हेजर्ड नहीं हों और दूसरे वे मामले जो हैल्थ हेजर्ड होंगे उनको हम हाईकोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक भेजने का काम करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक किसानों का रिश्ता उद्योग से नहीं जुड़ेगा, तब तक किसानों की बारगेनिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। आज किसान जो पैदा करता है वह रॉ-मैटेयिल नहीं बन पा रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में यह बिल आने के बाद हमारा यह टारगेट है कि इस सेक्टर में भविष्य में कम से कम एक लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाएं और यह सेक्टर प्रोसेसिंग के मामले में 6 प्रतिशत पर आकर इतने दिनों से रुका हुआ है क्योंकि इसमें कहीं सिनर्जी नहीं हो पा रही है।

यही नहीं, महोदया, आपको जानकारी है कि हॉर्टिकल्चर मिशन से हम दोगुना उत्पादन करने जा रहे हैं। इसी तरह कृषि का उत्पादन भी दोगुना करने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने दूसरी हरित क्रांति की बात कही है। अगर फारमिंग, इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग की सिनर्जी नहीं बनेगी, तो यह मिसमैच कर जाएगी। आज हमें सुनने को मिलता है कि किसान को उसके उत्पाद का लागत मूल्य नहीं मिलने पर वह आत्महत्या कर रहा है। इस चीज को भावी दृष्टिकोण से न होने दिया जाए इसलिए खेत का रिश्ता उद्योग से जोड़ने की बात हम कर रहे है। उद्योग चलाने वालों के लिए ऐसा कानून हो, जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड ओरिएंटेड हो, जो कन्ज्यूमर्स फ्रेंडली हो।

हमने इस बिल के जरिए किसान और फिशरमैन को बाहर रखा है। हमारे देश में जो उद्योग के लाइसेंस होल्डर्स हैं, उन्हें इस कानून की परिधि में रखा गया है। जो लाइसेंस होल्डर्स नहीं हैं, जैसे ठेला चलाने वाला, वेंडर्स, गांवों में छोटी मिठाई की दुकान वाले और छोटा धंधा करने वाले हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर कहीं पंजीयन कराना होगा और लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसलिए जानकर उन्हें इस परिधि से बाहर रखा है, जिससे उन्हें हैरासटमेंट न हो। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह बिल एक ऐतिहासिक स्वरूप लेकर आया है। 1954 के बाद फूड सेक्टर में कोई कानून नहीं बना था। इसलिए सारे कानूनों का इसमें समावेश करके एक रेग्युलेटरी अथोरिटी और एक कानून के तौर पर इस बिल को यहां लाया गया है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बिल पर विचार करे और इसे पास करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित

[सभापति महोदया]

करने तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्य प्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय सभापति महोदया, मंत्री जी ने अभी बताया कि 1954 के बाद फूड सेक्टर में कोई कानून नहीं बना। इसलिए, जो अलग-अलग कानून हैं या अलग-अलग समय पर आर्डर्स इस विषय पर पास किए गए हैं, उनका समावेश करके एक कानून सरकार बनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि सभी का समावेश करके, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई हॉच-पॉच हो गई है।

जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसके तीन-चार ऑस्पेक्ट्स होते हैं। कानून बनने से पहले सोशल ऑस्पेक्ट, लीगल ऑस्पेक्ट, टेक्नीकल ऑक्पेक्ट और फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट होते हैं। इन चारों ऑस्पेक्ट्स को देखा जाए तो लगता है कि इस बिल में कहीं न कहीं कमियां हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम सभी उपभोक्ता हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, मंत्री जी भी हैं और जनता भी है। उपभोक्ता का अधिकार हमें प्रोटेक्ट करना है। उसे सही चीज मिले, यह हमें देखना है। लेकिन साथ-साथ जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि जैसे ठेले वाले हैं या वेंडर्स हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपना सम्मान बेचते हैं। उनके लिए इस कानून के बनने से बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एक वेंडर जो 15 गांवों में अपना सामान बेचता है, वह अगर एक गांव में पंजीयन करा ले और दूसरे गांव में चला जाए, वहां इनका अधिकारी उसे मिल जाए और कहे कि तुम्हारा पंजीयन तो फलां गांव का है, यहां कैसे आए हो, तो फिर क्या होगा? इसी तरह से ठेले वालों पर यह बात लागू होती है। इसलिए एक बहुत बड़ा पैनिक वेंडर्स और छोटे-छोटे व्यापारियों के साथ पैदा होगा। इसका बिल में कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। पंजीयन कराना होगा, तो कौन करेगा, कैसे करेगा और फीस होगी या नहीं होगी, क्या फार्म होगा, इसका भी जिक्र नहीं है। सिर्फ एक सिम्पल वर्ड लिखकर छोड़ दिया गया है कि कंसर्न्ड म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में पंजीयन कराना जरूरी है। कई ऐसी खामियां इस बिल में हैं। मैंने शुरू में सोशल ऑस्पेक्ट की बात कही थी। इन्होंने शब्द यूज किया है कि अधिकारी कहीं भी जाकर सर्च कर सकता है। उसके लिए सेक्शन 41 को मैं पढ़ना चाहूंगा।

[अनुवाद]

धारा 41(1) में कहा गया है:

''खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यदि खाद्य से संबंधित किसी अपराध के लिए जाने में उनके अंतर्वलित होने का कोई युक्तियुक्त संदेह हैं, किसी स्थान की तलाशी ले सकेगा, किसी खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य का अभिग्रहण कर सकेगा।''

[हिन्दी]

इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर को अधिकार दे दिया है लेकिन यह नहीं कहा गया है कि उसका अधिकार कहां के लिए है, वह किस जगह सर्च कर सकता है। मान लो कि दिल्ली का एक अधिकारी पानीपत जाता है और एक ढाबे पर खाना खाते हुए उसका झगड़ा हो जाता है। वह कहेगा कि मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूं और यह खाना अडल्ट्रेटिड है और मैं इसे सीज करता हूं तो उसको प्रोसीक्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें यह डिफाइन करना होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर कहां जाकर इंस्पैक्ट कर सकता है और चीजों को सीज कर सकता है। 42(1) में एक बात कही गयी है कि

[अनुवाद]

''खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य कारोबार के निरीक्षण, नमूना लेने और उन्हें विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।'

[हिन्दी]

पीएफए एक्ट को खत्म करके यह एक्ट बनाया है। पीएफए एक्ट में यह बहुत डिटेल से दिया गया है कि सैम्पल कैसे लेना है क्योंकि पीएफए एक्ट में बहुत ही अनुभव से और टैक्नीकल ढंग से सैम्पल लिया जाता है। सैम्पल जो हो वह पूरे प्रॉडक्ट का रिप्रेजेन्टेटिव सैम्पल होना चाहिए। मान लो कि दूध का सैम्पल लेना है तो पीएफए एक्ट में बताया गया है कि सैम्पल कैसे लेना है। दूध का सैम्पल लेने के लिए दूध को दोनों तरफ घुमाना होगा और जब रिप्रेजेंटेटिव दूध बन जाए तो उसके बाद उसका एक क्वान्टिटी सैम्पल लिया जाए। लेकिन इसमें कहीं मैंशन नहीं है कि कितनी क्वान्टिटी में सैम्पल लेना है, कैसे सैम्पल लेना है। सैम्पल लेने के बाद उसकी पैकिंग, उसकी सीलिंग का प्रॉविजन भी

मिसिंग है। पीएफए में प्रॉविजन है कि तीन सैम्पल लिये जाएंगे। एक सैम्पल लैबोरेट्री को भेजा जाएगा, दूसका जिला हैल्थ अथॉरिटी को और तीसरा दुकानदार के पास होता है। उसका कारण यह है कि जो डीएचओ ने सैम्पल लिया और अगर वह फेल हो जाता है तो प्रोसीक्यूशन लोस्ट हो जाता है तो प्रतिवादी के पास राइट है कि वह अपना सैकिंड सैम्पल सेंट्रल फूड लैबोरेट्री से रिअसेस कराए। कोर्ट उसे यह पर्मिशन देता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वह वैंडर जिसका सैम्पल गलत ढंग से लिया गया और उसे लैबोरेट्री ने फेल कर दिया तो आपने फाइन इतना रखा है कि वह करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात है। मैं पढ़कर बताता हूं। माननीय मंत्रीजी खुद हैरान होंगे। इसमें सैक्शन 69(1) में एक एडीओ या मजिस्ट्रेट जिसको इस फील्ड का अनुभव नहीं होता है वह टैक्नीकल आदमी नहीं होता है जो आईएएस या पीसीएस ऑफिसर होता है, उसको मालूम नहीं होता है कि यह सैम्पल गलत है या सही है उसको एक लाख रुपये जुर्माना करने का अधिकार होता है। आपने मिनिमम कहीं प्रोसीक्यूट नहीं किया है। वह एक रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक फाइन कर सकता है। इससे करप्शन और बढ़ेगा। वह वैंडर से कहेगा कि मैं एक लाख रुपये फाइन में कमी कर देता हूं आप मुझे पैसा दीजिए। यह भी इसमें एक कानूनी लैकूना है। दूसरा आपने लिख दिया कि ऑफिसर के पास सिविल पावर हैं लेकिन जब क्लैरिफाई किया तो पता चला कि आपने जितनी भी पावर्स दी हैं वह सभी क्रिमिनल लॉ की पावर्स हैं। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में बहुत अंतर होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर में जब एक व्यक्ति पेश होता है तो उसे बेल करवानी होती है तो उसकी बेल डिसाइड होती है लेकिन सिविल केसेज में केवल एक एडवोकेट के द्वारा पेश हो जाएगा। इसलिए सिविल और क्रिमिनल पावर्स में अंतर है। प्रोसीजर आपने क्रिमिनल दे दिया तो कौन सा प्रोसीजर ऑफिसर फौलो करेगा। अगर ऐसा कंफ्यूजन बना रहा तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। एक बात और आपने रखी है कि जो भी पानी है उसे इस एक्ट में लाया गया है।

महोदय, लेकिन जो पानी म्यूनिसीपेलिटी सप्लाई करती है, वह इससे बाहर रखा गया है। ज्यादातर लोग म्युनिसीपेलिटी का पानी पीते हैं। म्यूनिसीपेलिटी का पानी आम लोगों को अच्छा न मिले, तो उसके लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है। मैं समझता हूं कि आम आदमी को यह कानून बनने से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। सैक्शन-77 में अजीब सी, कानून से ऊपर, आपने अपने आथोरिटी के अधिकारी को शक्ति दी है कि प्रोसीक्यूशन लांच करने के लिए एक साल का समय है। जब वह सैम्पल लिया गया या ओफैंस हुआ, उसके एक साल के अंदर प्रोसीक्यूशन लांच होगा। आपने कहा है कि:

[अनुवाद]

"परन्तु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लेखाबद्ध किये जाने वाले कारणों से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भीतर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा।"

[हिन्दी]

इसमें एक लकूना है। एक बार अगर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि आपका चालान या केस विद इन टाइम नहीं है, तो क्या कमिश्नर आफ फूड सेफ्टी कोर्ट के आर्डर को कंडेम कर सकेगा? अगर ऐसी कंटिजेसी राइज होती है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? मान लीजिए, आपको जो प्रोसीक्यूटर है, उसके साथ किसी उद्योगपति ने, जिसका सैम्पल फेल हो गया है, बात की कि आप एक साल के बाद चालान दीजिए। तब वह अधिकारी एक साल के बाद चालान देगा। कोर्ट उसे रिजेक्ट करेगी। जो आपका कमिश्नर आफ फूड सेफ्टी है, उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि कोर्ट का आर्डर आ गया कि चालान विद इन टाइम नहीं है। इसे भी स्पष्ट करने की जरूरत है कि कब कमिश्नर आफ फूड सेफ्टी इसे एक्सटेंड कर सकेगा।

इसके अलावा जो फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने इस आथोरिटी का स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें 10 करोड़ रुपया रखा है, लेकिन 7 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जाएगा, तो क्या हम तीन करोड़ रुपये में लेबोरेटरीज प्रोवाइड कर पाएंगे? अगर फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स देखें तो भी आपका बिल एक वेग बिल है। अगर हम सोशली, लीगली, टेक्नीकली और फाइनेंशियली आस्पेक्ट्स देखें, तो यह बिल बिल्कुल पास होने लायक नहीं है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए और पास न होने दिया जाए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदया, मुझे इस सरकार और माननीय मंत्री जी की ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक जो कि प्रासंगिक है को लाने के लिए मैं प्रशंसा करता हूं। विश्व व्यापार जगत की दृष्टि से यह अत्यधिक समकालीन है क्योंकि कुछ वर्षों से धनी देश खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पहलू के बहाने से अनेक प्रकार के गैर-शुल्क व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मंत्री जी अपनी भूमिका में पहले ही कह चुके हैं कि यह मंत्रालय 18 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, और इसे एक उभरते हुए उद्योग के रूप में माना गया था। लेकिन अभी भी हम हमारे देश में उपलब्ध खाद्यान्न संभाव्यताओं के प्रसंस्करण

[श्री अधीर चौधरी]

में पिछड़ रहे हैं। यहां केवल दो प्रतिशत खाद्यान्न का प्रसंस्करण किया जा रहा है और हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन के अभाव के कारण 60,000 करोड़ रु. से ज्यादा बर्बाद हो रहा है।

सबको मालूम है कि खाद्यान्न क्षेत्र का व्यवसाय 2,50,000 करोड़ रु. का है और इसका हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत का योगदान है। यह एक विशाल क्षेत्र हैं जहां हम बृहत् रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं बशर्ते हम आवश्यक विधान लायें। खाद्यान्न की आवश्यकता और मांग जनसंख्या वृद्धि के साथ हमेशा बढ़ती रही है। हम हमारी तकनीक, आनुवंशिक अभियांत्रिकी और अन्य श्रेष्ठ आविष्कारों के प्रयोग से प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करने में समर्थ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वैश्विक खाद्य परिदृश्य में हमारा आहार विश्व बाजार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। हमारे पारिवारिक भोजन की जगह फास्ट फूड ने ले ली है। यहां हम क्या उपभोग कर रहे हैं। हम रोगाणु जैसे अवयव ढूढ़ सकते हैं, जो इस संसार के दूरस्थ क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप से होते हैं। हम विश्व के दूसरे भागों में उत्पन्न किये जा रहे खाद्यान्नों का भी उपभोग कर रहे हैं। इसलिए, हमारे पास एकीकृत खाद्य कानून होना चाहिए क्योंकि अपने देशवासियों के लिए सुरक्षित स्वास्थ्यप्रद और पोषक भोजन सुनिश्चित करना सरकार पर निर्भर है।

वर्ष 1954 में पीएफए अधिनियम स्थापित हुआ था, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि विभिन्न प्राधिकरणों सहित कानूनों की बहुलता के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र गंभीर बाधाओं की सामना कर रहा है। इसलिए इस तरह की व्याप्त विसंगतियों को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही हटाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक एक एकीकृत खाद्य कानून होगा, जो हमारे देश में अपनी तरह का पहला कानून होगा।

सभापति महोदया, खाद्य हमारी संस्कृति में इतना अधिक है कि युगों से हमारी संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीति-रिवाज जटिल रूप से भोजन व्यवहार के निदेशों और निषेधों से जुड़े रहे हैं।

खाद्य हमारी जैविक आवश्यकता है और वाणिज्य भी। विश्व में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में, हमें बेहतर गुणवत्ता का खाद्यान्न उत्पन्न करना है ताकि हम विश्व व्यापार परिदृश्य में गला-काट प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

हम विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य हैं। हम स्वच्छता और वनस्पति स्वच्छता मानकों के हस्ताक्षरकर्ता हैं जहां स्वास्थ्य संबंधी समिति द्वारा की गई अनेक सिफारिशें स्वीकार की गई है। कोडैक्स एलिमेंटेरियस आयोग के निर्देश है जो उत्पादन और प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण पर आपदा विश्लेषण और केन्द्रीय आलोचनात्मक बिन्दु की वकालत करता है ताकि किसी भी प्रकार की मिलावट और अपमिश्रण रोकी जा सके। मिलावट पूरे संसार में एक बढ़ती हुई चिंता है।

जैसाकि हमने देखा है, एवियन फ्लू एच-5 एन-1, जो एक कम रोगाणुजनक वायरस था, अब अधिक खतरनाक पाया गया है जो पहले ही विश्व भर में सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर चुका है। फिर भी, हमारे पास इस तरह के संक्रमण से हमारे लोगों को बचाने के लिए उपकरण नहीं हैं। कुछ समय पहले, हमने एल्जिमोर से हुए जलोदर को देखा था। इस विधान में हालांकि कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन इस सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास उदारतापूर्वक प्रशंसा किये जाने के योग्य हैं।

जैसाकि हम उस संसार की ओर जा रहे हैं जहां खाद्य सुरक्षा और मानक अनिवार्य आवश्यकता है, खाद्य प्रसंस्करण का वैज्ञानिक विकास इस उद्योग के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। इस विधायी प्रलेख की मुख्य विशेषता है कि खण्ड 97 के तहत दूसरी अनुसूची निरस्त हो गई है, क्योंकि विधेयक खाद्यान्न क्षेत्र को शासित करने वाले आठ कानूनों को मजबूत बनाता है और यह इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना भी करता है। स्वाभाविक रूप से यह एक पारदर्शी और जिम्मेदार नियामक प्रणाली है जिसके अंतर्गत इस विधेयक के पारित होने के बाद पूरे खाद्य क्षेत्र को नियंत्रित किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने से पूर्व मंत्रालय ने 45 संशोधन स्वीकृत किये हैं। इस तरह यह एक वृहत्तर विधेयक है जिसमें 101 खंड हैं जिसमें संप्रभु विवेक व्यापार उदारीकरण और वैज्ञानिक वस्तुपरकता की संभाव्य विरोधाभाषी अवधारणा का अनुपालन करते हुए सभी आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया है।

खाद्य आपूर्ति और सुरक्षा प्राधिकरण में 22 सदस्य होंगे। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि इस सरकार ने अपने हर प्रयास के द्वारा देश की महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की कोशिश की है। इस प्राधिकरण के 22 सदस्यों में भी महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है।

तथापि, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह भारत के फेरी वालों के संघ से भी एक सदस्य इसमें सम्मिलित करें क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग फेरी से अपना जीविकापार्जन करते हैं।

कीटनाशी अवशेष, जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरों तथा अन्य प्रदूषकों के मामले में विभिन्न नियम-विनियम निर्धारित

करने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इस कानून को राज्य स्तर पर राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त और स्थानीय स्तर पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी तथा निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा लागू किया जाएगा।

इस विधेयक की यह मुख्य विशेषता है कि इसके तहत पंचायती राज संस्था, जिसे हमारे देश में सबसे निचले स्तर पर प्रजातंत्र कहा जाता है, को उचित महत्व दिया गया है और इसे स्थानीय फेरीवालों, विक्रेताओं आदि को पंजीयन-पत्र जारी करने का कार्य सौंपा गया है। खाद्य क्षेत्र में अब हर व्यक्ति को एक अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण की जरूरत होगी। विनिर्माता के लिए प्रत्येक वितरक को तथा वितरक के लिए प्रत्येक विक्रेता को खाद्य वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम होना पड़ेगा। इस प्रकार, इस विधेयक में जांच और संतुलन के प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक वस्तु को बाजार से हटाने का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति अपना सकेगा यदि वह पाता है कि बिक्री किये गये। खाद्य पदार्थ में निर्दिष्ट मानकों का उल्लंघन किया गया है। खाद्य से संबंधित यह एक मात्र संविधि है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के वैज्ञानिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2001 तक संप्रग सरकार ने विश्व व्यापार में देश के हिस्से को 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जिसकी कीमत 150 बिलियन डालर होगी। संप्रग सरकार की वचनबद्धताओं के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विश्व व्यापार में हमारे देश की हिस्सेदारी बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसमें पी.एफ.ए. अधिनियम, 1954 तथा अन्य अंतराष्ट्रीय कानूनों, जिसमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन' सम्मिलित है, की विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसके सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मात्र नियामक प्रणाली के स्थान पर स्व-अनुपालन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

तथापि, कटाई से पूर्व पौधों तथा पशुओं के दाने को इस विधेयक के दायरे से अलग रखा गया है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह देखा गया है कि सब्जियों में विभिन्न प्रकार के कीटनाशक तथा पशुओं के दाने में एन्टीबायोटिक्स से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को दूषित किया जाता है। इसको मानव स्वास्थ्य पर, विशेषकर उपभोक्ताओं पर हानिकर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस विधेयक में इस पहलू पर प्रभावशाली ढंग से विचार नहीं किया गया है।

दूसरे, कृषि भूमि से लेकर उपभोक्ता तक पूरी श्रृंखला पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसका इसमें अभाव है। यदि किसी खाद्य उत्पाद में ऐसा अनाज या सब्जी है जिसमें कीटनाशक अनुमेय सीमा से ज्यादा है तो मंडी से आगे प्रदूषक को खोज पाना कठिन है।

अपराह्न 3.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इसलिए, इस बात को प्रभावशाली ढंग से इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि कई वर्षों से हमारे पास खाद्य क्षेत्र से संबंधित अनेक कानून मौजूद हैं। लेकिन प्रयोगशाला उपकरणों, परीक्षण करने वाले कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण और नियमों के अनुपालनिक अभाव में इस क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का मुख्य कारण यह है कि प्रयोगशाला उपकरण महंगे हैं। खाद्य के रासायनिक विश्लेषण के लिए हमें ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जिनका विदेशों से आयात किया जाता है। हमारे पास संसाधनों की कमी है। यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत ही कम किये जाते हैं। प्रशिक्षण सुविधा अच्छी नहीं है और आसान है। एक ओर परीक्षण कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा दूसरी ओर खाद्यों के परीक्षण के लिए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण, दोनों, अनिवार्य हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने 17 मिनट से ज्यादा ले लिए हैं।

श्री अधीर चौधरी: हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय खाद्य परीक्षण पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। इस विधेयक में दोषियों को दंडित करने पर जोर दिया गया है जो सही है। तथापि, इस प्रणाली और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पहलुओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

कानून के द्वारा इंस्पेक्टर राज समाप्त किया जाए लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी है कि इंस्पेक्टर राज वास्तव में समाप्त हुआ या नहीं। अपने सहयोगी की इस चिंता से सहमत हूं कि जल की गुणवत्ता की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर न डाली जाए क्योंकि विभिन्न नगर निगमों, जल बोर्डों आदि द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है।

संशोधन सं. 44 में, यह कहा गया है:

"(3) यदि खाद्य कारोबारकर्त्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, अभिहित अधिकारी को संसूचित करते हुए शेष भाग को विश्लेषण के लिए किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला को भेजेगा:

[श्री अधीर चौधरी]

परन्तु यदि उपखंड (i) और उपखंड (iii) के अधीन प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों में भिन्नता पाई जाती है तो अभिहित अधिकारी, अपनी अभिरक्षा में रखे गए नमूने के एक भाग को विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजेगा।"।

दो तरह की प्रयोगशालाएं होती हैं, एक रैफरल प्रयोगशाला, दूसरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला। परन्तु इस विधेयक में कहा गया है कि रैफरल प्रयोगशाला का निर्णय अंतिम होगा। मैं समझता हूं कि यह न्यायनिर्णय करने वाले अधिकारी के ऊपर छोड़ देना चाहिए।

हम जानते हैं कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक नियामक निकाय-भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी एक अलग से मंत्रालय है। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस समर्पित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार दे।

अंत में, लेकिन यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां दूध की नदियां बहती हैं, जहां मुसलमान भाई अन्न देवता की प्रार्थना करते हैं; जहां अंतिम भोजन (लास्ट सपर) में भोजन और मोक्ष का सम्मान किया जाता है। इसलिए, हम सभी को खाद्य की गुणवत्ता की चिंता है लेकिन लाखों लोगों को वही गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ, खाना पड़ता है जो उन्हें व्यापारी द्वारा दिया जाता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है और इन व्यापारियों को भोजन की गुणवत्ता की चिंता नहीं होती।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय रोजगार सृजन, फलों और सब्जियों के उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में खाद्य पदार्थ और इसके प्रचालन के संबंध में बहुत से कानून हैं जिनसे उपभोक्ताओं, व्यापारियों, निवेशकों और विनिर्माताओं के दिमाग में कई भ्रम पैदा हो जाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि, वाणिज्य, खाद्य और उपभोक्ता मामले आदि कई मंत्रालयों इन कानूनों को लागू करते हैं।

इसलिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए ऐसे सभी कानूनों को संकलित करने की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन जो विधेयक मूल रूप में प्रस्तुत किया गया वह बड़े-बड़े खाद्य प्रचालकों के पक्ष में था और इसमें कई खामियां थीं। कृषि संबंधी स्थायी समिति, जिसके पास यह विधेयक भेजा गया था, ने 21 फरवरी, 2006 को सभा में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कई सिफारिशें की है। समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और प्रस्तावित संशोधनों द्वारा कुछ कमियों पर ध्यान दिया गया है।

मूल विधेयक में पायी गई कुछ प्रमुख कमियों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

प्रथमत:, 'असुरक्षित खाद्य' की परिभाषा अर्थात, खंड 3(झ) (यय) में कीटनाशकों और अन्य प्रदूषकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकार ने अब इन्हें परिभाषा में सम्मिलित कर लिया है। दूसरे, प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात् खंड 5 के तहत खाद्य प्रौद्योगिकीविदों, किसानों, छोटे-छोटे संगठनों और विशेषकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

इन श्रेणियों में इन लोगों को प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने इस कमी को दूर किया है तथा एक संशोधन के द्वारा प्राधिकरण में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने पर सहमत हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब अशिक्षित किसान, जिन्हें विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, इस विधेयक के जटिल प्रावधानों को न तो समझ पायेंगे न ही इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सख्त मानकों को पूरा कर पायेंगे। इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि किसानों और मछुआरों को इस विधेयक के प्रावधान अर्थात खंड 18 से बाहर रखा जाना चाहिए। सरकार ने इसके प्रभाव को समझा है और इस विधेयक के सख्त प्रावधानों से किसानों और मछुआरों का बाहर रखने के लिए एक संशोधन लाई है।

अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि छोटे विनिर्माताओं, फुटकर विक्रेताओं, फेरी वालों, छोटे विक्रेताओं आदि को भी बड़े खाद्य प्रचालकों के बराबर मान लिया गया इसलिए उनसे भी विधेयक अर्थात खंड 18 के प्रावधानों का अनुसरण करने तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कहा गया। छोटे फेरीवालों और विक्रेताओं को बड़े प्रचालकों के बराबर कैसे माना गया?

तथापि, सरकार ने छोटे विनिर्माताओं फेरी वालों, छोटे विक्रेताओं आदि को अनुज्ञप्ति पाने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। उन्हें केवल पंजीकरण कराना होगा। मेरा प्रस्ताव है कि पंजीकरण की स्थिति में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि वे अपने नामों का पंजीकरण केवल अपने संबंधित पंचायतों तथा अन्य चुने हुए स्थानीय निकायों में ही करायेंगे क्योंकि यदि उन्हें किसी अन्य संगठन में पंजीकरण के लिए जाना पड़ेगा तो उन्हें परेशानी हो सकती है और उन्हें तंग भी किया जा सकता है।

कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और उनके लिए मैंने संशोधन दिया है। पहला संशोधन खंड 6; खाद्य प्राधिकरण के सभापति और सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति के बारे में है।

चयन समिति का स्वरूप बहुत ही नौकरशाहीपूर्ण है। इस समिति में चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि चयन समिति में दो संसद सदस्य होने चाहिए और चयन समिति का सभापति कोई नौकरशाह नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री होने चाहिएं। कृषि मंत्रालय के सचिव को इससे बाहर रखा गया है। मेरा प्रस्ताव है कि कृषि मंत्रालय के प्रभारी सचिव को भी चयन समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं इस जरूरी समझता हूं कि मौजूदा सदस्यों के अतिरिक्त यथा प्रस्तावित, स्थायी समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

ये हैं:

1. चयन समिति के अध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री होने चाहिए।

2. लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक से एक-एक संसद सदस्य भी चयन समिति में शामिल होने चाहिए।

3. कृषि मंत्रालय के प्रभारी सचिव को भी उस समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन खाद्य नमूना परीक्षण प्रयोगशाला से संबंधित खंड 43 के संबंध में है। खाद्य नमूना परीक्षण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं। खाद्य नमूनों के उचित विश्लेषण के लिए कम से कम प्रत्येक जिले में एक पूर्ण सुसज्जित खाद्य प्रयोगशाला होनी चाहिए।

सरकार ने यह नहीं बताया है कि कौन सा मंत्रालय अधिनियम का प्रबंधन करेगा। क्या यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका उल्लेख किया जाना है।

मेरा तीसरा संशोधन कम्पनियों द्वारा अपराध से संबंधित खंड 66 के बारे में है। कम्पनियों द्वारा अपराध के मामले में, अधिनियम के अनुसार किसी भी अपराध के लिए कंपनी के सीईओ को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को छूट क्यों दी गई है। वास्तव में, अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए प्राथमिक रूप से उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। खाद्य संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि खंड 66(1) का दूसरा परंतुक हटा देना चाहिए जो उन्हें दोष से मुक्त बनाता है। फिर भी, सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है जिसका वास्तविक अर्थ है मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का संरक्षण जो कि बड़ी कम्पनियों के संचालक हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि खंड 66 का दूसरा परंतुक समाप्त कर देना चाहिए।

मेरा चौथा संशोधन खंड 3(i) (यद) के संबंध में है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बड़े शहरों में काफी बिक्री वेन्डिंग मशीन के माध्यम से होती है।

मैं स्पष्टत: महसूस करता हूं कि वेन्डिंग मशीनरी भी 'बिक्री' की परिभाषा में शामिल होनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार मेरे प्रस्तावों और संशोधनों पर विचार करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस बारे में बड़े अच्छे सुझाव आए हैं। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज पूरे हिन्दुस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी की जो आवश्यक वस्तुएं प्रयोग में लायी जाती हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसको बढ़ावा देने के लिए मुनाफाखोरी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण मिलावटी व नकली माल की बिक्री जोरों पर बढ़ती जा रही है। इसी कारण से इसमें तमाम कानून का प्रावधान किया गया है।

महोदय, मैं मानता हूं कि मिलावट एक सामाजिक अपराध है। हम लोग मिलावटी चीज खाने के आदी हो गए हैं। हमें यही मालूम नहीं हो पाता है कि असली और नकली में क्या फर्क है? हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। यह सब आजकल हो रहा है।

दूसरी बात, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए 16 कानून इसमें बनाए गए हैं। जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, बड़ी बस्तियों, कस्बों, शहरों और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में लोग हमारे सम्मान के लिए कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए लाते हैं। वह कोल्ड ड्रिंक चाहे आईएसआई मार्क हो, हमें लगता ही नहीं है कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई शरबत पी रहे हैं। इसके

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

अलावा जब बिसलैरी की बोतल देते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है। अभी जैसा कि कहा गया है कि मिलावट के कारण मौत होने पर आजीवन कारावास और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

इसके अलावा जब सैम्पलिंग ली जाती है, तो उसकी केवल खानापूर्ति होती है। मुझे मालूम है कि बहुत सी मिठाइयों की दुकानों पर जो इन्स्पेक्टर आते हैं, उनके महीने के पैसे बंधे होते हैं। वे दुकानों से पैसे ले जाते हैं।

महोदय, विवादित वस्तुओं की तो जांच करवायी जाती है लेकिन आवश्यक वस्तुओं की जांच बहुत कम हो पाती है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। आज देखा जाए तो कम से कम 75 प्रतिशत वस्तुओं में आपको मिलावट मिलेगी। आप दिल्ली में गलियों, नुक्कड़ों और बस्तियों में चले जाइए तो वहां लस्सी बनायी जाती है, जो पांच से लेकर दस रुपये तक में बिकती है, जो कि जानलेवा है। उससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। अभी दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले नकली दवाइयों और गुटखों का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा है। इस प्रकार की यदि बड़ी-बड़ी छापेमारी होगी तो मेरे ख्याल से बहुत सी मिलावटी और नकली वस्तुएं इस तरह की मिल जाएंगी। इस तरह की कार्यवाहियों से हम इस पर अंकुश भी लगा सकते हैं।

दूध की बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि दूध में यूरिया की मिलावट होती है, ऑक्सीटोसिन की मिलावट होती है, जिससे गर्भपात और नुपंसकता का बेहद जबरदस्त खतरा है। अभी मैं देख रहा था, सवा करोड़ रुपये का नकली बिस्कुट पटियाला, पंजाब में पकड़ा गया, जिसमें ग्लूकोज और क्या क्या ब्राण्ड के नाम से दिया गया है। इसी प्रकार से मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 1988 में सरसों के तेल में जो मिलावट हुई, उससे ड्राप्सी नामक बीमारी फैली थी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए और बहुत जगह पर कम से कम सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई।

दाल, चाय और काफी में कोलतार डाई की मिलावट से कैंसर को बढ़ावा मिलता है। यह धड़ल्ले से हो रही है। हल्दी में लैड क्रोमेट मिलाया जाता है, जिससे लकवा, एनीमिया और गर्भपात की भयंकर बीमारी होती है। अचार में कॅपर साल्ट मिलाया जाता है, जिससे उसकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। जैसे कभी-कभी हम लोग गाय भैंस का दूध दुहने के लिए इंजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा दूध देगी, वह भी खतरनाक है। वह भी एक तरह से मिलावट है, क्योंकि हमें उससे शुद्धता नहीं मिलती। इसी प्रकार से मिठाई में मेटाबिल येलोवा रोड मिल की सजावट रहती है, जिससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी मध्य प्रदेश सहित देश के तमाम इलाकों में जो वैध लाइसेंस आई.एस.आई. मार्क की मुहर लगे 30 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें दिल्ली में पांच, महाराष्ट्र में सात और चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में 1-1 जगह छापा मारा गया और काफी मात्रा में वहां पर नकली चीजें मिली हैं। मैं सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चाहे वह कृषि और खाद्य स्ट्रक्चर में हमें सुधार लाना है तो हमको ग्रामीण स्तर पर हर जिले में कम से कम एक सैण्टर खोलना पड़ेगा। वहां पर लैबोरेट्री की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे टैक्नीशियन होने चाहिए, तभी जाकर हम नकली और असली की पहचान कर सकते हैं। आप हर जगह से नमूना लेते हैं और उसकी रिपोर्ट में महीनों लग जाते हैं, महीनों बाद उसकी रिपोर्ट आ पाती है, इसलिए हर जिले पर वहां पर सैण्टर खोलिये, जहां पर लैबोरेट्री और टैक्नीशियन की व्यवस्था हो। कोई भी वस्तु अगर पकड़ी जाये तो कम से कम उसके एक हफ्ते में जांच हो जानी चाहिए।

मैं ज्यादा कुछ न कहकर इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि जो हमारे चन्द सुझाव माननीय उपाध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी नोट कर रहे थे, उस पर अमल करेंगे। इस मामले पर सदन भी चिंतित है। इस कानून के बनने से हमें मिलावट से निजात मिलेगी, यह हमें विश्वास है।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले कागज ढूंढ़ लीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: इस बिल का ताल्लुक आम अवाम की जिंदगी से है। हर दिन रूटीन में मनुष्य भोजन को शामिल करता है, उस पर उसकी जिंदगी निर्भर करती है। तथापि ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को रैग्यूलेट करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को गवर्न करने के लिए अभी तक कोई मजबूत कानून नहीं बन पाया था। इस बात की बहुत कमी खल रही थी। व्यावहारिक जिंदगी में भी अगर पहले किसी ऐसी चीज को कोई कंज्यूमर पकड़ता था, जिसमें एडल्ट्रेशन हो, या किसी तरह की गड़बड़ी हो, तो कन्ज्यूमर कोर्ट के रास्ते उसे दिखाए जाते थे। इतने अलग-अलग तरह के कानून थे कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता था कि कैसे उसे कोर्ट में प्रमाणित करे, इसके भी कोई उपाय नजर नहीं आते थे। एक छोटी सी मिलावट की घटना को, जिसके बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते थे, इसे सिद्ध करने के बजाए, ऊबकर लोग इस केस को छोड़ देते थे और जैसे चल रहा है, वैसे चलने

देते थे। इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इस विधेयक पर गंभीरता से विचार करने के लिए सदन में इसे लाने का काम किया। इसमें महत्वपूर्ण व्यूज सामने आए हैं।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल 2005 में, इसके जो भी आब्जेक्टिव्स हैं, यदि हम उन पर नजर डालते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, जिन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। हमारे पूर्व के वक्ता साथियों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए। अधिकांश वक्ता साथियों से मैं सहमत हूं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में, जैसे ठेले वाला या खोमचे वाला, इस तरह के जो लोग हैं, जो खाने की चीजों को बेचते हैं, उनके लिए भी इसमें कानून होना चाहिए, लेकिन उनकी रोजी और रोजगार पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए कि इसके जो टेस्टिंग्स हैं, इसकी जो जांच की व्यवस्था हो, वह सरल हो और इस तरह की हो, जैसे छोटे रोजगार वाले लोग, उसमें जी सकें, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि उस सैक्टर में जांच की बहुत आवश्यकता है और कंट्रोल किए जाने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन साथ-साथ इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा-इस बात पर सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि उनके रोजगार की तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। उत्पादन में इस्तेमाल किये जाने वाले पानी के संबंध में, जैसा पूर्व वक्ता ने कहा, वह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें इस्तेमाल किये जाने वाले पदार्थों पर यदि कंट्रोल नहीं रहेगा, तो जो सामान वे बनाएंगे, उसकी गुणवत्ता पर भी नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

प्रायर टू हार्वेस्टिंग स्टेज में किसी खाद्य पदार्थ पर यदि कानून की नजर नहीं है, तो जो एक्ट आ रहा है, उसमें उसको कंट्रोल करने का प्रावधान नहीं है। जितने भी पेस्टीसाइड हैं, जिनका ओवर डोज दिया गया और फिर कैमिकल फर्टिलाइजर के भी दुष्परिणाम आने लगे हैं या फिर जो उत्पादन आते हैं, पानी से अच्छी तरह धोने के बाद भी उसमें उसका रेसीडुएल्स लगे रह जाते हैं, जिसकी वजह से अनजाने में आम आवाम के स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है और उसकी लाइफ घटती जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। यह एक चैन है। इस पर भी सरकार की नजर होनी चाहिए कि कैसे उसे भी कंट्रोल किया जाए?

आज आर्गेनिक फूड की बात की जाती है, विदेशों में आर्गेनिक प्रोडेक्ट, जैविक खाद्यों से बने हुए या बहुत ही नेचुरल तरह से बनाए गए प्रोडक्ट की दोगुनी तिगुनी कीमत मिलती है। इसको और भी कैसे सरल बनाया जाए कि आम आवाम को भी वह उपलब्ध हो और सिर्फ पेस्टीसाइड खाकर अपने स्वास्थ्य को लोग खराब न करें या इस तरह के जो कैमिकल फर्टिलाइजर हैं, जिनका कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से लोग अपने स्वास्थ्य को खराब न कर लें, इसलिए इस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसलिए उस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बुरे खाद्य का कनटैमीनेटेड या किसी तरह से विषाक्त खाद्य को खाने से उसका सीधा असर नहीं पड़ता, वह स्लो प्याजन की तरह काम करता है। जिन वजह से खाद्य पदार्थ काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में रिसर्च की आवश्यकता है। यह बहुत ही सैनसिटिव बिल है। इस विभाग में व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए फूड प्रोसैसिंग डिपार्टमैंट को और इम्पावर किये जाने की जरूरत है। इसे दूसरे विभागों से कोआर्डीनेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन मेन लाइन ऑफ अथॉरिटी इस विभाग की ही होनी चाहिए जहां से वह पूरे कानून को रैगुलेट कर सके और इस फील्ड में अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। यदि इस विभाग को अथॉरिटी दी जाएगी, तो रिस्पौंसीबिलिटी भी उसी मंत्रालय पर होगी। इस विभाग को निश्चित रूप से जिम्मेदारी से लैस किया जाना चाहिए ताकि वह इस कानून को अच्छी तरह लागू कर सके।

फूड चेन इको सिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। केमिकल, फर्टीलाइजर और पेस्टीसाइड्स जो बहुत बड़ी मात्रा में यूज हो रहे हैं, इन्हें हम बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। यह मात्र केमिकल, फर्टीलाइजर डिपार्टमैंट से कन्सर्न्ड नहीं हैं, इसमें कोआर्डीनेशन की जरूरत है। केमिकल, फर्टीलाइजर और पेस्टीसाइड्स यूज करने की बजाए आर्गनिक फर्टीलाइजर यूज किया जाए और उसे एनकरेज किया जाए, उसके लिए कम्पेल किया जाए, यह भी इसका एक हिस्सा होना चाहिए। आज नेचुरल चीज देखी जा रही है कि केंचुआ और मेढक हमारे बीच से गायब हो रहे हैं। ये मनुष्य के मित्र जीव माने जाते हैं और इनकी वजह से घातक कीटाणुओं को कम किया जाता है तथा जमीन की नेचुरल फर्टीलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ये कम होते जा रहे हैं, लेकिन चाहे पर्यावरण विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो, हम नहीं समझते वह इस पर पैनी नजर रख रहा है। हमें इन पर नजर रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में यदि यह समाप्त हो गया तो इको सिस्टम पर उसका क्या असर होगा। जिन कीटाणुओं को मेढक खाकर समाप्त करते थे और विषाक्त होने से बचाते थे, उन्हें कौन खाएगा। इस तरह चेन इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा कहना है कि जिस तरह इको सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, उसी तरह उसकी वजह से फूड सिस्टम भी इम्बैलेंस हो सकता है।

[श्री आलोक कुमार मेहता]

हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन सारे क्षेत्रों में गहन विश्लेषण की जरूरत है, गहन रिसर्च की जरूरत है और इस विभाग को हाइली इम्पावर किये जाने की जरूरत है। यह होम मिनिस्ट्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि इसका मानवता पर खराब असर होने वाला है।

इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बिल का भरपूर समर्थन करते हैं और माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि खाद्य की कनटैमीनेशन से संबंधित जो बिल लाया गया है, इसकी महत्ता और सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर ठोस निर्णय ले, मजबूत कानून बनाए जिससे समाज में आर्थिक इम्बैलेंस पैदा न हो, गरीब लोगों पर भी इसका असर न पड़े और आम अवमान में अच्छे भोजन को परोसा जा सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

आज हम बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह खाद्य, सुरक्षा और मानकों से संबधित है। यह विधेयक 63 पृष्ठों का है और माननीय मंत्री महोदय ने कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद, इसमें कम से कम 45 संशोधन किये हैं। इससे साफ पता चलता है कि कितने प्रयास किये गये हैं और कितने प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

आज हमने श्री अविनाश राय खन्ना और दूसरे सदस्यों को भी सुना, लेकिन इससे स्पष्ट है कि इस विधेयक के संबंध में स्पष्ट मतैक्य नहीं है।

मेरा एक विचार है जो इस विधेयक के समर्थन में नहीं है क्योंकि मैं प्रारम्भ में बताना चाहूंगा कि यह विधेयक, जैसाकि आज माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया और जब इसे शुरू में भी प्रस्तुत किया गया था, बहुत निर्दोष दिखता है, फिर भी इसके गंभीर प्रभाव हैं। मैं सदन की सूचना के लिए उन पर चर्चा करूंगा।

महोदय, यद्यपि विधेयक का उद्देश्य एकल खाद्य संविधि बनाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का वैज्ञानिक विकास करना है जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा है, और एक पूर्ण नियामक निकाय बनाकर खाद्य सुरक्षा और मानदण्डों से जुड़े सभी मामलों के लिए एकल सूचना स्रोत स्थापित करना है फिर भी इसके गंभीर प्रभाव होंगे। मंत्रीजी ने बहुविभागीय नियंत्रण से हटकर एकल प्राधिकरण का सुझाव दिया है, लेकिन विधेयक में कुछ शब्द परिभाषित नहीं किये गये हैं। इससे संशय पैदा होगा और विवादित मामलों में न्यायालयों द्वारा व्याख्या की जरूरत होगी।

मैं पहले आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जहां शब्दों की कोई परिभाषा नहीं है। विधेयक की प्रस्तावना और खंड 16(1) में एक निर्देश है जो कहता है:

> "मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य" इसे परिभाषित नहीं किया गया है। क्या जो पानी हम नगरपालिका के नलों से पीते हैं सुरक्षित माना जाता है? तब, "पौष्टिक भोजन" शब्द से क्या आशय है यह भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्या हमें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और तब इसे लागू करना चाहिए? अत: यह "पौष्टिक भोजन" शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। इसे परिभाषित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, विधेयक में "खाद्य सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था" जैसे शब्दों का भी उल्लेख किया गया है। इस खाद्य सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था की परिभाषा में 'अच्छी विनिर्माण पद्धति' को शामिल करने की जरूरत है जिसे पुन: परिभाषित नहीं किया गया है। फिर इसमें यह कहा गया है अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धति। इसे भी परिभाषित नहीं किया गया है। एक अन्य शब्द "जोखिम विश्लेषण और आलोचनात्मक नियंत्रण बिंदु" कहलाता है। इसे भी पुन: परिभाषित नहीं किया गया है।

अत: यदि आप इन शब्दों को परिभाषित नहीं करते हैं तो विधेयक में अनेक विवाद पैदा होंगे। विधेयक की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार ने 64 पृष्ठों वाले विधेयक का मसौदा तैयार किया है तथा इसमें और 45 संशोधन किये हैं लेकिन अभी भी विधेयक का मसौदा ऐसे ढंग से तैयार किया गया है कि इसमें उल्लिखित इन शब्दों को कोई नहीं समझता है। यदि आप विस्तार से देखें, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह क्या कहना चाहता है। यही कारण है कि मैंने कहा है कि यह विधेयक गंभीर प्रभावों से परिपूर्ण है।

एक अन्य शब्द है "संदूषक" और इसे "कोई भी पदार्थ जो खाद्य पदार्थ में मिलाया गया हो या नहीं लेकिन वह उस खाद्य पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण के परिणामस्वरूप विद्यमान हैं" के रूप में परिभाषित किया गया है।

ये चार चरण हैं। यहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक कोडेक्स निर्देशिका है। दूसरी तरफ कोडेक्स निर्देशिका में संदूषक को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "कोई भी पदार्थ जानबूझकर खाद्य पदार्थ में नहीं मिलाया गया है जो उत्पादन के परिणामस्वरूप उस खाद्य पदार्थ में विद्यमान है।"

अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए, मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण दूंगा। मैं उस पर आऊंगा। विधेयक में 'जानबूझकर नहीं' शब्द को ऐसे मामलों में परिभाषा से हटाया जा सकता है जो उदाहरण मैं यहां देना चाहता हूं वह यह है कि यदि डबलरोटी बनाने में यीस्ट मिलाया जाता है तो कहीं कुछ निरीक्षक इसे संदूषक कहेंगे और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी इसे ठीक करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस पहलू पर विचार करने का निवेदन करूंगा यह बहुत साधारण बात है। जैसाकि हम पिछले 50 सालों से जानते हैं कि कैसे इस कानून ने विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामले उठाये हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है।

नि:संदेह, खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक में खाद्य क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए आठ कानूनों को समेकित करने तथा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। इस विधेयक का यही मुख्य उद्देश्य बताया गया है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन किसके द्वारा? राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त और स्थानीय अधिकारियों द्वारा? इसे कौन कार्यान्वित करेगा? ये स्थानीय कर्मचारी होंगे जैसाकि खाद्य निरीक्षक करते थे। उनको यह शक्ति प्रदान की जाएगी क्योंकि इसके लिए अन्य कोई तंत्र नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री का ध्यान संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह है संगठित क्षेत्र के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया हुआ है। संगठित क्षेत्र के लिए यह बहुत अच्छा है। लेकिन समाज में कई ऐसे वर्ग भी हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं और असंगठित खाद्य क्षेत्र को इस कानून का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

असंगठित क्षेत्र जैसे गली में फेरी लगाने वाले के लिए इस कानून का पालन करना कठिन होगा। उदाहरण के लिए, अवयवों के निर्दिष्टकरण के संबंध में कहा गया है कि इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। अवयवों का विनिर्दिष्टकरण करना होगा। उनकी जानकारी देनी होगी और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा। क्या एक गली में फेरी लगाने वाले के लिए यह सम्भव है? दिल्ली में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि गलियों में फेरी लगाने वाले जो गलियों में तैयार खाद्य बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं? इस विधेयक की वजह से उसे सुबह-शाम परेशान किया जाएगा।

पेयजल के बारे में इस विधेयक में किसी विशिष्ट मानक का जिक्र नहीं है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि इसकी आपूर्ति सामान्यत: स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जाती है। अब यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो खाद्य बनाता है क्या उसका विनिर्माण करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो पानी वह इस्तेमाल कर रहा है वह गुणवत्ता वाला हो जबकि दिल्ली जैसे शहरों में टेप का पानी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। कटाई से पूर्व की फसल तथा पशु चारा को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। इस प्रकार इसमें स्रोत स्तर पर ही खाद्य, उदाहरण के लिए दूध में कीटनाशी और एन्टी-बॉयोटिक्स की उपस्थिति पर नियंत्रण की बात नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानकार हैं इसलिए आप इस विधेयक से जुड़ी समस्या को समझ सकते हैं। किसी खाद्य प्रचालक की अनुज्ञप्ति रद्द करने का अधिकार स्थानीय स्तर के अधिकारी को दिया गया है। इससे किसी को परेशान करने या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा।

ऐसा लगता है कि इस नये कानून के कार्यान्वयन का खर्च राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। तथापि, वित्तीय ज्ञापन में इसकी लागत खर्च का आकलन नहीं किया गया है। प्रसंगवश, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के द्वारा आई.एम.एस. अधिनियम को समेकित खाद्य कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह नया कानून उस मौजूदा कानून के लिए एक खतरा है जो स्तन पान को प्रोत्साहित करने वाले सभी उपायों की गारंटी देता है और जो शिशु मृत्युदर को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस मुद्दे की ओर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह इस पर ध्यान देंगे। क्या इस विधेयक में शिशु दुग्ध खाद्य प्रतिस्थानी दुग्ध पान बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 अर्थात आई.एम.एस. अधिनियम, 2003 को समाप्त करने का कोई उल्लेख है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर आपत्ति उठाई है; क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को लिखा है। क्या उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय से इसके बारे में विचार-विमर्श किया है? उसका क्या परिणाम रहा? मलेशिया इंटरनेशनल कोड डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर, जिसे आई.सी.डी.सी. के नाम से जाना जाता है और जो मां के दूध के प्रतिस्थानी के अंतर्राष्ट्रीय विपणन कोड के क्रियान्वयन संबंधी वैश्विक प्रयासों का अभिलेख रखता है, ने अब इस पर आपत्ति की है। उसी संगठन ने इस देश की प्रशंसा की थी जब 2003 में आई.एम.एस. अधिनियम को संशोधित किया गया था। अब उसकी क्या प्रतिक्रिया है? यह खाद्य

[श्री भर्तृहरि महताब]

सुरक्षा और मानक विधेयक एक सामान्य विधेयक है जिसमें सभी प्रकार के खाद्यों-प्रंसस्कृत या अप्रसंस्कृत का जिक्र है। आई.एम.एस. अधिनियम की नौ महत्वपूर्ण धाराओं में से केवल एक धारा में खाद्य मानकों के बारे में उल्लेख है और इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि ये मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी.एफ.ए.) अधिनियम, 1954 द्वारा अनुशासित होंगे। नये कानून में इस संशोधन को निरस्त कर दिया गया है जिसके द्वारा यह प्रावधान है कि यह खाद्य अधिनियम द्वारा लागू होगा। मैं उनसे इस बारे में जानना चाहता हूं।

अब, मैं अंतिम मुद्दे, जो इस विधेयक का सबसे गंभीर पहलू है, आता हूं। यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। यह विषय अध्याय पांच में वर्णित है और इसके प्रावधान आयातों अर्थात् खाद्य वस्तुओं के सभी प्रकार के आयातों से संबंधित है। इस अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात इस अधिनियम के अध्यधीन होंगे। खंड-5 के उप-खंड (2), अध्याय-पांच, पृष्ठ 17 पर कहा गया है:

> "केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या अन्यथा विनियमित करते समय, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मानकों का अनुसरण करेगी।"

इन अधिनियमों, नियमों और विनियमों का क्या मतलब है? जहां तक मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसका मतलब क्या है और देश के खाद्य सुरक्ष पर इसके क्या प्रभाव होंगे। जब मानक प्रत्येक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा लागू किये जायेंगे तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि सबके तरीके समान होंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: क्या इससे बहुत सारे मुकदमे नहीं शुरू हो जायेंगे? सीधी सी बात यह है कि कोई कानून तब अच्छा होता है जब उससे विवाद न उत्पन्न हों। विधेयक की बारीकियों के अध्ययन से मुझे लगता है कि इस विधेयक से इस देश के बहुत सारे न्यायालयों में बहुत से मुकदमें शुरू हो जायेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं इसकी तुलना इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि हम उसी राह पर चलने की सोच रहे हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ है?

महोदय, इंग्लैंड जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, वहां छद्म सुरक्षा कानूनों के द्वारा दातव्य गिरजाघरों में गरीब बुजुर्ग महिलाओं को भी अपने घरों में निर्मित केक बेचने से रोका जा रहा है। और हम इसी कानून को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। भारत में, कैसे कानून अन्नदान को, गुरुद्वारा में लंगर और मस्जिदों में जकात, दरगाह और भंडारा को जिसमें लाखों गरीब और दरिद्र लोगों को भोजन कराया जाता है। अपराध का रूप दे देंगे।

महोदय, मैं ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां हर रोज जगन्नाथ मंदिर में लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। एक खाद्य निरीक्षण यह तय करेगा कि यह खाद्य कैसे तैयार किया जा रहा है, यह किन चीजों से बना है और उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है और इसके लिए कैसे लोगों को रखा गया है।

आधुनिक खाद्य कानून को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश की विकेन्द्रीकृत खाद्य अर्थव्यवस्था से पोषण, सुरक्षा, संस्कृति और आजीविका में वृद्धि होती है। हमें ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हमें पश्चिमी सभ्यता के रोग उत्पन्न करने वाली, संभाग, केन्द्रीकृत औद्योगिक खाद्य संस्कृति से हमारी विविधापूर्ण स्थानीय खाद्य संस्कृतियों की रक्षा करे। क्या हमें छद्म सुरक्षा मानकों के माध्यम से ऐसे खाद्य नीति की जरूरत है जो विश्व व्यापार के अनुकूल है? हमें समाज के अनुरूप भागीदारीपूर्ण ऐसी प्रजातांत्रिक प्रणाली की जरूरत है जो हमारी खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाये, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा दे, और खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे। सरकार को कृषि व्यापार को नियंत्रित करना चाहिए। खाद्य संप्रभुता, खाद्य स्वतंत्रता आवश्यकता है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं यहां सामान्यत: और विशेष रूप से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक के बारे में कई प्रकार के संदेह और आशंकाएं हैं। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने पहले ही इस सम्माननीय सभा में अपना संदेह और अपनी शंकाएं व्यक्त की है।

अपराह्न 3.53 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

महोदय, संगठित और असंगठित खाद्य क्षेत्र, दोनों से समान खाद्य कानून के अनुपालन की अपेक्षा की गई है। ऐसी अपेक्षा की गई है। असंगठित क्षेत्र, जैसे गलियों में फेरी लगाने वालों के लिए

इस कानून का उदाहरण के लिए, संघटकों का निर्दिष्ट करना और प्रक्रियाओं का पालन करना कठिन हो सकता है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी भी इससे सहमत होंगे। आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे?

बहुत से देशों, जैसे अमेरिका, जापान और मलेशिया में खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे देश में भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। तथापि, खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 का प्रारूप खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना तथा इस पर निगरानी रखना है।

क्या इसमें कोई खतरा है कि विधेयक के प्रारूप को देश में बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र के छोटे खाद्य विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बगैर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पक्ष में तैयार किया जाए? उपभोक्ताओं की दृष्टि से सभी क्षेत्र के खाद्य विक्रेताओं के लिए चाहे अधिकांश लोग इसका सख्त मानक परिभाषित करना बेहतर हो गई। क्या विभिन्न श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं के लिए उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों में कोई बीच का रास्ता निर्धारित किया गया है।

महोदय विधेयक के उद्देश्य और कारणों संबंधी विवरण में कहा गया है कि विधेयक का मूल उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास का प्रावधान करना है। यह उचित है। इसमें यह भी कहा गया है कि यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसए) का कर्त्तव्य मुख्यत: सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रतीत होता है।''

इस संदर्भ में मेरा यह प्रश्न है कि क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को अधिक प्रमुखता दी जानी चाहिए? उदाहरण के लिए, यदि विनिर्माता अथवा वितरक विनिर्दिष्ट मानकों का पालन नहीं कर पाता है तो क्या एफएसएसए को उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने से पहले उसकी प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह मानकों का अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

मुझे कुछ अन्य प्रश्न भी पूछने हैं। क्या असंगठित क्षेत्र सहित खाद्य क्षेत्र में प्रत्येक के लिए पंजीकरण करवाना अथवा लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता है? क्या यह आवश्यक है? यदि हां, तो क्या विधेयक में ऐसे प्रचालकों की निगरानी संबंधी समस्याओं पर पर्याप्त और यथार्थ रूप में ध्यान दिया गया है? यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य मिले, क्या तंत्र होगा?

महोदय, खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक में यह उल्लेख किया गया है, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> ''एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ को सभी खाद्य उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।''

'नियंत्रण' शब्द का प्रयोग करने का कोई खास कारण है? यहां पर 'नियंत्रण' का क्या अर्थ है?

विधेयक का उद्देश्य है खाद्य संबधी एकल संविधि लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस विधेयक के माध्यम से खाद्य संबंधी आठ कानूनों को निरस्त किये गये हैं। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि एक भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापित किया जाए जो देश में खाद्य के लिए मानक निर्धारित करेगा और इसके विनिर्माण, आयात, प्रंसस्करण, वितरण और बिक्री को विनियमित करेगा।

यहां कई और प्रश्न पैदा होते हैं। क्या सभी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए कोई भी पदेन सदस्य नहीं होना चाहिए ताकि उनके पास प्राधिकरण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहे? क्या सदस्यों के लिए वैज्ञानिक/तकनीकी पृष्ठभूमि और अनुभव होना आवश्यक है? विधेयक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की व्यापक गुंजाइश को देखते हुए क्या इस उद्योग में इन उप क्षेत्रों के प्रतिनिधिक समुदाय का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए? प्राधिकरण में प्रशासनिक अधिकारियों और शेयरधारकों के बीच उचित संतुलन क्या है?

विभिन्न शेयरधारकों के बीच 18 की सदस्यता को किस प्रकार वितरित किया जाएगा?

महोदय, माननीय सदस्य श्री महताब पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि इसमें पेयजल शामिल नहीं है। इसमें पेयजल शामिल क्यों नहीं है?

विधेयक में प्राथमिक खाद्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''ऐसा खाद्य पदार्थ जो कृषि, बागवानी या पशुपालन और डेयरी या जलकृषि के अपने प्राकृतिक रूप में उत्पाद है, जो कृषक से भिन्न व्यक्ति के हाथों से उगाए जाने, खड़े किए जाने, जुताई, चुनने कटाई, संग्रहण या बीनने के परिणामस्वरूप उत्पादित होता है।''

[श्री प्रबोध पाण्डा]

क्या ऐसे अन्य कानून हैं जो खेती के स्तर पर आदानों की निगरानी और उनका विनियमन करें?

अपराह्न 4.00 बजे

क्या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किसानों की निगरानी करने के अधिकार के अभाव में प्राथमिक खाद्य में संदूषण की जांच करना संभव होगा क्योंकि मंडी में ही उत्पाद का सही ढंग से पता लगाया जा सकता है? क्या सब्जियों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से अधिक कीटनाशक होने पर खुदरा व्यापारी, सब्जी विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा?

इसके अतिरिक्त, विधेयक में मिथ्या छाप वाले उत्पाद, घटिया खाद्य या भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों के लिए श्रेणीबद्ध दण्ड विहित गए हैं। इस दण्ड में शास्ति का प्रावधान है। दण्ड स्तरों में बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटे विनिर्माताओं, फेरी वालों द्वारा मानकों का उल्लंघन करने पर निर्दिष्ट अधिकारी को उनसे 1 लाख रुपये तक शास्ति लगाने का अधिकार है। उसे व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार है। लेकिन निर्दिष्ट अधिकारी कम से कम उपमंडलीय अधिकारी, एस.डी.ओ. के स्तर का होना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूं। क्या एस.डी.ओ. के पास अपेक्षित तकनीकी ज्ञान होता है? क्या सभी एस.डी.ओ. के पास यह सिद्ध करने हेतु अपेक्षित जानकारी होती है कि क्या अधिनियम में विहित सभी विनियमों का व्यापार में अनुसरण हो रहा है।

इस विधेयक में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खाद्यों को बाजार से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह अच्छी बात है। क्या विधेयक में उन उपभोक्ताओं के लिए भी प्रावधान किया गया है जो उत्पाद खरीद चुके हैं लेकिन खाद्य पदार्थों को बाजार से हटाने की स्थिति में इसकी सूचना उनको भी दी जाएगी? इस प्रकार स्पष्टत: यह एक अच्छा विधेयक है। यह एक अच्छा विधान है। लेकिन इसमें कई शंकाएं हैं। इसमें कई आशंकाएं हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। हमें पता है कि देश में छोटे व्यापारी और फेरीवाले हैं। इन सबको इस विधेयक में किस तरह शामिल किया जाएगा।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि इसमें राज्यों की भी भूमिका है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्माननीय सभा में यह विधेयक लाए जाने से पूर्व क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है अथवा नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन विधेयक में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सभा में इसका भी उत्तर दिया जाना चाहिए। मैंने ये सभी मुद्दे उठाए हैं। मेरे विचार में मंत्री महोदय इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। यद्यपि मैंने ये सभी आशंकाएं उठाई हैं तथापि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में मंत्री महोदय हम सभी को संतोषजनक उत्तर देंगे।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): माननीय सभापति महोदय, आज हम खाद्य सुरक्षा और मानक संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समर्थन करता है। यह उस असंगठित क्षेत्र, आम आदमी की सहायता नहीं करता है जिसकी वजह से संप्रग सरकार सत्ता में आई है। जब सरकार ने आम चुनाव लड़े थे तो उसने कहा था कि वह आम आदमी के लिए है। लेकिन इस विधेयक में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समर्थन किया गया है। यह साधारण व्यक्तियों और फेरीवालों की सहायता नहीं करता है।

लेकिन इस समय मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि हमें अच्छे खाद्य उत्पादों की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। खाद्य स्वास्थ्यकर होने चाहिए। इसमें कीटनाशक नहीं होने चाहिए और खाद्य उत्पाद को हानिकारक विश्लेषण प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।

किसान, मछुआरों और डेयरी का काम करने वाले लोग रात-दिन मेहनत करते हैं। हर कोई कच्चा माल पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और इसके बाद खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण के लिए जाता है।

महोदय, लेकिन इस समय मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं विधेयक में प्राथमिक खाद्य को "कृषि, बागवानी या पशुपालन और डेयरी या जल कृषि के अपने प्राकृतिक रूप में उत्पाद" के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्पादित खाद्य किसान द्वारा पैदा किया जाता है जिसे प्रसंस्करणकर्त्ता अर्थात् उद्योगपति बिक्री के लिए ले जाता है। ऐसी स्थिति में मैं यह चाहता हूं कि हमें खाद्य उत्पाद के संदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए। विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जो व्यक्ति स्थानीय गांव में खाद्य पदार्थ का उत्पादन करता है और यदि वह खाद्य पदार्थ उत्पादन स्तर पर पहले से ही संदूषित है तो वह व्यक्ति क्या करेगा। इसका पता लगाने का पहलू क्या है? 'अनुगा' जैसे बड़े-बड़े खाद्य मेलों में जाते हैं तो भी विश्व का सामान्य वर्ग इस संदूषण की बात करता है। आप खाद्य उत्पादों में संदूषण का पता लगाना बहुत जरूरी है

इसलिए हमें खाद्य उत्पाद में किसी भी तरह के कीटनाशी को समाप्त करने हेतु सभी तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। हम यह प्रक्रिया किस प्रकार अपनाते हैं? हम कहां ऐसी जांच करते हैं? मैं इसके बारे में आगे और बताना चाहता हूं। यहां एक माननीय सदस्य ने कृमि पालन, कृमि को खाद्य के रूप में प्रयोग करने हेतु एक अच्छा सुझाव दिया है। लेकिन सरकार कृमि प्रजनन उत्पादन के बारे में क्या कर रही है।

अब मैं दो पहलुओं के बारे में बोलूंगा। इस विधेयक को कौन लागू कर रहा है? इस विधेयक के लिए प्राधिकरण कौन सा है? विधेयक लागू करने वाला व्यक्ति उपमंडलीय अधिकारी है। क्या एस.डी.ओ. इस तरह से पर्याप्त रूप से सक्षम है? क्या वह खाद्य नियम जानता है? क्या वह खाद्य प्रसंस्करण ढांचे के बारे में जानता है? क्या सरकार ने उसे प्रशिक्षण दिया है? प्रशिक्षण केन्द्र कहां है। क्या उपमंडलीय अधिकारी सदस्यों तथा पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार को मानव संसाधन मंत्रालय से समर्थन प्राप्त है। क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है? क्या सरकार से इसके लिए योजनाएं बनाई हैं और वित्तपोषण की व्यवस्था की है? यदि हां, तो कब?

हम अब इससे आगे चर्चा करते हैं। जैसाकि मुझसे पहले वाले वक्ता ने कहा कि अमरीका, जापान और मलेशिया जैसे देशों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। भारत में भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। क्या मंत्रालय इसके बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है? क्या हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं?

सरकार ने इस अधिनियम के अधीन खाद्य प्राधिकरण का गठन किया है। यह सरकार की अध्यक्षता में है।

[हिन्दी]

आपका राज, आपकी अदालत। आप चाहते हैं कि आपके राज में आप ही बोलें, जो आप करेंगे, वही होगा। सरकार की नीति, जो आपने बनाई है, उसमें आपने 22 मैम्बर्स की अथॉरिटी बनाई है, जो-जो आप बोलेंगे, वही-वही होगा। इसमें आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग और हैल्थ मिनिस्ट्री को शामिल किया है।

[अनुवाद]

इस तरह से विभिन्न मंत्रालयों से 22 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रणाली को अपनाने के लिए आठ कानून निरस्त किये हैं। इस सम्माननीय सभा में उन्होंने इस वर्ष के बजट भाषण में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र है। मैं आपको वर्ष 1988 के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। उस समय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र था। मैं स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाल ही में यह उल्लेख किया गया है कि केवल 2.2 प्रतिशत फल ही प्रसंस्करित होते हैं।

[हिन्दी]

फलों को प्रोसैस किया जाता है, 33 परसैन्ट दूध का प्रोसेसिंग होता है, 21 परसैन्ट मीट का प्रोसेसिंग होता है। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि कैटल फीड, पोल्ट्री फीड पर कोई चैक्स एंड बैलेन्स नहीं है।

[अनुवाद]

सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुर्गीपालन का भी छह प्रतिशत ही प्रसंस्करित होता है। हमारे पास शीतागार और पश्च संपर्क नहीं हैं। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। हम सभी इस बात से सहमत है कि आज की दुनिया में हमने पाश्चात्य भोजन संस्कृति को अपना लिया है।

लेकिन हमारा अपना पारम्परिक भोजन संस्कृति भी है और हमें अपनी उस पारंपरिक भोजन संस्कृति को अवश्य बढ़ावा देना चाहिए।

स्थायी समिति की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के एक उदाहरण का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में चार परीक्षण प्रयोगशाला केन्द्र है। हमें और परीक्षण प्रयोगशाला केन्द्रों की जरूरत है।

मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि विदेशों के दौरे के दौरान या भारत में भी विदेशी लोगों के साथ भ्रमण के दौरान कई विदेशी पर्यटकों से मेरी जान-पहचान हो गई है। ये विदेशी पर्यटक ढाबों या छोटे दुकानों पर जाते हैं और तब उनको इस बात का पता चलता है कि इन ढाबों पर परोसा जाने वाला भोजन अच्छा है। वास्तव में वे उन ढाबों का भोजन चाव से खाते हैं क्योंकि यह सही, स्वास्थ्यकर और साफ-सुथरा होता है। कभी-कभी आप बड़े होटलों में जाते हैं और पाते हैं कि आपकी थाली में परोसा गया भोजन उतना अच्छा नहीं है। इसलिए, आप भोजन वापस करके चल देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप आम आदमी या ढाबा वालों की भी मदद करे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें

[श्री दुष्यंत सिंह]

हानिकारक कीटनाशकों द्वारा उत्पन्न संदूषण पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए और इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने यहां अपनी एक अभिव्यक्ति दी है कि वे आम आदमी का ध्यान कैसे रखते हैं। उन्होंने कहा था कि "हम इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा बजटीय समर्थन देने जा रहे हैं।" कृषि संबंधी स्थायी समिति की 12वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "अन्य मंत्रालयों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सरकारी वित्तपोषण को कम कर दिया गया है।" आपने ऐसा कदम क्यों लिया है?

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे पास और खाद्य उद्यान होने चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक राज्य में एक खाद्य उद्यान होना चाहिए। आपने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक खाद्य उद्यान दिया है जो आपके अनुसार एक पिछड़ा राज्य है। आपके द्वारा उठाए गए इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक व्यक्ति अपने खाद्य के पैकेजिंग के लिए जम्मू और कश्मीर या उस पैकेजिंग केन्द्र तक कैसे जाएगा। आप उसके खाद्य उत्पादों को बेहतर बनाने की क्या योजना बना रहे हैं? उसकी उत्पाद विकास प्रक्रिया कहां पर चलायी जा रही है? इसको करने की क्या प्रक्रिया है? आपने इन मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

हम अपने देश के उद्योग के अंतर्गत छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों तथा इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे लोगों की कैसे मदद करने वाले हैं आप खाद्य उद्यानों को उदार बनाने की योजना कैसे बना रहे हैं। क्या आपने राज्यों के अपने समकक्षों से इस विषय पर चर्चा की है या आप केवल उन राज्यों को खुश करने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं जहां आपकी सरकारें हैं।

[हिन्दी]

आप केवल अपने राज्य में, जहां आपका राज्य है, वहीं आप लोगों को काम देंगे या और जगह जहां काम नहीं है, वहां भी आप लोगों को काम देंगे? आपने देखा कि साउथ इंडिया में राइस के लिए आपने अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा राज्य भी है और हमारे साथ अन्य राज्य भी हैं जहां आपको इसे लागू करना चाहिए, लेकिन न आपने किया और न आप वहां आए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे यहां बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं। गरीब लोगों ने हमें मत दिया है और मत देकर वे हमें यहां लाए हैं। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि हम भेदभाव करते हैं और अल्पसंख्या में आ गये हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा सभी जातियों की पार्टी है, 38 कौमों की पार्टी है। हम सबके प्रति प्रेम और भावना से एकजुट होकर अपने क्षेत्र और भारत के लिए काम करें।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): भगवान दुष्यंत सिंह जैसा गरीब सबको बना दे। ...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह: जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, वे लोग गरीब किसान हैं। हमारा जो दुख है, उसे आप देखें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने एक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है और जिससे पहले कम से कम 12 कानून सम्बद्ध है। इसी प्रकार खाद्य के मुद्दे पर भी जिसको कम से कम 12 मंत्रालय में चर्चा चल रही है। इसलिए, उन सभी को एक व्यापक और ठोस विधेयक में समेकित करने के लिए इस विधेयक का सदैव स्वागत है।

एक नियामक निकाय से स्वअनुपालन निकाय में बदलाव ही आज अपेक्षित है। इस संदर्भ में मैं मेरे मित्र श्री दुष्यंत सिंह, जो भाजपा के सदस्य हैं ने जो बात कही हैं उसके बारे में मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संप्रग सरकार द्वारा लाया गया है जिसने आम आदमी के नाम पर चुनाव जीता है और वे कह रहे थे कि यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह एकदम विरोधाभाषी है और मुझे इसके कारणों के बारे में बताने दीजिए। इस विधेयक में उन लोगों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है जो गलती करते हैं। खंड 59(3) में कहा गया है:

> "जहां इस प्रकार की असफलता या उल्लंघन के कारण गंभीर चोट होती है उसमें सजा हो सकती है जिसकी अवधि छह साल तक बढ़ायी जा सकती है (इस प्रकार की सजा कही भी नहीं थीं) और उसमें 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।"

यह केवल पैसे तक सीमित नहीं है; इसमें छह साल के लिए सजा की बात भी कही गई है।

उप खंड (4) में कहा गया है:

> "जहां इस प्रकार की असफलता या उल्लंघन से मृत्यु हो जाती है उस मामले में सात साल से कम की सजा नहीं होगी लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।"

यदि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए होता तो इसमें इस प्रकार की गंभीर सजा की परिकल्पना नहीं की गई होती। स्पष्ट तौर पर इससे साफ है कि यह उन कम्पनियों के विरुद्ध है जो गलतियां करती हैं और सजा भी इतनी ही गंभीर है कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी कभी भी ऐसी बड़ी गलती करने की भूल नहीं करेगा जिससे उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए। इसलिए यह आशंका गलत है कि संप्रग सरकार जिसने आम आदमी के नाम पर यह चुनाव जीता है कोई इस प्रकार का कानून ला रही है। ऐसा केवल वही सोच सकते हैं कि यह सरकार केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए है।

अब हम विधेयक की चर्चा करें, हम सभी जानते हैं कि इन दिनों प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग काफी बढ़ गया है चाहे वह शिशु आहार हो या फास्ट फूड। अब जबकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में काम कर रही है, जैसाकि पहले नहीं होता था, बहुत से परिवार बाजार से तैयार भोजन कर रहे हैं और कई दिनों के लिए इन भोजनों का अपने घरों में भंडारण भी कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, भोजन की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। इसलिए यह विधेयक लाने का उचित समय है। यद्यपि मैं सत्ता पक्ष से आता हूं फिर भी मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि एक विधेयक लाना एक बात है और उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना और बात है हमें इस विधेयक और इसके खंडों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान अवश्य ही केन्द्रीत करना चाहिए। यदि गलती करने वाली कुछ कम्पनियों या व्यक्तियों को कठोरता से दंडित किया जाता है तो विधेयक का उद्देश्य पूरा होगा और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

महोदय इस विधेयक में कई प्रावधान किये गये हैं और इसमें कई बातों पर विस्तार से चर्चा है। मिलावट को रोकने के लिए तथा भंडारण सुविधा आदि के लिए वैज्ञानिक मानकों पर जो खाद्य तैयार किया जाने वाला है उसे नियंत्रित किया जाएगा। खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के मामले में चाहे वह निर्माण के समय अच्छी हालत में हो, लेकिन भंडारण के बाद जो हानिकारक हो जाए को भी इस विधेयक में नियंत्रित करने का प्रावधान होगा।

दुर्भाग्यवश कुछ खाद्य निर्माता उद्योगों के मामले में हम पाते हैं कि ऊपरी दिखावा और खाद्य के रंग तथा खाद्य के स्वाद के लिए उनमें कुछ बाहरी पदार्थ डाल दिये जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन उत्पादों के विपणन के लिए कुछ औद्योगिक कम्पनियां या निर्माता हानिकारक पदार्थ मिला रहे हैं। इस विधेयक में रासायनिक पदार्थों, रंगों और बहुत से अन्य बाहरी चीजों को रोकने का भी प्रावधान है। इस विधेयक में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है।

दंडों को भी वर्गीकृत किया गया है। इसे न्यायपालिका या किसी अपीलीय अधिकरण के न्यायाधीश की कल्पना पर नहीं छोड़ा गया है। यह बहुत साफ है कि किस प्रकार के अपराध के लिए कैसी सजा होगी चाहे यह जुर्माना के रूप में हो या जेल की सजा हो। इसमें भी स्पष्टता है। पिछले जितने विधेयक लाए गये थे उनमें यह बातें नहीं थी।

मुझे खुशी है कि किसानों, मछुआरों आदि को इन सजा से छूट दी गई है। इसका ध्यान रखा गया है क्योंकि बेचारे किसानों, जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान नहीं है और जो यह काम दैनिक कार्य के रूप में करते हैं, से कभी कोई गलती हो जाती है तो उन्हें सजा न हो। इसका ध्यान रखा गया और मैं इससे खुश हूं।

आज देश में समस्या केवल व्यापारियों या निर्माताओं की गलतियों की नहीं है बल्कि उन अधिकारियों से भी है जिनके ऊपर इन चीजों को रोकने की जिम्मेदारी है। जब तक इस पर रोक नहीं लगती तब हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। मैं उन लोगों निर्माता या खाद्य बनाने वाले लोगों, जो गलतियां करते हैं-को गंभीर सजा देने के मामले में उनके साथ हूं। लेकिन इसके साथ ही उन अधिकारियों के लिए भी एक धमकी होनी चाहिए जो कल तंग कर सकते हैं।

अधिकारियों को जो अधिकार दिये गये हैं वे ऐसे हैं कि ये अधिकारी नियमित रूप से उन निर्माताओं को भी जो सही चीजें बनाते हैं को तंग करेंगे और उनसे लाखों करोड़ों की कमाई करेंगे। मुझे खुशी है कि आपने कुछ प्रावधान किये हैं। इसमें कहा गया है कि गलत मामला बनाने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सजा का पात्र होगा। लेकिन यह सजा क्या है? जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपये है। संभाव्यता नियमों के अंतर्गत वह सदैव ही खतरा मोल ले सकता है और लोगों को तंग कर सकता है। यदि कभी उसे गलत पाया जाता है जब कोई साहसी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जो शिकायत करता है तो अधिकतम जुर्माना 25000 रुपये है। इसलिए, जब आपने व्यापारियों या निर्माताओं के लिए सजा का प्रावधान किया है तो हम गलत मामला बनाने वाले अधिकारी के लिए भी जेल भी सजा का प्रावधान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कल वह ऐसा नहीं करेगा और वह केवल सही मामला ही बनाएगा। कृपया इस पर सोचिए। यदि इसे आज आप नहीं भी बनाते हैं तो आप अपने अनुभव से इस पर कल के लिए भी सोचिए। लोगों को तंग करने वाले और पैसे बनाने वाले अधिकारियों के लिए भी गंभीर सजा होनी चाहिए।

[श्री के.एस. राव]

जहां तक विभिन्न चरणों की बात है, दोनों, अधिकारियों और पैनल के मामले में आपने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति, वैज्ञानिक समिति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नामोनिर्दिष्ट अधिकारी और बहुत से अन्य श्रेणियों का प्रावधान किया है। यह अच्छी बात है। कम से कम कुछ स्तरों पर एक ईमानदार अधिकारी इन बुराइयों को रोक सकता है। इसी प्रकार, आपने एक चरण पर नहीं बल्कि कई चरणों में अधिकार क्षेत्र का भी प्रावधान किया है।

यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी पर मुकदमा करता है तो वह उसको सुधार के लिए सूचना दिये बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह एक अच्छी बात है जिसका प्रावधान आपने एक नहीं बल्कि विभिन्न चरणों पर किया है। यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोई मामला दर्ज करता है, वह यह मामला सुधार सूचना दिए बिना नहीं कर सकता है। आपने जो उपबंध किया है वह अच्छा है। यदि गलती करने वाला व्यक्ति सुधार सूचना का उत्तर तक नहीं देता है ऐसी स्थिति में वह दंड का भागीदार होता है। यदि वह सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि कोई भ्रष्ट अधिकारी गलत मामला बनाता है तो भी न्यायनिर्णयन अधिकारी है, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण है और उसके ऊपर भी राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त है और उससे भी ऊपर यदि सजा हो जाती है तो इसके लिए विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय है। इसलिए, मुझे खुशी है कि आपने विभिन्न चरणों पर जांच और प्रति जांच का प्रावधान किया है। यह बहुत अच्छा है।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी को नये तरीके पर विचार करना होगा कि हम उन विकसित देशों का सामना कैसे करे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ही मूल्य संवर्द्धन महत्वपूर्ण है और इससे किसानों भी लाभकारी मूल्य की प्राप्ति होगी। इसका कारण यह है कि उनके क्षेत्र में ही मूल्य संवर्द्धन का काम हो जिससे उनको लाभ मिले। उपभोक्ता को भी उचित दाम पर सामान मिलेगा।

इस प्रकार कम ब्याज दर के साथ बड़े पैमाने पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा। हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अन्य बड़े उद्योगों के बराबर नहीं समझ सकते। हमें इस बात के लिए अवश्य प्रबंध करना पड़ेगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को राजसहायता देकर या कम ब्याज पर ऋण तथा संरक्षण देकर, जिसमें विपणन सुविधाएं भी सम्मिलित है, इसे प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार हम ग्रामीण रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन को भी रोक सकते हैं। इससे कई चीजों की प्राप्ति हो सकती है। आज हम शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर झुग्गी-झोपड़ी देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां कोई रोजगारन हीं मिलता है। वे शहरी क्षेत्रों की ओर इस उम्मीद में पलायन करते हैं कि उन्हें शहरी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं जिसमें कानून व्यवस्था की समस्या भी है। ऐसी परिस्थितियों में इस विधेयक द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आपके द्वारा बढ़ावा दिया जाना अच्छी बात होगी।

माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि 50 करोड़ रुपये मूल्य के हमारे फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि अच्छी भंडारण सुविधा के अभाव में कुछ समय के बाद वे खराब हो जाती है। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। कुछ दिन पूर्व मैंने सुना था कि तत्कालीन दिल्ली की सरकार प्याज की कीमत में वृद्धि के चलते चुनाव हार गई थी। यदि वे इसका भंडारण करने की स्थिति में हो तब ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। इसलिए, इस प्रश्न पर भी हमें कुछ पूर्व सावधानियां बरतनी होगी। इन छोटी-छोटी चीजें के चलते आम आदमी की जिंदगी प्रभावित होती है। हमें मुद्रास्फीति रोकने के लिए सब्जियों और सामान्य तथा रोज मिलने वाले फलों की कीमतों पर नियंत्रण करना होगा। भंडारण सुविधा सहित इन सारी चीजों की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री से छोटे विक्रेताओं का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। गांवों में रहने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या छोटे-मोटे बिक्री कारोबार में लगी हुई है। हम आज बड़े-बड़े मॉलों का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम इन लोगों के बारे में चिंतित है क्योंकि ये बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए, इस विधेयक द्वारा फेरीवालों, छोटे विक्रेताओं और गांवों के अस्थायी छोटे व्यापारियों का उद्धार किया जाए।

माननीय मंत्री ने स्वयं कहा और हम सभी भी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रयोगशालाएं नहीं है। इसलिए, हमें आसपास में तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

अंत में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विधेयक लाने और संसद में पारित होने से काम खत्म हो गया बल्कि उन्हें इसकी निगरानी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि इसका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, इसके बाद में क्या प्रभाव होंगे तथा इसमें क्या समस्याएं हैं और नि:संकोच उन्हें बाद में इसमें संशोधन करना चाहिए।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में यह सुविचारित और समय पर लाया गया विधेयक है जिसके खाद्य उद्योग और भूमंडलीकरण के इस दौर में आज के संदर्भ में प्रशंसनीय उद्देश्य हैं।

इस विधेयक में कमियों की तुलना में गुण ज्यादा है। इसलिए, मैं पाता हूं कि कुछ परिवर्तनों के साथ इसे स्वीकार कर लेना उचित होगा। इस समय हम इस विधेयक का महत्व तभी समझ पायेंगे यदि हम आज भारत में खाद्य उद्योग में हो रही प्रगति की पृष्ठभूमि को जानें। आप जानते हैं कि भारत सरकार विशेषकर संप्रग सरकार, लोगों के खाद्य सुरक्षा में दिलचस्पी रखती है। लेकिन उन्हें किस प्रकार का खाद्य दिया जाए? यह गुणवत्ता वाला, सुरक्षित और अत्यंत स्वास्थ्यकर होना चाहिए।

आज शहरीकरण में वृद्धि, लोगों की आय में वृद्धि और भूमंडलीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ ही खाद्य उद्योग में एकदम परिवर्तन आ गया है। हम पाते हैं कि काफी परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और यहां तक कि कुटीर उद्योग भी खाद्य उद्योग की दौड़ में कूद पड़े हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग को उन सुरक्षा विनियमों की जानकारी नहीं है जिनका उनके द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए। वे बाजार में प्रवेश करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं और उसे बाजार में उतार देते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोगों जो इस व्यवसाय में लगे हैं, को उन नियमों की जानकारी नहीं है जिनका पालन खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम सुनिश्चित करे कि इन लोगों की जानकारी हो।

एक प्रमाणन कम्पनी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में 36 प्रतिशत खाद्य व्यवसाय के पास सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। उनमें से 52 प्रतिशत लोगों ने खतरनाक विश्लेषण और गंभीर नियंत्रण मुद्दों के बारे में नहीं सुना है और केवल 38 प्रतिशत लोग मानते हैं कि वे खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह उस देश के लिए बहुत दुःखद स्थिति है जो दुनिया में खाद्य उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हैं और जहां खाद्य वस्तुओं को कच्ची सामग्री में मूल्य संवर्द्धन मलेशिया, सिंगापुर और अन्य छोटे देशों की तुलना में बहुत ही कम है।

इसलिए हमें इस स्थिति पर ध्यान देना होगा जहां खाद्य उद्योग में सुरक्षा के अभाव और गुणवत्ता के अभाव में नुकसान हो रहा है और एक ऐसी स्थिति में है जहां हमारे पास बहुत से कानून है। जहां तक देश में खाद्य सामग्रियों के बारे में नियंत्रण का प्रश्न है यहां कानूनों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है; आवश्यक वस्तु अधिनियम है, तथा और आठ अन्य कानून है जिनके द्वारा यह शासित होता है। लेकिन जितने अधिक कानून हैं उतना ही अधिक भ्रम पैदा होता है। हम समझ नहीं पाते हैं; उत्पादक समझ नहीं पाते हैं; उपभोक्ता समझ नहीं पाते हैं; नहीं व्यापारी समझ पाते हैं और इसलिए वे सभी लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं वे इस भ्रम के कारण इन मुद्दों के बारे में नहीं जानते हैं।

इसलिए यह अनिवार्य है कि सभी वर्तमान कानूनों को एक खाद्य कानून में समेकित किया जाए और उस समेकित खाद्य कानून का कार्यान्वयन भारत सरकार और राज्यों के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा न करके एक केन्द्रीयकृत प्राधिकार द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए, आज के भूमंडलीकरण के बदलते परिदृश्य में जहां विश्व व्यापार संगठन भोजन की गुणवत्ता मानक खाद्य पर जोर दे रहा है, और जहां भारत में भी लोग मानक खाद्य की अपेक्षा करते हैं, हमें दो बातों की जरूरत है-पहली बात के हमारे पास एक एकीकृत कानून हो, दूसरी बात कि एक केन्द्रीय प्राधिकार की आवश्यकता है जो इस कानून को लागू कर सकेगा।

इस विधेयक को केवल इन दो अनिवार्यताओं या आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए इस विधेयक से इन दोनों उद्देश्यों की, जिनकी अपेक्षा है, पूर्ति होती है। इसलिए, इस विधेयक को लाने के लिए अभी से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता और यही कारण है कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक के कई लाभ है-और इसमें गुण ज्यादा दोष कम है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। इस विधेयक से देश में मौजूदा सारे कानून अद्यतन हो जाएंगे। इससे इस उद्योग को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कायम करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत सारी खाद्य श्रृंखला आ जाएगी जिसमें खाद्य की गुणवत्ता, खाद्य से जुड़ी बीमारियों, प्रसंस्करण तकनीकों के प्रभाव आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केन्द्रीय प्राधिकार दिशा-निर्देश तय करेगा और सुरक्षा के मानक तय करेगा। इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय विधानों के प्रावधान रखे गए ताकि यह विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुरूप हो। इसके द्वारा खाद्य प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण में लगे प्रमाणन निकायों के लिए तंत्र तथा दिशानिर्देश बनाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त इससे खाद्य उद्योग का वैज्ञानिक विकास होगा। यह विधेयक का उज्ज्वल पक्ष है।

[प्रो. एम. रामदास]

लेकिन दूसरी ओर जब आप इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर नजर डालेंगे तो मैं महसूस करता हूं कि कुछ मामलों में विधेयक में संशोधन करना पड़ेगा। पहली बात यही है। विधेयक की प्रस्तावना में ही सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता की बात कही गई है। लेकिन यह सुरक्षित और पुष्टिकर भोजन क्या है? परिभाषा खंड में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि खाद्य की परिभाषा के अंतर्गत आपने पशु चारा, जीवित जानवरों, कटाई पूर्व के फसल, नगरपालिकाओं द्वारा आपूरित पेयजल आदि को इससे बाहर रखा है। सभी खाद्य सामग्री में जल का घटक अवश्य होता है। यह जल घटक स्थानीय प्राधिकारों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। खाद्य वस्तु के अंतर्गत इसे नहीं बताया गया है या स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए इस बात की सभावना है कि एक व्यक्ति जो इस पानी को इस्तेमाल करता है को इस बात के दोषी ठहराया जायेगा यदि इससे वह गुणवत्ता न हो लेकिन नगर निगम के अधिकारी जो यह जल उपलब्ध करा रहे हैं उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए, इस खाद्य की परिभाषा में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए कि इसमें नगर निगम प्राधिकारियों या अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपूरित पेयजल शामिल है।

मैं और दो मिनट का समय लूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

परिषद, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के गठन की चर्चा करे तो सरकार ने इसमें सात मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व दिया है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय को छोड़ दिया है और यह है कृषि उद्योग मंत्रालय। कृषि उद्योग मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो खाद्य उद्योग को कच्ची सामग्री की आपूर्ति करता है। सरकार ने कृषि, वाणिज्य और उपभोक्ता, खाद्य प्रसंस्करण स्वास्थ्य, विद्यायी कार्य, लघु उद्योग मंत्रालयों को शामिल किया है लेकिन कृषि उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है? इसे भी सम्मिलित किया जा सकता था।

यह बहुत ही तकनीकी विषय है। खाद्य के निर्माण में कई वैज्ञानिक कानून, वैज्ञानिक परीक्षण, प्रयोगशाला तकनीक आदि सम्मिलित है लेकिन समिति के 19 सदस्यों में से केवल एक तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति का प्रावधान है। कृषि मंत्रालय का संयुक्त सचिव खाद्य सुरक्षा के मानकों को जान भी सकता है और नहीं भी जान सकता है। उपभोक्ता मामले या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन एक विख्यात खाद्य वैज्ञानिक को इसकी जानकारी अवश्य होगी। इसलिए, इन 18 व्यक्तियों में से सरकार ने केवल उस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही क्यों रखा। आप नहीं चाहते कि समिति में तकनीकी लोग हों। आप समिति के तकनीकी लोगों की सुविज्ञ सुझावों को नहीं जानना चाहते। मैं समझता हूं कि खाद्य उद्योग, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से कम से कम पांच तकनीकी सदस्यों को समिति में रखना चाहिए। यह बड़ी गलती है और यदि इसे नहीं सम्मिलित किया गया तो यह समिति ज्यादा ही नौकरशाह वाली समिति होगी और यह कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं दे पायेगी और इससे भोजन की गुणवत्ता या किसी भी चीज में सुधार नहीं होगा। इसलिए, हमें एक वैज्ञानिक व्यक्ति को तरजीह देनी चाहिए न की नौकरशाह को।

चयन समिति के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन सभापति का चुनाव कैसे होगा और 18 अन्य सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। केवल कहा गया है कि चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों के नाम की सिफारिश करेगी। यदि समिति किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है तो इसका नाम खोज समिति होना चाहिए न कि चयन समिति। यदि यह चयन समिति है तो आप चयन प्रक्रिया निर्धारित करें जिसे खुले तौर प्रकाशित किया जाएगा और योग्य व्यक्ति अपना आवेदन भेजेंगे और लोगों की प्रत्यय पत्र के आधार पर आप सिफारिश करेंगे। जब तक आप चयन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करते, आप इसे चयन समिति नहीं कह सकते बल्कि यह एक खोज समिति होगी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. एम रामदास: महोदय, मैं दो और मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लागू करना बहुत-बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि कांग्रेस पार्टी से हमारे विद्वान मित्र ने कहा, कि संगठित उद्योग के संबंध में सभी विधेयक आसानी से लागू और क्रियान्वित किये जा सकते हैं जहां आपने पहले ही लाइसेंसिंग प्रणाली को अनुमति दे दी है और जहां लोग नियमों और प्रत्येक चीज के बारे में जानते हैं। लेकिन आप हजारों लोगों, हाकरों, गलियों में ठेले लगाने वालों और छोटे दुकानदारों से इन

सारी प्रक्रियाओं को जानने की आशा कैसे कर सकते हैं? इसलिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के संबंध में कार्यवाही में तीन से अधिक वर्ष लग सकते हैं। वास्तव में, मैं कहूंगा कि इस विधेयक के सभी उपबंध केवल संगठित क्षेत्र में लागू किये जा सकते हैं और असंगठित क्षेत्र इनमें से किसी भी उपबंध से संतुष्ट नहीं होगा। या तो आप इस विधेयक के माध्यम से असंगठित क्षेत्र को समाप्त करना चाहते हैं या आप मानकों और शर्तों में राहत देना चाहते हैं ताकि असंगठित लोग जो कि इस सरकार, इस देश और रोजगार की रीढ़ हैं, जीवित रहें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। श्री चन्द्रभान सिंह।

प्रो. एम. रामदास: पेनल्टी के संबंध में, यह कहा जा रहा है कि न्यूनतम एक लाख रुपये पेनल्टी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रो. रामदास, मैं अगले वक्ता का नाम ले चुका हूं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: कितने छोटे व्यवसायी, गली में ठेले लगाने वाले या फल विक्रेता एक लाख रुपये पेनल्टी देने में समर्थ होंगे? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अधिकतम पेनल्टी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री चन्द्रभान सिंह। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभान सिंह (दमोह): सभापति महोदय, मुझे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल, 2005 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं अपनी पार्टी की तरफ से तथा फूड एंड सिविल सप्लाइड उपभोक्ता मामले संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल में सर्च करने की जिस तरह व्यवस्था की गयी है, वह बिल्कुल गलत है। अधिकारियों द्वारा सैंपल लेने की जो व्यवस्था दी है, इसमें सैंपल की कितनी मात्रा रहेगी, उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इससे किसी सामग्री की गुणवत्ता की सही पहचान नहीं हो सकेगी।

दूसरी बात, इस बिल में क्लाज 69 में जुर्माने का उल्लेख किया गया है, अधिकारियों द्वारा जीरो से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को ब्लैकमेल करके, उन्हें जुर्माने की धमकी देकर, बाद में समझौता करके, उसी एक लाख के जुर्माने को एक प्रतिशत या दो प्रतिशत करके, बीच की राशि अधिकारियों की जेब में जाने की गुंजाइश पैदा करता है, जिससे भ्रष्टाचार को अवसर मिलेगा। इससे शासन को जुर्माने की राशि और राजस्व का नुकसान होगा तथा व्यापारियों को मिलावट करके सामग्री बेचने का मनोबल बढ़ेगा। इस क्लाज में मात्रा की लागत पर जुर्माने का प्रावधान रखना चाहिए था, जिससे इसके दूरगामी परिणाम अच्छी तरह से मिल सकें।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह बहुत ही विस्तृत विधेयक है। यह स्वयं इसकी अनुसूची से स्पष्ट है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 और छः अन्य सांविधिक आदेश इस विधेयक के पारित होने से निरस्त हो जायेंगे।

एक वकील होने के नाते मैं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के क्रियान्वयन से सुपरिचित था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में, अभियोजन पक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरदायित्व सिद्ध करना। उत्तरदायित्व का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत एक मामला दायर किया जाता है तो एक खाद्य निरीक्षक संस्था में जाएगा, नमूने लेगा, उन्हें प्रयोगशाला में भेजेगा, एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और तब वह मामला न्यायालय में आएगा। न्यायालय पाएगा कि अभियोजक द्वारा उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है। यह परिणाम है। फलस्वरूप, सैकड़ों लोग इस सामान्य कारण से दोष मुक्त हो चुके हैं कि मिलावट के मामले में आरोपी को दोषी साबित करने में तकनीकी कठिनाई है। अब यह आम धारणा है कि मिलावट एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यह दिवस कार्यक्रम बन चुका है। जब

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

हम विश्व व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलावट की छानबीन करनी होगी।

अब हम वैश्विक व्यापार के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इस संदर्भ में इस विधेयक का अध्याय पांच बहुत प्रासंगिक है। अध्याय पांच में केवल एक खण्ड है जो भारत में खाद्य पदार्थों के आयात की अनुमति देता है। पहले हमारे खाद्य पदार्थ हमारी घरेलू रसोइयों में बनाये जाते थे। अनेक खाद्य पदार्थ जो घर में बनाये जाते हैं अब अमेरिका में या आस्ट्रेलिया में या कुछ दूरस्थ देशों में बनाये जायेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से उनका आयात किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, वे एक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना चाहते हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस विधेयक के अध्याय पांच की ओर दिलाना चाहूंगा। यह खण्ड 25 में है। भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाद्य पदार्थ आयात कर सकता है। इस संबंध में केवल एक प्रतिबंध जो गिना जाता है इस विधेयक के अध्याय-पांच के भाग 25 में है। मैं उस भाग को यहां उद्धृत करना चाहूंगा।

> "केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या अन्यथा विनियमित करते समय, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मानकों का अनुसरण करेगी।"

केवल यही भाग है जो विदेशों से खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। सुनिश्चितता क्या है? हम वैश्वीकरण और वाणिज्यिीकरण के युग में रह रहे हैं। अब लाभ कमाना केवल इसका परोक्ष उद्देश्य है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस अर्थ में यह आसान नहीं है, सुरक्षित नहीं है। भारत में आयातित खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट के लिए कौन उत्तरदायी है? निर्माता और उत्पादक तो आसानी से बच निकलेंगे। आयातित खाद्य पदार्थों के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारण एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी।

एक आलोचना की जाती है कि विधेयक का उद्देश्य वैश्विक व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। विश्व में सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भारत एक है। भारत से आगे केवल चीन ही है। खाद्य उत्पादन के मामले में हम दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। हमें खाद्य पदार्थों का आयात क्यों करना चाहिए? इससे हमारे घरेलू बाजार में बिना किसी प्रतिबंध के आयातित खाद्य पदार्थों की बाढ़ आ जाएगी। इस पर कोई अभियोजन भी नहीं हो सकता। किसी की जवाबदेही भी तय नहीं की जा सकती। किसी भी मिलावट के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए कानून बहुत अपर्याप्त है। यह एक बात है।

विधेयक में दी गई खाद्य पदार्थ की परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट है। जब आप खाद्य पदार्थ की परिभाषा देखें तो किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। भोजन बनाने के लिए पानी एक मुख्य अवयव है, जैसाकि परिभाषा में दिया गया है। भोजन बनाने के लिए पानी एक आवश्यक अवयव है। अब पानी की आपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या संबंधित नगरपालिकाएं जिम्मेदारी लेंगी? शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग जिम्मेदारी लेगा? कौन सा प्राधिकरण साफ और शुद्ध जल की आपूर्ति की गारण्टी देगा? किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसी गारण्टी की अनुपस्थिति में, और कोई भोजन बनाने में पानी एक आवश्यक अवयव होते हुए, खाद्य पदार्थों में मिलावट के किसी मामले में उत्पादक और निर्माता का पक्ष नहीं लिया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

अतः, अधिनियम में खाद्य पदार्थों की परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट है। इसलिए उन लोगों के लिए, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, कानून से बच निकलने के अवसर हैं। यह अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं माननीय मंत्री के विचार के लिए रखना चाहूंगा।

मैं अपने तर्क के समर्थन में एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी विवाह समारोह या चाय पार्टी में, संघटकों को बाजार से खरीदा जाता है और घर पर भोजन तैयार किया जाता है। यदि इस तरह से तैयार भोजन में कोई खराबी आएगी तो, जिस व्यक्ति ने भोजन बनाया उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार किसी के घर पर आयोजित टी-पार्टी के लिए खाद्य सामग्री बाहर से खरीदी जाएगी और यदि उन खाद्य पदार्थों के सेवन से कोई अतिथि बीमार हो जाता है, तो उस व्यक्ति पर, जिसने टी-पार्टी का आयोजन किया है, मुकदमा चलाया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा।

ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। खान-पान सेवा को भी इस परिभाषा में शामिल किया गया है। यह बहुत ही खतरनाक पहलू है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में न भेजा जाए। जब हम किसी विवाह समारोह या सायंकालीन चाय का आयोजन करते हैं तो अनेक प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं। हम उन्हें अपने

बगीचों में नहीं उगाते हैं, उन्हें हम स्वयं पैदा नहीं करते हैं। हम यह सामग्री बाजार से खरीदते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस सामग्री में कोई मिलावट होती है। इस सामग्री से हम भोजन बनाते हैं। वास्तविक परिणाम यह होता है कि हमें जेल भेजा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक है। इस संविधि के प्रावधानों के अधीन उत्तरदायित्व का निर्धारण कभी भी नहीं किया जा सकता। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बहुत सख्त था। तब भी लोग बच जाते थे। छूट जाना आम बात थी। मैं आपको यह अपने 50 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं।

यह संविधि कई प्रकार से अनिश्चित है। वास्तविक अपराधी बच जाएंगे। इस संविधि का क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक जिले में एक प्रयोगशाला होगी। परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए। क्या यह संभव है? क्या ऐसा करना भारत के किसी भी राज्य में संभव है? ऐसी स्थिति में इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा? परीक्षण के लिए, नमूने दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भेजने होंगे। अन्यथा उन्हें परीक्षण हेतु और विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु राज्यों की राजधानियों में भेजना होगा। निष्कर्ष यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करना असंभव है। परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास उपकरण नहीं है और पर्याप्त प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं। राज्य सरकारें धन की कमी के कारण यह कार्य करने में असमर्थ हैं। वे प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला की स्थापना करने में समर्थ नहीं है। इसके बिना इस संविधि को लागू करना मुश्किल होगा। इसलिए, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

विचार अच्छा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत मुश्किल है। सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में प्रयोगशालाएं स्थापित करने स्थिति में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

हम बाजार से सब्जियां खरीदते हैं। सब्जियां उगाने के लिए, किसान अत्यधिक रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उन सब्जियों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ये कुछ परेशानियां हैं। इसे भी खाद्य पदार्थों की परिभाषा में शामिल किया गया है। यही कारण है कि मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

अत: इन पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं सोचता हूं सरकार को निकट भविष्य में सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में भारी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभिभयोजन, साक्ष्य और जवाबदेही निर्धारण के मामले में संशोधन करना पड़ेगा। विचार अच्छा है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में जटिलता अच्छी बात नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी पहलुओं पर विचार करें और जहां तक सम्भव हो अगले सत्र में इन मुद्दों से संबंधित संशोधन लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सभापति महोदय, मैं इसी स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को फूड सैफ्टी एंड स्टैण्डर्ड्स बिल, 2005 इस सदन में लाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं।

इस बिल में कहा गया है कि:

[अनुवाद]

"खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अभिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।"

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी वाकई इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मगर अभी पूर्व वक्ता और इस सदन के अनुभवी माननीय सदस्य राधाकृष्णन जी और राव साहब ने जो विचार रखे हैं कि कुछ बिन्दुओं पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, आपने जो बिल यहां प्रस्तुत किया है उसकी धाराओं में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, मैं उनके साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। समय कम है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मगर जो विशेष बात है, जिसे मैं यहां कहना चाहूंगा, वह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेन्टर्स हों, जहां लेबोरेटरीज हों, जहां आपके ऑफिसर्स हों, जहां आपके इन्सपेक्टर्स हों तथा जिन स्थानों पर फूड एडल्ट्रेशन होती पाई जाती है या जिनके खाद्य या पेय पदार्थों में कमियां पाई जाती हैं, उन खाद्य और पेय पदार्थों की सुरक्षा और संरक्षण होना आवश्यक है।

अब मैं दवाइयों की तरफ आता हूं। प्राय: अखबारों में और टीवी पर ऐसी घनटाओं की जानकारी मिलती है, जहां नकली दवाइयों की सप्लाई की जाती है। जो दवाइयां मरीज अपने स्वास्थ्य

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

के लाभ के लिए प्राप्त करता है, दुर्भाग्य से उन नकली दवाइयों को खाने से वह अपने जीवन का अन्त कर देता है। ऐसी स्थिति केवल छोटी जगहों पर ही नहीं होती है, बीच में अखबारों में आया था और मैंने सुना था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खराब ग्लूकोज या एडल्ट्रेटेड ग्लूकोज की सप्लाई होने की वजह से कई मरीजों की जान तक चली गई। यह प्रवृत्ति केवल देहातों या छोटे शहरों तक ही सीमित नहीं है, इसे भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अभी हमारे माननीय साथी कह रहे थे कि यूरिया मिल्क बाजार में खुले आम बिक रहा है और मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि यह यूरिया मिल्क कितना हानिकारक है। मैंने पहले भी इस सदन में इस बारे में अपने विचार रखे हैं। आप इसकी कल्पना करें कि इस दूध को पीने से छोटे बच्चों में, जिनको माताएं अपना दूध नहीं पिला सकती हैं और बाजार से दूध खरीदती हैं, उसके पीने से एक स्लो-पाइजनिंग जैसी स्थिति बन जाती है।

अपराह्न 5.00 बजे

यहां भी उस दूध के सैंटर्स हैं। हम लोग दिल्ली में दिल्ली मिल्क स्कीम का दूध लेते हैं और हम भी उससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि उस दूध के सेंटर्स गांवों में हैं, जहां यह मिलावटी दूध तैयार किया जाता है और फिर खुलेआम बेचा जाता है। लेकिन दुख की बात है न तो प्रांतीय सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया है। इस मामले की छानबीन के लिए कोई रेड तक नहीं हुई है। जिला स्तर पर यह मिलावटी यूरिया मिल्क बिक रहा है। इस पर न तो जिलाधीश ध्यान देते हैं और न ही कोई फूड इंस्पेक्टर इसको चैक करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो चंद लोग ऐसे मिलावटी दूध के रूप में धीमा जहर पूरे समाज में बेच रहे हैं।

इसी तरह से मिठाइयों की बात है। अधिकांश मिठाइयां दूध से बनती हैं और उनमें भी यही दूध प्रयोग किया जाता है, जिसमें केमिकल्स होते हैं। पिछली दीपावली पर हमने सुना था कि सैकड़ों बच्चे ऐसी मिठाई खाकर बीमार हो गए और कइयों को तो जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।

जहां तक सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात है, तो चाहे पेप्सी हो या कोकाकोला हो, देहातों में अधिकांश ये ड्रिंक्स मिलावटी और घटिया क्वालिटी के बेचे जाते हैं। कई स्टेशंस पर रेलगाड़ी जब रुकती है तो वहां जैली, सास, ज्यूस, ड्रिंक्स इत्यादि पेय पदार्थ मिलावटी होते हैं। इन चीजों का हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जिससे आए दिन लोग बीमार होते हैं और इसी का कारण है कि कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है और तमाम लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। यही हाल मिनरल वाटर का है। आम स्टेशंस पर जब ट्रेन रुकती है तो अक्सर लोग पीने के पानी की बोतल खरीदते हैं। लेकिन उसकी भी क्वालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कई बार मैंने खुद देखा है कि मिनरल वाटर की बोतल में कीड़े पाए गए। कई लोगों ने बताया कि अधिकांश कम्पनीज नल के पानी को ही बोतल में भरकर सील करके बाजार में बेच रही हैं। उस पर आईएसआई मार्क का छपा हुआ लेबल लगा दिया जाता है। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस तरह के पानी को पीकर ट्रेंस में कई हादसे हुए हैं।

इसके अलावा अगर हम फूड पर जाएं, चाहे मीट हो या चिकन हो, उसकी क्वालिटी को देखें तो उससे भी कई लोगों को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने खराब क्वालिटी का फूड खा लिया था, जिससे फूड पॉयजनिंग हो गई। इसके अलावा तेल और घी में भी मिलावट पाई जाती है। इन चीजों का प्रयोग हम रोज करते हैं और लोग घटिया क्वालिटी का तेल और घी खरीद रहे हैं। मेरे क्षेत्र के बराबर में ही हाथरस है। वहां का देशी घी काफी प्रसिद्ध रहा है। वहां पर टनों देशी घी बनाकर जगह-जगह बेचा जाता है। कई बार सुनने में आया कि उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। अगर हम हिसाब लगाएं तो पता चलेगा कि इतना दूध का उत्पादन नहीं होता, उससे ज्यादा का रोज वहां घी बनाकर हाथरस की मंडी में बेचा जाता है। इसलिए यह कैसे सम्भव हो सकता है कि हम अच्छा और शुद्ध घी खा सकें। इन मिलावटी तेल और घी को खाने से कई प्रकार के रोग होते हैं और कई लोगों की जान जाती है। इसका प्रमाण हम कुछ साल पहले देख चुके हैं, जब बाजार में सरसों के तेल में मिलावट करके उसे बेचा गया था, जिसे खाकर सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस बात को लेकर उस समय काफी हंगामा हुआ था। मैं समझता हूं तब एनडीए की सरकार थी। विपक्ष वाले माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं।

इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि लिकर्स में भी मिलावट होती है। चाहे शहर हो या देहात, लोग शराब पीते हैं और ऐसी मिलावटी शराब पीने से थोड़े बहुत नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बिल के माध्यम से इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक फर्टीलाइजर की बात है तो फर्टीलाइजर उत्पादन के लिए मूल चीज है और बिना उसके हम अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन आज फर्टीलाइजर नकली बिक रहा है। हमारे जिले में किसान शिकायत करते हैं कि जो सरकारी सप्लाई आती है उसमें मिलावटी यूरिया और अन्य फर्टीलाइजर्स होते हैं जिससे किसान के उत्पादन में कमी आती है। हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो सबमें मिलावट है। दाल-चावल-गेहूं मसाले सब में मिलावट है और उससे कंज्युमर परेशान है और सरकार की तरफ से कोई क्वालिटी कंट्रोल की बात नहीं है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिना सख्ती किये काम नहीं होता है। इसलिए इसमें सख्ती बरती जानी चाहिए और उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो मिलावट करते हैं। चाहे देसी कंपनियां हों या विदेशी कंपनियां हों, अगर उनके प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई जाती है तो उन लोगों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए।

स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जमाने में जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनी थी तब भी मैं उसका एक सदस्य था। सरकार बदली और जनता सरकार आई तब कोका-कोला और पेप्सी को हिंदुस्तान में लाइसेंस देने की बात हुई थी। उस समय के बहुत से माननीय सदस्य भी अब इस हाउस में होंगे और उनको याद होगा कि उसमें यह शर्त यह रखी गयी थी कि हम पेप्सी और कोका-कोला को लाइसेंस तब देंगे जब वे हमारे ग्रामीण उत्पादन टमाटर और आलू के लिए स्मॉल इंडस्ट्री लगाएंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। ऐसा करने से हमारे किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, आप अपने मंत्रालय के उन पन्नों को पलटकर देखिए। पेप्सी और कोका-कोला आया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वे इकाइयां नहीं लगी हैं जिससे किसानों को अपनी फसल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। मैं आपके प्रति और सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कानून का सख्ती से पालन करें जिससे मिलावट में गिरावट आये। मैं समझता हूं कि जब एनडीए की सरकार थी तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का रहा है। इसलिए जो मिलावट करते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं वह बहुत पुराना बिल है। यह बिल कई बार सदन में आया है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को गौर से देखें, यह बहुत मोटा बिल है और आप इसे एक दिन में पास कराना चाहते हैं। इस बिल में आपने कहा है कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और पंचायत से लेकर सारे के सारे अधिकार आपके हाथ में आ जाएंगे। आपके सबका सहयोग इससे मांगा है और वापस बुलाने का अधिकार भी आपने इसमें दिया है। आप इसके ऑब्जैक्ट्स को देखेंगे तो इसमें आपने कहा है कि भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात करने की व्यवस्था आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप लोगों को शुद्ध सामान मुहैया कराना चाहते हैं, यह आपका उद्देश्य है। मैं सभी उद्देश्यों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप यह बिल जल्दी में लाए हैं, इसलिए मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप कुछ बातों का इसमें समावेश कर लेंगे तो निश्चित रूप से यह बिल ठीक हो सकता है। मैं और मेरी पार्टी इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इसमें बहुत सी बातें फेरी वाले, ढाबे, रेस्टेरेंट वाले, दूध सप्लाई करने वाले व्यक्ति के हित में नहीं कहीं है और उन्हें इस बिल के तहत शामिल किया है। लेकिन आपने किसानों को निकाल दिया है, यह बहुत अच्छी बात की है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो छोटे-छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, जो कचौरी, समोसे बनाते हैं, ढाबा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ऐसे लोगों को इस बिल में से यदि निकाल देंगे तो आपका बिल अच्छी बन सकता है। हम भी यही चाहते हैं कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। आज हल्दी में मिलावट होती है, मुझे क्षमा करेंगे, धनिए में गधे की लीद मिलायी जाती है और लोग बढ़े स्वाद से खाते हैं। हर प्रकार से मिलावट की जा रही है। यह एक रोग है। आज राजनीति में भी मिलावट आ गई है। इसलिए मैं मिलावट का विरोधी हूं, लोगों को शुद्ध चीजें मिलें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। आप आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगा रहे हैं और वैट बोर्ड, जो कि ब्लैक लिस्ट हो चुका है, उससे गेहूं मंगा रहे हैं। गेहूं भी खराब किस्म का आ रहा है। हम 10.20 रुपये के हिसाब से गेहूं खरीदने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आस्ट्रेलिया से और ऐसी कम्पनी से जो कि ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, गेहूं खरीदना गलत है और यदि ऐसा नहीं होता, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि आज भारत के किसानों को 7.50 रुपये के हिसाब से मूल्य देते, तो भारत का किसान खुशहाल हो जाता और बाहर से गेहूं आयात करने की जरूरत नहीं होती और आपकी बदनामी भी न होती। आपके अधिकारी जो कि फूड कार्पोरेशन में काम करते हैं, वे अच्छे गेहूं की मिलीभगत के आधार पर लोगों को 3.32 रुपये के हिसाब से बेकार बताकर बाहर बेच देते हैं। वही गेहूं बाजार में 9-10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। इस संबंध में यदि आप उचित व्यवस्था करेंगे तो अच्छा होगा।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

इसी प्रकार से मेरा एक और निवेदन है कि छोटे-छोटे वैंडर्स को लाइसेंस कौन देगा? इनको लाइसेंस एक जगह मिल जाए, पंचायत से मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन यदि उसे अलग-अलग स्थानों में जा कर लाइसेंस लेना पड़े तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैंडर्स एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं। वह हर जगह के लिए लाइसेंस कैसे लेगा? आपने ऐसा किया है कि वह जहां खड़ा है केवल वहीं का लाइसेंस लेना आवश्यक होगा या तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि एक बार लाइसेंस ले लिया तो दूसरी जगह के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता न पड़े। उसे घूमने के आधार पर लाइसेंस मिले और उसे हर जगह के लिए लाइसेंस न लेना पड़े। इसकी किस प्रकार से आप रोक-टोक करेंगे, नहीं तो मैं समझता हूं कि बेईमानी बढ़ने का निश्चित रूप से एक आसान तरीका हो जाएगा। मेरा कहना है कि ज्यूरिसडिक्शन भी तय होना चाहिए कि कौन-सा अधिकारी उसे कहां चैक कर सकता है। दूसरे स्थान पर चैकिंग नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में यदि आप व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

इसी तरह से सैम्पल देने का काम किस आधार पर वह करेगा, क्या लैबोरेट्री में जो सैम्पल देकर आया है, क्या उसकी वहां पर सही जांच होगी और उसकी जांच होने के बाद यदि वह व्यक्ति दोषी है तो उसे सजा देने की बात अगर आप करेंगे, तो बात दूसरी होगी। आखिरकार सैम्पल देने का कोई तरीका होगा लेकिन इसका बिल में उल्लेख नहीं किया है। आपने कहा है कि एसपी को सिविल, क्रिमिनल अधिकार होंगे और 6 महीने की सजा सुनाई जा सकेगी लेकिन एक लाख रुपये जुर्माने की बात बहुत बड़ी है। गरीब वैंडर्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना हो जाएगा तो उसकी जिन्दगी की सारी कमाई इसी में चली जाएगी और उसका दीवाला निकल जाएगा। आपको इस संबध में विचार करना होगा।

आश्चर्य की बात है कि नगरपालिका द्वारा जो पानी सप्लाई होता है, उसे छोड़ दिया है। यह कौन सा तरीका है? नगरपालिका का पानी सब्जियां बोने और घरों के काम आता है लेकिन उसमें मिलावट होती है। मैं जयपुर शहर की बात कहना चाहता हू। वहां गटर लाइन को पीने के पानी की लाइन के साथ जोड़ दिया गया। इससे पानी में बदबू आती है। जहां सब्जियां पैदा होती हैं वहां वही पानी इस्तेमाल होता है। आपने पानी को छोड़ दिया जिसके संबंध में विचार करें। लैबोरेट्रीज कहां होंगी? कहा गया है कि उनकी दिल्ली में जांच हो सकती है। यदि राज्यों में लैबोरेट्रीज बनाएंगे तो राज्यों के पास पैसा नहीं है। क्या आप पैसा उपलब्ध कराएंगे? आप इस संबंध में विचार करें। आपने इसके लिए कुल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है लेकिन 7 करोड़ रुपये वेतन आदि पर खर्च हो जाएंगे और भूमि या भवन कर या दूसरे कोई कर लगा दिए तो ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में तीन करोड़ रुपये में यह काम नहीं चल सकेगा। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। ठीक प्रबंध न होने की वजह से खाद्यान्नों का अभाव है। विदेशी लोग खड़ी फसल को ही खरीद लेते हैं। आप उन्हें दंड देने के बारे में क्या प्रावधान करेंगे? वैज्ञानिक मानकों के आधार पर भंडारण की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं है। गणेश जी की सवारी चूहे हैं, वे सारा खाद्यान्न नष्ट कर देते हैं। इस संबंध में भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों के पास है। आप व्यापक रूप से इस बिल को लाएं और छोटे वैंडर्स को छोड़ दें। जो दंड का प्रावधान एक लाख रुपये रखा है, उसे वापस लें। आप मानव हैं और मंत्री है लेकिन राज्य सभा से चुनाव जीत कर आए हैं। आपकी भलाई के लिए कहना चाहता हूं कि यदि लोक सभा से चुनाव जीत कर आएंगे तो छोटे वैंडर्स जिनके लिए आपने एक लाख रुपये के दंड का प्रावधान किया है, वे आपको वोट नहीं देंगे। सरकार सोच रही है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है लेकिन यूपीए की सरकार उलट-पुलट वाली सरकार है। आप मेरे सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदय, आप मुझे बैठने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। आपने इस बिल में मजबूरी के कारण प्रावधान नहीं किए हैं इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, हम जिस दिन की राह देख रहे थे, वह दिन आ गया है। हमारे मिनिस्टर श्री सुबोध कान्त सहाय बहुत अच्छा बिल लाए हैं। भार्गव जी चाहे इसका विरोध करें, यह बिल पास हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की भी होती है। वह इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक 2005 लाए हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसमें चेयरमैन और 22 सदस्य तथा एक्सपर्ट लोग भी होंगे। मुझे लगता है कि प्राधिकरण की स्थापना होने के बाद इंसपैक्टर राज खत्म होगा। इंसपैक्टर जगह-जगह जाकर रिश्वत लेते हैं और व्यापारियों तथा लोगों को गुमराह करते हैं। इस तरह से इस प्राधिकरण के माध्यम से एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। इसके लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति और एक वैज्ञानिक पैनल की स्थापना आप करने वाले हैं। यदि यह एक अच्छा बिल पास होता है तो खाद्य की सुरक्षा करने की दृष्टि से और इंस्पैक्टरों द्वारा जो करप्शन हो रही है, उसे रोकने में इस बिल का अच्छा उपयोग हो सकता है। मैं अधिक न बोलते हुए

इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि इस विधेयक में अनेक समस्याएं हैं। इस विधेयक की मंशा अच्छी हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया गया था। आज वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत जो दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक और सब्जियों के उत्पाद में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं, परिरक्षण सुविधाओं और समुचित पैकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण अपने खाद्य पदार्थों को बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण इसे प्रति वर्ष 40-50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

विधेयक का उद्देश्य खाद्यान्नों का परिरक्षण करना है। यह अच्छी बात है। किन्तु इस विधेयक में खाद्य प्राधिकरण गठन की भी परिकल्पना की गई है। इस विधेयक पर गौर करने के पश्चात, यह देखा गया है कि इस प्राधिकरण को कुछ स्वेच्छाचारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो भविष्य में किसानों को फसलोत्पादन और इनके उत्पादों को छोटे-छोटे खुदरा बिक्री केन्द्रों जैसे छोटे विक्रेताओं और फेरी वालों, जिन्हें इस विधेयक के माध्यम से कोई संरक्षण नहीं मिला है, को बेचने में हानिकारक हो सकती है। यह विधेयक केवल पैकेजिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है, जिसकी स्थिति देश में सबसे खराब है। आज मलेशिया, थाइलैण्ड जैसे छोटे-छोटे देश, यहां तक कि चीन भी इस क्षेत्र में हमसे आगे है। आज, जब हमारे उत्पादों की आपूर्ति यूरोपीय संघ अथवा अमरीका या विश्व के किसी अन्य भाग में की जाती है तो हम खाद्य मानक और सुरक्षा का अनुपालन नहीं कर पाते हैं। इसका अधिकांश उत्पादन या तो जमा होता रहता है या दूसरे देशों से वापस भेज दिया जाता है अथवा भरे हुए जहाज को ही स्वदेश वापस भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष इस सम्माननीय सदन में यूरोप को बासमती चावल की आपूर्ति से संबंधित प्रश्न उठाया गया था। रासायनिक मिलावट इतनी ज्यादा थी कि बासमती चावल से भरा हुआ पूरा जहाज ही भारत वापस भेज दिया गया। इससे इस चावल के व्यापारियों, विपणनकर्त्ताओं और उत्पादकों को नुकसान हुआ। अंतिम रूप से यह देश का ही नुकसान था। आज, यद्यपि हम अपने देश में सर्वाधिक सब्जियां पैदा करते हैं और हमारे यहां भूमि जोत भी अधिक है लेकिन फिर भी हम लगभग 50,000 करोड़ रुपये मूल्य की दालें और इतने ही मूल्य का खाद्य तेल अपने उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए आयात कर रहे हैं। इसका कारण पैकेजिंग उद्योग की विफलता और किसानों द्वारा अनाज, दलहन और तेल उत्पादन को प्रोत्साहन न देना है। मलेशिया और श्रीलंका के बीच साफ्टा व्यवस्था की जानकारी होगी।

इस एकल प्राधिकरण के निर्माण संबंधी विचार राजग सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक एकल खाद्य प्राधिकरण का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उत्पादकों, वितरकों और विपणनकर्त्ताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धियों के साथ समान अवसर प्राप्त हो।

यह लागू हो चुका है। लेकिन यह कहते हुए मुझे दु:ख हो रहा है कि इस कानून का निर्माण करते समय माननीय मंत्री को कार्यान्वयन प्राधिकारी, खाद्य प्राधिकरण के निरंकुश अधिकारों का अध्ययन करना चाहिए था।

इस विधेयक का नाम 'खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक' है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इसमें खाद्य गुणवत्ता और खाद्य मानक को आप सम्मिलित करेंगे। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस वैज्ञानिक निकाय में नौकरशाहों का वर्चस्व है और जिन व्यक्तियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे खाद्य उत्पादों के खुदरा विपणन की जांच करेंगे वे मात्र कोई अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या सब कलक्टर होगा जो छोटे विक्रेताओं के लिए कई परेशानयां पैदा कर सकता है। मैं विधेयक के अन्य ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि अन्य सदस्यों ने भी इस पर विचार रखे हैं और पीठासीन अधिकारी महोदय भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

लेकिन मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि बाद में उन्होंने एक संशोधन लाया जिसमें उन्होंने किसानों, मछली उत्पादकों और मत्स्य कृषकों को इस अधिनियम के प्रावधानों से अलग रखा है। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और यदि माननीय मंत्री और यह सम्माननीय सभा सहमत हों, तो इस पर विचार किया जाए। हमारे देश में, विशेषकर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, केवल जनजातीय लोग ही लघु वन्य उत्पादों जैसे कोमल बॉस की शाखाएं, मशरूम और अन्य उत्पादों, जो वर्षाकाल के दौरान उगाते हैं, पर निर्भर हैं और इन वस्तुओं की निर्यात बाजार और आंतरिक बाजार में भी अच्छी खासी मांग है। इसलिए, उनको इस 'खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक' के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए और उन्हें इस दायरे से बाहर रखना चाहिए। अन्यथा उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। जब वे स्थानीय हाट के लिए इन उत्पादों को जाकर इकट्ठा करते हैं, और यदि आपका खाद्य निरीक्षक जाकर उनको चुनौती दे और कहे कि 'यह जहरीला है' क्योंकि मशरूम

[श्री बिक्रम केशरी देव]

के बहुत सी किस्में होती हैं, तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि कुछ मशरूम ऐसी जगहों पर उगते हैं तथा साथ होते हैं। कुछ वनों में उगते हैं, और कुछ बालू पर उगते हैं। वे इन सबको इकट्ठा करते हैं। लेकिन मशरूम की कुछ प्रजातियां, जहरीली भी होती हैं। लेकिन जनजातीय लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित होते हैं कि कौन सा मशरूम खाने योग्य है और वे लोग केवल उन्हीं मशरूम को बाजार में लाते हैं।

इसी प्रकार बांस की टहनियां और अन्य उत्पाद जो वर्षा ऋतु के दौरान पैदा होते हैं, को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाया जाता है तो देश में जनजातीय लोगों के बीच बड़ा असंतोष पैदा हो जोगा। वे लोग अनपढ़ हैं और यदि कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी आकर उनको धमकाता है तो उनके पास जो कुछ होगा वह सब कुछ उसको सौंप देंगे। इसका कारण यह है कि समय आने पर ये जनजातीय लोग चुनौती नहीं दे सकते या अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते।

अत: सरकार को इन लोगों तथा इनके उत्पादों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। तभी इस विधेयक का उद्देश्य तथा लक्ष्य पूरा होगा।

महोदय, मैं उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूं जहां देश की सबसे बड़ी तटरेखा है और इसके पास विपणन तथा झींगा, मछली पालन और सभी प्रकार के जल कृषि की बड़ी संभावनाएं हैं। इस सम्माननीय सभा में कई बार मैंने कहा है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। यदि आपके पास स्वदेशी तकनीक नहीं है तो कृपया विदेशी तकनीक हासिल करें और इसे भारतीय बाजार में लायें ताकि हमारे खाद्य पदार्थ और देर तक टिक सकें, अपने खोल में देर तक रह सके ताकि इनका निर्यात किया जा सके और हम देश में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल जापान और अन्य विकसित देशों में रेस्तरां में जो बेकार का खाद्य पदार्थ होता है, जिसे रेस्तरां मालिकों द्वारा फेंका जा रहा है, वह करोड़ रुपये से भी अधिक का होता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं?

[हिन्दी]

एक लाख करोड़ का खाना जो होटल में बनता है, उसे वहीं खाकर फैंक देते हैं।

[अनुवाद]

वे इतना नुकसान वहन कर सकते हैं। लेकिन भारत में हमारे लिए हर कौर कीमती हैं, अनाज का प्रत्येक दाना हमारे लिए कीमती है क्योंकि हमें अपने देश के 108 करोड़ लोगों का पेट भरना है। 108 लोगों को भोजन देना है। इसलिए इस देश में प्रत्येक कौर कीमती है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम हर निवाले को बचाये।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैंने यह महसूस किया सरकार को इस विधेयक के साथ इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। यह एक वृहद् आकार वाला विधेयक है।

इसे परिचालित किया गया होता, एक चर्चा के लिए तथा इसे आत्मसात करने के लिए और समय दिया होता लेकिन दुर्भाग्यवश आप इस विधेयक के साथ जल्दबाजी कर रहे हैं।

मुझे इस विधेयक के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। इस पर विस्तार से खंड-वार चर्चा के लिए समय नहीं है। सामान्यत: मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सुरक्षा के लिए है। इससे देश की खाद्य सुरक्षा का ढांचा खत्म हो जाएगा। खाद्य कानून को समेकित करने के नाम पर हम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और फल उत्पाद अधिनियम आदि जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को समाप्त कर रहे हैं। नौ या दस राज्य अधिनियम है।

महोदय, यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में स्थानीय समुदाय पर समुदाय का नियंत्रण होता है और अब स्थानीय संस्कृति केन्द्रीयकृत नियमों और बड़े पैमाने पर निर्मित होने वाले एक प्रतिशत औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयुक्त मानकों द्वारा नियंत्रित होगी। यह 'एकीकृत खाद्य कानून' हमारी विविध, विकेन्द्रीकृत खाद्य अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए है। यह मेरी पहली आपत्ति है।

दूसरी बात, जिसे मैं संक्षेप में रखूंगा, वह इन कानूनों को समाप्त करने से संबंधित है। वास्तव में, इसका क्या मतलब है? इससे नेस्ले जैसे विश्वस्तरीय निगमों की हित साधना होती है जो शिशु आहार बेचते हैं। कोक और पेप्सी इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसीड, इथिलीन ग्लाइकॉल और बड़ी मात्रा में चीनी या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से युक्त शीतल पेय बेचने वाली कम्पनियों कोका कोला और पेप्सी कोला के मामले यह दर्शाते हैं कि औद्योगिक खाद्य उत्पादों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हम उनके लिए खुला बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इन स्वास्थ्य

खतरों की ओर इशारा किया गया। संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर अपनी राय दी है।

मांसन्तो जो भारतीयों को बिना परीक्षण किये जी.एम. फूड बेच रहा है, कारगिल और ए.डी.एम. जो हम पर सौदा लाद रहे हैं, यद्यपि कि इसमें बड़ी मात्रा में अंत:स्रावी विघटनकारक है और वे मानव हार्मोन्स और प्रजननशीलता को प्रभावित करते हैं, या हाईफ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो स्थूलता पैदा करने के लिए जाना जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने का मतलब है खाद्य सुरक्षा को समाप्त करना न कि खाद्य सुरक्षा का निर्माण करना। परिणाम तो यही होगा।

मैं अब जल्द ही समाप्त करूंगा। व्यवहार में इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक खाद्य प्रसंस्करण को नियंत्रण रहित करना है जिससे स्वास्थ्य के खतरे और रसायनों, कृत्रिम सिन्थेटिक पदार्थों तथा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से बीमारियां पैदा होंगी।

इस उद्योग पर से नियंत्रण हटाकर इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक किसान या छोटे विक्रेता के लिए पुलिस राज पर इन्सपेक्टर राज स्थापित करना है। 'खाद्य कारोबार' की परिभाषा दूरगामी है और 3(ढ) में सम्मिलित 'खाद्य कारोबार' का मतलब है कोई भी उद्यम जो चाहे लाभ के निमित्त हो या नहीं, चाहे सार्वजनिक हो या निजी जो विनिर्माण प्रसंस्करण, भंडारण, खाद्य का परिवहन तथा वितरण के किसी भी चरण से संबंधित गतिविधियों को सम्पन्न करता है और इसमें खाद्य सेवाएं, खाद्य की बिक्री और खाद्य अवयव सम्मिलित हैं।

इसका क्या मतलब है? इसके मंदिर और गुरुदारों को भी सम्मिलित किया गया है। व्यवहार में कोई भी खाद्य जो मंदिरों में दिया जाता है इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होगा। इसके इतने दूरगामी परिणाम है। यह अधिनियम सामान्यत: किसानों और छोटे ढाबे वालों के लिए हानिकर है। मुझे नहीं पता कि खाद्य पदार्थों का वैज्ञानिक मानक क्या है। मैं इसे नहीं समझ पाता। खैर, इसे किसी छोटे ढाबे वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इस कानून के उपयोग में भेदभाव बरता गया तो इससे केवल बड़े निगमों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

मैं थोड़े समय में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। स्थायी समिति के दौरान मैंने यही टिप्पणी की है। इस अधिनियम के द्वारा हम छोटे खाद्य कारोबार को खत्म कर देंगे और इसकी जगह बड़ी कम्पनियां लेंगी। सामाजिक रूप से इस प्रस्तावित विधेयक से ज्यादा अन्यायपूर्ण कोई अन्य विधेयक नहीं हो सकता।

मुझे एक बात और कहनी है। इस विधेयक को कौन ला रहे हैं? यह स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है जो इस विधेयक को ला रहा है। इस विधेयक में किसकी दिलचस्पी है? वाणिज्य मंत्रालय को इसमें दिलचस्पी है। उद्योग विभाग को इसमें दिलचस्पी है। नौकरशाहों को इस विधेयक में दिलचस्पी है। क्या यू.के. में ऐसा हुआ है? क्या अमेरिका में भी, जिसकी हर बार हम चर्चा करते हैं, ऐसा हुआ है? किसने इस विधेयक को सर्वप्रथम लाया? क्या यह आम आदमी की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा है या निगमों की लाभ के लिए खाद्य सुरक्षा है?

इस तथ्य को देखते हुए कि हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय कैसे इससे सहमत हो गए। सामान्य रूप से, मैं ऐसा कहते हुए भयभीत हूं, कि इस विधेयक को जल्दीबाजी में पारित कराने के पीछे कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो छोटे किसानों, छोटे ढाबा वालों और आम आदमी के लिए सहायक नहीं है। सामान्यत: यह बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ पहुंचाने तथा कॉरपोरेट राज लाने के लिए है।

श्री सुबोध कांत सहाय: महोदय आपका धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यगणों को भी धन्यवाद देता हूं। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में सार्थक योगदान दिया है। मैं यह कह सकता हूं कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में से ही कुछ के कारण मैंने इसमें कुछ संशोधन किए हैं जिनमें उनके सभी पहलू सम्मिलित हो गए हैं। अधिकांश माननीय सदस्य छोटे दुकानदारों और गांवों में छोटे-मोटे कार्य करने वालों जैसे कि हलवाई की दुकान या ऐसा ही कुछ अन्य, लेकर चिंतित थे, हमने उन सभी को इससे पूर्णतया बाहर रखा है। मेरे मित्र, श्री अधीर चौधरी कह रहे थे कि उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी आदतें बना सकें। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस विधेयक क्षेत्राधिकार से बाहर हम इस क्षेत्र, में जिसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान चलाने जा रहे हैं। मैंने एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है। आप सभी उस इंस्पेक्टर राज के प्रति आशंकित हैं जिससे उन्हें हानि होगी। ऐसा नहीं है। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि उन्हें कहीं पंजीकृत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनमें से अधिकांश धुमंतु प्रकृति के हैं। लेकिन उन्होंने अपने ठेले किसी चौराहे या दोराहे आदि पर स्थापित कर दिए हैं और उन्हें निकट की नगरपालिका या पंचायत में पंजीकृत कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें घूम-घूम कर अपना सामान बेचने की अनुमति होगी और उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जायेगी। लेकिन उन्हें स्वयं

[श्री सुबोध कांत सहाय]

को पंजीकृत कराना होगा कि 'मैं निकटवर्ती क्षेत्र में यह कार्य क रहा है।'

छोटे फेरी वालों और छोटे मोटे कार्य करने वालों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाए जाने के बारे में ही अधिकांश आशंकाएं व्यक्त की गई थी। उन्हें इस विधेयक में क्षेत्राधिकार से पूर्णतया बाहर रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ऐसा कह रहे हैं यह इस विधेयक में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। आपको हमें यह बताना चाहिए कि ऐसा प्रावधान इस विधेयक के किस खण्ड आदि में किया गया है जहां आपने उन्हें इस कानून की परिधि से बाहर रखा है। आपको हमें यह बताना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध कांत सहाय: इस विधेयक में ही यह प्रावधान है। यह इसी में है। मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आपको इससे संबंधित खण्ड विशेष के बारे में बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए और फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय: दूसरी बात पानी के बारे में है। जब आप पानी में मूल्य जोड़ रहे हैं तो वह एक अलग चीज बन जाता है। नगरपालिका का नल का पानी या तालाब आदि का पानी उपयोग में लाया जाता है। लोग यह कह रहे हैं-'आप पानी को भोजन में सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि पानी को इसके क्षेत्राधिकार में लाया गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में हम नल से पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यहां तक कि वे लोग तालाब या नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

अपराह्न 5.39 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

यदि आप किसी औद्योगिक गतिविधि के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं या खाद्य प्रसंस्करण में इसका उपयोग कर रहे हैं या इसकी बिक्री कर रहे हैं तो आप इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। इसीलिए, हमने इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से पानी को बाहर रखा है। लेकिन हमने औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग में लाए जा रहे पानी को इसके क्षेत्राधिकार में रखा है।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस एक बिंदु पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मेरा यह कहना है कि उनसे किसी भी वस्तु का आयात करना इसी कानून के अंतर्गत आता है क्योंकि आयात संबंधी कानून का इस कानून में विलय होने जा रहा है और एक ही प्राधिकरण इसे नियंत्रित करेगा। वह प्राधिकरण एक स्वतंत्र और पारदर्शी संगठन होगा। इसमें उत्तरोत्तर जांच के चार या पांच चरण होंगे। प्रशासनिक पक्ष की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी वहां होगा। इसमें न्यायपालिका के पक्ष की ओर से एक न्याय-निर्णय अधिकारी होगा। एक पदेन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण होगा। इससे अगले चरण में अपीलीय न्यायाधिकरण है जिसमें एक पदेन अधिकारी होगा। यदि चीजें उस स्तर तक जाती हैं तो उस राज्य विशेष का खाद्य आयुक्त वहां होगा और फिर उसके बाद वह दीवानी न्यायालय या उच्च न्यायालय तक जाएगा। यदि कोई बात भारत के खाद्य मानकीकरण प्राधिकरण तक जाती है तो फिर वह उच्चतम न्यायालय तक जाएगी। अत: इन चार चरणों को पूर्णतया स्पष्ट किया गया है। आप सभी यह कह रहे हैं कि यह एक बहुराष्ट्रीय विधेयक या ऐसी ही कोई चीज है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बाद में पूछना। कृपया बीच में व्यवधान पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि फूड इंस्पैक्टरों की क्वालीफिकेशन क्या होगी?

श्री सुबोध कांत सहाय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्तमान में फूड इंस्पैक्टर की जो क्वालीफिकेशन है, वही होगी। वर्तमान में 16 फूड इंस्पैक्टर हैं। उनकी जो क्वालीफिकेशन है, वही क्वालीफिकेशन होगी। उनकी क्या क्वालीफिकेशन है, वह आप जानते हैं। इस मामले को स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगी। हमें केवल लॉ बनाना है। आज जो हालात हैं, उनमें फूड इंस्पैक्टर्स 12 मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं। जो उनकी ड्यूटी है, उसे वे अपने-अपने मंत्रालयों के अनुसार परफॉर्म करते हैं। इस पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूल करके यदि हम एक जगह ले आते हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि कितने हैंड्स बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत थिन इन्फ्रास्ट्रक्चर है। अगर सारे मंत्रालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्लब करके एक जगह ले आया जाएगा, तो वह ज्यादा यूजफुल होगा या 12 मंत्रालयों में बंटा रहेगा, तो ज्यादा यूजफुल रहेगा, यह आप स्वयं अंदाजा लगाइए।

महोदय, हम अथॉरिटी बना रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अभी 10 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं, लेकिन कल जब यह एस्टाब्लिश हो जायेगी और अपनी वर्किंग शुरू करेगी, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वह दी जाएगी। राज्य सरकारों की लैबोरेट्रीज को भी हम अथॉरिटी के साथ जोड़ देंगे। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेट्रीज होती हैं, जिन्हें सरकार द्वारा ग्रेडेड किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स लैबोरेट्रीज होती हैं और अन्य इस प्रकार की तमाम लेबोरेट्रीज हैं, वे सभी अथॉरिटी के डिस्पोजल पर आ जाएंगी।

महोदय, एक सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन थी कि जो ट्रेडर होगा, उसे सबसे ज्यादा हैरास किया जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल में पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई फूड इंस्पैक्टर गलत तरीके से, किसी को फंसाने के लिए या परेशान करने के लिए कोई काम करता है, तो उस फूड इंस्पैक्टर के विरुद्ध एक्शन लेने, उसे री-कॉल करने और एक लाख रुपए जुर्माना करने की पॉवर फूड कमिश्नर को दी गई हैं। यदि विभाग के किसी व्यक्ति द्वारा जो बहुत ही नैग्लीजीबल लैवल पर गड़बड़ी की जाएगी, उसके लिए भी 25 हजार रुपए फाइन करने की शक्तियां कमिश्नर को दी गई हैं। जो मैन्यूफैक्चरर है, जो होलसेलर है, उनके ऊपर एक लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक फाइन लगाए जाने एवं सात साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है। किसी बिल में इतनी टफ लाइन पर नहीं चला गया है, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि सरकारी अमले के लोग किसी को जानबूझकर परेशान न करें।

महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इस बिल का हमारे बी.जे.पी. और एन.डी.ए. के साथी क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 28 फरवरी, 2002 को आपके फायनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इंटीग्रेटेड फूल लॉ ला रहे हैं। इसी हाउस में यह कहा गया था। उसके बाद ग्रुप आफ मिनिस्टर की पहली बैठक 27.1.2003 को हुई थी और उसी की कम्यूनिटी में तीन साल का कन्सलटेशन हुआ, जिसमें दो सरकारों के द्वारा इतना सारा कन्ट्रीब्यूट किया गया है। यही नहीं करीब सौ से ज्यादा स्टैक होल्डर्स ने इसमें इन्टेक किया है। स्थायी समिति को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल के लिए 26 सुझाव दिए, जिनमें से 21 को हमने एक्सैप्ट किया है। चार-पांच सुझावों, जिनको कि एक्सैप्ट किया है। चार-पांच सुझावों, जिनको कि एक्सैप्ट करना पॉसिबल नहीं था, उन्हीं को छोड़ा है। स्थायी समिति, कन्सलटेशन कमेटी और डेढ़ सौ लोगों के साथ कन्सलेटशन किया गया है। हमारे साथी कह रहे थे कि इस बिल पर राज्य सरकारों से कन्सलटेशन किया गया है या नहीं। कम से कम 20 राज्य सरकारों, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, आपकी सरकार ने भी इसमें सहयोग दिया है। इन सब ने अपना कन्ट्रीब्यूशन दिया है। पिछले डेढ़ साल से इंटरनेट पर सलाह लेने के लिए यह बिल डाला हुआ था। यूरोपियन यूनियन के लोगों ने, यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश के लोगों ने, सभी तरह के लोगों ने इस पर अपनी सलाह दी है। उन्होंने कहा आप इस विधेयक को इतना प्रभावी कैसे बनाएंगे कि यह स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सके?

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक साल के बाद लेकर के आइए और इसमें अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट दीजिए। हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत सी शंकाएं जो आपके मन में हैं। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन सभी को हम रूल और रेगूलेशन के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं, जो कि बिल के रूप में नहीं आ पाया है। बहुत से पुराने माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं और वे इस बात को जानते होंगे कि हर चीज बिल में नहीं आ पाती है। रूल और रेगूलेशन के माध्यम से उसको कवर किया जाता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, जिससे कि किसी को नुकसान हो।

उड़ीसा से हमारे मित्र श्री देव साहब कह रहे थे कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं भी जहां से आता हूं, वह इलाका भी पिछड़ा हुआ है। हम सभी का इलाका पिछड़ा हुआ है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यूपी से सभी पिछड़े इलाके हैं।

महोदय, कहने को हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं, लेकिन हम नैगलेजिबल प्रोसेस कर रहे हैं। जागिए, हमें जागना होगा। यदि किसान को बचाना है तो उसके प्रोडक्ट में वैल्यू एड कराना होगा। आज एक किलो पैक्ड टमाटर का मुंह मांगा दाम बायर दे देगा, लेकिन यदि किसान उसे टोकरी में रखकर बेचता है तो उसे कोई नहीं खरीदता है। वह उसे रास्ते में छोड़कर चला जाता है और उसे कोई उठाने वाला भी नहीं होता है। इसलिए इस सैक्टर में कोई उद्योग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। यह पैरीशेबल सैक्टर है। 16 इंस्पेक्टरों को झेलने की ताकत किसी उद्योग में नहीं है। पैसा कमाने के लिए इस देश में बहुत से अवसर पैदा हो गए हैं, जहां से वह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।

आज आईटी और बायो सैक्टर बूम पर है। मैं कहता हूं कि ये वक्त फूड टैक्नोलाजी सैक्टर का है और उसको रेगूलेट करने के लिए लॉ बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपके पास इस बिल को लेकर आया हूं।

[श्री सुबोध कांत सहाय]

महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि वह क्लॉज कहां है। मैं बताना चाहता हूं कि 31(2) को अगर आप देखें तो जो हमने कहा है, वह नजर आ जाएगा। हमारा जो एमेंडमेंट आया है, उसको आपने नहीं देखा है, आपने मैंने बिल के पार्ट को देखा है। हमने एमेन्ड करके उनको प्रिव्यू से बाहर कर दिया है। स्माल वैन्डर, स्माल हाकर्स, किसान और फिशरमैन को हमने इससे बाहर कर दिया है।

महोदय, 17 माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपनी बात रखी है। मैं समझता था कि इस बिल को ऐसे ही पास कर देंगे क्योंकि पिछले चार साल से यह डिबेट में है। फिर भी मैं यह सोचता हूं कि आप लोगों ने बहुत योगदान दिया है। आपने इसके विपक्ष में भी जो कुछ कहा है मैं उसे भी आपकी ओर से योगदान ही समझता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: आरम्भ में मैंने एक प्रश्न पूछा था और वह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। आपने सुरक्षित और पौष्टिक आहार, की व्याख्या नहीं की है। माननीय मंत्री जी ने जिस संशोधन के बारे में पृष्ठ 23, 31(2) में उल्लेख किया है इसमें यह भी दिया गया है कि छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले किसी अस्थायी स्टालधारक या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, यह इसमें है। उन्हें पंजीकृत होना ही पड़ेगा। यह ठीक है। लेकिन जो व्यवसाय वे आरंभ करेंगे वह है 'सुरक्षित और पौष्टिक आहार'। जब तक आप उसे निर्धारित नहीं करते तब तक यह विधेयक निरीक्षक को इतनी शक्तियां प्रदान करता रहेगा कि वे लोगों को परेशान करेंगे। हमारी इच्छा यह है कि आप 'मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की स्पष्ट रूप से व्याख्या क्यों नहीं करते? मैं केवल इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इसकी स्पष्ट व्याख्या करने में क्या हानि है? क्या इसे न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है? क्या न्यायालय इसका निर्धारण करेगा? मेरा आरम्भिक प्रश्न यही है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप 2-3 लोगों की बात सुन लें, उसके बाद आंसर देना।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: पहले, मैं पानी का उल्लेख करना चाहूंगा। पानी एक मुद्दा है। आज के 'दि इकनौमिक टाइम्स' में ऑल इंडिया फूड प्रोसेर्स एसोसिएशन' ने इस विधेयक पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। उसमें यह बताया गया है कि उन्होंने बहुत से लोगों से बात की है और उनके विचारों पर ध्यान दिया है। लेकिन सत्य यह है कि पानी के बारे में असंतोष है। पानी असंतोष का मुख्य मुद्दा है और उसी पर चर्चा हुई है।

दूसरे, कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में उदारीकृत खाद्य पदार्थों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। मैंने अपने भाषण में भी उल्लेख किया है। क्या मंत्रालय राजस्थान में एक खाद्य पार्क स्थापित करने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

तीसरे, क्या सरकार केन्द्रीय विज्ञान केन्द्रों को प्रयोगशालाओं के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है? इस सम्पर्क से इन केन्द्रों को अतिरिक्त सहायता मिल जाएगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बहुत महत्वपूर्ण और मूल प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अभी जब सम्मानित सदस्य अपने विचार रख रहे थे तो हम सभी लोगों ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है। आपकी जितनी बातें हैं, सब हम लोगों को स्वीकार हैं। हम लोगों ने जमीन में जाकर देखा है। जब तक आप जिला स्तर पर लैबोरेट्री, टैक्नीशियन, सैम्पलिंग, एक हफ्ते में रिपोर्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से मिलावट होती रहेगी, क्वालिटी और क्वाण्टिटी में फर्क होता रहेगा, इसलिए इसको आप जरा विस्तार से बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मेरा स्पष्टीकरण यह है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम पैदा करते हैं, उनमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक है। अब जबकि हम हरित क्रांति का सफल प्रयत्न कर चुके हैं, हम दूसरी हरित क्रांति के बारे में सोच रहे हैं। श्री स्वामीनाथन निरन्तर हरित क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। अब खाद्य पदार्थ उत्पादित किये जा रहे हैं और भविष्य के लिए जैविक पद्धति से उत्पादन की संभावना मानी जा रही है। क्या बाजार के खाद्य पदार्थों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में कोई अन्तर है? यदि जैविक खाद्य पदार्थ विनिर्माता जैविक खाद्य पदार्थों और उनके पैकेजिंग के साथ आगे आता है तो सरकार क्या प्रीमियम देगी। सरकार उन्हें कितना लाभांश देगी?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मंत्री जी ने इंस्पेक्टर के बारे में कहा। एक लाख रुपए और 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा बतायी, लेकिन अगर कोई इंस्पेक्टर इसमें लिप्त मिलता है, तो क्या उसको नौकरी से हटाने की व्यवस्था है? यह ठीक है कि एक लाख रुपए फाइन करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई इंस्पेक्टर मिलता है, तो उसको नौकरी से हटाना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय मंत्री नए कानून बना रहे हैं। आपने कई बातों का जिक्र किया। मैं इसके मूल में जाना चाहता हूं। कानून बनेगा और जैसा कि आपने कहा कि लैबोरेट्री एक साथ कर देंगे, जिलों को जोड़ देंगे, कई तरह की बातें आपने कही हैं। लेकिन यह कानून धरातल पर तब उतरेगा, जब लैबोरेट्री रहेगी, इस्पेक्टर रहेगा। वास्तविकता यह है कि कई राज्यों में न कोई लैबोरेट्री है, स्टेट कैपिटल में ही लैबोरेट्री नहीं है, जिलों की बात छोड़ दीजिए। वहां कोई प्रापर स्टाफ नहीं है, जो गाइड करे, कोई इंस्पेक्टर नहीं है। मैं अपने राज्य बिहार की बात कर रहा हूं, पटना में लैबोरेट्री है। मैंने स्वयं देखा है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। एक लैबोरेट्री हाजीपुर में है। मैं समझता हूं कि जब तक आप उसके ऊपर गौर नहीं फरमाएंगे, तब तक कानून बनाने के पीछे जो आपकी मंशा है, वह नेटवर्किंग नहीं हो पाएगा और सही मायने में कानून धरातल पर नहीं उतरेगा। मेरी आशंका यह है कि कानून सिर्फ कागज पर रह जाएगा और धरातल पर नहीं उतर पाएगा। जो फायदा आप लोगों को देना चाहते हैं, वह नहीं ही दे पाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में इसकी कमी है, लैबोरेट्री की कमी है, इन्फ्रास्टक्चर की कमी है, इंस्पेक्टर की कमी है, वैसी जगहों पर आपूर्ति करने की क्या आपने कोई व्यवस्था की है? आपने कहा है कि राज्य सरकारों पर इसे छोड़ेंगे, मगर राज्य सरकारों के पास कोई आधारभूत संरचना नहीं है, तो फिर इस कानून का कोई फायदा नहीं हो पायेगा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, विधायी दस्तावेज की प्रस्तावना में, इसका उल्लेख मानव उपभोग और उससे संबंधित मामले या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद भोजन की उपलब्धता के रूप में किया गया है। यहां तक के खंड 16 भी सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद भोजन का उल्लेख करता है। फिर भी, इसे इस विधान में परिभाषित नहीं किया गया है।

दूसरे, मैंने एक मुद्दा रखा है। यह प्रत्यायित प्रयोगशालाओं और परामर्शी (रेफरल) प्रयोगशालाओं के संबंध में है। एक संशोधन से, सरकार जोर दे रही है कि खाद्य पदार्थों से संबंधित विवादित मामलों में अंतिम निर्णय परामर्शी (रेफरल) प्रयोगशालाओं द्वारा दिया जाये। किन्तु यह अति व्यापक प्रावधान होगा; ऐसा लगता है जैसे इस संशोधन में विस्थापित करने वाला प्रावधान अन्तर्निहित है। अत: मैंने सुझाव दिया है कि ये मामले न्यायिक अधिकारी के लिए छोड़े जा सकते हैं।

जहां तक लेबलिंग का संबंध है, मैं जानता हूं कि पोषक खाद्य पदार्थों रूपान्तरित या गैर रूपान्तरित, कार्बनिक या अकार्बनिक आदि खाद्य पदार्थों की विषय सूची रखने का अनुबंध किया गया है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): इस सभा ने शीतल पेय पदार्थों पर संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी। इस संयुक्त संसदीय समिति ने बोतल बंद पेयजल के संबंध में सिफारिशें की हैं। जब पानी का वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जाता है और इसमें मूल्य जोड़ा जाता है, यह युक्तियुक्त आधार पर होना चाहिए ताकि ग्राहक या क्रेता को शुद्ध, अच्छी गुणवत्तायुक्त और प्रदूषण रहित जल मिल सके। अत: वह मानक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद सरकार द्वारा पहले ही घोषित किया जा रहा था।

जहां तक पानी का संबंध है, मूल्यवर्धित बोतलबंद पानी जिसका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए होता है, भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से उसे पहले ही लिया जा चुका है। दूसरे भाग के संबंध में भी, संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि स्वतंत्रता के बाद अनेक साल बीत चुके थे; अन्य देशों ने पहले ही उनके लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए विधान पारित कर दिये हैं। केवल हमारे देश में, हमने कोई मानक विधान नहीं बनाया है। अब यह विधान आया है और यह एक अच्छा विधान है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि कोई खामी रहती है तो सरकार सभा में उन्हें रख सकती है और आवश्यक संशोधन ला सकती है।

लेकिन जहां तक देश की आवश्यकता है इसकी जनसंख्या के स्वास्थ्य पर विचार के लिए हमें अपने देश में एक विधान लाना ही चाहिए और हम यह विधान लाये हैं।

सायं 6.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: अब छ: बज चुके हैं। सभा की क्या राय है? यदि सभा सहमत हो तो हम सभा का समय इस विधेयक को पारित करने और विशेष उल्लेखों को निपटाने तक भी बढ़ा सकते हैं

अनेक माननीय सदस्य: जी हां। महोदय।

श्री भर्तृहरि महताब: मैंने आईएमएस अधिनियम, 2003 के बारे में पूछा था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको पर्याप्त से ज्यादा समय दे चुका हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय: मैं इस पर आ रहा हूं। इसे विधेयक के मुख्यांश से बाहर रखा जा रहा है। मंत्री समूह के स्तर पर, इसे अंतिम रूप देते समय, हमने इसे इसके मुख्यांश से बाहर रखा था। अत: इसे शामिल नहीं किया गया है।

दूसरे, मैं अपने मित्र श्री दुष्यंत सिंह को आश्वस्त करने के लिए तैयार हूं। फूडपार्क आदि इसमें नहीं आते किन्तु राजस्थान हमारी प्राथमिकता है। आप कोई भी दिनांक निर्धारित कर सकते हैं और मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि वह हमारे खाद्य क्षेत्र से जुड़ा है। आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना है।

[हिन्दी]

मैं शैलेन्द्र जी और राम कृपाल भाई से कहना चाहता हूं कि आपकी शंका बहुत ही सही है कि जब तक लैब टैस्टिंग फैसीलिटी की नेटवर्किंग नहीं होगी, उसमें जो समय लगेगा, उससे जस्टिस नहीं मिलेगा। अभी भी हमारे मंत्रालय द्वारा फूड टैस्टिंग लैबोरेटरी लगाने के लिए राज्य सरकार को सौ प्रतिशत ग्रांट दी जाती है, यहां तक कि अगर कोई प्राइवेट आर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर आता है तो हम उन्हें भी सरकार के नियम के मुताबिक ग्रांट देते हैं। इसलिए जिस दिन यह अथॉरिटी बन जाएगी, मैं समझता हूं कि उनकी नेटवर्किंग की प्राथमिकता हो जाएगी, इसके बिना वैसे भी मेरा यह काम अधूरा रहेगा। इसलिए मैं आपकी इस शंका को दूर करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हम इसे पूरा करेंगे।

आदरणीय आठवले साहब ने जो पनिशमैंट की बात कही, नैचुरली अगर कोई इंस्पैकटर अनफेयर मीन्स यूज करने में पकड़ा जाता है तो उसके अधिकार को विदड्रा करने का अधिकार कमिश्नर के पास है, उस पर एक लाख रुपये तक का फाइन भी करना है और अगर उसके आगे होगा तो मैं समझता हूं कि उसकी नौकरी पर भी सवाल बन सकता है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सक्षम अधिकारी ले सकता है।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर के बारे में आपने जो कहा, पहले से ही नार्म्स हैं। उसे हम यह छूट नहीं दे सकते कि क्योंकि म्यूनीसिपैलिटी का पानी गंदा आ रहा है इसलिए आप बेचने के लिए जो फूड प्रिपेयर करेंगे, उसमें भी वह पानी डालकर बच जाएं, मुझे लगता है कि यह छूट देना न्यायपूर्वक नहीं होगा।

हमारे दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे कि घर में खाना बनेगा। जब हमने सेल करने की बात में वैंडर्स को बाहर कर दिया है तो घर और पार्टी में खाना खाने के परव्यू में यह नहीं जाता। यदि कहीं कोई घटना घट जाती है कि एडलट्रेटेड फूड से किसी की मृत्यु हो गई या कोई और घटना घट गई, तब की बात अलग होती है कि उसमें जांच होती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई फूड इंस्पैक्टर किसी के घर में जाकर जांच करे, वह इसके परव्यू में नहीं है। जो फूड अथॉरिटी बनने जा रही है, वह सारे रूल्स एंड रेगुलेशन्स लेड डाउन करेगी और अगर उसके बाद भी कुछ बचेगा तो मैं समझता हूं कि हाउस से बड़ी कोई चीज नहीं है, आप जिस दिन कहेंगे, उस दिन उसे अमैंड कर देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

परिभाषाएं

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खगेन दास-उपस्थित नहीं।

संशोधन किए गए

खंड 3 में सरकारी संशोधन हैं।

पृष्ठ 2,-पंक्ति 36, "प्राथमिक खाद्य" के *स्थान* पर "खंड (यट) में परिभाषित सीमा तक प्राथमिक खाद्य" *प्रतिस्थापित* करें। (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 और 25 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें-

"प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, आयात के किसी प्रक्रम से संबंधित क्रियाकलापों में से किसी को कर रहा है और इसके अंतर्गत खाद्य सेवाएं, जलपान सेवाएं"; (10)

पृष्ठ 6, पंक्ति 6 से 8 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें-

"(यज) "पैकेज" से ऐसा पूर्व पैक बाक्स, बोतल, संदूकची, टिन, बैरेल, डिब्बा, पाउच, आधान, बोरी, थैला, रेपर या ऐसी कोई अन्य चीज अभिप्रेत है जिसमें खाद्य पदार्थ पैक किया जाता है;"; (11)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17, "जो कृषक से भिन्न व्यक्ति के हाथों से" के *स्थान* पर "जो कृषक या मछुआरे से भिन्न व्यक्ति के हाथों से;" *प्रतिस्थापित* करें। (12)

पृष्ठ 8, पंक्ति 10, हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है; (13)

पृष्ठ 8, पंक्ति 13 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"(xii) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक नाशक जीवमार और अन्य संदूषक अंतर्विष्ट होने के कारण।"; (14)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

प्राधिकरण की संरचना और इसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

किए गए संशोधन

पृष्ठ 8, पंक्ति 29 में "निम्नलिकित अठारह सदस्यों से" के स्थान पर "निम्नलिखित बाईस सदस्यों से, जिनमें से एक तिहाई स्त्रियां होंगी, नामत:" *प्रतिस्थापित* करें। (15)

पृष्ठ 9, पंक्ति 6 के स्थान पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें-

"(घ) तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद या वैज्ञानिक;" (16)

पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "एक व्यक्ति" के *स्थान* पर "दो व्यक्ति" रखें; (17)

पृष्ठ 9, पंक्ति 10 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"(छ) खुदरा विक्रेताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति";

(श्री संबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 27 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के *स्थान* पर

"इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग" रखें; (19)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"खंड 6, संशोधित रूप में विधयेक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9

खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 10 से 12 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें–

"9. (1) खाद्य प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे की पंक्ति का नही होगा और जो प्राधिकरण का सदस्य सचिव भी होगा और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा"; (20)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

केन्द्रीय सलाहकार समिति के कृत्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 21 में, "खाद्य और सार्वजनिक वितरण" के पश्चात् "या सरकारी संस्थान या संगठन और सरकारी मान्यताप्राप्त कृषक संगठन" *अंत:स्थापित* करें; (21)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 18

अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किये जाने वाले सिद्धांत

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17, पंक्ति 38 में "सुसंगत हैं, जहां" के *स्थान* पर "सुसंगत है और जहां" रखें; (22)

पृष्ठ 18, पंक्ति 38 हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है; (23)

पृष्ट 19, पंक्ति 17 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"(3) इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक या मछुआरे या कृषि संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जलकृषि और कृषि में प्रयुक्त या उत्पादित प्रदार्थों या किसी कृषक फार्म या किसी मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं में उत्पादित उत्पादों को लागू नहीं होंगे।"; (24)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 22

आनुवंशिक रूप से उपांतरित खाद्य, कार्बनिक खाद्य, कृतकारी खाद्य, सांपत्तिक खाद्य, आदि

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 20, पंक्ति 30 में "या समूच्य" के *स्थान* पर "या समुच्चय" *प्रतिस्थापित* करें। (25)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 22 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24

विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यवहार के बारे में प्रतिवेध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22 पंक्ति 1 में "भ्रामक" के *पश्चात* "या प्रवंचनापूर्ण" *अंत:स्थापित* करें। (26)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 और 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27

विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 23, पंक्ति 35 में "विनिर्माता" के *पश्चात्* "या पैकर" *अंत:स्थापित* करें; (27)

पृष्ठ 23, पंक्ति 38 में "वितरक" के *स्थान* पर "थोक विक्रेता या वितरक" *रखें*; (28)

पृष्ठ 23, पंक्ति 40 और पृष्ठ 24, पंक्ति 1 में "या जिसकी अवधि समाप्त होने वाली है" *का लोप करें*; (29)

पृष्ठ 24, पंक्ति 4, के स्थान पर "(ग) असुरक्षित या मिथ्या छाप वाला है; या" *प्रतिस्थापित* करें। (30)

पृष्ठ 24, पंक्ति 9 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें-

"(च) यह जानते हुए प्राप्त करता है कि वह असुरक्षित है"; (31)

पृष्ठ 24, पंक्ति 10 से 17 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें:

"(3) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होगा, जो-

(क) उसके अवसान की तारीख के पश्चात् विक्रीत किया जाता है; या

(ख) अस्वास्थ्यकर दशाओं में हथाला या रखा जाता है; या

(ग) मिथ्याछाप वाला है; या

(घ) उस विनिर्माता या वितरक की, जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया गया था, पहचान बनाने वाला नहीं है; या"; (32)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 27 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28

खाद्य को वापस लेने की प्रक्रियाएं

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 24, पंक्ति 19 से 28 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें:

"28. (1) यदि कोई खाद्य कारबारकर्ता यह मानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा खाद्य जिसका उसने प्रसंस्करण, विनिर्माण या वितरण किया है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है तो वह तत्काल प्रश्नगत खाद्य को बाजार से या उपभोक्ताओं से, उसके वापस लिये जाने के कारणों को उपदर्शित करते हुए, वापस लेने की प्रक्रियाएं प्रारंभ करेगा और उसकी सक्षम प्राधिकारियों को सूचना देगा।

(2) कोई खाद्य कारबारकर्त्ता सक्षम प्राधिकारियों को तत्काल सूचना देगा और उनके साथ सहयोग करेगा यदि वह यह समझता है या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि वह खाद्य जो उसने बाजार में भेजा है, उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित हो सकता है।"; (33)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 28 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 और 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 31

खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 26, पंक्ति 9 से 15 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें-

"(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हॉकर, फेरी वाले या किसी अस्थायी स्टालधारक या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारबारकर्ता को लागू नहीं होगी; किंतु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पूर्ण खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किये बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसी रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।"; (34)

पृष्ठ 26, पंक्ति 17 में, "विशिष्टियों" के *स्थान* पर "विशिष्टियों और फीसों" प्रतिस्थापित करें; (35)

पृष्ठ 26, पंक्ति 19 में, "उपधारा (2)" के स्थान पर "उपधारा (3)" *प्रतिस्थापित* करें। (36)

पृष्ठ 26, पंक्ति 23 हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है; (37)

पृष्ठ 26, पंक्ति 40 के *स्थान* पर "(9) अनुज्ञप्ति, जब तक कि उसे पहले निलंबित या रद्द न किया जाए ऐसी अवधि" रखे; (38)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 31 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 38

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शक्तियां

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 31, पंक्ति 27 "कोई खाद्य वस्तु" के *स्थान* पर "खाद्य वस्तु" रखें। (39)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39

कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दायित्व

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 31, पंक्ति 27 "कोई खाद्य वस्तु" के *स्थान* पर 'खाद्य वस्तु" रखें।

पृष्ठ 32, पंक्ति 42 और पृष्ठ 33, पंक्ति 1 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें:

'इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी होगा और ऐसी शास्ति का जो एक लाख रुपये तक हो सकेगी, दायी होगा:

परंतु यदि किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद किया जाता है और ऐसा साबित हो जाता है तो परिवादी इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और वह जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"; (40)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण, अभियोजन की शक्तियां और उनकी प्रक्रिया

संशोधन किए गए

पृष्ठ 33, (1) पंक्ति 17 से 19 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें–

"41. (1) धारा 31 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यदि खाद्य से संबंधित किसी अपराध के लिए जाने में उनके अंतर्वलित होने का कोई युक्तियुक्त संदेह है, किसी स्थान की तलाशी ले सकेगा, किसी खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य का अभिग्रहण कर सकेगा और तत्पश्चात् अभिहित अधिकारी को अपने द्वारा की गई कार्रवाई की लिखित सूचना देगा।"

(41)

पृष्ठ 33 पंक्ति 21 "निवासी नहीं है" के *स्थान* पर "निवासी नहीं है" *प्रतिस्थापित* करें। (42)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 41, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43

प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं और परामर्श खाद्य प्रयोगशालाओं की मान्यता और प्रत्यायन

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा खंड 43 के संशोधन संख्या 5 पर विचार करेगी। श्री खगेन दास-उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 43 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 47

नमूना और विश्लेषण

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 36, पंक्ति 1 में 'शेष' का लोप करें। (43)

पृष्ठ 36, पंक्ति 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित *रखें*–

"(iii) यदि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, अभिहित अधिकारी को संसूचित करते हुए शेष भाग को विश्लेषण के लिए किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला को भेजेगा;

परंतु यदि उपखंड (i) और उपखंड (iii) के अधीन प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों में भिन्नता पाई जाती है तो अभिहित अधिकारी, अपनी अभिरक्षा में रखे गए नमूने के एक भाग को विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजेगा, जिसका निर्णय उसके संबंध में अंतिम होगा।"; (44) (श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 47, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 और 49 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 50

ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 37, पंक्ति 32 से 38 के *स्थान* पर निम्नलिखित *रखें*–

"50. कोई व्यक्ति जो क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी खाद्य का विक्रय करता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में नहीं है या क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है, पांच लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परंतु धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, ऐसे अनुपालन के लिए पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति के दायी होंगे।"; (45)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 50, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 51 से 62 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 63

बिना अनुज्ञप्ति किसी कारोबार को करने के लिए दंड

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 40, पंक्ति 1 से 5 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें–

"63. यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारोबारकर्ता (इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (20 के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर) स्वयं या उसकी ओर से कोई व्यक्ति जिससे अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित है, बिना अनुज्ञप्ति के किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, विक्रय, भंडार या वितरण या आयात करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"; (46)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 65

उपभोक्ता की क्षति या मृत्यु की दशा में प्रतिकर

पृष्ठ 40, पंक्ति 30 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* करें–

"परन्तु प्रतिकर का संदाय शीघ्रतम किया जाएगा और हर दशा में घटना के घटित होने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा:

परंतु यह और कि मृत्यु की दशा में, अंतरिम अनुतोष का संदाय मृतक के निकटतम रक्त संबंधी को घटना के तीस दिन के भीतर किया जाएगा।"; (47)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

'कि खंड 65, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 66

कंपनी द्वारा अपराध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 41, पंक्ति 8 में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के *स्थान* पर "प्रमुख" *रखें*; (48)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 67 से 77 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 78

विनिर्माता आदि को पक्ष का बनाने की न्यायालय की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 45, पंक्ति 36 में "या धारा 71" के *स्थान* पर "या इस अधिनियम की धारा 71" रखें; (49)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 79 से 91 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 92

खाद्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 52, पंक्ति 6 से 10 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें–

"(ण) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी और रजिस्ट्रीकरण की रीति, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन धारा 31 के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द या समपहृत की जा सकेगी, अधिसूचित करना।"; (50)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 92, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 93 से 101 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची

किये गये संशोधन:

51. पृष्ठ 56, पंक्ति 5 से 34, के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* करें–

"जोन-1

2. गोवा,
3. कर्नाटक
4. केरल
5. महाराष्ट्र
6. उड़ीसा
7. तमिलनाडु।

जोन-2

1. हरियाणा
2. हिमाचल प्रदेश
3. जम्मू-कश्मीर
4. पंजाब
5. उत्तरांचल
6. उत्तर प्रदेश।

जोन-3

1. बिहार
2. छत्तीसगढ़
3. गुजरात
4. झारखंड
5. मध्य प्रदेश
6. राजस्थान
7. पश्चिम बंगाल

जोन-4

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम

3. मणिपुर

4. मेघालय

5. मिजोरम

6. नागालैण्ड

7. सिक्किम

8. त्रिपुरा

जोन-5

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

2. चंडीगढ़

3. दादरा और नागर हवेली

4. दमन और दीव

5. दिल्ली

6. लक्षद्वीप

7. पांडिचेरी। (51)

पृष्ठ 56, पंक्ति 35 से 42 का लोप करें। (52)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, "2005' के स्थान पर "2006" *प्रतिस्थापित* करें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "छप्पनवें" के *स्थान* पर "सतावनवें" *प्रतिस्थापित* करें। (7)

(श्री सुबोध कांत सहाय)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सुबोध कांत सहाय: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.31 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

27वां प्रतिवेदन

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शून्यकाल में आपका ध्यान विश्व व्यापार संगठन हांगकांग में जो हुआ, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। गैट्स प्रस्ताव में शिक्षा को सरकारी अनुदान पूर्णत: बंद करने से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ। गैट्स ने जो प्रस्ताव किया, उसमें उच्च शिक्षा में सरकारी अनुदान को पूर्णत: बंद करने के लिए कहा गया है जिससे तमाम देशों और खास तौर पर हिन्दुस्तान में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इससे शिक्षा तंत्र को पूरी तरह से बरबाद करने की साजिश है। इससे शिक्षा का तंत्र बिलकुल बरबाद हो जाएगा। सरकार को अधिक मुनाफा होने की उम्मीद है। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि सरकार उच्च शिक्षा से हाथ खींच ले। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में या पूरे विश्व में चाहे वे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वैज्ञानिक हों या अधिकारी हों, उच्च स्थानों पर पहुंच कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका ने हिन्दुस्तान की शिक्षा की तारीफ की है। उसने कहा है कि हिन्दुस्तान में सर्वोच्च शिक्षा दी जाती है। अगर विश्व व्यापार संगठन, गैट्स में इस तरह के प्रस्ताव पास होंगे कि शिक्षा में सरकारी अनुदान को पूर्णत: बंद कर दिया जाए जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अन्याय होगा और खास तौर पर हिन्दुस्तान के साथ होगा। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि बड़े घर के लोग और पैसे वाले लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे लेकिन बेचारे गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो पड़ोसी मुल्क हमारे पक्ष में हैं, वह उनको साथ लेकर चलें तथा इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पूरे देश के गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है और उसी के तहत बिहार राज्य में भी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना दो वर्षों में पूरा करने की सरकार ने घोषणा की है। बिहार के कुछ जिलों का विद्युतीकरण का जिम्मा एन.एच.पी.सी. को दिया गया है। उनका पैसा भी दे दिया गया है और इन्हें पावरग्रिड वालों को दे दिया गया है। पावरग्रिड वालों ने गांवों का विद्युतीकरण करने की दिशा में कुछ कार्रवाई भी की है। लेकिन वहां काम बहुत धीमा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र शिवहर, मोतिहारी और सीतामढ़ी के काम का जिम्मा एन.एच.पी.सी. को दिया गया है। इस काम को करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था। अभी एक वर्ष समाप्त हो चुका है और केवल एक वर्ष और बचा है, लेकिन अभी तक एक भी गांव में एन.एच.पी.सी. ने विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं किया है। यह काफी दुखद स्थिति है। सरकार की योजना के बारे में हमसे गांवों के लोग पूछते हैं कि योजना कहां चली गई। अभी संयोग से विद्युत मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। अत: मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना को धरातल पर उतारने और गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण करने के बारे में सरकार तुरंत कार्रवाई करे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि राजस्थान में जो सरसों उत्पादक हैं, उनके साथ केन्द्रीय कृषि मंत्रालय अन्याय कर रहा है। यह इस बात से साफ जाहिर होता है कि जहां राजस्थान में 40 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, वहीं सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 1715 रुपये रखा है। नैफेड यह सरसों राजस्थान से राजफैड के द्वारा खरीदता है। इस तरह का समर्थन मूल्य रखने के बाद जो 40 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ प्रतिशत लेना तय किया है। अभी करीब 33 प्रतिशत सरसों की ही खरीद की जा रही है। इस प्रकार कुल 12 लाख टन सरसों की खरीद की गई है। वहां उत्पादित शेष बची हुई सरसों के भंडारण की जगह नहीं मिल रही है। इस कारण से वहां के किसान बहुत बुरी हालत में हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सरसों को विशेष उत्पादन की श्रेणी में लाया जाए, ताकि राजस्थान के किसानों को डब्ल्यू.टी.ओ. और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश से छुटकारा मिल सके। मैं समझती हूं कि यदि सरसों को विशेष श्रेणी में लिया जाएगा तभी राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को थोड़ी राहत महसूस होगी।

इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि जो सरसों का तेल है तथा जो अन्य उत्पादन हो रहा है, वे सभी तेल तथा घानियों के तेल आसानी से बिकते थे। लेकिन आज मार्केट में वे तेल इम्पोर्ट हो रहे हैं और हमारे यहां विदेशी तेल आ रहे हैं। जिसके कारण आज भारतीय बाजार में करीब 56 प्रतिशत विदेशी तेल छाये हुए हैं और कम्पिटीशन में हमारे यहां के तेल नहीं बिक पा रहे हैं, जिसके कारण सारी घानियां बंद हो गई हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से या तो विदेशी तेल का इम्पोर्ट बंद करना चाहिए या इनके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे यहां के तेल को अच्छा मार्केट मिल सके। धन्यवाद।

श्री चन्द्रशेखर दूबे (धनबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत प्रस्तावित आसनसोल-बोकारो, ए.एम.यू. पांच एबी तथा छह एबी ट्रेन के रूट की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस संदर्भ में भॉज्ञात कराना है कि इस ट्रेन का रूट

आसनसोल-भोजूडीह-तालगड़िया-तुपकाडीह-बोकारो स्टील सिटी होना चाहिए, क्योंकि इस रूट में कोई सवारी गाड़ी नहीं है, यहां केवल मालगाड़ियां चल रही हैं तथा यह मार्ग पैसेन्जर ट्रेन के परिचालन हेतु संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी रूप से सत्यापित है।

विशेष रूप से तालगाड़िया (पहाड़पुर) में मिथेन गैस का भंडार होने तथा इस परियोजना पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा 950 करोड़ के प्रस्तावित नियोजन के परिप्रेक्ष्य में इस मार्ग में रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

परन्तु उपरोक्त प्राथमिक आवश्यकता की अनदेखी करते हुए उक्त नई ए.एम.यू. गाड़ी को वाया पुरुलिया चलाने की कार्रवाई हो रही है। इस मार्ग पर पहले से कई पैसेंजर ट्रेन तथा मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र की प्राथमिकता और आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त प्रस्तावित ट्रेन को आसनसोल-भोजुगी-तलगड़िया-सुखपाड़ी मार्ग पर इसके परिचालन का निर्देश दें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से इस सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

पूरे विश्व में यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों को सख्त किया जा रहा है कि वस्तु व्यापार के माध्यम से हानिकारक विदेशी प्रजातियां किसी देश विशेष में प्रवेश न कर सकें तो फिर हमारी सरकार गुणवत्ता नियमों को सरल बना कर हानिकारक खरपतवार, खतरनाक कीटनाशक तथा घातक पादप रोगों के लिए द्वार क्यों खोल रही है।

सरकार ने विपरीत परिस्थिति में आस्ट्रेलिया से अत्यंत संदूषित गेहूं आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी और खाद्य और कृषि मंत्रालय ने आयात किए गए गेहूं में उपस्थित 14 प्रकार के खरपतवार दो तरह की फफूंदी आधारित बीमारियां तथा एक कीटनाशक को नजरअंदाज कर दिया है। आस्ट्रेलिया से 50000 टन गेहूं की पहली खेप (कुल अनुबंध पांच लाख टन का) अप्रैल के पिछले सप्ताह में चेन्नई पोत पर पहुंच चुकी है तथा शेष गेहूं इसी महीने अर्थात जुलाई में पहुंच रहा है। इन 14 प्रकार की खरपतवार में से 11 प्रजातियां भारत में पायी ही नहीं जाती है।

दिलचस्प बात यह है कि आस्ट्रेलिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जो गेहूं को भेजा है उसमें खरपतवार है जबकि खाद्य और कृषि मंत्रालय ने आयात करने वाले देश से इस आशय का एक प्रमाण पत्र मांगा था कि "आयात किया गया गेहूं खरपतवार से मुक्त है।" अनुबंध के समय खरपतवार से मुक्त गेहूं एक शर्त थी। उस समय इसका उल्लेख किया गया था। फिर खाद्य और कृषि मंत्रालय ने पादप संगरोध निदेशालय की आपत्तियों को नजरअंदाज कर जहरीले खरपतवार युक्त गेहूं के आयात की अनुमति क्यों दी तथा पादप संगरोध आदेश 2003 के प्रावधानों को सरल क्यों बनाया?

बाद में कृषि उत्पादों के व्यापार को विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत लाए जाने से पादप, खाद्य, बीज आदेश 1989 के स्थान पर कठोर पादप संगरोध आदेश 2003 लाया गया है। पादप संगरोध आदेश 2003 में भी बाद में संशोधन किया गया और खतरनाक विदेशी खरपतवारों की संख्या 61 से घटाकर 31 कर दी गयी।

खेप में आधारित दो फफूंदी प्रकार के रोग डवेरफ बंट तथा इरगोर साथ आए हैं। ये दोनों रोग भारत में गेहूं के नुकसान के लिए नहीं जानी जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार न केवल आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात कर रही है बल्कि कृषि मंत्रालय अपने पादप संगरोध नियम में परिवर्तन भी कर रहा है जिससे कि अमरीका, यूक्रेन और अर्जेन्टीना जैसे देश भारत में घटिया किस्म के गेहूं का आसानी से निर्यात कर सकें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में बढ़ती हुी बेरोजगारी के मामले में बता चाहता हूं कि आज हमारे देश में करोड़ों की तादाद में पढ़े-लिखे सुशिक्षित बेरोजगार नौकरी हेतु अपना पंजीकरण कराकर नौकरी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अनेक वर्षों के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। पढ़े-लिखे नौजवान निराश होकर अपना जीवन जी रहे हैं। सरकार के सभी उपक्रमों में नौकरी भर्ती बंद कर दी गई हैं, जैसे कोल इंडिया व सेल जैसे इन सभी जगहों पर नौकरी भर्ती बंद करने की वजह से और सरकार द्वारा वी.आर.एस. स्कीम चलाकर वहां काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को बेकार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट में एक निर्णय लिया है कि जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनका वेतन बढ़ाने हेतु छठे वेतन आयोग की मंजूरी दी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन्हें

वेतन मिलता है, इनके बारे में सरकार सोचती है और जिन्हें एक रुपया भी वेतन नहीं मिलता है, जो बेरोजगारी से परेशान हैं और जो आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, इन बेरोजगार व्यक्तियों को सरकार को निर्वाह भत्ता देने के लिए सोचना चाहिए। आज लोगों को वर्षों तक नौकरी नहीं मिल रही है जिससे उनकी उम्र भी निकल रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों का पंजीकरण रोजगार कार्यालयों में किया जाता है, नौकरियों में उनकी आयु-सीमा बढ़ाने के लिए भी सरकार पहल करे।

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलोर): महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान कर्नाटक में रेल संपर्क जैसे महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक में मंगलोर-हासन रेल लाइन के परिवर्तन कार्य को पूरा करने में 10 वर्ष का समय लगा। तथापि, आमान परिवर्तन करने का कार्य मार्च 2006 के आरम्भ में पूरा कर लिया गया। इसके पश्चात इस मार्ग को मालगाड़ियों के लिए खोला गया परन्तु दुर्भाग्यवश यात्री गाड़ियों के लिए इस मार्ग को आज तक नहीं खोला गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त को इस संबंध में प्रमाण पत्र अथवा स्वीकृति देनी है। मुझे नहीं मालूम इस मामले में इतनी अधिक देरी क्यों हो रही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा है कि रेलवे संरक्षा आयुक्त को सांविधिक निरीक्षण के लिए पहले ही कागजात सौंप दिये गये हैं। परन्तु हमारी यह समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे संरक्षा आयुक्त पिछले छः महीने से यह प्रमाण-पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। रेल राज्य मंत्री श्री वेलु वहां गए थे और उन्होंने इस रेल मार्ग पर यात्री गाड़ी आरम्भ करने के लिए दो तीन तिथियों की घोषणा की थी, परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। प्रतिदिन मंगलोर और बंगलौर के बीच लगभग 350 बसें चल रही हैं। मेरे विचार से रेल विभाग और बस मालिकों के बीच कुछ सांठ-गांठ है जिसके कारण यह देरी हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेल मंत्रालय रेल संरक्षा आयुक्त को निदेश दे कि इस मार्ग को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए जिससे कि इस मार्ग को यात्री गाड़ियों के लिए खोला जा सके।

[अनुवाद]

***श्री शरनजीत सिंह डिल्लों** (लुधियाना): महोदय, जब कोई युवक सेना में भर्ती होता है तो वह विदेशी आक्रमण से देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना भरसक प्रयास करता है। उसे उम्मीद होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार और देश उसकी देखभाल करेगा तथापि, भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति आज दयनीय है। विशेषरूप से नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति बहुत खराब है।

कुछ समय पूर्व नि:शक्त भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इंडिया गेट पर एक रैली आयोजित करना चाहते थे। तथापि, उन्होंने पुलिस द्वारा डंडों से पीटा गया। इन नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों को इतनी निराशा हुई कि उन्होंने वहां पर अपने मैडल बेचने की कोशिश की।

मैं आपातकालीन स्कंध के भूतपूर्व नि:शक्त सैनिकों की दयनीय दशा का उल्लेख करना चाहता हूं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। सेना के नियमों के तहत नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों और आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को समान सुविधाएं देने का प्रावधान है। युद्ध के दौरान दुश्मन की गोली नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों और आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं करती है। तथापि, घायल या मृत नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जबकि आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है।

महोदय, उदाहरण के लिए, सेना में एक नियम है कि यदि कोई सैनिक 80 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्त हो जाता है तो उसे वे सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी को मिलती है। इसी प्रकार, 20 प्रतिशत से 9 प्रतिशत नि:शक्तता की स्थिति में एक सैनिक के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तथापि, वास्तविकता यह है कि इन प्रावधानों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।

आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी मांगें मान ली हैं। लेकिन उनकी इन मांगों पर सेना द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की जायज मांगों को नियमानुसार मान लिया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि उनके लिए एक अलग से वेतन आयोग की घोषणा की जाए।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। हम सब लोगों को मालूम है कि जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूरे देश की जो सौ ट्रेनें हैं, उन्हें सुपर फास्ट का दर्जा दिया जाएगा। सुपर फास्ट का दर्जा जुलाई से प्रारम्भ भी हो गया और जब सुपर फास्ट हो गया तो वहां उसका चार्ज स्टार्ट हो गया, 20 रुपए प्रतिव्यक्ति, ए.सी. में 30 रुपए से 50 रुपए तक हो गया। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं, जिन्हें सुपर फास्ट का दर्जा तो मिल गया, मगर वहां उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही देश में गरीबी और फटहाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। उन्होंने देश के लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है, उन्होंने कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया है। मंत्री जी गरीबों के हितैषी हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने सुपर फास्ट का दर्जा तो दे दिया लेकिन उन यात्रियों को उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनकी पॉकिट से जो पैसा जा रहा है उस पर कम से कम रोक लगाएं और अगर सुपर फास्ट का दर्जा नहीं है तो उसे विदड्रा कर लें ताकि उनका पैसा नहीं लगे, क्योंकि उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इससे सारा सदन सहमत होगा। *...(व्यवधान)*

सभी माननीय सदस्य: हम सभी इस बात से सहमत हैं।

श्री राम कृपाल यादव: रेल मंत्री जी यथाशीघ्र इस तरफ ध्यान दें। सुपर फास्ट का जो चार्ज लग रहा है, जब कि वह सुपर फास्ट नहीं है, उन गरीब यात्रियों के पॉकिट के पैसे को बचाएं, यह मेरा आपसे अनुरोध है। इसके लिए यथाशीघ्र कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का विशेषरूप से वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसाकि देशवासी जानते हैं कि बैंक कर्मचारी 28 अगस्त को हड़ताल पर जा रहे हैं और इसी तरह से आई.टी. अधिकारी भी 4 अगस्त से हड़ताल पर जा रहे हैं।

महोदय, ये दोनों ही क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बैंक कर्मचारी बैंकिंग उद्योग में भर्ती के प्रश्न पर अपनी मांग उठा रहे हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है जिसके कारण बैंकिंग उद्योग में बैंक कर्मचारियों की संख्या कम हो गयी है। साथ ही, इस क्षेत्र में भर्ती भी रोक दी गयी हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अभी तक बैंकिंग उद्योग में नौकरियां मिल रही थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र में सरकार ने भर्ती रोक रखी है।

उनकी दूसरी मांग यह है कि कुछ बैंक कर्मचारियों को पिछले वेतन निर्धारण के आधार पर ही पेंशन मिल रही है परन्तु उसके पश्चात जिन कर्मचारियों को भर्ती किया गया उन्हें पेंशन ही नहीं मिल रही है।

इसलिए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की यह मांग उठाई है। जिन बैंक कर्मचारियों को अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें दूसरा विकल्प दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री अमिताभ नन्दी: महोदय, एक दूसरी महत्वपूर्ण मांग है उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में उठायी है। कल सरकार ने बैंकिंग से संबधित एक विधेयक पुर:स्थापित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री अमिताभ नन्दी: मेरी मांग बैंकों में क्लियरिंग प्रणाली के आऊट सोर्सिंग से संबंधित है। बैंक कर्मचारियों ने मांग की है कि इसे तत्काल रोका जाना चाहिए क्योंकि अभी तक चैंकों की क्लियरिंग का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अब पूरे भारत में करीब 1,100 केन्द्र क्लियरिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अमिताभ नन्दी जी, आप उनकी डिमांड क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी डिमांड क्या है, उसके बारे में बताइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमिताभ नन्दी: मेरी मांग आउट सोसिंग रोकने के लिए है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंकिंग उद्योग में क्लियरिंग प्रणाली की आउटसोर्सिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: नन्दी जी आपका धन्यवाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह लम्बी बहस का समय नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती जयाबहन ठक्कर बोलेंगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाबहन ठक्कर के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: नन्दी जी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, भारत सरकार की 7 जनवरी 2005 की अधिसूचना के अनुसार औषधियों पर उत्पाद शुल्क उनके अधिकतम खुदरा मूल्य का 15 से 65 प्रतिशत वसूला जाना था जिसे बाद में घटाकर 16 से 60 प्रतिशत कर दिया गया जिससे गुजरात के लघु उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

गुजरात के मुख्य मंत्री ने मूल्यों तथा शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्त मंत्री जी को एक पत्र भी भेजा था। परन्तु राज्य सरकार को इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह स्थिति की समीक्षा करे और गुजरात के लघु उद्योगों की, जो सरकार की हाल ही की अधिसूचना से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं रक्षा करे।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान कुछ गम्भीर विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं। विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में भारतीय रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं। विदेशों से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं उनके अनुसार इन नागरिकों को काफी कठिनीयां तथा अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, हजारों भारतीय नागरिकों, जिनमें से अधिकांश केरल के हैं तथा वे सभी मलयाली हैं, मस्कट तथा ओमान में फंसे हुए हैं। उन्हें उनके प्रायोजकों द्वारा वहां ले जाया गया था जिन्होंने उनसे भारी राशि ली थी। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि दस्तावेजों के अभाव में इनमें से बहुत से लोगों को जेल में रखा गया। इनमें से अधिकांश श्रमिक शिविरों में हैं।

हमारे देश के दूतावास को तत्काल ओमान के दूतावास से सम्पर्क स्थापित करना होगा और राहत उपाय करने होंगे। क्योंकि उन्हें न तो वापस आने की अनुमति दी जा रही है और न ही कम करने दिया जा रहा है। या तो वे जेल में जायेंगे या श्रमिक शिविरों में जायेंगे।

इसलिए मैं सरकार से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, केरल सरकार ने 'एयर केरल' के नाम से एक नई एयर लाइन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था ताकि खाड़ी देश में रहने वाले मलयाली लोगों को सामान्य हवाई किराया पर खाड़ी के देशों में पहुंचा सके। यह केरल सरकार और जनता की भागीदार वाली एयरलाइन होगी और राज्य के मुख्य मंत्री इसके मुख्य कार्यकारी होंगे। लेकिन इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित है।

अब, जब केन्द्र सरकार निजी एयर लाइनों को प्रोत्साहित कर रही है तो वह इस प्रस्ताव को, जो राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया है। मंजूरी देने में क्यों हिचकिचा रही है?

सायं 7.00 बजे

यह प्रस्ताव काफी लम्बे समय से लम्बित है। न केवल वर्तमान सरकार ने बल्कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी यह प्रस्ताव किया था। लेकिन इस बार इसे मुख्य मंत्री द्वारा जोरदार ढंग से रखा गया है। मैं इसके पीछे के तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं। सरकार सदैव निजी एयरलाइनों को तरजीह देती हैं या प्रोत्साहित करती है लेकिन इसके साथ ही जब एक राज्य सरकार ने जनता की भागीदारी से, जिसके मुख्य कार्यकारी मुख्य मंत्री होंगे, एक एयर लाइन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है तो आप मंजूरी देने से क्यों ना कर रहे हैं। यह एक अन्याय है। सरकार को निजी एयरलाइनों को मंजूरी देने में कोई संकोच नहीं है। फिर आप इस मामले में क्यों संकोच कर रहे हैं। निजी एयरलाइन हर रोज किराया बढ़ा रहे हैं।

मैंने त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के बीच एक सीधी उड़ान शुरू करने का सुझाव दिया था। यदि श्री प्रफुल्ल पटेल यहां उपस्थित हैं तो मैं उन्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने ही सीधी उड़ान को बंद किया है। मुझे बड़ी मुश्किल से यात्रा करनी पड़ी है। जब सीधी उड़ान नामंजूर कर दी गई है, तो मैं इस सभा में अपनी सदस्यता कैसे जारी रख सकता हूं। मैं सरकार से, विशेषकर श्री प्रफुल्ल पटेल, से अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू की जाए। आप अनावश्यक रूप से इस बंद कर रहे हैं? यदि वे आते हैं तो मैं उन्हें सभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): वे बहुत दुःखी हैं। उनकी चिंता पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे चेन्नई में उतरना पड़ेगा और उसके बाद दूसरे हवाई जहाज में सवार होना पड़ेगा और फिर यहां लौटना होगा। इतनी सारी मुश्किलें हैं। आप मेरी चिंताओं से उन्हें अवगत करा दीजिए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं संबंधित मंत्री को इससे अवगत करा दूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रभूषण सिंह-अनुपस्थित।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले चार दिनों से 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन' के झंडे तले पूरे देश की सैकड़ों महिलाएं जंतर-मंतर पर धरना पर बैठी हुई है। वे महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की मांग कर रही हैं। हर रोज विभिन्न राज्यों से महिलाएं आ रही हैं। यह एक ऐसी मांग है जिसे सब स्वीकार करते हैं लेकिन इस संबंध में अभी तक अधिनियम नहीं बना है। पिछले एक दशक से हम बार-बार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आश्वासन दिये जा रहे हैं।

पिछले वर्ष हमारे माननीय सदस्य श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने इस विषय पर एक गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प प्रस्तुत किया था। इस पर लम्बी चर्चा हुई थी। पार्टी से ऊपर उठकर 55 से 60 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की मांग का समर्थन किया। यहां तक की सरकार भी सहमत हो गई और यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है।

सभी ने यह उम्मीद की थी कि शीघ्र ही सरकार द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कोई संकेत नहीं है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। महिलायें क्रोधित हैं और उनका क्रोधित होना उचित है। इस संबंध में कुछ तो किया जाना चाहिए। सरकार को शीघ्र ही इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

'बीजिंग घोषणा' में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी संसद में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: यह बड़ी मांग है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। सर्वसम्मति के नाम पर इसे सदा के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार शास्वत चर्चा पर विराम लगाना चाहिए। बहुत से ऐसे विधेयक हैं जिन्हें बिना सर्वसम्मति के संसद में प्रस्तुत किया गया। साधारण बहुमत से भी इस विधेयक को लाया जा सकता है। यद्यपि संविधान संशोधन के लिए भी दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी प्रमुख दल इसका समर्थन करेंगे। हमें महिलाओं की, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन के झंडे तले संघर्ष कर रही हैं उचित मांग पर विचार करना चाहिए।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलंबनीय लोक महत्व का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं और सरकार, विशेषकर रेल मंत्रालय का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में एक विनाशकारी बाढ़ ने हमारे राज्य, विशेषकर बीरभूम जिला, में भारी नुकसान किया है। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण पूर्वी रेलवे के साहेबगंज लूप सेक्शन में नलहटी जंक्शन स्टेशन के निकट ब्राह्मणी नदी पर बने एक रेल पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण रेलमार्ग है जो राज्य मुख्यालय कोलकाता को एक ओर उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ता है तो दूसरी ओर बिहार से होते हुए दिल्ली तक जाता है। बाढ़ से हुई उस रेल पुल की क्षति के कारण यह महत्वपूर्ण रेल संपर्क टूट गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं। तब से सभी प्रकार की यात्री सेवाएं तथा माल ढुलाई सेवाएं लम्बित है। इससे उस क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी हो रही हैं। उस मार्ग से होकर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बंद है। इसलिए, सरकार विशेषकर रेल मंत्रालय से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस मार्ग पर रेल सेवाओं, दोनों यात्री सेवा तथा मालवाहक सेवा की बहाली के लिए तत्काल और उपयुक्त उपाय करे। मेरी यही मांग है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो आज बहुत छोटी सी बात कहने जा रहा हूं और वह यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक जाने-पहचाने राष्ट्र के नेता रहे हैं। देश को आर्थिक नीति और पंच कल्याण सिद्धांत उन्होंने दिये हैं। उनका जन्म जयपुर संसदीय क्षेत्र स्थित एक छोटे से गांव धानक्या में हुआ था। उनकी याद को स्थाई बनाने के लिए धानक्या रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और परिसर को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर घोषित किया जाये, जिससे उस गांव और उनकी याद बनी रहे।

वहां उनके नाम पर स्कूल, कालेज और हस्पताल का निर्माण भी होने जा रहा है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार धानक्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरम रखे तो ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के बहुत अच्छे सम्माननीय नेता रहे हैं, जिन्होंने आर्थिक नीति दी है, पंच कल्याण सिद्धांत दिये हैं, उनकी याद स्थाई हो सकेगी। यह छोटी सी मेरी मांग है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार मेरी उस वाजिब मांग को स्वीकार करेगी।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि माननीय महिला और बाल विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है या नहीं कि दिल्ली के इस कठोर मौसम में आई.सी.डी.एस. के कर्मचारी अपनी सात-सूत्री मांगों के लिए दबाव बनाने हेतु बड़ी संख्या में धरना और रिले भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की मांगें निम्नलिखित हैं:

* उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा एन.सी.एम.पी. के वायदे के अनुसार समेकित बाल विकास योजना को पूरे देश में लागू करना तथा इसे स्थायी बनाना;
* आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों को ग्रेड III तथा ग्रेड IV के कर्मचारी के रूप में उनकी सेवाओं को नियमित करना;
* आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को पारिश्रमिक तत्काल बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह तथा सहायकों का 2000 रुपये प्रतिमाह करना;
* उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से स्वत: जोड़ना;
* 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्त्ताओं को एक लाख रुपये तथा सहायकों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि।
* भविष्य निधि, ई.एस.ई., उपदान, पेंशन आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों को लागू किया जाना; और
* आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति का गठन।

एक लघु पुस्तिका में सरकार ने लोगों को सूचित किया था कि लगभग 1.88 लाख नये केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसमें यह भी बताया कि आई.सी.डी.एस. के परिव्यय में 171 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह भी बताया गया कि सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषक भोजन दिया जा रहा है और यह केवल गरीबी रेखा से नीचे वालों तक सीमित नहीं है। जब संप्रग सरकार द्वारा लोगों को यह बताया जा रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि माननीय मंत्री जी यह क्या कह रहे हैं। हमारी बहनें यहां प्रतीक्षा कर रही हैं, वे भूख हड़ताल पर हैं और धरना पर बैठी हैं। क्या सरकार को उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए, उनको आमंत्रित कर उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं करना चाहिए?

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को सही कारणों को जानने तथा यह सुनिश्चित करने का निदेश दें कि उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी सभा तथा माननीय महिला और बाल विकास मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल से ही पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जंतर-मंतर पर बड़ी रैलियां तथा भूख हड़ताल जारी है। वे एक महीना पहले मंत्रीजी से मिलकर उनके समक्ष अपनी मांगें रख चुके हैं। उनकी मुख्य मांग आंगनवाड़ी कर्मचारियों और सहायकों, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाने की है।

उनकी यह भी मांग है कि आई.सी.डी.एस. योजना को स्थायी बनाया जाना चाहिए और एक नियत समयावधि के दौरान सभी मानव बसावटों में और आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने चाहिएं। उनकी यह भी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों को ग्रेड तीन और ग्रेड चार के कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाना चाहिए और परिचारिकाओं की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आई.सी.डी.एस. के सबसे निचले स्तर के मुख्य कार्यकर्त्ताओं को

भी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। उन्हें किसी प्रकार सेवा सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 2001 में एक निर्णय सुनाया था कि देश में प्रत्येक बसावट के लिए एक कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्र होना चाहिए और इसे तत्काल लागू किया जाए। वे यह भी चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का पारिश्रमिक बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तथा सहायकों का 2000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। इसके अतिरिक्त चाहते हैं कि उनके पारिश्रमिक का उपभोक्ता सूचकांक से स्वत: समायोजन संपर्क हो। इसके अतिरिक्त, उनकी मांग है कि 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 1,00,000 रुपये तथा सहायकों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों को दी जाने वाली सेवानिवृत्ति लाभों में ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। वे एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति का गठन चाहते हैं जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, हों।

[हिन्दी]

यह समाज की कली है। तीन साल से पांच साल तक के जो बच्चे हैं, वे समाज की कली हैं। इनको फूल बनाने के लिए हमारे आंगनबाड़ी के वर्कर्स और हेल्पर्स, उनको खाना देते हुए, उनका पालन करते हुए, उनको थोड़ा-बहुत पढ़ने-लिखने का सामान देते हैं और इसके माध्यम से क्लाज वन में सर्व शिक्षा अभियान का जो हमारा लक्ष्य है, वह पूरा हो जाए। अगर हम कली को फूल नहीं बनाएंगे, तो हमारा समाज सही ढंग से नहीं चल पाएगा।

[अनुवाद]

मैं सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की मांगों को तत्काल पूरा करने का अनुरोध करता हूं ताकि भारत सम्पन्न हो सके और हमारे बच्चे भारत के अच्छे नागरिक बन सकें।

श्री पी.एम. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान हमारे देश में हो रही व्यापक आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसाकि हम सभी जानते हैं, आतंकवादी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और हाल ही में मुंबई में हुए बम धमाकों में आतंकवादी गतिविधियों चरम सीमा पर थीं। इन आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए, केन्द्र सरकार के सुझाव पर हमारी गुजरात सरकार ने एक विधेयक जो गुजरात (संगठित अपराध नियंत्रण) विधेयक, 2003 के रूप में जाना जाता है, पारित किया था। यह विधेयक 1 अप्रैल, 2003 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजा गया था।

गृह मंत्रालय ने, अपने दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 के पत्र में खंड 14 और 16 को हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद भी संशोधित विधेयक राज्य विधान सभा ने 2 जून, 2004 को पारित कर दिया था और संशोधित रूप में विधेयक पुन: महामहिम राष्ट्रपति अनुमति के लिए जून, 2004 में भारत सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार पिछले दो से भी अधिक वर्षों से महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने इसी प्रकार के अधिनियम पर आधारित विधेयक पारित किया है। जब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की पुलिस कुछ संगठित अपराधी समूहों के विरुद्ध कार्यवाही करने वाली थी, तो उनमें से कुछ गुजरात आ गये। अत: जब तक गुजरात सरकार को महाराष्ट्र सरकार की तरह ऐसे अपराधियों से निपनटे का सांविधिक प्राधिकार नहीं मिल जाता, तब तक राज्य में सुरक्षा की स्थिति निरन्तर खतरे में बनी रहेगी। सीमा से जुड़ा हुआ राज्य होने के कारण गुजरात के पास संगठित अपराध के बारे में चिन्तित होने के पर्याप्त कारण हैं। संशोधित विधेयक माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा रखे गये सिद्धांतों से सुसंगत है।

अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी संभव हो सके विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति संप्रेषित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में विकलांग बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनके लिए आज शिक्षा के समुचित संसाधन जितने जुटाए जाने चाहिए, उतनी व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह ही जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षा संस्थानों का अभाव है। आज हम बाल दिवस मनाकर बड़े-बड़े आयोजन करते हैं, बच्चों को विकलांगता से बचाने के लिए पोलियो दिवस का आयोजन करते हैं किन्तु विकलांग बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए, उसे हम अनदेखा कर जाते हैं। आज देश के सभी राज्यों में जितने मिडिल एवं हाई स्कूल अंध, मूक, बधिर बच्चों के लिए चल रहे हैं, बड़े अपर्याप्त हैं।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन वहां अंध, मूक, बधिर बच्चों के लिए मात्र प्राइमरी स्कूल ही चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश

में मात्र दो मिडिल स्कूल हैं और मूक, बधिर बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में एक भी शासकीय हायर सैकंडरी स्कूल नहीं है। यह स्थिति सारे देश में है। मात्र एक स्कूल अंधों के लिए है।

अतः आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सारे देश में विशेष सर्वे अभियान चलाकर राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप वहां अंध, मूक बच्चों के लिए हायर सैकंडरी एजूकेशन की व्यवस्था की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती सतीदेवी का विषय श्री सुनील खान के विषय से मिलता-जुलता है, इसलिए उनका नाम भी इस मुद्दे के साथ एसोसिएट कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस मुद्दे से सम्बद्ध करती हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, केरल की तटरेखा पर वर्षभर अपरदन होता रहता है और यह बरसात के महीनों में ज्यादा होता है। वर्षा ऋतु के दौरान केरल की तटरेखा का संपूर्ण प्रसार विस्तृत रूप से प्रभावित होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र अलेप्पी में, अकेले अलप्पुझा में लगभग 60 घर पूरी तरह नष्ट हो गये और लगभग 200 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। यही हालत संपूर्ण केरल समुद्री तट की है। यह प्रतिवर्ष दोहराया जाता है। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। दुर्भाग्य से, केरल राज्य को, जब से भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समुद्री अपरदन को एक प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता, कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती। ठीक इसी तरह, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलन और तड़ित ने अनेक लोगों की जानें ली हैं और भारी क्षति पहुंचाई है।

केरल सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सामने रखा है और जानकारी दी गई थी कि आपदा राहत कोष मानक वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये गये थे। इस प्राकृतिक आपदा द्वारा हुए इस भारी विनाश पर विचार करते हुए, मैं सरकार से समुद्री अपरदन, भूस्खलन और तड़ित जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सरकार द्वारा निर्धारित प्राकृतिक आपदा मानकों में शामिल करने का आग्रह करता हूं और इस वज्रपात के पीड़ितों को राष्ट्रीय आपदा कोष (रा.आ.को.) और आकस्मिक राष्ट्रीय आपदा निधि के तहत सहायता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं कि ओबीसी के रिजर्वेशन पर क्रिमीलेयर लगाया गया है। यह क्रिमीलेयर लगाते हुए बहुत ही धांधली हुई है। मैं एक ऐसा उपेक्षित मामला आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जब ये क्रिमीलेयर पर लगाया गया था तब इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस, गवर्नमैंट आफ इंडिया एंड अदर्स, जो सिविल एप्लीकेशन थी, यूनियन आफ इंडिया एंड अदर्स केस [रिट पेटीशन (सिविल)] नम्बर 930 आफ 1990 में था। इस बारे में बहुत गंभीरता से एक एक्सपर्ट एडवांस्ड पर्सन्स। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इसकी तैयारी करके आये हैं?

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं इसकी पूरी तैयारी करके आया हूं लेकिन यह मामला बहुत काम्पलीकेटेड है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कहना क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़: यह बहुत काम्पलीकेटेड मामला है, इसलिए समझाने में मुझे जरूर थोड़ी तकलीफ होगी और आपको तथा देश को भी समझने में तकलीफ होगी। अब मैं इंगलिश में बात करूंगा।

[अनुवाद]

इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री हरिभाऊ राठौड़: जो क्राइटीरिया उन्होंने दिया था, उसमें सोशली एडवांस्ड पर्सन्स को एक्सक्लूड किया था। जैसा कि उनका बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन था, उनको नहीं मिलना था। इसके लिए उन्होंने कांस्टीट्यूशन पोस्ट्स और कुछ सर्विस केटेगिरी और अभी जो तय हुआ है कि जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपये है, जिनको हम क्रिमीलेयर बोलते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जायेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था।

[अनुवाद]

सर्वोच्च न्यायालय का निदेश है कि अपवर्जन का नियम कारीगर के रूप में काम कर रहे या पुश्तैनी धंधों, पेशों में लगे हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यवसायों, पेशों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

यह डायरेक्शन था। वर्ष 1993 का यह गवर्नमैंट आफ इंडिया का सर्कुलर है: लेकिन ऐसा कोई एक्सक्लूजन सरकार ने अभी तक नहीं किया। इसके ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए मैंने बताया कि यह इश्यू काम्पलीकेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक जी.ओ. निकाल दिया है जिसमें डीनोटीफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्स जो आज तक क्रिमीलेयर नहीं थे, वे भी लगा दिये। ये जो डबल लो क्लास हैं, वे बहुत नेगलेक्टिड हैं, वे हमेशा नेगलेक्टिड रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी किसी ने आज तक नहीं देखा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि

[अनुवाद]

शीघ्र ही, भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ऐसे समुदायों की सूची जारी करनी है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार ने अननेसेसरेली डीनोटीफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्स पर भी क्रिमीलेयर लगा दिया है। यह बहुत गलत हुआ है। मेरी आपसे मांग है कि आप सरकार को इस बारे में डायरेक्टिव दीजिए। मैं चाहूंगा कि इसके लिए डायरेक्टिव दीजिए और सरकार को बताइए कि यह मामला गंभीर है और इस पर ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल): पश्चिम बंगाल राज्य और देश के दूसरे भागों में भी उद्योगों की, विशेषकर लघु उद्योगों और मझले उद्योगों की एक गंभीर समस्या है। इसे बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में उठाया गया था। कोयला मंत्री श्री शिबु सोरेन यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

अगर वे इस बात को सुनेंगे तो अच्छा होगा। यह कोल लिंकेज का मामला है। कोल लिंकेज के बारे में आज ऐसा हो गया है कि स्माल और मीडियम इण्डस्ट्रीज को कोल नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में जितनी कोल खदानें हैं, उनसे इण्डस्ट्रीज को कोयला देने के लिए जो पालिसी तैयार होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं बनी है।

[अनुवाद]

देश के दूसरे भागों के लिए भी यह सत्य है। इसलिए, मेरी मांग है कि उद्योगों को विशेषकर लघु उद्योगों को कोल लिंकेज के लिए कोयला मंत्रालय में एक नीति होनी चाहिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): वर्ष 1999-2000 के दौरान केरल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। राज्य में वर्तमान में इस योजना में शामिल फसलें हैं धान, टैपियोका, केला, हल्दी और अदरक। केरल में किसानों का रूझान वाणिज्यिक और बागवानी फसलों की ओर है। राज्य में नकदी फसलें कृषि का मुख्य सहारा है। राज्य के कृषि क्षेत्र में बारहमासी फसलें प्रमुख हैं और उत्पादन की अस्थिरता जलवायु के प्रभाव से कम प्रभावित होती है, लेकिन उत्पादन में कमी मुख्यत: हानिकारक कीटों और बीमारियों के कारण होती है।

इसलिए मैं सरकार से अन्य मुख्य बागवानी और बारहमासी फसलों जैसे नारियल, काजू, सुपारी, रबड़, काली मिर्च, कॉफी, चाय, इलायची और सब्जियों को भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना मे शामिल करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर सीमा से लगा हुआ है। वहां पर वायुसेना ने हनुमानगढ़ जिले की राउतसर तहसील की साढ़े सैंतालीस हजार एकड़ भूमि वर्ष 1991 में अधिग्रहित की थी। दांदूसर, बनेसर, मोटेर सहित पांच ग्रामपंचायतों की पूरी भूमि वायुसेना ने वर्ष 1991 में अधिग्रहण कर ली थी और इसके लिए वर्ष 1995 में अवार्ड भी हो चुका है। एक अरब 59 करोड़ रुपए का अवार्ड किया गया था, लेकिन किसानों को अभी तक कम्पनशेसन नहीं मिला है। वर्ष 1995 के बाद से वहां कोई विकास कार्य नहीं हो सका है क्योंकि वह जमीन वायुसेना के पास है। इस भूमि के ले किसानों को मुआवजा दिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उन गांवों में अब हम न तो विकास कर सकते हैं, न सड़क बन सकती है, न पानी की

व्यवस्था हो सकती है। इन पांचों ग्राम पंचायतों में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है और न हम लोग वहां विकास के कार्य कर सकते हैं। इसकी वजह से वहां के सभी किसान परेशान हो रहे हैं और पूरा देश बर्बाद हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार ने किसानों की जो भूमि वर्ष 1991 में अधिग्रहित की थी और जिसका अवार्ड भी कर दिया गया है, इसके लिए या तो अवार्ड जारी करके किसानों को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा किसानों को वह भूमि वापस लौटा दी जाए, ताकि वहां का किसान परेशान न हो। यही मुझे निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। देश में स्व-वित्त-पोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों पर 'सामाजिक नियंत्रण' रखने हेतु संप्रग सरकार को तत्काल एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए। इस कानून द्वारा स्व-वित्त-पोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश और शुल्क ढांचे को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस कानून द्वारा प्रति व्यक्ति फीस पर रोक लगाया जाना चाहिए और उनके प्रबंधन द्वारा अपना अलग से प्रवेश परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जैसा कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में किया है और इससे शैक्षणिक स्तर प्रभावित हुआ है। केरल राज्य में एल.डी.एफ. सरकार का नया कानून स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक संस्थानों पर सामाजिक नियंत्रण रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे केरल विधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।

लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने राज्य में स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों के नामांकन प्रक्रिया और शुल्क-ढांचे को यथास्थिति बनाए रखने में मदद की है। इससे छात्र-समुदाय के दिमाग में भ्रम और अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी है। विभिन्न स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा अपनाई गई मात्र लाभ कमाने की नीति ने समाज के दलित और गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया है। यह देश के लाखों छात्रों की जिंदगी से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। इसका समाधान न्यायिक प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकता। यह सामाजिक और राजनैतिक मुद्दा है और इस संबंध में केवल संसद ही अंतिम निर्णय ले सकती है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यथाशीघ्र एक उपयुक्त कानून बनाये जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने अद्यतन निर्णय में नीतिगत मामलों में सरकार द्वारा कानून बनाने की वैधता को सही करार दिया है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 जुलाई, 2006/5 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अर्जुन सेठी श्रीमती निवेदिता माने	41
2.	श्री पी.सी. थामस श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	42
3.	श्री रशीद मसूद श्री संजय धोत्रे	43
4.	श्री सुनिल कुमार महतो डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	44
5.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री हन्नान मोल्लाह	45
6.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री हरिसिंह चावड़ा	46
7.	डा. एम. जगन्नाथ श्री नवीन जिन्दल	47
8.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	48
9.	श्री श्रीचन्द कृपलानी श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	49
10.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री काशीराम राणा	50
11.	श्री हेमलाल मुर्मू	51
12.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री सी.के. चन्द्रप्पन	52
13.	श्री संतोष गंगवार श्री कीर्ति वर्धन सिंह	53
14.	श्री अशोक कुमार रावत श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	54
15.	श्री पी. मोहन	55
16.	श्री चन्द्रभान सिंह	56
17.	श्री अवतार सिंह भड़ाना	57
18.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	58
19.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी योगी आदित्यनाथ	59
20.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	289, 388
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	270
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	316, 319, 362
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	242, 352, 377, 386, 399
5.	आठवले, श्री रामदास	265, 337, 371, 391
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	245, 280, 315, 398
7.	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	283, 359, 372
8.	'बचदा', बची सिंह रावत	237, 290, 326
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	234
10.	बर्मन, श्री रनेन	233
11.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	241, 312
12.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	239, 310
13.	बोस, श्री सुब्रत	279
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	339
15.	चन्द्र कुमार, प्रो.	307
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	332, 338, 339

1	2	3
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	279
18.	चिन्ता मोहन, डा.	275, 342, 347
19.	चौधरी, श्री पंकज	260
20.	चौधरी, श्री अधीर	269
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	252, 318
22.	धनराजू, डा. के.	269
23.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	260
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	267, 275, 331, 355
25.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	234
26.	हुसैन, श्री अनवर	396
27.	जगन्नाथ, डा. एम.	32, 265
28.	जय प्रकाश, श्री	246, 353
29.	जयाप्रदा, श्रीमती	277
30.	झा, श्री रघुनाथ	259
31.	जिन्दल, श्री नवीन	274, 317, 375
32.	करूणाकरन, श्री पी.	298
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	244, 314, 361, 380, 390
34.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	335
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	256, 260, 280, 297
36.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	326, 366
37.	कृष्ण, श्री विजय	306, 397
38.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	329, 369
39.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	395
40.	लाहिरी, श्री समिक	247
41.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	290
42.	महतो, श्री सुनिल कुमार	303, 316, 321, 362
43.	महताब, श्री भर्तृहरि	291, 295, 350, 364
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	275, 326
45.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	258
46.	मंडल, श्री सनत कुमार	309, 360
47.	माने, श्रीमती निवेदिता	331
48.	मनोज, डा. के.एस.	298
49.	मसूद, श्री रशीद	286, 320
50.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	274, 297, 351
51.	मेघवाल, श्री कैलाश	240, 311
52.	मेहता, श्री आलोक कुमार	269
53.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	294
54.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	263
55.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	262, 335
56.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	232
57.	मोहन, श्री पी.	333, 370, 384, 388
58.	मो. ताहिर, श्री	296, 332, 344, 376
59.	मुर्मू, श्री हेमलाल	328, 368, 383, 387
60.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	326, 349, 366
61.	नायक, श्री अनन्त	250, 291, 356
62.	नायक, श्रीमती अर्चना	338
63.	निखिल कुमार, श्री	269, 332
64.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	238, 290, 338, 354, 379
65.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	256, 355, 364, 378

1	2	3
66.	पाण्डा, श्री प्रबोध	285
67.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	326
68.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	249, 358, 363
69.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	279, 302
70.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	276, 326, 343, 364, 374
71.	पाठक, श्री ब्रजेश	273, 341, 373, 385, 389
72.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	264, 336
73.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	272
74.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	285
75.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	256
76.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	321, 323
77.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	284
78.	राजगोपाल, श्री एल.	268, 340, 372
79.	राजेन्द्रन, श्री पी.	308
80.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	298
81.	राणा, श्रीं काशीराम	323, 391
82.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	338
83.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	305
84.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	253
85.	रावले, श्री मोहन	235
86.	रावत, श्री अशोक कुमार	296, 332, 344, 376
87.	रावत, श्री कमला प्रसाद	254
88.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	372
89.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	275, 285, 332
90.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	257
91.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	332, 338
92.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	290, 391
93.	साई प्रताप, श्री ए.	288, 364
94.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	322, 364, 382
95.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	248
96.	सरोज, श्री तूफानी	330
97.	सत्पथी, श्री तथागत	291
98.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	287, 346
99.	सेन, श्रीमती मिनाती	299
100.	सेठी, श्री अर्जुन	319, 363, 381
101.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	256, 261
102.	शिवन्ना, श्री एम.	345
103.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	296, 332, 344, 376
104.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	325
105.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	290
106.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	292, 338
107.	सिंह, श्री दुष्यंत	271, 357, 378
108.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	267, 275, 331, 348
109.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	281, 383
110.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	301, 332, 339
111.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	304
112.	सिंह, श्री राकेश	251
113.	सिंह, श्री रेवती रमन	274
114.	सिंह, श्री सुग्रीव	276, 326, 343, 364, 374
115.	सिंह, श्री उदय	282
116.	सुब्बा, श्री एम.के.	236, 392

1	2	3
117.	सुगावनम, श्री ई.जी.	243, 313, 364, 367
118.	सुमन, श्री रामजीलाल	275, 342, 347
119.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	253
120.	थामस, श्री पी.सी.	381
121.	ठुम्मर, श्री वी.के.	303
122.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	375, 326
123.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	300
124.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	294
125.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	293
126.	विनोद कुमार, श्री बी.	255, 327
127.	यादव, श्री बालेश्वर	392
128.	यादव, श्री भाल चन्द्र	393
129.	यादव, श्री गिरिधारी	302
130.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	296, 332, 344, 376
131.	यादव, श्री राम कृपाल	278
132.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	266

विवरण II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	44
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	43, 56
विदेश	:	42, 52, 59
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	41, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 57
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	55
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	46
योजना	:	58
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	50
अंतरिक्ष	:	60
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	51

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	277, 320
कोयला	:	234, 250, 261, 280, 314, 315, 346, 347, 362, 367, 382, 384, 386, 389, 395, 398
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	243, 246, 252, 260, 262, 282, 293, 302, 303, 304, 308, 311, 323, 324, 325, 329, 335, 340, 349, 357, 372, 374, 388, 391, 393, 394
विदेश	:	236, 238, 241, 245, 249, 256, 264, 268, 269, 286, 299, 300, 307, 310, 312, 318, 326, 332, 337, 339, 353, 358, 364, 378, 380, 381, 392
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	232, 235, 239, 240, 242, 248, 251, 254, 257, 259, 265, 267, 270, 274, 278, 279, 283, 284, 288, 289, 294, 296, 297, 301, 305, 313, 322, 330, 336, 338, 343, 344, 345, 351, 352, 354, 360, 363, 365, 383, 385, 387, 397, 399
प्रवासी भारतीय कार्य	:	290, 370
पंचायती राज	:	375, 377
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	233, 237, 271, 273, 275, 276, 295, 350
योजना	:	253, 255, 266, 272, 281, 291, 306, 319, 328, 331, 334, 348, 368, 373
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	247, 263, 287, 292, 298, 309, 316, 317, 321, 327, 341, 342, 356, 361, 369, 376, 396
अंतरिक्ष	:	355, 371
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	244, 258, 285, 379
युवक कार्यक्रम और खेल	:	333, 359, 390.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/3/2007 (एन०)

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।